पंचम माला, खंड 9, अंक 11 सोमवार, 29 नवम्बर, 1971/ 8 अग्रहायण 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 11 Monday, November 29, 1971/ Agrahayana 8, 1893 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED
VERSION OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third]

[खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 29 नवम्बर, 1971/8 अग्रहायण, 1893 (शक)
No. 11, Monday, November 29, 1971/Agrahayana 8, 1893 (Saka)

निधन संबंधी उल्लेख — OBITUARY REFERENCES

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
304	दिल्ली के सुपर बाजार की प्रबन्धक समिति	Managing Committee of Super Bazar Delhi	2—4
305	गांवों में ऋण आवश्यकताए और उनके लिए संस्थाओं की व्यवस्था	Requirement of Rural Credit and Institution provided for them	4—6
306	दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान एक समेकित विकास प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Unified Development Authority on the Pattern of DDA	6—8
307	सोयाबीन का प्रोटीन भरपूर आहार के रूप में प्रयोग	Use of Soyabean as rich Protein Food	8—10
309	रिजनल कालेज आफ एजुकेशन, अजमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन	Report of CBI into Activities of Rashtriya Swayam Sewak Sangh in Regional College of Education Ajmer	10—12
310	अगामी छः मास में की जाने वाली अनाज की वसूली के भण्डार के प्रबन्ध	Storage Arrangements for Foodgrains to be produced during next six months	12—14
312	चुकन्दर और सूरजमुखी की खेती के विकास के लिये सोवियत रूस और हंगरी की ओर से सहायता का प्रस्ताव	Offer of Aid from USSR and Hungary for Development of Sugar Beet and Sunflower	14—15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
315	तूफान पीड़ितों को वितरित करने के लिये उड़ीसा को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of foodgrains to Orissa for Distribution to Cyclone Affected Persons	15—16
316	चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission appointed to study working of Sugar Industry	16—18
317	वनस्पति का उत्पादन और मांग	Demand and production of Vanaspati	18—19
321	चालू वर्ष में चावल की वसूली	Procurement of Rice during Current year	19
322	न्यूयार्क में भगवान नटराज की मूर्ति की बिक्री	Sale of Idol of Lord Nataraj in New York	20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
301	करनाल स्थित नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को डेरी विश्वविद्यालय के रूप में बदलने का प्रस्ताव	Proposal for conversion of National Dairy Research institute at Karnal into a Dairy University	20—21
302	पश्चिम बंगाल के गैर सरकारी कालेजों के अध्यापकों के मंहगाई भत्ते में कटौती करना तथा सरकारी कालेजों के अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करना	Cut in DA of Teachers of Private Colleges and Termination of Services of Govt. College Teachers in West Bengal	21—22
303	जनजातियों के लिये केन्द्रीय गृह निर्माण योजना	Central Housing Scheme for Tribals	22—23
308	राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा कृषि पर आर्थिक शुल्क (फिस्कल लेवीज) लगाने के बारे में तर्क दिया जाना	Plea of Vice Chairman, National Commission on Agriculture for Imposition of Fiscal Levies	23—24
311	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन	All India Evaluation of Applied Nutrition Programme	23
313	विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Vishwayatan Yogashram, New Delhi	23—24
314	कलकत्ता में 500 बिस्तरों वाला 'केजुएल्टी' अस्पताल और 'चैस्ट सर्जेरी यूनिट' स्थापित करने की मांग	Demand for setting up of a 500 Bed Casualty Hospital and Chest Surgery Unit in Calcutta	24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
318	सुपर फास्फेट की आवश्यकता और आयात	Requirement and Import of Super Phosphate	24—25
319	निरक्षरता समाप्त करने के लिये 'यूनेस्को' और नेशनल फेडरेशन आफ इंडिया वीमेन की संयुक्त गोष्ठी	Seminar against Illiteracy held jointly by National Federation of Indian Women and UNESCO	25—27
320	कलकत्ता में कुछ और बहिरंग औषधालयों की स्थापना	Setting up of more out door dispensaries in Calcutta	27—28
323	सभी राज्यों में भाण्डागार निगम की स्थापना	Setting up of Warehousing Corporations in all States	28
324	सूखे के कारण उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa due to Drought	28—29
325	फसल बीमा योजना का लागू किया जाना	Introduction of Crop Insurance Scheme	29
326	ट्यूटिकोरिन बन्दरगाह परियोजना के पूरा किये जाने में विलम्ब	Delay in completing Tuticoria Harbour Project	29
327	स्काटलैंड की फर्म द्वारा मालवाहक जहाज के निर्माण के लिये ब्रिटिश सहायता	British Aid for Building a Cargo Ship by Scottish Firm	29—30
328	छूट हटा लिये जाने का भारतीय नौवहन के विकास पर कुप्रभाव	Growth of Indian Shipping Adversely affected due to removal of Rebate	30
329	आवास और नगर विकास निगम, कलकत्ता द्वारा अल्प अवधि के लिये दिये गये ऋणों पर ब्याज की ऊंची दरें	High Rates of Interest on Short term Loans given by Housing and Urban Development Corporation, Calcutta	30—31
330	अन्य राज्यों को चावल भेजते समय आँध्र-प्रदेश में पकड़े गये व्यापारी	Merchants caught in Andhra Pradesh while exporting Rice to other States	31

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1930	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये आसाम, मेघालय और त्रिपुरा को सप्लाई किया गया चावल तथा गेहूं	Rice and wheat supplied for Bangla Desh refugees to Assam, Meghalaya and Tripura	31—32

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1931	राज्यों में आवास सुविधाओं, नगरीय विकास और गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये धन का आवंटन	Funds allocated for Housing, Urban Development and Slum Clearance in States	32—33
1932	केरल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पृथक सर्किल की स्थापना	Setting up of Separate CPWD circle for Kerala	33—34
1933	सुर्रा रोग के कारण पालामऊ (बिहार) में पशुओं की मृत्यु	Death of Cattle in Palamau (Bihar) due to Surra disease	34
1934	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाजों की आवश्यकता और पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज रखना	Requirement and replacement of ships during Fourth Five Year Plan	34—35
1935	व्यापारिक जहाजी बेड़े को मजबूत करने के लिये कार्यवाही	Steps taken to strengthen the Merchant fleet	35
1936	भारत में बड़े जहाजों का निर्माण	Construction of large-sized ships in India	35—36
1937	जहाजों की अधिक निर्माण लागत	Higher cost of construction of ships	36—37
1938	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सर्विस एसोसिएशनों के अध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of the President's and other Office Bearers of the Recognised Service Association by CPWD	37
1939	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्या द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति लगाना	Marking of attendance by Principals of Higher Secondary Schools in Delhi	38
1940	डॉ० भगवानदास मैमोरियल ट्रस्ट लाजपत-नगर, नई दिल्ली को दिये गये विविध ऋण	Sundry Loans given by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi	38
1941	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा मिडिल श्रेणी बोर्ड द्वारा दिल्ली में परीक्षा शुल्क में वृद्धि	Increase in Examination Fee by the Board of Higher Secondary Education and Middle Class Board in Delhi	38—39
1942	मकानों के निर्माण तथा बने बनाये मकानों के लिये ऋण देने पर प्रतिबन्ध	Ban on Grant of House Building Loan and for Ready Built House	39
1943	दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय की मांग	Demand for Another University in Delhi	39—40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1944	मानसिंह रोड नई दिल्ली के फौसका अपार्टमैन्टस के कब्जाधारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही	Eviction Proceedings against occupants of Fonseca Apartments, Man Singh Road, New Delhi	40
1945	टानसिल्स के उपचार के नये तरीके	New Method of curing Tonsils	40—41
1946	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के लिये तदर्थ वेतन वृद्धियाँ	Ad hoc Increments for Junior Engineers in CPWD	41
1947	असिस्टैण्ट इन्जीनियरों की सीधी भर्ती	Direct Recruitment of Assistant Engineers	41—42
1948	केन्द्रीय लोक विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक	Meeting of Departmental Promotion Committee in CPWD	42
1949	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के फील्ड आफिसरों के कृत्य	Function of Field Officers in NCERT	42—43
1950	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में पदों का भरा जाना	Filling up of Posts in NCERT	43—44
1951	सिद्धार्थ हाई स्कूल, मैसूर को रखरखाव अनुदान	Maintenance Grant to Siddhartha High School, Mysore	44
1952	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये केन्द्र सरकार की छात्रवृत्तियां	Central Government Scholarship to S. C. & S. T. Students for higher studies Abroad	44—45
1953	मेडिकल कालेजों द्वारा तैयार किये गये डाक्टर	Turn out of Doctors by Medical Colleges	45
1954	चिकित्सा कालेजों में प्रवेश करने वाले नये विद्यार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा	Compulsary Service in Rural Areas by New Entrants to the Medical Colleges	45—46
1955	पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालौनी में सड़कों पर बिजली	Street Light in Shanker Garden Colony of West Delhi	46
1956	पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालौनी में विकास कार्य	Development Work in Shanker Garden Colony in West Delhi	46—47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAG
1957	अधिक ऊंचाई पर चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन	Study of Medical Problem at High Altitude	47—48
1958	दिल्ली में सफाई और गन्दी नालियों की सफाई सम्बन्धी सेवा में हड़तालों को निषिद्ध करने का आदेश जारी करना	Issue of Orders prohibiting Strikes in Conservancy and Sewage Disposal Services in Delhi	48
1959	विश्वविद्यालय के मामले में जांच करने के बारे में बंगलौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मांग	Bangalore University, Students Demand for an Inquiry into University's Affairs	48—49
1960	भारत में मत्स्यपालन उद्योग का यंत्रीकरण	Mechanisation of Fisheries in India	49—51
1961	पटेल मेमोरियल नेशनल कालिज, राजपुरा (पंजाब) के छात्रों द्वारा हड़ताल	Strike by Students of Patel Memorial National College, Rajpura (Punjab)	51—52
1962	सिक्किम के इन्स्टीट्यूट आफ तिबतोलोजी को दी गई सहायता	Assistance given to Sikkim Institute of Tibetology	52—53
1963	वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन	Encouragement to Production of Commercial Crops	53—54
1964	आस्थगित भुगतान प्रणाली के बारे में बंगाल की खाड़ी/जापान सम्मेलन का निर्णय	Decision of Bay of Bengal/Japan Conference re. Deferred Payment System	54—55
1965	दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की समस्या	Housing Problem for Government Employees in Delhi	55—56
1966	दूध के टोकनों के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications for Milk Token Pending with Delhi Milk Scheme	56
1967	पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाना	Sinking of Tubewells in West Bengal	56—57
1968	वक्फ जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of the Recommendations of the Waqf Inquiry Committee	58
1969	पश्चिम बंगाल में कपास उत्पादकों को वित्तीय सहायता	Financial Help to cotton Growers of West Bengal	58

अता० प्र संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1970	मैसूर राज्य में परियोजनाओं में सहायता के लिये भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच समझौते	Agreements between India and World Food Programme to assist projects in Mysore State	59
1971	छोटी चावल मिल	Mini Rice Mill	59—60
1972	मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्रों का विकास	Development of Rain Scarcity Areas in Madhya Pradesh	60
1973	बुरहानपुर तहसील (मध्य प्रदेश) के महल गुराडा गांव से जैनाबाद गांव तक नहर	Canal from Mahalgurada Village to Jainabad village in Burhanpur Tehsil (Madhya Pradesh)	60
1974	दिल्ली स्थित भारत सरकार प्रकाशन शाखा के प्रबन्धक के कार्यालय में कार्य की असन्तोषजनक दशा	Unsatisfactory working conditions in the Office of Manager, Government of India, Publication Branch, Delhi	60—61
1976	ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार दिये गये व्यक्ति	Persons provided with employment under crash programme for rural employment	61—63
1977	गुजरात में मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी	Theft of temple idols in Gujarat	63—64
1978	आधुनिक तरीके से कत्थे का उत्पादन	Manufacture of Kattha on modern lines	64
1979	बहारइच जिले में उत्पादित गन्ने का उपयोग और उक्त जिले में एक चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव	Utilisation of sugarcane produced in Baharaich District and proposal to set up a Sugar Mill in that District	64
1980	हावड़ा, पश्चिम बंगाल में सड़कों और नालियों की दुर्दशा	Dilapadiated condition of roads and drains in Howrah, West Bengal	65—66
1981	पांडीचेरी में कृषि इंजीनियरिंग वर्कशाप	Agricultural Engineering Workshop at Pondichery	66
1982	भारतीय खाद्य निगम, विशाखापतनम के डिप्टी मैनेजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against deputy Manager Food Corporation of India Visakhapatnam	66
1983	कारखानों के कामों के लिए नेत्रहीनों को प्रशिक्षण	Training of Blinds for Factory jobs	66—67
1984	द्रुतगामी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की योजना को अस्वीकार करना	Rejection of Scheme of States under crash programme	67—68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1985	चीनी टेबिल टेनिस टीम के निमंत्रण	Invitation to Table Tennies Team from China	68
1986	कीटनाशी औषधियों का उत्पादन	Production of pesticides	68
1987	आयात किये गये उर्वरकों का जमा हो जाना	Accumulation of imported fertilisers	68—70
1988	भवन निर्माण एडवांस देने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on the grant of House Building Advance	70—71
	पश्चिम बंगाल में पांडवेश्वर से गौर बाजार तक पक्की सड़क का निर्माण	Construction of Metalled Road from Pandaveshwar to Gour Bazar, West Bengal	71
1990	पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर सड़क पुल	Road Bridge over River Damodar in West Bengal	71—72
1991	दुर्गापुर कालेज में विज्ञान एकक का खोला जाना	Opening of Science Unit of Durgapur College	72
1992	चौथी योजना के दौरान राज्यों में सहकारी खेती	Co-operative farming in States during Fourth Plan	72—73
1993	राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of States Housing Ministers	73
1994	गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि की समस्या को हल करने की योजना	Scheme to solve problem of Growing Slum	73—74
1995	दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Employees of Department of Social Welfare regarding implementation of Second Pay Commission's Report	74
1996	राष्ट्रीय अभिलेखागार में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Employees in Clerical Cadre in National Archives	74—75
1997	सुपर बाजार को होने वाली दैनिक हानि	Daily loss to Super Bazar	76
1998	सरकारी मकानों के किराये का पंचवर्षीय पुनरीक्षण	Quinquennial revision of rent for Government Residences	76—77
1999	खाद्य की वसूली में बिचोलियों को हटाने की योजना	Scheme for Elimination of Intermediaries in Food Procurement	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2000	निजी साहूकारों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने के लिये उपाय	Steps to check Exploitation by Private Money Lenders	77—78
2001	सफेद गुड़ का स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होना	White Gur injurious to health	78
2002	सूरजमुखी की खेती को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Sunflower Cultivation	78—79
2003	सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की भण्डार क्षमता तथा इस क्षमता को बढ़ाने की मांग	Storage capacity with Central Ware Housing Corporation and demand Forits increase	79—80
2004	परिवार नियोजन के प्रशिक्षण के लिये जिला मजिस्ट्रेट	District Magistrate for Family Planning Training	80
2005	महामारी नियंत्रण सेवा के लिये पंचायत समिति उपकर और कृषिक और राजकोषीय प्रशासन का विनियमन	Panchayat Samiti Cess for Epidemic Control Service and Regulation of Agricultural and Fiscal Administration	80—81
2006	मानव जाति तथा वन्य जीवों को हानि से बचाने के लिये कीटनाशी दवाओं का उपयोग	Use of Pesticides to avoid Hazards to Humanbeings and Wild Life	81—82
2007	बिहार में उद्यानों का विकास	Development of Horticulture in Bihar	82
2008	दिल्ली में यमुना पार वाले क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के साइकिल रिक्शाओं का चलाया जाना	Un licenced cycle rikshaws playing in Trans-Yamuna area in Delhi	82
2009	अधिक ट्रैफिक के कारण यमुना पर दूसरे पुल का निर्माण	Construction of Second Bridge over Yamuna in Delhi due to more traffic	82—83
2011	नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में बहु मंजिली इमारतें	Multi storeyed building in the connaught Place area, New Delhi	83
2012	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के बारे में नई दिल्ली में मार्च, 1970 में आयोजित हुई अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of All India Seminar on Applied Nutrition Programme held in New Delhi in March, 1970	83—84

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/F
2013	चीनी जांच आयोग की सदस्यता से त्याग पत्र	Resignation from Membership of Sugar Inquiry Commission	
2014	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार की समस्या पर गोष्ठी	Seminar on problems of employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	84
2015	विश्वायतन योगाश्रम द्वारा दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना	Setting up of a hospital by Vishwayatan Yogashram in Delhi	85
2016	कीटनाशन डी० डी० टी० की प्रभाव शीलता	Effectiveness of Pesticide DDT	
2017	चौथी योजना में दूध और दूध उत्पादों की मांग और उत्पादन	Demand and production of milk and milk products under Fourth Plan	86—
2018	दुर्गापुर राज्य परिवहन में हड़ताल	Strike in Durgapur state Transport	
2019	कृषि वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये फसल के पैटर्न के सम्बन्ध में विकास	Development of Cropping Pattern by Agricultural Scientists to remove regional disparities	
2020	भूमिहीन श्रमिकों की जनगणना	Census of Landless Labour	88—8
2021	श्रीनगर में सितम्बर, 1971 में हुई 'इंडियन रोड्ज कांग्रेस' की गोष्ठी में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में दिये गये प्रस्ताव	Suggestions made regarding Development of Roads at the Indian Roads Congress Seminar held at Srinagar in September, 1971	89
2022	फार्मेसी अधिनियम का लागू किया जाना	Enforcement of Pharmacy Act	89—90
2023	खारेपन की समस्या से ग्रस्त भूमि के विकास के लिये राजस्थान को केन्द्र द्वारा सहायता	Central Aid to Rajasthan for Development Land affected by Saline Alkaline Problem	90—91
2024	दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education in Delhi	91
2025	दक्षिण कोरिया से मालवाहक जहाजों, टैंकरों, मछली पकड़ने की नावों आदि का आयात	Import of Cargo Ships, Tankers, Fishing Boats etc. from South Korea	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2026	विद्यार्थियों द्वारा गड़बड़ी के कारण विश्व-विद्यालयों का बन्द होना	Closure of Universities due to Student Trouble	91—92
2027	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कृषि क्रान्ति का मूल्यांकन	Bvaluation of Green Revolution by United Nations Development Programme	92—93
2028	देश में प्लेग का फैलना	Ereak out of plague in the country	93
2029	हरिजन बस्तियों के विकास के लिये दिल्ली नगर निगम की निधियां प्रदान करने में अनियिमिततायें	Irregularities in Disposal of D.M.G. Fund for Development of Harijan Basties	93
2030	मेघालय की खासी पहाड़ियों में मैलाम शरणार्थी शिविर में हैजे के कारण मृत्यु	Deaths due to Cholera at Mailam Refugee Camp in Khasi Hills of Meghalaya	93—94
2031	प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक कार्य में सुधार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की योजना	NCERT Scheme Regarding Improvement in Teaching in Primary and Secondary Schools	94—95
2032	दिल्ली में नकली औषधियों की बिक्री	Sale of Spurious Drugs in Delhi	95—96
2033	चीनी के मूल्यों में हो रही वृद्धि	Rising trend in Price of Sugar	96—97
2034	चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान	Payment of Sugarcane Price by Sugar Mills to Growers in Time	97—99
2035	काफी बागान पर भूमि सुधार कानूनों का बुरा प्रभाव	Adverse effect of Land Reforms on Coffee Plantation	99
2036	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश	Admission in Central Universities	99—100
2037	विंडसर प्लेस, नई दिल्ली के नौकरों के क्वार्टरों की खराब हालत	Dilapidated Condition of Servants Quarters of Windsor Place, New Delhi	100
2038	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय तथा जिवाजी राव विश्वविद्यालय को अनुदान	Grant to Vikram University and Jivaji Rao University by UGC	100
2039	दुग्ध चूर्ण तथा दुग्ध का आयात	Import of Milk Powder	100—101
2040	मध्य प्रदेश में खेती योग्य खादर भूमि और उससे अनुमानित राजस्व	Acreage of Ravine Land in Madhya Pradesh Fit for Cultivation and the Estimated Revenue therefrom	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2041	पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के स्कूलों में आदिवासी छात्रों की प्रतिशतता	Percentage of Tribal Students in Schools in Malda District, West Bengal	101—102
2042	पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता	Percentage of Literacy among scheduled castes and Scheduled Tribes in Malda District, West Bengal	102—103
2043	सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर सहकारी फार्म	Co-operative Farms with Ownership of Land in the State	103
2044	मैसूर में 1971-72 में एक दुग्ध डेरी की स्थापना	Setting up of Milk Dairy in Mysore during 1971-72	103—104
2045	राजधानी में वायु प्रदूषण	Air pollution in the Capital	104—105
2046	मत्स्य उद्योग का विकास और उसके लिये विश्व बैंक से ऋण	Development of Fisheries and World Bank Loan therefor	105—106
2047	बीरभूम स्थित विश्व भारती में कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आरम्भ किया जाना	Introduction of Diploma Course in Agriculture in viswa Bharati, Birbhum	106—107
2048	अखिल भारतीय अध्यापक एसोसिएशन, की दार्जिलिंग शाखा की मांगें	Demand of All Bengal Teacher's Association, Darjeeling Branch	107
2049	सहकारी विकास के लिए वर्तमान योजना निरूपण प्रणाली के बारे में अक्तूबर, 1971 को पूना में हुई गोष्ठी	Seminar on present processing of Planning for cooperative Development held in Poona on October, 1971	107—108
2050	खरीफ फसल के उत्पादन में कमी और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए समीकरण भण्डार बनाना	Shortfall in Kharif Production and Buffer Stock to Hold price Line	108
2051	सहकारी संस्थानों में समान संवर्गों के लिये सांविधिक व्यवस्था	Statutory Provisions for Common Cadres in Co-operative Institution	108
2052	डी-आयल्ड चावल से सस्ता तथा अधिक प्रोटीन वाला खाद्य आटा बनाना	Manufacture of Cheap High Protein Food Flour from De-oiled Rice	108—109
2053	अखिल भारतीय नगर निगम सम्मेलन	All India Conference of Municipal Corporations	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2054	दिल्ली में भूमि के पुनर्वासेत्तर पट्टधारियों पर बकाया राशि	Arrears from Lessees of Non-Rehabilitation Lands in New Delhi	109—110
2055	जीवन बीमा निगम तथा नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन द्वारा आवास के विषय में आयोजित गोष्ठी	Seminar on Housing convened by LIC and National Building Organisation	110
2056	जनसंख्या सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Population	110—112
2057	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विस्तार का प्रस्ताव	Proposal for Expansion of Hindustan Shipyard	112
2058	देश में चीनी उद्योग की समस्यायें	Problems being faced by Sugar Industry	113
2059	देश में चिकित्सा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Medical Profession in the country	113
2060	कलकत्ता में सेंट्रल फोर्म्स स्टोर्स	Central Forms Stores in Calcutta	113—114
2961	कलकत्ता निगम बोर्ड के टी० बी० अस्पताल में रोगियों के साथ दुर्व्यवहार	Ill treatment of Patients in Calcutta Corporation's Board	114
2062	आसाम स्थित भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों के किराये की अदायगी	Payment of rent on account of hiring godowns by FCI Assam	114—115
2063	नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों से आये विद्यार्थियों को बंदी बनाया जाना	Arrest of Students from U. P. Bihar and other States in New Delhi	115
2064	हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाने हेतु केरल को सहायता देना	Assistance to Kerala for Construction of Hostels for Harijans, S. C. and S. T. Students	116
2065	केरल को सड़े हुए चावल की सप्लाई	Supply of rotten rice to Kerala	116
2066	कोलावन्नु लार्जर साइज्ड कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की चावल मिल के दोषपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत	Complaint against the defective construction of Kolavennu larger sized co-operative Credit Society Limited	116—117
2067	गुजरांवाला सहकारी गृह-निर्माण समिति	Plots carved out by Gujranwala	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAG
	दिल्ली द्वारा काटे गये प्लाट	Cooperative House Building Society Delhi	11
2068	गुजरांवाला आवास सहकारी समिति दिल्ली में जल और विद्युत की व्यवस्था	Provision of water and electricity in Gujranwala Housing Co-operative Society, Delhi Colony	117—118
2069	श्री चितलपती बापीराज धर्मसंस्था (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा प्रचालित शिक्षा संस्थानों और होटलों की सहायता	Assistance to Educational Institutions and Hostels run by Shri Chintalapati Bapirajh Dharmasamstha, A. P.	118
2070	एजेन्टों द्वारा सप्लाई किये गये खाद्यान्न की मंजूरी	Approval of Foodgrains Supplied by Agents	118
2099	संसद सदस्यों के निवास स्थानों के सन्निकट फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली के नौकर क्वार्टरों में सफेदी	White washing in the servants quarters attached to M. Ps. residences at Ferozeshah Road, New Delhi	119
2100	फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली पर संसद सदस्यों के नौकर क्वार्टरों की मरम्मत	Repairs of M. P's. servants quartets at Ferozeshah Road, New Delhi	119
2071	जनसंख्या पर समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee on Population	119—120
2072	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से प्राप्त दोषपूर्ण ट्रक्टरों की जांच	Inquiry into Defective Tractors from GDR	120
2073	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक परिसंवाद	Symposium in Delhi on Road Accidents	120—122
2074	गढ़बीत नगर में नल के पानी की योजना	Scheme for Pipe Water in Garhbita Town	122
2075	मिदनापुर जिले में शीतागारों का कार्य	Functioning of cold Storage situated in District Midnapore	122—123
2076	पश्चिम बंगाल में भूमिहीन श्रमिकों के लिये मकान	House for Landless Labourers in West Bengal	123—124
2077	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की समस्या	Problem of Admission in Delhi University	124
2078	दिल्ली परिवहन निगम की ऋणग्रस्तता और उसकी दक्ष सेवा के लिये उपाय	Indebtedness of the Delhi Transport Corporation and steps for its Efficient Service	124—125
2079	ग्रेटर कैलाश पार्ट-II नई दिल्ली में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Greater Kailash Part II, New Delhi	125

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2081	पश्चिम बंगाल में स्कूलों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान न किया जाना / Non payment of D.A. to Staff of Schools in West Bengal	125—126
2082	मनिपुर में खाद्य सम्बन्धी घोटाले की न्यायिक जांच / Judicial Enquiry into Food Scandal in Manipur	126—127
2083	दिल्ली में कालिज तथा विश्वविद्यालय निधियों में कथित घोटाला / Alieged Bungling in College and University Funds in Delhi	127
2084	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस सम्बन्धी घोटाला / Delhi University Press Scandal	127
2085	छात्रों में औषध व्यसन की समस्या / Problem of Drug Addiction among Students	128—129
2086	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में प्लाटों के आवंटन के लिये पंजीकरण / Registration for Allotment of Flats in Delhi by DDA	129
2087	नेशनल फिटनैस कोर निदेशालय और शिक्षा मंत्रालय में पर्यवेक्षण कर्मचारियों का समान संवितरण / Equi Distribution of Supervisory Staff in NFC Directorate and Ministry of Education	129—130
2088	कानपुर में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु वित्तीय सहायता / Financial aid for Slum Clearance in Kanpur	130—131
2089	पश्चिम बंगाल के कालिजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश / Admission in Colleges and Universities in West Bengal	131
2090	खाद्यान्नों की वसूली / Procurement of Foodgrains	131—132
2091	उत्पादकों को वसूली मूल्य का पूरा भुगतान और सहकारी समिति द्वारा वसूली / Payment of full procurement price to producers and Procurement through cooperatives	132—133
2092	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के लिये जनजाति विकास परियोजनायें / Tribal Development Projects for Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh and Bihar	133—134
2094	चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मार्गदर्शी अनुसंधान परियोजना के लिये आवंटन / Allocation for Pilot Research Projects for Rural Areas during Fourth Plan	134

अता० प्र० संख्या U S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAC
2095	सड़क द्वारा माल लाने ले जाने की सुविधा के सम्बन्ध में वैस्टर्न जोन परमिट स्कीम	Western Zone Permit Scheme Regarding Easy Flow of Goods by Road	134—13
2097	भारतीय औषध में अनुसन्धान सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुसन्धान	Research on Drugs by Central Council for Research in Indian Medicine	135—136
2098	आयुर्वैदिक चिकित्सा पद्धति में परीक्षा की मान्यता को समाप्त करना	De-recognition of Ayurvedic Medicine Examination	136
2101	केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यों हेतु एक निगम का गठन	Formation of a corporation for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Kerala	137
2102	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कोचीन शिपयार्ड के लिए आवंटित की गयी राशि	Amount allotted for Cochin Shipyard during Fourth Plan period	137
2103	निर्यात में गति लाने हेतु कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय खोलने के लिये केरल सरकार का अनुरोध	Request from Kerala Government to open office of Freight Investigation Bureau at Cochin for accelerating exports	137—138
2104	यौन सम्बन्धी रोगों को रोकने हैल्थ विजिटरों तथा प्रचार करने की व्यवस्था	Health visitors and publicity to check uenercal diseases	138—139
2105	कृषि मंत्रालय में कार्य करने वाले अमरीका विशेषज्ञ	U. S. Experts working in Agriculture Ministry	139
2106	संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों में अपनाये जाने वाले नियत पाठ्य-क्रम, पाठ्य पुस्तकों आदि के बारे में आयोग की नियुक्ति	Appointment of Commission on Syllabus text books adopted by Government aided schools and colleges in Union Territories	139—140
2107	भारत में सूखे के परिणामस्वरूप फसलों को क्षति	Loss of crops due to droughts in India	140
2108	जामनगर के दूसरे पुल का निर्माण	Construction of second bridge in Jamnagar	141
2109	अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे कृषि उत्पाद	Agricultural products being exported to other countries	141

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2110	गुजरात बन्दरगाह पर निकर्षण पोत (ड्रेजर)	Dredgers in Gujarat Ports	141—142
2111	फ्रीडम फ्राम हंगर अभियान के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त मदद	Assistance received from foreign countries under Freedom from Hunger Campaign	142
2112	धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं पर अधिकतम भूमि सीमा के निर्णय का प्रभाव	Effect of Ceiling on land on religious and educational Institutions	143
2113	ट्रावनकौर भवन, नई दिल्ली	Travancore House, New Delhi	143
2114	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें	C. G. H. S. facilities for the employees of Delhi Administration	143—144
2115	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के शुल्कों में वृद्धि	Increase in Central Universities Hostel Charges	144
2116	देर से बुवाई के परिणाम स्वरूप गेहूं की पैदावार में कमी पर अनुसंधान	Research in reduction in yield of wheat due to delay in its sowing	144—145
2117	नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग का समय और मात्रा	Time and quality of Application of Nitrogen to Wheat Crop	145
2118	रेफ्रीजीरेशन व्यवस्था के कार्य न करने के परिणामस्वरूप कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना में संकट	Calcutta Milk Supply Scheme in crisis due to non-functioning of Refrigeration system	145—146
2119	शिक्षा का नवीकरण	Reorientation of Education	146—147
2120	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये धन	Funds for improving irrigation facilities in drought affected areas	147—148
2121	दरभंगा बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग	Demand for establishment of Mithila University at Darbhanga-Bihar	148
2122	प्रति परिवार 10 से 18 एकड़ भूमि की उच्चतम सीमा	Ceiling of 10 to 18 Acres of Land per Family	148—149
2123	केरल में छोटे पत्तनों का विकास	Development of minor ports in Kerala	149
2124	कोचीन (केरल) में परिवार नियोजन शिविरों की सफलता	Success of Family Planning Camps at Cochin (Kerala)	149—150

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2125	कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से गृह और लघु-उद्योगों को वित्तीय ऋण दिया जाना	Financing of Cottage and Small Scale Industries through Cooperative Banks	150—151
2126	खाद्यान्नों की भंडार क्षमता बढ़ाने की मांग	Demand for increase in Storage Capacity for Food grains	151—152
2128	हावड़ा में कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना की एक दुग्ध गाड़ी का जलाया जाना	Burning of Milk Van of Calcutta Milk Supply Scheme at Howrah	152
2129	अनुपात के आधार पर गन्ने का मूल्य तय किया जाना	Price of Sugarcane on Uniform Basis	152—153
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	153
	बिहार के पूर्णिया जिले में भू-स्वामियों द्वारा संथालों का मारा जाना	Reported Killing of Santhals by land owners in Purnea District of Bihar	153—156
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal kishore Sharma	
	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	
	सभा पटल रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	156—158
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	158
	राष्ट्रीय गौरव अपमान विधेयक	Prevention of Insults to National Honour Bill	158
	राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया	As amended by Rajya Sabja-Laid on the Table	158
	राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात पिघलाने वाले कारखाने की छत का काम पूरा करने के बारे में वक्तव्य	Statemant Re. Completion of Repair to the Roof of Steel Melting Shop of Rourkela Steel Plent	159—160
	राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन दिये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Submission of Interim Reports by National Commission on Agriculture	160—162
	मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद विधेयक पुरःस्थापित	Manipur (Bill Areas) District Councils Bill-Introduced —	162—163
	इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा	Re. Reported Statement by Indian	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
दिये गये कथित वक्तव्य के बारे में	High Commissioner in Islambad	163–165
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक	Commissions of Inquiry (Amendment) Bill	165
खण्ड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1	165
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	165
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	165
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	165–166
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक	Visva-Bharti (Amendment) Bill	166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	166
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nural Hasan	166–167
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	167–169
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	169–170
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	170
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	170–171
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	171–172
खण्ड 2 से 14 और 1	Clauses 2 to 14 and 1	173
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	173
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	174–175
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	Industrial Disputes (Amendment) Bill	175
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	As Passed by Rajya Sabha Motion to consider	175
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	175–176
श्री एम० कल्याण सुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram	176–177
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	177–178
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	178

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	178—179
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	179—182
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	182
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradahn	182
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	182—183
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	183
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	183—184
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	184—187
खण्ड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1	187
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	187
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	187

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 29 नवम्बर, 1971/8 अग्रहायण, 1893 (शक)
Monday, November 29, 1971/Agrahayana 8, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

(निधन संबंधी उल्लेख)
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री राजेन्द्र कोहर का गत 4 नवम्बर 1971 को 56 वर्ष की आयु में फूलबनी स्थान पर निधन हो गया है

श्री राजेन्द्र को हर वर्ष 1962-67 में तृतीय लोक सभा के सदस्य थे तथा उड़ीसा के फूलबनी चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। उन्होंने उड़ीसा के आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिये बड़ी तन्मयता से कार्य किया।

हमें इस मित्र के निधन पर बड़ा दुःख है और मैं समझता हूं कि उसके दुःखी परिवार के प्रति हमारी शोक तप्त समवेदना में सभी सदस्यगण मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री तथा सभा के नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय डा० राजेन्द्र कोहर के बारे में जो उद्‌गार आपने व्यक्त किये हैं सारी सभा उसमें भागीदार है।

डा० कोहर ने सरकारी सेवा में कुछ समय रहने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उनका विशिष्ट क्षेत्र उड़ीसा के आदि वासियों का उत्थान करना था। उनके निधन से समाज कल्याण कार्य को बहुत धक्का पहुंचा है।

मेरा निवेदन है कि आप इस सभा की समवेदनायें उनके दुःखी परिवार तक पहुंचा दें।

डा० रानेन सेन : भारतीय साम्यवादी दल की ओर से मैं आप तथा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त उद्गारों के भागीदार हूं और दुःखी परिवार के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभी सदस्य अपनी समवेदना प्रकट करने के लिये कुछ क्षणों के लिये शांत से खड़े होंगे ।

इसके पश्चात् सदस्य गण कुछ क्षण के लिए खड़े हुए

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 301, श्री कतामुतु—अनुपालित । इसके पश्चात श्री भट्टाचार्य, प्रश्न 302 पूछने के लिये श्रीमती विभाघोष गोस्वामी ने श्री भट्टाचार्य को अधिकृत किया था । अब श्री कल्याण सुन्दरम् । सभी अनुपस्थित हैं ।

दिल्ली के सुपर बाजार की प्रबन्धक समिति

*304 **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार पिछले चार महीनों से बिना किसी प्रबन्ध समिति के काम कर रहा है क्योंकि गत समिति की अवधि जून, 1971 के अन्त में समाप्त हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो नई प्रबन्धक समिति की नियुक्ति में इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार) नई दिल्ली की उप-विधियों के अधीन उसकी प्रबन्ध-समिति के 15 सदस्यों में से 9 भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने होते हैं । नामों का चयन करने तथा उनके बारे में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगा है । मनोनयन अब किया जा चुका है ।

Shri Narendra Singh Bist : Will the Government state as to duly the nominations which were to be made by the Government before June, were not made and what are the reasons for delay ?

Shri Jagannath Pahadia : In this regard I want to say that as the Super Bazar was then running in loss and they had asked for financial help. Also, for safeguarding the interest of the Government, the byelaws had to be amended which took time. Besides this, the Government are giving financial aid and it is to be ensured that this assistance is properly

utilised, and the customers get commodities on fair rates. With this, object in third, the prices are not allowed to increase and it made easy for the consumers to purchase all commodities under one roof, keeping all these things in view, it was to be ascertained that such people are nominated as are well versed and experienced in the commercial field are able to understand the matters from commercial angle and also have faith in co-operative movement. Therefore some time was taken in selecting such persons for nomination. Then, the concerned departments had also to be consulted on various matters.

Shri Narendra Singh Bist : What has been the Government's experience during these four months where there has been a Managing committee to look after these affairs in comparison to the work done by a Manager. Without any committee. May I know who did the job better ?

Shri Jagannath Pahadia : In both the cases the work was being done by the Manager and he is doing it. It is possible that there has been some improvement during these four months.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्योंकि सुपर बाजार को 70 लाख रुपये से अधिक का घाटा गत चार वर्षों में घाटा हो चुका है और आपके शब्दों में नियमों के अधीन सरकार को अनेक बार प्रबन्ध समिति में 15 में से 9 सदस्यों को मनोनीत करना पड़ा है तो क्या सरकार अब नियमों में परिवर्तन करने के बारे में विचार करेगी ताकि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य बहुमत के स्थान पर अल्प मत वाले रहें और और परिवर्तित नियमों के अनुसार चुनाव द्वारा अधिक लोग लाये जा सकें ताकि सुपर बाजार लाभ में चल सके ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड (सुपर बाजार) के नियमों के अनुसार कुछ सदस्यों को मनोनीत करना ही पड़ता है तथा कुछ सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है। नामांकन किया जा चुका है और चुनाव भी प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या आप इन नियमों में परिवर्तन करेंगे कि सरकार नौ सदस्य मनोनीत न करे और मनोनीत सदस्यों की संख्या बहुमत में न हो।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्ना साहेब शिन्दे) : सरकार की नीति और लक्ष्य यह है कि उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चुने गये सदस्यों का कुल सदस्य में बहुमत हो। इस विशिष्ट उपभोक्ता भण्डार में सरकार का बहुत सा धन लगा हुआ है। हम बहुत चाहते हैं कि उपभोक्तओं का प्रतिनिधित्व हो परन्तु दुर्भाग्य से वे लोग आगे नहीं आये हैं। सरकार का दूसरा भी लक्ष्य यही है कि यह संस्था लोक तंत्रात्मक प्रणाली पर चले और इसमें चुने गये लोगों का प्रभुत्व हो।

Shri A. P. Sharma : The hon. Minister has just now started that all sorts of people would be taken in; but may I know whether or not the representatives of the employees are also taken ? He has not said anything about it. Nominations to the Managing Committee are being delayed but let us know how it is connected with loss etc. in Super Bazars ?

Mr. Speaker : He has already mentioned it.

Shri Jagannath Pahadia : The Committee has already been nominated and noti-

fication issued. It consists of the representatives of the consumers and also Government employees.

गांवों में ऋण आवश्यकताएं और उनके लिए संस्थाओं की व्यवस्था

* 305. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गावों में ऋण की कुल कितनी आश्यकता है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कितने ऋण की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितने ब्याज की अधिकतम वार्षिक दर की अनुमति है और वर्षों तक ऋण न लौटाने पर अधिकतम कितना ब्याज लेने की अनुमति है ?

कृषि मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण सीमति ने 1966 में प्रकाशित हुई अपनी रिपोर्ट में चौथी योजना की अवधि में कृषि के लिये 1973-74 के लिए अल्प कालीन ऋण का 1973-74 में 2,000 करोड़ रु० मध्य कालीन ऋण का 500 रु० और दीर्घ कालीन ऋण का 1500 करोड़ रु० का अनुमान लगाया था। संस्थानीय एजेंसियों से सारा मध्य कालीन ऋण और दीर्घ कालीन ऋण का 70 प्रतिशत पूरा होने की आशा है। लघु कालीन ऋण का वे 50 प्रतिशत पूरा करेंगी।

(ख) सहकारी समितियों के लिये ब्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। विभिन्न राज्यों में पैसा उधार देने के सम्बन्ध में कानून के अधीन निर्धारित अधिकतम ब्याज दरें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों में धन उधार देने के अधिनियम में सर्वाधिक निर्धारित दरें दिखाने वाला विवरण।

प्रति वर्ष प्रतिशत सर्वाधिक ब्याज की दरें

राज्य का नाम	रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	6 से 9	9 से 12
2. असम	9-318	12½
3. बिहार	9	12
4. गुजरात	12	15
5. हरियाणा	निर्धारित नहीं	
6. जम्मू तथा कश्मीर	,,	
7. केरल	9	12

8. मध्य प्रदेश	निर्धारित नहीं	—
9. मैसूर	15	18
10. महाराष्ट्र	12	15
11. उड़ीसा	9	12
12. पंजाब	निर्धारित नहीं	—
13. राजस्थान	9	12
14. तमिल नाडु	$6\frac{1}{4}$ से 9-318	12
15. उत्तर प्रदेश	12	24
16. पश्चिम बंगाल	10	$12\frac{1}{2}$

टिप्पणी : असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यों के सिवाय बैंक को जैसे बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 में व्याख्या की है, स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके सहायक बैंकों सहित, धन उधार के कानूनों से साधारणत: छूट है । इन चार राज्यों में केवल उन्हीं बैंकों का ब्याज दर के उपबन्धों से छूट है जिन्हें राज्य सरकार इस उद्देश्य से अधिसूचित करती है ।

Shri Bhogendra Jha : As regards agricultural credits in parts (a) and (b) of this question. The attention of the Government has been drawn but the hon. Minister, answer and the written statement do not justify what they have stated. Part (b) says as to how much interest would be changed in case that the loans are not repaid within the maximum time limit ? Say for example, in case of Bihar Money lending legislation. .....

Mr. Speaker : You have started a speech, please ask a straight question.

Shri Bhogendra Jha : He has not started as to how much interest would be charged in different States after the time limit has expired.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : ब्याज की वही दर रहेंगी । तथापि कतिपय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के मामलों में जहां विशिष्ट परिस्थितियों में दण्ड दर निर्धारित है वहां किसी प्रकार का प्रावधान अवश्य है । परन्तु सामान्यत: कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये दिये गये ऋणों पर ब्याज की विभिन्न दरें नहीं हैं ।

Shri Bhogendra Jha : That is why I was citing an example. I had asked as to what would be the rates of interest in case five, ten or 20 years have elapsed ? He has stated that it would be from 18 to 9 percent ; but if 10 years have elapsed would it be 180 percent and 360 percent after 20 years ? That is why I had asked as to what would be the rates of interest after a specific number of years 2 has passed.

Mr. Speaker : Where would the maximum end ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैंने जो विवरण सभापटल पर रखा है उसमें निर्धारित न्यूनतम तथा अधिकतम देर हो गई हैं । माननीय सदस्य यही पूछ रहे हैं कि कोई विशिष्ट समय गुजरने पर सूद की दरें क्या होगी मैंने उत्तर दिया है कि जहाँ तक वर्तमान नीति संबंधी उद्देश्य का

प्रश्न है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। छोटी अवधि एक पहवा लम्बी अवधि के लिये नहीं होते।

Shri Bhogendra Jha : Please read the written question.

Mr. Speaker : He has stated the minimum and the maximum. Why do you ask hypothetical questions ?

Shri Bhogendra Jha : I read the question for you.

The maximum permissible annual rent of interest in various States and Union Territories ? To be has replied but the question—"What maximum rate of interest is allowed on non-repayment of loans for years together ?" i. e. how much total interest can be charge ; this has not been replied to.

श्री अन्ना साहेब शिण्दे : उसका उत्तर यह होगा कि यह बात इस बात पर निर्भर करेगी कि किस प्रकार का विधान बनाया जायेगा। उदहारणार्थ, यदि यह मामला विभिन्न राज्यों विभिन्न ऋण राहत अधिनियमों के अधीन आता तो उसके लिये जो राशि निर्धारित है। वही अधिकतम खर्च होगी।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों का प्रश्न है उन पर ऐसी कोई सीमा नहीं है।

Shri Bhogendra Jha : I want to know the amount of loan needed for Agriculture in the whole country and what percentage of that amount is met separately by Governmental and semi-Governmental organisations. May I also know how Government want to put restriction on the loan taken by agriculturists from Mahajan etc. and to fix interest rates in regard to such loans according to the number of years for which they have been outstanding ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैंने पहले ही बताया है कि चौथी योजना के अंत तक अल्पावधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुल 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसमें से 900 करोड़ रुपये सहकारी बेंकों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जायेंगे और शेष राशि गैर-सरकारी स्रोतों से आएगी। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही बता दिया है कि सुरिक्षत तथा असुरक्षित ऋण राशियों पर क्या ब्याज दर लागू होगी।

Shri Bhogendra Jha : Regarding the money-renders.....

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : लगभग 50 प्रतिशत वाणिज्यक बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं से उपलब्ध होता है तथा शेष निजी स्रोतों से।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान एक समेकित विकास प्राधिकरण की स्थापना

*306. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभीमहानगरों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान एक समेकित विकास प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० गुजराल) : (क) और (ख) : नई दिल्ली में 5 और 6 नवम्बर, 1971 को हुए आवास और नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने प्रत्येक महानगरों के सम्पूर्ण रूप से समन्वित विकास के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान सांवधिक प्राधिकरणों की स्थापना की सिफ़ारिश की है।

इन प्राधिकरणों की नीति तथा कार्यवाही के कार्यक्रम में उन नगरीयकरण योग्य सीमाओं के अन्दर की भूमि के बड़े क्षेत्रों का अर्जन, विकास तथा उनसे साधनों का जुटाया जाना शामिल होना चाहिए, जिन्हें विकास के कार्यक्रमों से लाभ पहुंचेगा। इस संबंध में आगे की कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : चौथी योजना में दिये गये इन निर्देशों के बावजूद कि राज्य सरकारें राज्य आवास बोर्डों का गठन करें, उनका गठन करें, उनका गठन सभी सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। उनके गठित न किये जाने के लिये के बारे में राज्यों के नगरीय तथा आवास मंत्रियों ने उक्त सम्मेलन में उस संबन्ध में क्या कठिनाइयां बतायी थी। दूसरे यदि सभी राज्यों में आवास बोर्डों का गठन किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक वित्तीय सहायता दे सकेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : हम राज्य सरकारों से आवास बोर्डों की स्थापना करने का निवेदन करते रहें हैं। कुछ राज्य सरकारों ने उनकी स्थापना कर दी। किसी भी राज्य सरकार ने इसमें आने वाली कठिनाई के बारे में हमें नहीं लिखा है। मैं केवल इतना ही बनाता चाहता हूं कि इन मामलों को हाथ में लेने के बजाय इस प्रकार उन्हें टालना ही है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबन्ध है राज्य बोर्डो की योजनाओं पर आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा विचार किया जाता है जोकि विभिन्न राज्यों में पर्याप्त सहायता दे रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : चौथी योजना के अंतर्गत्त आवास निगमों अथवा नगरीय विकास निगम के लिये 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और अन्य विविध स्रोतों से 200 करोड़ रुपए की आवर्त्ती निधि की व्यवस्था की जाएगी। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप जानना चाहता हूं कि क्या 10 करोड़ रुपये के अल्प धन से सभी आवास बोर्डों की आवश्यकता को पूरा कर लिया जायेगा ? दूसरे, क्या राज्य आवास बोर्ड अपने राज्य के महान गरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा ? क्या राज्यों को कोई ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि महानगरों के लिये पृथक आवास बोर्डों की स्थापना की जाये ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक चौथी योजना के लिये धन की व्यवस्था करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि चौथी योजना में आवास के लिये कुल 242 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिनमें से 190 करोड़ रुपये राज्यों के कार्यक्रमों के लिये दिये गये हैं। जहां तक आवास और नगरीय विकास निगम का सम्बन्ध है, इसने धीरे-धीरे अपनी

निधि स्थापित करली है। इस वर्ष विभिन्न स्रोतों से लगभग 20 करोड़ रुपये की निधि इकट्ठी की गई है। महानगरों में तथा अन्यत्र भी धन का मुख्य स्रोत नगरीय भूमि ही है और हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि महानगर अधिकरणों की स्थापना करें। यह अधिकरण भूमि का अधिग्रहरण करे तथा उसे बेच कर धन एकत्र करें, जैसा कि दिल्ली में किया गया है, जहाँ कि 5 करोड़ रुपये की आवर्त्ती निधि से 90 करोड़ रुपये बन गये हैं। इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महानगरों में न केवल आवास कार्यक्रमों के लिये अपितु धन इकट्ठा करने के स्रोतों को पैदा करने के लिये ऐसे अधिकरणों की स्थापना हो।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस बात को देखते हुये कि विकास योजना के अन्तर्गत नगरों की प्रगति इस पर निर्भर करती है कि नगरीय भू सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की जाये। क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करना चाहती है अन्यथा हमारी विकास की योजनायें केवल कागज पर ही रह जायेंगी।

श्री आई० के० गुजराल : जबकि प्रगति सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर निर्भर नहीं करती है, तो भी उस पर हमारा ध्यान है। हमने राज्यों से निवेदन किया है कि वे संसद को इस सम्बन्ध में अधिकार देने वाले प्रस्ताव पास करें। छः राज्यों ने अभी तक ऐसे अधिकार दे दिये हैं। दो राज्यों ने सीधे कानून पारित किये हैं। मुझे आशा है कि आगामी एक अथवा दो महीनों में अधिकांश राज्य संसद को अधिकार देने के संकल्प पास कर लेंगे।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अभी तक आवास निगम की स्थापना नहीं की है क्योंकि वहां पर लोकप्रिय सरकार नहीं बनी हुई है और यदि हां तो क्या पंजाब को इस निगम की स्थापना न करने के कारण हानि उठानी पड़ेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे खेद से हां कहना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से मेरे बार-बार आग्रह करने भी पंजाब प्रशासन ने आवास बोर्ड की अभी तक स्थापना नहीं की है जिसके कारण उन्हें हानि उठानी पड़ रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Sir I want to ask suggestions were given to states for setting up of Housing beards like the Delhi Development authority. Is it a fact that some States have not taken advantage of these suggestions ? May I also know whether some states which have Housing Boards, and are running them in a very bad condition, will set some central aid to put them on right footing ?

Shri I. K. Gujral : Mr. Speaker, Sir, the Housing Board set up in the state of the Hon. Member is also being helped. A large amount has just been senctioned for Jaipur scheme. All the Housing Boards functioning are given central aid, but more funds are given by states themselves and of their plan budgets. A part from that, they have been given the advantage of selling land.

सोयाबीन का प्रोटीन भरपूर आहार के रूप में प्रयोग

*307. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रोटीन से भरपूर आहार को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) सोयाबीन में औसत प्रोटीन अंश 40 प्रतिशत है।

(ख) उठाये गए पग इस प्रकार हैं :—

1. कृषि विभाग ने सोयाबीन की खेती बढ़ाने के लिये एक क्राश कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अधीन 1973-74 तक 4 लाख हैक्टर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करने की योजना है।

2. सोयाबीन के लिए विधायन सुविधाओं का विकास करने के लिए पग उठाये गए हैं।

3. सोयाबीन विधायन के बारे में अनुसन्धान करने और उनका विकास करने के लिये प्रायोजनायें भी तैयार की गई हैं।

4. शिशु खाद्य पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों के बनाने में खाने योग्य सोयाबीन के आटे का प्रयोग शुरू किया गया है।

श्री निहार लास्कर : देश में सोयाबीन सुगमता से उपलब्ध होने लगा है तथा इसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा विद्यमान होने के कारण उसे अपनी जनता में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : सोयाबीन में प्रोटीन की अधिक मात्रा की सरकार को जानकारी है। यह अधिक प्रोटीन युक्त महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, इसलिये कृषि विश्वविद्यालयों एवं निजी फर्मों द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। खाद्य निगम भी सोयाबीन को तैयार करने के लिये एक बड़े कारखाने की स्थापना कर रहा है।

Shr Bhagirath Bharwar : The Hon. Minister has stated that efforts are being made to enhance the production of Soyabean. I want to know from the Hon. Minister that which are those states who have got useful land for the production of Soyabeae and whether the peasants sowing it would be given some subsidy ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : इस समय तो सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि काश्तकार को प्रोत्साहन मूल्य कैसे दिये जाये। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारें 100 रुपया प्रति क्विंटल दे रही हैं। उनकी खरीद के लिये न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करने पर भारत सरकार विचार कर रही है। उन्हें प्रोत्साहन मूल्य दिये जायेंगे जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is it a fact that the soyabean produced in Madhya Pradesh during the last two years was not purchased either by the Government on by any other party. The farmers had laboured hard in producing Soyabean which could not be sold. What steps the Government is taking to minimize the losses to the farmers ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : इस समय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकार उपलब्ध माल को 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, in regard to Q. No. 309. I want to say that this question will agitate the mind of hon. members. So i request that it may not be taken up.

Shri Ramavtar Shastri : It is being taken up with the approval of the hon. speaker.

Report of C. B. I. into Activities of Rashtriya Swayam Sangh in Regional College of Education, Ajmer

*309. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the investigation work in regard to the activies of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh in the campus of Regional College of Education, Ajmer and also in regard to the participation by some members of the staff of the College in these activties has been entrusted to C. B. I.,

(b) Whether C. B. I. has submitted its preliminary report to Government ;

(c) If so, the main points therein ; and

(d) The action taken by Government in this regard ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० मुरूल हसन) : (क) और (ख) : गृह मंत्रालय द्वारा कुछ गुप्त जांच की गई है, जिससे यह पता चला है कि कर्मचारी तथा छात्रों का एक वर्ग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्रियाकलापों में लगा हुआ है।

(ग) यह सूचना, क्यों कि गृह मंत्रालय द्वारा गुप्त-स्रोतों से प्राप्त की गई है, अतः इसके ब्योरों को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

(घ) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर सरकारी कालेज नहीं है। यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, This question was raised in the last session also and at that time the hon. Deputy minister told that the matter had been entrusted to C B. I. But not we are being told that Home Ministry did some secret investigations. May I know whether it is correct that the teachers who raised voice against R. S. S. were transferred to far away places and if so, why these teachers were transferred from there.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है यह जांच (जांच ब्यूरो) द्वारा कराई गई थी। पिछले सत्र में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय शिक्षा उप-मंत्री ने "केन्द्रीय जांच ब्यूरो" द्वारा जांच किए जाने की बात कही थी जिसका अर्थ यह था कि वस्तुतः जांच केन्द्रीय सरकार के जाच ब्यूरो द्वारा ही कराई गई थी। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है अब 15 सितम्बर, 1971 को हमें सूचना मिल गई है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह एक गम्भीर बात है और सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has admitted just now that some focts

are correct but he does not want to disclose them. I would like to know that what action will be taken against the person who took part in these activities.

May I know whether one of the teachers confidentially wrote to the Deputy minister that the activities of R. S. S. are joing on there and that he was turned out of his office ? May I know that whether the ex. principal Mr. Brose who was brought to Delhi, is distributing that letter in whole country. If this a fact, how that letter was misplaced and whether Government is going to conduct an inquiry into this affair, so that this sort of may not happen in future ? I also want to say that no action should be taken against the professor who wrote this letter ?

श्री सिद्धार्थ शकर राय : क्या यह प्रश्न हमारे द्वारा दिये गये उत्तर से पैदा होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे मना करने पर भी वे बोलते चले गये। अब इस बारे में क्या कहा जाये ?

श्री सिद्धार्थ शकर राय : मैं किसी भी बात के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु इसकी एन० सी० ई० आर० टी० के द्वारा विस्तृत जांच की जाने की आवश्यकता है और उसे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : पिछले सत्र में भी यह सवाल आया था। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रीय संस्था है और पिछले 46 वर्ष से देश में सक्रिय है।

श्री एस० ए० शमीम : यही तो दुर्भाग्य है।

Shri Jagannathrao Joshi : After so much of fuss how far it is correct to say that it is not in Public interest to tell the findings of the enquiry ? When it will go in the court everything will come out. It is wrong to hide such things under the pretext of public interest. It is not proper to say that it is not in public interest disclose the activities of the organisation which is functioning for the last 46 years.

Shri Ramavtar Shastri : Every body knows that Godse who killed Gandhiji was a member of R. S. S.

Shri Hukum Chand Kachwai : It is not correct to say that R. S. S. killed Gandhiji. Please give proof **(Interruptions)** ? Thats why I said that if this question is raised here, there will be quarrel.

Mr. Speaker : But only due to this threatning atitude this question cannot be kept aside. This information was pending. It should be given now.

Shri Jagannathrao Joshi : If there is something wrong it should be brought to light. There is no sense in keeping it secret. This very thing was once said by Shri Chandrajit yadav. I said then and there that this cannot be allowed and be had to withdraw it. I do not understand why secracy is being maintained under the pretext of public interest and why we should give a chance to maligh others without any base. Correct thing should be brought to light so that we may also know whether their activities are wrong or right ; whether they are in the interest of the country or not. What is the meaning of telling that it cannot be disclosed in the interest of the country ? This is not a new organisation.

All the activities are going on openly. When case will start in the court then all this will have to be disclosed. This is not a military secret. I want that hon. Minister

should bringout every thing clearly. I do not know whether it is a private college or it comes in this Jurisdiction of hon. Minister this question has come here we should get the correct answer, so that we may also have some information about all this.

Shri Ram Sahai Pandey : I may tell you Sir that Godse was a member of R. S. S.

Shri Hukam Chand Kachwai : Please go through the evidence of Godse and you will know, what is the fact.

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : क्या अन्तिम पूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध है। यदि हां, तो मैं इसका उत्तर दूँ ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें कौन-सा जनहित है। यह पूछने का हमें पूरा अधिकार है। अन्यथा यहाँ कोई पूरक प्रश्न उठता ही नहीं··· (**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय ; जब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह जनहित में नहीं है तब आप फिर विवाद कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : हम उनकी इस बात को नहीं मानते कि यह बताना जनहित में नहीं है ···(**व्यवधान**)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : देश में अनेकों बुरे तत्व हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट ज्यादा खतरनाक है या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आगामी छः मास में की जाने वाली अनाज की वसूली के भण्डार के प्रबन्ध

* 310. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने आगामी छः मास में की जाने वाली अनाज की वसूली का भण्डार करने के लिए पर्याप्त और उचित प्रबन्ध कर लिया है; और

(ख) इस अवधि में कितने अनाज की वसूली की जानी है और इसका भण्डार करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अगले 6 महीनों के दौरान अभिप्राप्त किये जाने वाले खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु सभी सम्भव प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(ख) मौजूदा अनुमान के अनुसार, अगले 6 महीनों अर्थात् दिसम्बर, 1971 से मई, 1972 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों की अभिप्राप्त की जाने वाली मात्रा लगभग 58 लाख मी० टन होगी।

भारतीय खाद्य निगम ने अपनी 77·6 लाख मी० टन की मौजूदा भण्डारण क्षमता को

बढ़ाकर मई, 1971 तक लगभग 90 लाख मी० टन करने की योजना बनाई है जिसके लिए निर्माण-कार्यक्रम शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने, किराये पर अतिरिक्त गोदाम जुटाने और खुले में भण्डारण की व्यवस्था करने जैसे उपाय शामिल है । खुले भण्डारण के अन्तर्गत खाद्यान्नों को ऊंचे प्लेटफार्मों पर रखा जाता है जिन्हें वाटरप्रूफ पोलीथीन की चादरों, तिरपालों से ढका जाता है और वैसे भी सुरक्षित रखा जाता है ।

श्री एच० के० एल० भगत : भारतीय खाद्य निगम की 776 लाख टन की भाण्डागार क्षमता में से कितनी क्षमता ऐसी है जिसके ऊपर छत है तथा कितनी क्षमता बिना छत के है । विशेष कर पंजाब में छत से ढकी कितनी भाण्डागार क्षमता है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जो आंकड़े मैंने दिए हैं वे छत से ढकी भाण्डागार क्षमता के ही है ।

श्री एच० के० एल भगत : क्या भारतीय खाद्य निगम या खाद्य मंत्रालय ने बंगला देश के शरणार्थियों और देश की सामान्य स्थिति को देखते हुए खाद्यान्नों की वसूली के लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव रखे थे परन्तु उसे अभी तक वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है । इस सम्बन्ध में वास्तविक और सही स्थिति क्या है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : अभी तक हमारे प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकार किए जाने की कोई बात नहीं हैं । मूलतः, भण्डारों के निर्माण के लिए 73 करोड़ रुपये नियत किए गये थे । वसूली के लिए केवल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता होती है और यह समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती रही है । भविष्य में हमें और अधिक वसूली करनी है और इसीलिए भण्डार की व्यवस्था को भी एक बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जायेगा । हम इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय से उचित समय पर बात करेंगे ।

श्री एच० के० एल० भगत : भण्डारों के लिए खाद्य निगम किराए के रूप में कितनी धन राशि देता है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : 39 लाख टन अनाज की क्षमता वाले भण्डार किराए पर लिए गए हैं । सही सही आंकड़े अभी इकट्ठे करने हैं । उचित समय मिलने पर मुझे यह आंकड़े देना सम्भव होगा ।

श्री समर गुह : अभी अभी कृषि मंत्री ने सभा में बताया है कि खाद्यानों को भण्डार में रखने की कोई समस्या नहीं है । मेरी सूचना के अनुसार आशा है पुनर्वास मंत्री बुरा नहीं मानेंगे पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा आदि मेघालय में शरणार्थियों को खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताएं ही नहीं हो रही है परन्तु भण्डार व्यवस्था की कमी और सप्लाई की समस्या के कारण सप्लाई की मात्रा में कमी हो रही है । क्या यह सही है, और यदि हां, तो क्या सरकार इसे सुधारने के लिए कोई कदम उठाएगी ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : पूर्वी राज्यों या कमी वाले राज्यों में भण्डार की समस्या नहीं है । पंजाब और हरियाणा जैसे अतिरिक्त उत्पादन करने वाले राज्यों में भण्डार क्षमता की कमी इसलिये है कि रेलवे द्वारा उनकी ढुलाई धीमी गति से हो रही है । जहां तक सप्लाई में

रुकावट पड़ने का सवाल है यह बाढ़ों और रेलवे यातायात की कटिनाइयों के कारण आई है अब स्थिति में सुधार हुआ है और इस समय कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री के० नारायण राव : क्या अपर्याप्त भण्डार क्षमता के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश की सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या सरकार ने वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे हमने राज्यवार स्थिति का अध्ययन किया है । आन्ध्र में अतिरिक्त भण्डारों का निर्माण किया जाना है और सरकार ने इस ओर समुचित ध्यान दिया है ।

Shri B. P. Maurya : Hon. Agriculture Minister knows that the middleman takes the grains more in weight and also makes payment to the agriculturist after great difficulty. The money paid by the Government should go direct to the farmers. May I know that whether Government will take steps to do that ?

श्री अण्णा साहिब शिन्दे : यह प्रश्न भण्डारों के सम्बन्ध में है । इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं ।

चुकन्दर और सूरजमुखी की खेती के विकास के लिए सोवियत रूस और हंगरी की और से सहायता का प्रस्ताव

* 312. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कृषि सम्बन्धी विकास विशेषकर चुकन्दर और सूरजमुखी की खेती जैसे नये क्षेत्रों के लिए हाल में सोवियत रूस और हंगरी ने सहायता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां; तो उक्त प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : जी हां, जहां तक रूस का सम्बन्ध है, 8 जुलाई, 1971 की अतारांकित प्रश्न संख्या 4348 के उत्तर में उस देश के साथ हस्ताक्षरित संलेख की प्रति सभा पटल पर रखी गई थी । हंगरी के संबंध में एक ऐसे ही संलेख के विषय में बात-चीत चल रही है । इन दोनों मामलों मे समय समय पर आपसी सहयोग से सुनिश्चित क्षेत्रों में कृषि के संयुक्त सहकारी कार्यक्रमों पर बल दिया गया है ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या सरकार चुकन्दर की खेती करने का अनुभव रखने वाले पश्चिम जर्मनी सरीखे पश्चिमी योरुप के देशों से करार करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? देश के किन क्षेत्रों में चुकन्दर की खेती करने की सरकार की योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : जहां तक कृषि विज्ञान और कृषि तकनीक के विकास का सम्बन्ध है हम मित्र देशों से यथा सम्भव सम्पर्क और सहयोग करने

का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक पश्चिम जर्मनी का सम्बन्ध है हम विभिन्न क्षेत्रों में सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, पश्चिम जर्मनी के मंत्री की तरह अनेक क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला रहे हैं ।

जहां तक चुकन्दर पैदा करने वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उत्तर भारत के सिचाई वाले क्षेत्र तथा हिमालय को छूने वाले मैदानी क्षेत्र ही चुकन्दर की खेती के लिये उपयोगी हैं ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या इसके लिए बिहार राज्य के दावे पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री अण्णा साहिब शिन्दे : हम अनेक क्षेत्रों में प्रयत्न कर रहे हैं हमने एक प्रमुख परियोजना के आधार पर कार्यक्रम चलाया है यदि कार्यक्रम सफल रहे, तो इसे बिहार में भी लागू किया जा सकता है ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या आप बिहार में भी प्रमुख परियोजना के रूप में यह कार्यक्रम चलायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य के लिये दो ही अनुपूरक प्रश्न पर्याप्त होने चाहिये ।

तूफान पीड़ितों को वितरित करने के लिए उड़ीसा को खाद्यान्नों की सप्लाई

*315. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य सरकार को तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : उड़ीसा की राज्य सरकार के अनुरोध पर तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में वितरण करने के लिए उनके आवंटन के अलावा 25,000 मी० टन खाद्यान्न केन्द्रीय पूल से आवंटित किया गया है और आवंटन के लिए अनुरोध को पूर्णतया मान लिया जाएगा ।

श्री पी० गंगादेव : सहायता कार्य मूल्यांकन सम्बन्धी विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल ने क्या रिपोर्ट दी है और अन्न सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में इसके क्या सुझाव हैं ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जहां तक अन्न के वितरण का सम्बन्ध है, मैं कह चुका हूं कि सप्लाई काफी मात्रा में हो रही है । हमने काफी मात्रा में आवंटन किया है । इसमें कठिनाई कोई नहीं है । मैंने केन्द्रीय दल की रिपोर्ट नहीं देखी है ।

श्री पी० गंगादेव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नकद सहायता के स्थान पर अन्य रूप से सहायता देने का प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है, जिस पर हम विचार करेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव : हमें नवम्बर के पहले सप्ताह में बताया गया कि उनके पास कोई

भण्डार नहीं है और उन्हें उड़ीसा के दूरस्थ स्थानों से चावल उठाना पड़ता है। क्या भारतीय खाद्यान्न निगम को भण्डारण हेतु हर जिले में गोदाम नहीं रखने चाहियें ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जिला-वार गोदाम राज्य सरकारों को बनाने पड़ते हैं। भारतीय खाद्यान्न निगम उड़ीसा सहित सारी राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उस कारण कोई कठिनाई नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : उन्होंने 4 अथवा 5 दिन लिये हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : राज्य सरकार की कुल कितनी मांग थी ? किस तिथि से अन्न का उठाया जाना शूरू किया गया ? कितने प्रतिशत अन्न को उठाने का काम शुरू किया गया ? मैं इन प्रश्नों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : 25000 टन की माँग थी, और यह सारी मात्रा दी गयी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने चावल की कितनी मांग की थी और इसे किस तिथि से देना शुरू किया गया ? इसके बारे में मैंने विशेष रूप से पूछा था।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : उनकी सारी मांग पूरी की गई थी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : किस तिथि को ?

अध्यक्ष महोदय : जिस तिथि से उन्होंने मांग की थी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : भारत सरकार से मांग की गयी थी जिसने इतना समय लिया.....

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। आप इसे किसी और समय पूछ सकते हैं। श्री राम सहाय पांडे अगला प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : किस तारीख को ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : आप प्रश्न की सूचना देंगे तो मैं पता करूंगा।

चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन

* 316. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आयोग के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या आयोग ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई अन्तरिम सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) आयोग का काम कब तक पूरा हो जायेगा और वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

Shri R. S. Pandey : There is nothing in the statement. It is mentioned there that commission has been appointed. The questionnaire prepared by it was sent to the factories. 142 out of then 218 factories gave the report and no report was given by the remaining 76 factories. How tactfully the reply was given. I had asked : "आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक पूरी करेगा और प्रस्तुत करेगा ? इन्होंने कहा कि फिलहाल आयोग से 29 फरवरी 1972 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।" क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ? । मुझे इस बारे में कुछ आशंकाऐं हैं । क्या रिपोर्ट आयोग भी है । मुझे आयोग के समूचे कार्य के प्रति सन्देह है । यह मात्र पलायनवाद है । विवरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 'अपेक्षा' का उल्लेख है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयोग उस समय तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत कर देगा ?

प्रो० शेरसिंह : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि रिपोर्ट 29 फरवरी तक प्राप्त होने की आशा है ।

श्री रामसहाय पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय तक काम पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने तिथि भी बतायी है । अतः माननीय सदस्य को अब इस उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिये ।

श्री राम सहाय पांडे : इसमें कुछ अंतर है । मंत्रालय ने आयोग को 29 फरवरी, 1972 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय तक काम पूरा हो जायेगा । आयोग ने क्या संकेत दिया है और चीनी की कमी तथा मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वे अपना काम कब तक पूरा करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं रिपोर्ट सम्बन्धी माननीय सदस्य की अकांक्षा को समझता हूं । लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है । हम समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये तिथि ही निश्चित कर सकते हैं और हमने यह तिथि निश्चित कर दी हैं और हमें अशा है कि उस समय तक काम पूरा हो जायेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत हो जायेगी ।

श्री के० लक्कप्पा : आयोग का प्रतिवेदन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि विधान मंडल में और बाहर कुछ शक्तिशाली व्यक्ति राष्ट्रीकरण के सिद्धांत को ठप्प करने के लिए सरकार पर प्रभाव डाल रहे हैं । तो क्या सरकार यह स्पष्ट आश्वासन देगी कि वह इन दबावों में नहीं आयेगी ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं सदस्य महोदय को यह आश्वासन देता हूं कि जहां तक दबाव का प्रश्न है, हम इसमें नहीं आएंगे ।

श्री अमृत नहाटा : क्या इम्पीरियल बैंक, जीवन बीमा निगम आदि के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोई आयोग बनाया गया था ? चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का आयोग से क्या संबंध है ? मैं चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण को स्थगित करने का कारण जानना चाहता हूं ।

श्री शेरसिंह : आयोग चीनी संबंधी सभी समस्याओं के पूरे अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था।

श्री ए० के० एम० इस्हाक : अन्य मामलों में जब किसी आयोग की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी तो इसके लिए यह क्यों आवश्यक है ? क्या यह इस मामले को टालने का तरीका नहीं है ?

श्री शेर सिंह : यह आयोग चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण संबंधी एक अखिल भारतीय नीति निर्धारित करने और देश के विभिन्न भागों में चीनी मिलों के कार्यकरण का व्यापक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

वनस्पति का उत्पादन और मांग

* 317. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति की माँग कितनी है तथा उसका उत्पादन कितना है;

(ख) क्या कुछ वनस्पति के कारखानों के हाल ही में अपने उत्पादन में कमी कर दी है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वनस्पति की अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) 1970 में वनस्पति की मांग 4·91 लाभ मी० टन थी और 5·21 लाख मी० टन वनस्पति का उत्पादन किया गया था।

(ख) जुलाई 1 अगस्त, 1971 में वनस्पति के उत्पादन में कुछ गिरावट आई थी। उत्पादन में यह गिरावट उस अवधि में शंत: मूंगफली के तेल के मूल्यों में अचानक वृद्धि होने और अशंत: मौसमी तथ्यों के कारण आई थी।

(ग) अक्तूबर, 1971 के बाद कारखानों की स्थापित क्षमता, पूर्व उत्पादन और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कारखाने के लिए सांविधिक रूप से उत्पादन का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है। तब से उत्पादन में वृद्धि हुई है और वह सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। वनस्पति की सप्लाई पर्याप्त है।

श्री चित्तिबाबू : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर अस्पष्ट है। मूंगफली के तेल की तीव्र मूल्य वृद्धि से उत्पादन कैसे कम हो गया ? मेरी सूचना के अनुसार मूंगफली के तेल का मूल्य गिर गया है ?

प्रो० शेरसिंह : यह मूल्य वृद्धि तो, जैसा मैं बता चुका हूं, केवल जुलाई और अगस्त में हुई थी, इसलिए उत्पादन में कमी हो गई थी, परन्तु अब उत्पादन काफी हो रहा है और मूल्य गिर रहे हैं। हमने हाल ही में मूल्य में 100 रुपये प्रति टन की कमी कर दी है।

श्री चित्तिबाबू : क्या कुछ वनस्पति कारखानों ने एक न एक कारण से अपने उत्पादन में कमी कर दी है जिससे बाजार में आने वाली वनस्पति में कमी हो गई है और अधिक मूल्य पर

इसकी अनधिकृत बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

प्रो० शेरसिंह : जैसा मैंने भाग (ग) के उत्तर में बताया है हमने प्रत्येक कारखाने का उत्पादन पहले ही निश्चित कर रखा है। अत हमने पहले ही उपाय कर लिए हैं।

Shri Achal Singh : He is aware that traders charge more than the controlled prices in retail ? If so, what steps are being taken in this regard ?

Prof. Sher Singh : There is no such problem at present. On the other hand, it is being sold at prices much lower than the controlled price.

Shri Hukam Chand Kachwai : The growers get poor return for their grandnut produce, Speculative trade in oil is increasing. That is why oil-pries are quite high. Vanaspati ghee is sold at prices much higher than a fixed prices. I want to know the speical steps contemplated by Government to check this ?

Prof Sher Singh : Speculative in Grandnut oil has been banned. If it is there, it is illegal and Government certainly takes action whenever and wherever it comes to light.

चालू वर्ष में चावल की वसूली

* 321 **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितनी मात्रा में चावल की वसूली की गई है;

(ख) क्या लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) (क) अब तक राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चालू फसल मौसम में चावल के हिसाब से धान सहित चावल की कुल अधि प्राप्त मात्रा 528,000 मी० टन है।

(ख) चावल का चालू अभिप्राप्त मौसम अभी अभी आरम्भ हुआ है और यह बताना जल्दबाजी होगी कि क्या लक्ष्य पूरा होगा अथवा नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों द्वारा कितने कितने चावल की वसूली की गई है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : इस बारे में ब्यौरा मेरे पास नहीं है। कुल वसूली 5,28,000 मीटरी टन है। भारतीय खाद्य निगम अपने प्रयोजन के लिए सीधी वसूली के अतिरिक्त राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों द्वारा भी वसूली करता है। यदि प्रश्न की पृथक सूचना दी जाये तो मैं पृथक पृथक ब्यौरा भी दे सकता हूं।

न्यूयार्क में भगवान नटराज की मूर्ति की बिक्री

*322. **श्री सतपाल कपूर :** **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में भगवान नटराज की मूर्ति को 75 लाख रुपये में बिक्री के लिए पेश किया गया था,

(ख) यह मूर्ति भारत के किस मन्दिर की थी; और

(ग) इस मूर्ति को स्वदेश वापिस लाने तथा इसको पुन इसके मूल स्थान पर प्रतिष्ठापित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां। इस आशय की एक रिपोर्ट इंग्लैंड में भारतीय उच्च आयोग से जुलाई 1970 में प्राप्त हुई थी।

(ख) तामिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले के शिवपुरम गांव में जून, 1951 में खुदाई के समय पांच अन्य मूर्तियों के साथ यम मिली थी। जिला प्राधिकारियों ने सभी मूर्तियों को पूजा के लिए स्थानीय शिवगुरु नाथ स्वामी मंदिर में रखने की अनुमति दे दी थी।

(ग) मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को की गई थी, जिन्होंने यह सलाह दी कि पहले मूर्ति को भारत में वापस लाने के लिए तथा मूर्ति के बारे में, और वह किन स्रोतों से न्यूयार्क पहुंची, इस संबंध में विस्तृत सूचना वाशिंग्टन स्थित भारतीय राजदूतावास के जरिए प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाने चाहिये। मूर्ति को वापस लेने में अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त करने में भारतीय राजदूतावास ने अपनी असमर्थता प्रगट की। तदनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से यह अनुरोध किया गया हैं कि वे अपनी निजी एजेंसी द्वारा इसकी जांच करें। राज्य सरकार ने भी चोरी का एक मामला दर्ज किया है तथा राज्य पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Shri Satpal Kapoor : Is the hon. Minister prepared to give an assurance to the House to bring a legislation exclusively for curbing such activities in the country ?

Prof. S. Nurul Husan : Sir, a Bill will be brought before the House shortly.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

करनाल स्थित नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को डेरी विश्वविद्यालय के रूप में बदलने का प्रस्ताव

*301. **श्री एन० कतामुतु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से करनाल स्थित नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को डेरी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान को दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में उच्च अध्ययन के एक केन्द्र की स्थापना के लिये ही यूनैसको। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य-क्रम की ओर से सहायता दी जा रही है। इस मामले में विदेशी सहायता शुरु में दो वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी।

भत्ते में कटौती करना तथा सरकारी कालेजों के अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करना

*302. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में गैर सरकारी कालेजों के अध्यापकों के मंहगाई भत्ते में कटौती करने तथा सरकारी कालेजों के 50 अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने सम्बन्धी एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो परिपत्र जारी करने के क्या कारण है,

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की ओर से कोई ज्ञापन हुआ है जिसमें उक्त परिपत्र को वापस लेने की मांग की गई है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क), (ख), (ग) और (घ)

(क) से (घ) : प्राइवेट कालेजों तथा सरकार द्वारा प्रयोजित कालेजों के अध्यापकों के लिए मंहगाई भत्ते की एक जैसी दरें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई, 1971 में आदेश जारी किए थे, जिनमें यह निदेश दिए गए थे कि प्राइवेट सम्बन्ध कालेजों के अध्यापकों को 1 जुलाई, 1971 से कुल 150 रुपये मंहगाई भत्ता दिया जाएगा इन आदेशों के परिणामस्वरूप, प्राइवेट कालेजों के उन अध्यापकों को जिनका कालेज मंहगाई भत्ता 40 रुपये से कम था आर्थिक लाभ पहुंचेगा, जबकि अन्य कालेजों के अध्यापकों को नुकसान रहेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मंहगाई भत्ते के परिशोधन के आदेशों को वापस

लेने की मांग की गई है। उक्त संघ द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जब तक गहराई से जाँच नहीं की जाती, राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि तब तक के लिये इन आदेशों को लागू होने से रोक दिया जाये।

जहाँ तक सरकारी प्रयोजित कालेजों के कुछ अध्यापकों की सेवा समाप्ति का सम्बन्ध है, राज्य सरकार के नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रयोजित कालेजों में केवल वे ही अभ्यार्थी नियुक्त किए जायें जो कालेज चयन समिति अथवा केन्द्रीय चयन समिति की सिफारिश पर नामिका (पेनल) में शामिल किए गए हों। इन कालेजों के बहुत कम शासी निकायों ने अनियमित रूप से बड़ी संख्या में उन अध्यापकों को नियुक्त किया है जिनके नाम पेनल में नहीं थे। राज्य सरकार ने उन 45 अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये थे, जिनके नाम पेनल में नहीं थे और जिनकी नियुक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार नहीं की गई थी, तथा जो केन्द्रीय चयन समिति द्वारा किए गए साक्षात्कार में ऐसी नियुक्तियों की अर्हताओं को प्राप्त नहीं कर सके थे।

जनजातियों के लिए केन्द्रीय गृह निर्माण योजना

*303. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन-जातियों के लिए एक विशेष गृह निर्माण योजना केन्द्र के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) : जी, नहीं। तो भी, राज्य सरकारों द्वारा बताई गई और कार्यान्वित की गई योजनाओं के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर मकानों की लागत के 75% की दर से उपदान दिए जाते हैं, जबकि मकान की लागत 1200 रुपये से 1600 रुपये तक हो तथा किसी भी हालत में 2,000 रुपये से अधिक न हो।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा कृषि पर वार्षिक शुल्क (फिस्कल लेवीज) लगाने के बारे में तर्क किया जाना

*308. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 के प्रथम सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में प्रैस इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया द्वारा प्रायोजित 'कृषि ही भारत का भविष्य है' विषय पर एक छः दिवसीय विचार गोष्ठी में बोलते हुये राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष ने इस बात पर दृढ़ता से जोर दिया कि हरित क्रान्ति को सफल बनाने हेतु आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकारों की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिये आर्थिक शुल्क (फिस्कल लेवीज) लगाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) इस आयोग के उपाध्यक्ष श्री बी० शिवरामन ने भारतीय प्रैस संस्थान द्वारा 2 दिसम्बर, 1971 को आयोजित की गई "भारत के भविष्य में कृषि" विषयक विचार गोष्ठी में कृषि प्रशासन के विषय में एक भाषण दिया था। भाषण में स्थानीय निकायों तथा राज्यों की सेवाओं की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व लेवियों की आवश्यकता पर विचार करने का उल्लेख किया गया था।

(ख) श्री शिवरामन द्वारा व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत थे, क्योंकि आयोग ने सरकार को ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन

*311. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का 1970 में अखिल भारतीय स्तर पर आरम्भ किया गया मूल्यांकन इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन दल ने अपने प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मूल्यांकन के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) ; (क) जी हां।

(ख) 1. व्यावहारिक पौषाहार कार्यक्रम को पौषाहार शिक्षा का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मानना चाहिये और उसका नाम पौषाहार शिक्षा कार्यक्रम रखना चाहिये।

2. पोषाहार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान विस्तार तंत्र का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य सेवाओं विशेष रूप से पैरा-मैडिकल कर्मचारियों को विस्तार कार्य में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिये। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य पौषणिक रूप से वांछनीय पदार्थों का उत्पादन करना नहीं होना चाहिये। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का काम विधायन, भण्डारण और विपणन की अच्छी सुविधाओं के विकास के माध्यम से अपशेषों में कमी लाना नहीं होना चाहिये।

3. राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम पर भोजन कार्यक्रम का भार नहीं डालना चाहिए। अनुपूरिक भोजन कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयासों का ताल-मेल निवारक तथा रोगहर दवाओं के उपयोग के साथ स्थापित किया जाना चाहिये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली को वित्तीय सहायता

*313. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित विश्वायतन योगाश्रम को कुछ वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है और यह सहायता किस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वायत्त अनुसन्धान संगठन, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद "विश्वायतन योगाश्रम", नई दिल्ली को चुने हुए जीर्ण रोगों के सम्बन्ध में योग के चिकित्सीय पहलुओं पर अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है।

इस संस्थान को दी गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रु० में)
1969-70	30,000
1970-71	1,89,875
1971-72	1,10,000

इसमें 16 जनवरी, 1971 से 25 अनुसंधान पंलगों के व्यय की पूर्ति के लिए 75,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता भी शामिल है।

कलकत्ता में 500 बिस्तरों वाला 'केजुएल्टी' अस्पताल और 'चेस्ट सर्जरी युनिट' स्थापित करने की मांग

*314. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता निगम की ओर से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र में 500 बिस्तरों वाला 'केजुएल्टी' अस्पताल और 200 बिस्तरों वाला 'चेस्ट सर्जरी यूनिट' स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) सरकार ने इस मांग पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क), (ख) और (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सुपर फास्फेट की आवश्यकता और आयात

*318. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर फास्फेट उर्वरक की भारत में कुल कितनी मांग है ; और

(ख) भारत में इस उर्वरक का कितना उत्पादन होता है और कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश में उर्वरकों की मांग का अनुमान पौद-पोषकों, अर्थात् नाइट्रोजन (एन.), फास्फेट ($पी._2 ओ._5$) तथा पोटाश ($के._2 ओ._5$) के रूप में लगाया जाता है, न कि किसी उर्वरक उत्पादों के रूप में। इस प्रकार अनुमान लगाई हुई मांग घरेलु उत्पादन, मौजूद भंडारण तथा संभाव्य आयातों से पूरी की जाती है।

निम्नलिखित विवरण वर्ष 1971-72 के दौरान $पी._2 ओ._5$ की मांग अनुमानित घरेलू उत्पादन तथा आयात को प्रदर्शित करता :—

	($पी._2 ओ._5$ लाख मीटरी टनों में)
वर्ष 1971-72 के प्रारम्भ में भंडार	2.08
घरेलू उत्पादन	4.20
नियोजित आयात	2.50
कुल उपलब्धि	8.78
उपभोग के लिये मांग	7.32

$पी._2 ओ._5$ मके घरेलू उत्पादन में फास्फेट के रूप में पोषकों का 2.1 लाख मीटरी टन भी सम्मिलित है। शेष घरेलू उत्पादन $पी._2 ओ._5$ वाले कमप्लेक्स उर्वरकों के रूप में हैं। फास्फेटिक उर्वरकों के आयात कार्यक्रम में सुपर फास्फेट के देशी उत्पादन के उपभोग की पूर्ण अनुमति है। पाइप लाइन में कुछ स्टाक का रखना भी आवश्यक है जिससे वर्ष के अन्त में उचित अधिशेष रह सके। फिर भी, सुपर फास्फेट का कोई आयात नहीं किया गया।

निरक्षरता समाप्त करने के लिए 'यूनेस्को' और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वोसेन की संयुक्त गोष्ठी

319. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरक्षरता समाप्त करने के बारे में यूनेस्को और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वोमेन को सयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का हाल ही में दिल्ली में आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन नियमों पर विचार किया गया था ; और

(ग) क्या-क्या निर्णय किए गए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय भारतीय महिला संघ ने यूनेस्को की आंशिक वित्तीय सहायता से । नवम्बर से 9 नवम्बर, 1971 तक, नई दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया था।

(ख) सेमिनार का उद्देश्य था महिलाओं में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए केडरों को

प्रशिक्षित करना और उन्हें अपने अपने देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भाग लेने के लिए शिक्षित करना ।

(ग) विवरण संलग्न है, जिसमें सेमिनार के निष्कर्ष तथा उसकी सिफारिशें दी गई हैं ।

विवरण

सेमिनार ने सिफारिश की थी कि

1. आम :

उन विकासशील देशों में जहां पर अभी तक महिलाओं में बड़े पैमाने पर निरक्षरता मौजूद है, महिलाओं में निरक्षरता के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए, सभी आवश्यक कदम तुरन्त उठाने हेतु, एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये । इस कार्यक्रम के अधीन आम साक्षरता के लिए सामूहिक प्रयत्न किया जाना चाहिये और कार्यात्मक साक्षरता का रूप इस प्रकार निर्धारित करना चाहिये कि देश के सभी भाग और जनता के सभी वर्गों के सभी वयस्क निरक्षर निश्चित समय के अन्दर लाभान्वित हो सकें ताकि उन्हें पक्का और सार्थक रोजगार मिल सके और समाज के सक्रिय सदस्य बनने के लिये उनको प्रोत्साहन मिल सके तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके ।

2. विषय-वस्तु और तकनीक :

कार्यात्मक साक्षरता को सफल बनाने के लिए, निर्धारित जनसंख्या भिन्न समूहों के लिये विशेष पृष्ठभूमि अध्ययन की आवश्यकता है । इस कार्य को जारी रखते हुए, आम साक्षरता में कार्यकर्त्ताओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर इस कार्य की शुरुआत की जा सकती है । पठन, लेखन तथा गणित स्वास्थ्य विज्ञान और आहार विज्ञान, के साथ-साथ परिवार नियोजन और बच्चों का लालन-पालन, शिल्प कला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, महिला अधिकारों से सम्बन्धित कानून भी इसमें शामिल होने चाहिये ।

जबकि आम साक्षरता पाठ्यक्रम अल्पकालिक हो सकता है किन्तु कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम कम से कम एक वर्ष का और यदि आवश्यक हो, तो छः मास के दो स्तरों में होना चाहिए ।

सरकारों को अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए, समाचार पत्रों, फिल्म, रेडियो और टेलीविजन के सामूहिक साधन का उपयोग करना चाहिये । इन साधनों को उन एजेन्सियों और केडरों को सुलभ करना चाहिये जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हों ।

सरकार को प्रायोगिक परियोजनाओं को यथाशीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए । सेमिनार का यह अभिमत है कि 1972 के अन्त तक कम से कम ऐसी 5 परियोजनायें शुरू कर देनी चाहिए । सरकारों द्वारा विशेष रूप से चुने हुये क्षेत्रों में इनको स्थापित करना चाहिये और सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से, प्रत्येक क्षेत्र में इनका विकास करना चाहिए ।

3. संवर्ग (काडर) तथा प्रशिक्षण :

संवर्ग (काडर) शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाना चाहिये । सेमिनार आगे इस बात से भी

सहमत था कि संवर्ग (काडर) शब्द के परिक्षेत्र में संयोजकों से लेकर साक्षर अनुदेशकों, समुदायों के प्रौढ़ नेतागण तथा मूल्यांकन कर्त्ताओं तक सभी प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूप से इस कार्यक्रम के विकास तथा प्रगति में सभी व्यक्ति शामिल होंगे।

(क) योजना स्तरीय कार्मिक } इन श्रेणियों का प्रत्येक व्यक्ति सरकारी अधिकारी
(ख) संचालन स्तरीय कार्मिक } तथा स्वेच्छिक कार्यकर्त्ता

(ग) सामुदायिक नेता जैसे संसद तथा विधान सभा के सदस्य और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि इत्यादि का विशेष उत्तरदायित्व प्रगति कार्यकलापों के प्रति होगा और इसके लिए उन्हें कार्यकलापों को अनस्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी तथा अपने क्षेत्र की समस्या के निवारण की भी आवश्यकता पड़ सकती है परन्तु परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

उचित आवास तथा कार्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिसमें साक्षर कार्यकर्त्ताओं की ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा का प्रबन्ध शामिल है।

4. **इसके बाद की कार्रवाई :**

अपने कार्य के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करना सरकार का (केन्द्र तथा राज्य दोनों) उत्तरदायित्व होगा जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से धन एकत्रित करना भी शामिल है।

साक्षरता कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये सरकार उत्तरदायी होगी तथा विभिन्न विभागों, अभिकरणों और स्वेच्छिक संगठनों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये समन्वय कार्य हेतु आवश्यक रास्ता भी स्थापित करेगी।

उन्नत तथा प्रेरणादायक कार्यक्रमों को नियत जनसंख्या के लक्ष्य की रुचियों के अनुसार ढाला जाना चाहिये। महिलाओं के लिये साधारण शिशुसदन के रूप में कुछ सुविधायें, तथा बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें (महिलाओं को) अध्ययन के लिये आवश्यक समय मिल सकेगा।

साक्षरता को बनाये रखने तथा नव साक्षरों की उपलब्धि को जारी रखने के लिये कम खर्चीले तथा आकर्षक साहित्य, चलते फिरते पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्षों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि हमारी युवा-पीढ़ी अशिक्षित न रहे सरकार को चाहिये कि वह एक ऐसी उचित समिति की स्थापना करे जो लड़कियों समेत सभी बच्चों के लिये निशुल्क सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाये तथा यह कार्यक्रम तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

कलकत्ता में कुछ और बहिरंग औषधालयों की स्थापना

*320. **श्री विजय मोदक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि कलकत्ता में वर्तमान बहिरंग औषधालयों के अतिरिक्त, कुछ और बहिरंग औषधालय, जिसमें नैदानिक सुविधाएं भी उपलब्ध हों, शीघ्र स्थापित करने की अविलम्ब आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरड़ार को इस बारे में कलकत्ता निगम से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सभी राज्यों में भाण्डागार निगमों की स्थापना

*323. **श्री सुखियार सिंह मलिक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में अभी तक भाण्डागार निगम स्थापित नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड ।

(ग) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है । तथापि, अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । शेष तीन राज्य सरकारों ने राज्य भाण्डागार निगम स्थापित करने के लिए अब तक कोई पग नहीं उठाया है ।

सूखे के कारण उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

*324. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ भागों में सूखे की स्थिति है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे मे केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा

सरकार ने कोरपट, कालाहांडी, सम्बलपुर, गंजम, पुरी और बोलनगीर जिलों के कुछ भागों में सूखे की स्थिति होने के सम्बन्ध में सूचित किया है ।

(ग) जी नहीं । राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं माँगी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फसल बीमा योजना का लागू किया जाना

*325. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये किस विशिष्ट फसल को चुना गया है; और

(ग) क्या यह योजना किसी राज्य विशेष तक ही सीमित रहेगी अथवा सम्पूर्ण देश में लागू की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

ट्यूटिकोरिन बन्दरगाह परियोजना के पूरा किये जाने में विलम्ब

*326. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूटिकोरिन बन्दरगाह परियोजना के पूरा किये जाने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : तूतीकोरिन में निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का सम्बन्ध दक्षिणी तथा उत्तरी पनकट दीवार के निर्माण, एक स्तम्भ का निर्माण दक्षिणी पनकट दीवार में तथा दो स्तम्भों का उत्तरी पनकट दीवार में, एक वार्फ दीवार के निर्माण, वार्फ दीवार क्षेत्र के निकर्षण तथा सुधार से है । कार्यों को लगभग 1973 के मध्य तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। इस कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार ने नियोजित ढंग से प्रगति को बनाये नहीं रखा । सरकार ठेकेदार द्वारा बतायी गई कठिनाइयों के संदर्भ में, समय में वृद्धि करने के लिए उसके अनुरोध पर विचार कर रही है ।

स्काटलैंड की फर्म द्वारा मालवाहक जहाज के निर्माण के लिए ब्रिटिश सहायता

*327. **श्री जे० बी० पटनायक** :

श्री सूरज पांडे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काटलैंड की फर्म द्वारा भारत के लिए एक बड़े मालवाहक जहाज के निर्माण हेतु ब्रिटेन द्वारा धन दिये जाने के बारे में बातचीत की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : स्काटलैंड की फर्म द्वारा एक मालवाहक जहाज के निर्माण हेतु ब्रिटेन द्वारा धन दिये जाने के बारे कोई विशेष बातचीत नहीं की गई। फिर भी, ब्रिटिश प्रयोजना सहायता में से धन लेने के अधिकारी ब्रिटिश शिपयार्डों से भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को गत वर्ष कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेने के बाद, भारत सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के लिए 75000 डी डब्लू टी के दो बड़े मालवाहक जहाजों की खरीद के लिये 116.5 लाख पौंड तथा मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 75000 डी डब्लू टी के एक बड़े मालवाहक जहाज की खरीद के लिए 61.25 लाख पौंड की रकम का नियतन किया है। 2 बहु-उद्देश्यीय जहाजों की खरीद के लिए मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के लिए 55.9 लाख पौंड की एक अन्य राशि का नियतन न किया जा सका। ब्रिटिश ऋण सरकार से सरकार के लिए आधार पर है और शिपिंग कम्पनियाँ केवल विदेशी मुद्रा की सुविधायें ही प्राप्त करती हैं।

छूट हटा लिये जाने का भारतीय नौवहन के विकास पर कुप्रभाव

*328. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छूट हटा लिये जाने के फलस्वरूप भारतीय नौवहन के विकास को भारी धक्का लगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस निगम तथा अन्य सम्बन्धित नौवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको इससे हानि पहुंची है ; और

(ग) हानि को पूरा करने तथा लाभ कमाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क), (ख) और (ग) भारतीय नौवहन को विकास घटौती अभी भी उपलब्ध है। परन्तु यह 31-5-1974 से वापिस ले ली जायेगी। इस निर्णय का प्रभाव भारतीय नौवहन के विकास और लाभप्रदत पद् यथा समय विदित होगा।

आवास और नगर विकास निगम, कलकत्ता द्वारा अल्प अवधि के लिए दिये गये ऋणों पर ब्याज की ऊंची दरें

* 329. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगर निगम विकास निगम, कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पकालिक ऋणों पर अधिक ब्याज की माँग कर रहा है :

(ख) क्या ऋणों की अदायगी की अवधि भी अधिक ब्याज सहित 20 वर्षों से कम करके 5 से 7 वर्ष की कर दी गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऋणों की अदायगी की अवधि पूर्णरूपेण योजनाओं के स्वरूप तथा व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्य राज्यों को चावल भेजते समय आन्ध्र प्रदेश में पकड़े गये व्यापारी

*330. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मन्त्री टूटे चावल के स्थान पर चावल का निर्यात करते समय आन्ध्र प्रदेश में जुलाई, 71 में पकड़े गये चावल के रेलवे वैगनों के बारे में 5 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उक्त मामले की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में सरकार को धोखा देने का प्रयास करने वाले सम्बद्ध व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अधीन पकड़े गये चावल को जब्त करने की कार्यवाही पूरी हो गई है । तथापि, अपराधियों के विरुद्ध जुर्म की जांच अभी भी चल रही है ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा को सप्लाई किया गया चावल तथा गेहूं

1930. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1971 के अन्त तक क्रमशः आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत देने के लिए केन्द्रीय भण्डारों से कितना चावल तथा गेहूं सप्लाई किया गया :

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आसाम, मेघालय और त्रिपुरा की माँग को सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है ; और

(ग) क्या अगस्त और सितम्बर, 1971 में मेघालय और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में चावल तथा अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्नों की बहुत कमी थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** सूचना

एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यातायात तथा प्राथमिकता के आधार पर संचलन छिन्न-भिन्न होने के कारण थोड़े समय के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई में रुकावट आई थी ।

राज्यों में आवास सुविधाओं, नगरीय विकास और गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए धन का आवंटन

1931. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 में विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्माण कार्य, मकानों, नगरीय विकास और गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए राज्यवार और केन्द्रशासित प्रदेश वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों को निर्माण कार्य, आवास, नगरीय विकास और गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये राज्यवार और केन्द्रशासित राज्य क्षेत्रवार कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल): (क) और (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और 1971-72 वर्ष में आवास और नगर विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यवार और संघीय-क्षेत्र वार अनुमोदित व्यय निम्न प्रकार है :—

राज्य संघ क्षेत्र का नाम	व्यय	
	चतुर्थ योजना	1971-72
राज्य	(लाख रुपयों में)	
1. आन्ध्र प्रदेश	950.00	209.00
2. असम	367.00	70.00
3. बिहार	840.00	150.00
4. गुजरात	675.00	190.00
5. हरियाणा	300.00	50.00
6. हिमाचल प्रदेश	153.00	52.65
7. जम्मू और कश्मीर	390.00	65.00
8. केरल	560.00	139.00
9. मध्य प्रदेश	640.00	260.00
10. महाराष्ट्र	1800.00	560.00
11. मैसूर	800.00	180.00

12. नागालैंड	178.00	50.00
13. उड़ीसा	525.00	173.00
14. पंजाब	600.00	88.00
15. राजस्थान	645.00	122.00
16. तामिल नाडु	1750.00	365.00
17. उत्तर प्रदेश	1200.00	290.00
18. पश्चिम बंगाल	5079.00	1010.00
19. मेघालय	62.00	12.00
जोड़	17,514.00	4035.65

संघीय क्षेत्र	(लाख रुपयों है)	
1. अण्डमान और निकोबार	13.10	3.83
2. चण्डीगढ़	10.00	2.50
3. दादरा और नगर हवेली	6.00	1.90
4. दिल्ली	1700.00	302.34
5. गोआ, दमन और दीव	92.00	15.06
6. लक्कादिव द्वीप समूह	0.25	0.10
7. मनीपुर	40.00	7.47
8. नेफा	...	...
9. पाँडिचेरी	80.00	20.36
10. त्रिपुरा	37.57	11.00
जोड़	1978.92	364.56

गन्दी बस्ती हटाये जाने के लिये व्यवस्था आवास और नगर विकास के व्यय के अन्तर्गत शामिल है । राज्य सरकारों को उनके निर्माण कार्यक्रमों के लिये किसी धन की व्यवस्था नहीं की जाती । केन्द्रीय सहायता से गन्दी बस्ती सुधार कार्य क्रम की एक और योजना विचाराधीन है ।

केरल के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पृथक सर्किल की स्थापना

1932. **श्री वयालार रवि :**
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में बहुत अधिक काम है क्योंकि केरल को भी इस सर्किल में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के लिए पृथक सर्किल स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) केरल में कार्य भार बढ़ जाने से त्रिवेन्द्रम में एक नया मण्डल खोल दिया है, और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कोयम्बतूर केन्द्रीय मंडल द्वारा केरल में कार्य की देख-भाल करना अब अपेक्षित नहीं है। ये दोनों मंडल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मद्रास केन्द्रीय आंचल के नियन्त्रण में हैं।

(ख) वर्तमान कार्य भार पर केरल के लिए एक पृथक आंचल बनाना उचित नहीं लगता।

सुर्रा रोग के कारण पालामऊ (बिहार) में पशुओं की मृत्यु

1933. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1971 के बिहार के हिन्दी साप्ताहिक "साप्ताहिक हलधर" नामक पत्र में प्रकाशित "पशुओं की मृत्यु" नामक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि पालामऊ जिले (बिहार) में आमतौर पर और विश्रामपुर, हरिहरगंज और हुसैनाबाद खण्डों में विशेष रूप से अनेक पशु "सुर्रा रोग" के कारण मर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) पशुपालन निदेशक, बिहार ने सूचित किया है कि बिहार के पालामऊ जिले के विश्रामपुर हरिहरगंज और हुसैनाबाद खंडों में सुर्रा रोग के कारण 34 पशु मरे।

(ख) दवा की 2,000 शीशी के उपचार के लिए भेजी गई थीं और अब रोग नियन्त्रण में है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाजों की आवश्यकता और पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज रखना

1934. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश को तटीय व्यापार के लिए 46 जहाजों तथा विदेशों से व्यापार के लिए 66 मालवाहक जहाजों की आवश्यकता होगी और जब तक इन को चालू किया जायेगा लगभग 54 वर्तमान जहाजों के स्थान पर नये जहाज लाने की आवश्यकता पड़ जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :(क) तथा (ख) आमतौर पर जहाजों की संख्या की अपेक्षा टन भार पर अधिक बल दिया जाता है । चतुर्थ योजना में नौवहन के सम्बन्ध में 40 लाख जीआरटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जिनमें से 35 लाख जीआरटी चालू और 5 लाख जी आर टी निश्चित रूप से आर्डर पर होंगे । चालू टन भार (पहली) अक्तूबर 1971 को) 24.85 लाख जी आरटी और 11.98 लाख जीआर-टी निश्चित रूप से आर्डर पर होंगे । लगभग 2.36 लाख जी आर टी के काफी पुराने जहाजों को चतुर्थ योजना के अन्त तक हटा देने की आशा है । चतुर्थ योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आर्डर दिया जाने वाला 5.53 लाख जी आर टी टन भार होगा । चतुर्थ योजना के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

व्यापारिक जहाजी बेड़े को मजबूत करने के लिये कार्यवाही

1935. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के व्यापारिक जहाजी बेड़े को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल नगन्य प्रगति हुई है । यहां तक कि 1947 में व्यापारिक जहाजों की संख्या 59 थी जो 1970 में बढ़कर केवल 258 हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं । देश के व्यापारिक जहाजी बेड़े को मजबूत बनाने के लिये बहुत काफी प्रगति हुई है । यह ठीक है कि 1947 में व्यापारिक जहाजों की संख्या 59 थी जो मार्च, 1970 में बढ़कर 258 हुई है, किन्तु प्रगति संख्या से नहीं बल्कि जहाजी टनभार से आंकी जानी चाहिये । स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय जहाजी टनभार केवल लगभग 1.92 लाख जी आर टी था, किन्तु मार्च, 1970 में बढ़ कर भारतीय चालू टनभार 23.29 लाख जी आर टी हो गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में बड़े जहाजों का निर्माण

1936. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने शिपयार्ड हैं जिनमें बड़े जहाज बनते हैं और बनाये जा सकत हैं ;

(ख) इस समय उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लक्ष्य क्या हैं ; और

(ग) सभी शिपयार्डों में प्रत्येक जहाज के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आती है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) तीन अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप और मजगांव डाक लिमिटेड ।

(ख) तीन शिपयार्डों के सम्बन्ध में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा उत्पादन क्षमतायें तथा लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं :-

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम

वर्तमान उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग प्रत्येक 13000 डी० डब्लू० टी० के 2-3 जहाज हैं । शिपयार्ड की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष प्रत्येक कुल 80,000 डी० डब्लू० टी० के 6 जहाजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक विकास कार्यक्रम अब कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में है ।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

इस शिपयार्ड में इस समय केवल छोटे जहाजो के निर्माणार्थ ही आवश्यक उपस्कर है । इस शिपयार्ड के आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसे पहले ही से चालू किया जा चुका है, प्रतिवर्ष 15000 से 25000 डी० डब्लू० टी० के दो समुद्रगामी व्यापार पोतों के निर्माण में सहायक होगा ।

मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई

इस शिपयार्ड के पास दो बड़ी निर्माण गोदियां हैं जहां 15000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों का निर्माण किया जा सकता है । इस समय शिपयार्ड शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिये दो यात्री एवं माल वाहक जहाजों का निर्माण कर रहा है जिनकी सुपर्दगी 1973 और 1975 में होगी ।

(ग) प्रत्येक जहाज पर और यार्ड में भिन्न २ निर्माण लागत आती है । फिर भी हिन्दुस्तान शिपयार्ड में लगभग 13000 डी० डब्लू० टी० के एक जहाज के निर्माण पर लगभग 492 लाख रुपये की जनवरी 1971 में लगाये गये अनुमान के अनुसार औसत अनुमानित लागत आती है । अन्य दोनों शिपयार्डों के सम्बन्ध में तदनुरूपी प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा जहाज नहीं बनाया ।

जहाजों की अधिक निर्माण लागत

1937. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में जहाज निर्माण लागत विश्व के अन्य औद्योगिक विकसित देशों की तुलना में अधिक है ;

(ख) क्या सरकार ने विश्व की जहाज निर्माण लागत और अपने देश की जहाज निर्माण लागत के अन्तर को राज सहायता देकर दूर करना एक नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या है और अधिक निर्माण लागत के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क): जी, हां ।

(ख) और (ग) : अभी तक ऐसा ही था, परन्तु अब एक संशोधित फारमूला निर्धारित किया गया है जिसमें उप सहायता को निर्माण लागत से नहीं जोड़ा जाता । नये फारमूले के अधीन, पौतवणिकों को जहाज का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा आयात संघटक की लागत के भाग के लिए 5 प्रतिशत अदा करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त शिपयार्ड सरकार से निम्नलिखित उपसहायता प्राप्त करता है : —

(1) जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का 5 प्रतिशत । यह क्रमिक रूप से घटाया जायेगा ।

(2) जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा के अधीन, मशीनरी तथा उपस्कर के 6 बड़े मदों का निम्नतम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा स्वदेशी मूल्य के बीच मूल्य का वास्तविक अन्तर । पुराने फारमूले के अधीन शिपयार्ड के लिए किसी प्रकार का लाभ कमाने की कोई गुंजाइश नहीं थी । तथा इसके फलस्वरूप उनके निर्माण की लागत को कम करने की कोई संभावना नहीं थी । क्योंकि ऐसी कमी करने से केवल उप-सहायता ही घट जाएगी । वास्तविक निर्माण लागत से उपसहायता के अलग करने से स्थिति में सुधार लाने के लिए नया फारमूला अपनाया गया है ।

भारतीय शिपयार्डों में निर्माण की अधिक लागत के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं:-

(1) विदेशी शिपयार्डों द्वारा अदा किये गये मूल्यों की तुलना में देशी पदार्थों और उपस्कर की अधिक लागत ।

(2) आयात की गई सामग्री और उपस्कर की हालत में माल भाड़े और बीमे की आवश्यकता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सर्विस एसोसिएशनों के अध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों का स्थानान्तरण

1938. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मान्यता प्राप्त विभिन्न सर्विस एसोसिएशनों के अध्यक्षों, सचिवों (सेक्ट्री) का पदोन्नति/रूटीन स्थानान्तरण । अन्यथा दूरस्थ स्थानों पर सदा स्थानान्तरण करते रहते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई के गुजराल) : जिन स्टेशनों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ को कार्य करना पड़ता है, उन्हें कतिपय सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता या अनुपलब्धता के अनुसार सुगम तथा कठिन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है । स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को तीन वर्षों की अवधि के लिये, कम से कम एक बार कठिन क्षेत्र में कार्य करना अपेक्षित है । सेवा एसोसिएशनों के कार्यकर्ताओं समेत, सभी क्षेत्रीय स्टाफ का स्थानान्तरण सामान्यता इसी सिद्धान्त पर किया जाता है ।

Marking of Attendance by Principals of Higher Secondary Schools in Delhi

1939. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3631 on the 21st August, 1970 regarding marking of attendance by Principals of Higher Secondary Schools in Delhi and state :

(a) whether information asked for therein has been collected ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the requisite information is attached (Annexure). **[See Placed in the Library No. LT 1158/71]**

Sundry Loans Given by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi

1940. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi has been getting grants from his Ministry ;

(b) whether the said trust has given sundry loans during the last three years ; and

(c) if so the amounts of loans given and realised so far and the names and addresses of the debtors and pieces with the amount of loans taken and paid back ?

Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The Department of Health have given grants to the Trust during 1962-1965.

(b) & (c)—This relates to the internal affairs of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi, about which Government has no information.

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा मिडिल श्रेणी बोर्ड द्वारा दिल्ली में परीक्षा शुल्क में वृद्धि

1941. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा मिडिल श्रेणी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क को क्रमश: 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये और 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और यह वृद्धि और उत्तर की कापियों को जांच सम्बन्धी शुल्क में हुई बृद्धि का क्या अनुपात है ; और

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति ली गई थी और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) प्राइवेट उम्मीदवारों के मामले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का शुल्क 46 रुपयों से बढ़ाकर 56 रुपये कर दिया गया है तथा स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के मामले में परीक्षा शुल्क 36 रुपये से बढ़ाकर केवल 46 रुपये किया गया है। मिडिल स्कूल परीक्षा का शुल्क 12 रुपयों से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है, जिसके बाकी 5 रुपये प्रति छात्र बाल निधि से पूरे किए जाते हैं।

(ख) परीक्षा शुल्क परीक्षाओं के संचालन पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। यह वृद्धि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए केवल बढ़े हुए पारिश्रमिक से ही सम्बन्धित नहीं हैं। बल्कि इसका सम्बन्ध व्यय के अन्य मदों अर्थात अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों तथा परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त अन्य कर्मचारी वर्ग को दिए जाने वाले पारिश्रमिक, कागज का मूल्य, उत्तर पुस्तिकाओं तथा प्रश्न पत्रों के निर्माण में वृद्धि से है।

(ग) उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा शुल्क में वृद्धि बोर्ड के अपेक्षित नियमों के अधीन के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियंत्रण-प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित है। भारत सरकार के अनुमोदन की आशा में अत्यावश्यकता के कारण ही दिल्ली प्रशासन ने जोकि मिडिल स्कूल परीक्षाओं का संचालन करता है, परीक्षा शुल्क बढ़ाया है।

मकानों के निर्माण तथा बने बनाये मकानों के लिए ऋण देने पर प्रतिबंध

1942. **श्री मोहम्मद युसूफ** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकानों के निर्माण और बने बनाये मकानों की खरीद के लिए ऋण देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के प्रतिबन्ध से सरकारी कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और निर्माण कार्य रुक जायगा और इसका देश में रोजगार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ेगा; और

(घ) इस प्रकार के प्रतिबन्ध को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं। (ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय की मांग

1943. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री अमरनाथ चावला : श्री सतपाल कपूर :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने सरकार को लिखा है कि दिल्ली

विश्वविद्यालय में इस समय लगभग 96,000 विद्यार्थी हैं जिससे इसका प्रबन्ध करना कठिन हो रहा है और विद्यार्थियों को इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या दक्षिण दिल्ली के कुछ कालेजों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बन्ध करने की कोई योजना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और अनुरोध किया है कि इनकी जाँच की जाए। सुझावों में से एक सुझाव अपने यह दिया है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

मानसिंह रोड नई दिल्ली के फोंसका अपार्टमेन्टस के कब्जाधारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

1943. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदानिदेशक ने मानसिंह रोड, नई दिल्ली में तथाकथित, "फोसका अपार्टमैन्ट्स" के वर्तमान कब्जाधारियों के विरुद्ध बेदखली की कोई कार्यवाही शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस इमारत को किस प्रयोजन हेतु लिया जा रहा है और बाद में किस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) जी, हां।

(ख) सम्बधित पार्टियों को लोक-परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अधीन कारण बताओ नोटिस पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) यह इमारत भारत सरकार की है सरकार की सदा बढ़ रही बकाया मांगों को पूरा करने के लिए, कार्यालय तथा रिहायशी वासों दोनों के सामान्य पूल में सीमित साधनों में वृद्धि के लिए इसे खाली करवाया जा रहा है।

टानसिल्स के उपचार के नये तरीके

1945. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एक डाक्टर ने शल्य-चिकित्सा आपरेशन के बिना टानसिल्स के उपचार का एक नया तरीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस तरीके की गुणकारिता क्या है; और

(ग) इस तरीके को समुचे भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : इस बारे में 5 नवम्बर, 1971 को समाचार पत्रों में जो समाचार छपा था सरकार को उसकी जानकारी है। केरल सरकार से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा का जा रही है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के जूनियर इंजिनियरों के लिए तदर्थ वेतन-वृद्धियां

1946. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सिफारिश की है कि उस विभाग के जूनियर इंजीनियरों को ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर लेने पर मूल वेतन के किसी स्तर पर छः तदर्थ वेतन वृद्धियाँ दी जायें;

(ख) क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या यह विभाग इस कारण वित्त मंत्रालय पर जोर नहीं दे रहा है, कि वेतन आयोग पहले ही इस पर विचार कर रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : जूनियर इंजीनियर के पद का वेतन मान 180-10-290-द० रो 15-380 रुपये हैं। डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीजियर का वेतन जो सेवाकाल के दौरान डिग्री अथवा ए० एम० आई० ई० की योग्यता प्राप्त करता है, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण होने के परिणाम की घोषणा की तिथि से, यदि उसका वेतन उस दिन 240 रुपये से कम हो, तो इस वेतनमान में 240 रुपये निर्धारित किया जाता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह सिफारिश की थी, कि ऐसे व्यक्तियों को 6 अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ दी जानी चाहियें, और निर्धारित वेतन-मान में उस द्वारा लिया जा रहे वेतन की स्टेज को ध्यान में नहीं रखना चाहिये। क्योंकि तृतीय वेतन आयोग वेतन-मानों की समस्या पर विचार कर रहा है, यह निर्णय किया गया है कि मामले का अनुसरण वित्त मंत्रालय से न किया जाये तथा आयोग का सिफारिश की प्रतीक्षा की जाये।

असिस्टेण्ट इन्जीनियरों की सीधी भर्ती

1947. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 12 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेन्ट इंजीनियरों (श्रेणी तीन) की सीधी भर्ती से सम्बन्धित प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है जो कि एक लम्बी अवधि से विचाराधीन रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी-11 की इंजीनियरिंग सेवाओं (सहायक इँजीनियर) में स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की रिक्तियों में सीधी भर्ती को 7 वर्ष की अवधि के लिये स्थगित करने की बात सिद्धान्ततः मान ली गई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताओं को सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से पूर्ण करने की कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

1948. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर इन्जीनियर (सिविल) से असिस्टैन्ट इंजीनियर (सिविल) और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिक) से असिस्टेन्ट इंजीनयर (इलेक्ट्रिक) के पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक किस तिथि को हुई थी ;

(ख) एक वर्ष से अधिक समय तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) से सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद में पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की पिछली बैठक 30 सितम्बर, 1970 को हुई और कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) से सहायक इंजीनियर (बिजली) से पदों में पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 28 जनवरी, 1971 को हुई थी।

(ख) और (ग) विभागीय पदोन्नति समिति की बिजली वालों के सम्बन्ध में हुई पिछली बैठक को अभी एक वर्ष नहीं हुआ है।

सिविल पक्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि कनिष्ठ इंजीनियरों के सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए निर्धारित माप दन्ड की पात्रता की व्याख्या के बारे में सेवा संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है तथा ज्योंहि उनमें उल्लिखित विषय तय हो जायेंगे, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जाएगी।

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के फील्ड आफिसरों के कृत्य

1949. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 'फील्ड एडवाइजरों' के कृत्य क्या हैं;

(ख) 'फील्ड एडवाइजरों' के प्रत्येक कार्यालय में कितने शैक्षिक पद मंजूर किये गये हैं; और

(ग) इन पदों के लिये क्या योग्यतायें निर्धारित की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राज्यों के लिए फील्ड सलाहकारों के पद की स्थापना नाग चौधरी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी तथा वे मुख्य रूप से राज्यों के साथ सम्पर्क कार्य के लिये हैं। वे मुख्यतया निम्नलिखित समस्याओं से सम्बन्धित हैं :—

1. प्राइमरी तथा माध्यमिक प्रसार सेवा केन्द्र ।
2. सम्बन्धित राज्यों के साथ सम्पर्क कार्य ।
3. राज्यों में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विकास का अध्ययन ।
4. राज्य में स्कूल-शिक्षा की विशेष समस्याओं का एकीकरण, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के हित में हैं ।
5. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में किये जा रहे तथा किए गए कार्यों से राज्य शिक्षा प्राधिकारियों को अवगत कराना ।
6. पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य-सामग्री तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में विकसित की गई अन्य सहायक सामग्री से राज्य प्राधिकारियों को उचित एवं प्रभावी रूप से परिचित कराना ।
7. राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्कूल-शिक्षा बोर्ड के रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच सम्पर्क अधिकारी के कार्य करना ।

(ख) प्रत्येक कार्यालय में फील्ड सलाहकार का एक शैक्षिक पद है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त शैक्षिक सहायता की व्यवस्था करने के बारे में जाँच की जाती है।

(ग) फील्ड सलाहकार, रीडर अथवा उससे ऊपर के ओहदे का अथवा राज्य के उप-शिक्षा निर्देशक के पद का, परिषद का अधिकारी होता है तथा उसे उस राज्य की मुख्य भाषा का ज्ञान होना चाहिये तथा जब उसे एक से अधिक राज्यों का कार्य सौंपा जाए तो कम से कम एक राज्य की मुख्य भाषा का ज्ञान अनिवार्य है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पदों का भरा जाना

1950. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1971 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और प्रादेशिक कालेजों में विभिन्न वर्गों के कितने नये पदों का सृजन किया गया है;

(ख) उक्त तिथि के बाद कितने पदों के विज्ञापन दिये गये;

(ग) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर कितने पद भरे गये; और

(घ) उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार रखे गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिद्दार्थ हाई स्कूल, मैसूर को रखरखाव अनुदान

1951. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्धार्थ एजूकेशन सोसाइटी मैसूर ने सिद्धार्थ हाई स्कूल, मैसूर को रखरखाव अनुदान की मंजूरी के लिये सरकार को आवेदन पत्र दिया था; और यदि हां, तो कब;

(ख) सोसाइटी ने उक्त अनुदान की मंजूरी के लिये क्या आधार बताये हैं;

(ग) क्या मैसूर सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या आवेदन पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सिद्धार्थ हाई स्कूल, मैसूर को रखरखाव अनुदान दिए जाने के बारे में सिद्धार्थ शिक्षा सोसाइटी, मैसूर से कोई आवेदन पत्र अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग), (घ) और (ङ) मैसूर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है तथा उसके प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये केन्द्र सरकार की छात्रावृत्तियां

1952. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ देने हेतु मैसूर सरकार के समाज कल्याण निदेशक ने भारत सरकार के कहने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मांगने के लिये किस तारीख की अधिसूचना जारी की थी;

(ख) आवेदन पत्र देने की अन्तिम तारीख क्या थी; और

(ग) क्या आवेहन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त समय दिया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) तथा (ख) : 27 सितम्बर, 1971 को भारत में तीस समाचार पत्रों में जिनमें से दक्षिणी क्षेत्र में 6 शामिल हैं, केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का विज्ञापन किया गया था। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों इत्यादि को भी इस योजना का विस्तृत प्रचार करने के लिए निवेदन किया गया था। विधिवत भरे गये आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 15 नवम्बर, 1971 थी। राज्य सरकारों से, जिनमें मैसूर सरकार भी शामिल है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन का विस्तृत प्रचार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, हाँ।

मेडिकल कालेजों द्वारा तैयार किये गये डाक्टर

1953. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष मेडिकल कालेजों ने कितनी संख्या में डाक्टर तैयार किये; और

(ख) उनमें से कितने डाक्टरों की नियुक्ति केन्द्र तथा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में की जा सकी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अमिय कुमार किस्कू) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

चिकित्सा कालेजों में प्रवेश करने वाले नये विद्यार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा

1954. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
डा० संकटा प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार चिकित्सा कालेजों में प्रवेश करने के इच्छुक विद्यार्थियों को, डिगरी लेने के पश्चात केन्द्रीय और राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति के लिये कम से कम दो वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्य करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : **(क) और**

(ख) : जी हाँ । सरकार के पास एक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अनुसार मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक शर्त-पत्र भरना होगा कि वह एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरान्त, यदि सरकार चाहे तो, निश्चित अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेगा/करेगी ।

पश्चिम दिल्ली की "शंकर गार्डन" कालोनी में सड़कों पर बिजली

1955. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में सड़कों पर बिजली नहीं है;

(ख) क्या कालोनाइजर और प्लाट मालिकों के बीच हुए करार के अनुसार सड़कों की बिजली का प्रबन्ध कालोनाइजर को करना था;

(ग) यदि हां, तो कालोनाइजर द्वारा अभी तक यह प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सड़कों पर बिजली न होने का कालोनी में मकान निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कालोनी में शीघ्रतापूर्वक बिजली देने और सड़कों पर बिजली लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कालोनी में सड़कों पर बिजली नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : सरकार को यह मालूम नहीं है कि कालोनाइजर और प्लाट-होल्डरों के बीच, कालोनी में सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करने का कोई करार है, और यदि कोई है, तो कालोनाइजर ने ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया । तथापि, ले-आउट के अनुमोदन के लिए शर्तों में एक शर्त यह है कि कालोनी में बिजली लगाने के काम की जिम्मेदारी कालोनाइजर की है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में विकास कार्य

1956. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी के कालोनाइजर द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताई गई कमियों के एवज में पूरे पैसे जमा करवा देने के बावजूद भी वहां का विकास कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कालोनी के विकास कार्य में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विकास कार्य में देरी का मकान निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यह देरी प्लाटों के मालिकों के हितों के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त कालोनी में विकास कार्य को गति देने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) : कालोनाइजर ने (परिधीय और बड़े) अन्दरूनी और वाह्य, सेवाओं (जल सप्लाई और सीवर) की कमियों को पूरा करने के लिये अनुमानित रकम, जिसमें बिजली लगाने के प्रभार सम्मिलित नहीं हैं, को नकद तथा बैंक गारंटी के रूप में जमा कर दी है। कालोनाइजर ने कालोनी में बिजली लगाने के लिए अपेक्षित रकम दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास अभी जमा नहीं कराई है।

नगर निगम को पानी की सप्लाई और सीवर से सम्बन्धित कमियों को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, नहीं।

29 नवम्बर, 1971 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर अधिक ऊंचाई पर चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

1957. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था रक्षा मंत्रालय के सहयोग से अधिक ऊंचाई पर चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अधिक ऊंचाई पर तैनात हमारे रक्षा कर्मचारियों को इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : रक्षा चिकित्सा सेवाओं के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तत्काल तथा विलम्बित परिसंचारी, वायुसंचारी तथा वीनोमोटर प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए ऊंचे स्थानों पर तथा दिल्ली की प्रयोगशालाओं में अनेक अध्ययन किये हैं। तीव्र पर्वत रोग तथा अधिक ऊंचाई पर होने फुफफुसीय शोफ जैसे अनुकूलन की असफलता वाले रोगों की जांच करने के लिए भी अध्ययन किए गए। अधिक ऊंचाई पर होने वाली आत्यधिक बीमारी को शान्त या कम करने अथवा दूर करने के लिए प्रयुक्त कतिपय औषधियों की भेषज क्रिया का गहन अध्ययन किया गया है।

आत्यधिक पर्वत रोग से पीड़ित व्यक्तियों को श्वास कष्ट होता है तथा उनमें कार्बन द्विओषित का जमाव होता है, पी० ए० ओ०^2 बहुत कम होता है तथा ए०-ए० डी० ओ०^2 और चयापचयिक क्षारमयता बढ़ी होती है दूसरी ओर अधिक ऊंचाई पर होने वाले फुफफुसीय शोफ के रोगियों को श्वास कष्ट होता है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें श्वास सम्बन्धी क्षारमयता हो जाती है। उनमें पी० ए० ओ०^2 कम होता है किन्तु ए०-ए० डी० ओ०^2 बढ़ा होता है। फेफड़े की धमनी का दबाव मध्यम किन्तु फेफड़े का स्पद्रान और बायीं धमनी का दबाव सामान्य रहते हैं। उच्च स्पद्रान और बायीं धमनी का दबाव सामान्य रहते हैं। सम्भवत: अधिक ऊंचाई पर होने वाला फुफफुसीय शोफ परिधीय श्वास नली संकुचन, परिवर्तित स्थलीय ऊंचाई से होने वाली अल्प आक्सीयता में अचानक परिवर्तन के परिणामस्वरूप बढ़ गए, फुफफुसीय वत्स्यं अन्त: स्तर तथा/अथवा श्रम के कारण फेफड़े में रक्त की मात्रा बढ़ जाने से होता है।

भेषज क्रिया सम्बन्धी अध्ययनों से अब इन रोगों को तीव्र मूत्रल औषधियों के प्रयोग द्वारा रोकना और ठीक करना सम्भव हो गया है।

दिल्ली में सफाई और गन्दी नालियों की सफाई सम्बन्धी सेवा में हड़तालों को निषिद्ध करने का आदेश जारी करना

1958. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 अक्तूबर, 1971 को कोई आदेश जारी किया था जिसमें दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में सफाई और गन्दी नालियों की सफाई से सम्बन्धित किसी भी सेवा में हड़तालें करने पर निषेध लगाया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली प्रदेश बाल्मीकि मजदूर संघ ने दिल्ली नगर निगम को हड़ताल का नोटिस दिया था। नोटिस के अनुसार यदि उनकी मांगें पूरी न हुई तो इस संघ को 14 अक्तूबर. 1971 मध्याहन को टाऊनहाल के सामने प्रदर्शन करना था और 15 अक्तूबर, 1971 को हड़ताल करनी थी। दिल्ली प्रशासन ने यह महसूस किया कि यदि हड़ताल को खत्म करने के लिए समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इस प्रस्तावित हड़ताल से सार्वजनिक स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पहुंचने की आशंका होगी और हो सकता है यह सारे शहर में ही फैल जाये। इन बातों को देखते हुए 10 अक्तूबर, 1971 को एक आदेश जारी कर दिया गया जिसमें दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में सफाई और मल निष्कासन सम्बन्धी किसी भी सेवा में हड़ताल को निषिद्ध करार दे दिया गया।

विश्वविद्यालय के मामले में जांच करने के बारे में बंगलौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मांग

1959 **श्री एम० के० गोपालन :** क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय के मामले में जांच करने के बारे में बंगलौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मांगों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) . बंगलौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के कार्यकरण के सम्बंध में अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इन अभ्यावेदनों की जांच करने तथा सामान्यत: विश्वविद्यालय के कार्यों के जाच हेतु केरल-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० सम्यूल मथाई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व सचिव की नियुक्ति की है। प्रो० मथाई ने 17 नवम्बर, 1971 को कार्य भार संभाल लिया है। इस रिपोर्ट के प्राप्य होने पर कुलधिपति आगे कार्यवाही करेंगे।

भारत में मत्स्यपालन उद्योग का यांत्रीकरण

1960. **श्री समर मुकर्जी :**
श्री जी० चिति बाबू :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भारत में मत्स्यपालन उद्योग के यंत्रीकरण के बारे में एक विश्लेषण आयोग को प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में देश की यांत्रीकृत मात्स्यकी का एक सामान्य मूल्यांकन दिया गया है और 8 समुद्र तटीय राज्यों में मत्स्य-उद्योग के यांत्रीकरण के कार्यक्रम के राज्यवार विश्लेषण दिये गये हैं। यांत्रीकृत मात्स्य के योगदान और यांत्रीकृत नौकाओं के मितव्ययी प्रचालन का विश्लेषण किया गया है, बन्दरगाहों, प्रशीतन तथा विधायन सुविधाओं, अनुरक्षण सेवाओं तथा प्रशिक्षित कार्मिक आदि अवस्थापन साहास्य की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया है, और कार्यक्रम के आयोजन तथा कार्य में सुधार के विषय में कुछ सिफारिशें की गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाये तो जो मूल्यांकन किया गया है वह यह है कि यद्यपि अधिकांश समुद्र तटीय राज्यों द्वारा यांत्रीकृत मात्स्यकी कार्यक्रम के लिए उत्तरोत्तर पंच-वर्षीय योजनाओं में किया गया निधि का विनियोजन संतोषजनक है और प्रशासकीय स्थापना के विषय में मात्स्यकी विभागों में काफी बढ़ोतरी हुई है तथा अनेक विकास सम्बन्धी संस्थानों का

सृजन किया गया है, तथापि विपणन, प्रशीतन, शीतागारों, प्रोसेसिंग, बन्दरगाहों, मरम्मत और अनुरक्षण तथा पशुओं के प्रशिक्षण आदि सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये काफी प्रयत्न करने होंगे। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष संक्षेप में दिये गये हैं :—

1. बिना शक्ति चालित नौकाओं पर प्रति यूनिट निवेश से कुल प्राप्ति की औसत दर, विशेषकर मात्रा के रूप में और किसी हद तक मूल्य के रूप में, यांत्रीकृत नौकाओं की अपेक्षा काफी अधिक है। परन्तु बिना-शक्ति चालित नौकाओं की तुलना से यांत्रीकृत नौकाओं से पकड़ी गई मछलियों की मात्रा 70 प्रतिशत अधिक है और इन मछलियों का मूल्य बिना शक्ति चालित नौकाओं से पकड़ी गई मछलियों के मूल्य से तीन-गुना है।

2. समुद्री मछलियों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, यांत्रीकृत कार्यक्रम को शनैः शनैः बढ़ाने की आवश्यकता है। लागत को कम करके तथा प्रबन्ध में सुधार करके प्रचालन सम्बन्धी दक्षता को बढ़ाने के लिए भविष्य में और अधिक ध्यान देना चाहिए। यांत्रीकृत नौकाओं का तट से दूर के मात्स्य क्षेत्रों में और अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. यांत्रीकृत नौकाओं पर कार्य करने वाले मछुओं का जीवन-स्तर बिना शक्ति चालित नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुओं की तुलना में अच्छा है।

4. पकड़ी गई मछलियों के प्रभावकारी उद्योग के लिये मांग की तुलना में शीतागारों, प्रशीतन और नौका निर्माण की सुविधायें अपर्याप्त हैं, परन्तु इन सीमित सुविधाओं का भी, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में जहां इनका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने से पूर्व इन सुविधाओं का और अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। मछुओं में प्रशीतन सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिएं।

5. मछलियों का विपणन मुख्यतया गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। सहकारी विपणन संरचना को पुनर्गठित तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

6. अवतरण तथा बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें अपर्याप्त हैं और इससे मत्स्य उद्योग के क्रमिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।

7. यद्यपि समस्त समुद्र तटीय राज्यों में मछुओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, तथापि प्रदत्त प्रशिक्षण को और अधिक व्यावहारिक तथा कार्यसाधक बनाया जाना चाहिए।

8. यांत्रीकृत मात्स्यकी कार्यक्रम पर और अधिक मात्रा में सांस्थानिक वित्त का प्रयोग किया जाना चाहिए।

9. ईंधन तथा तेलों के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

10. मछुओं के लिए आवास, पीने के जल, स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र आदि कल्याणकारी

सुविधायें प्रायः अपर्याप्त होती हैं, अतः इन्हें और अधिक बड़े पैमाने पर उपलब्ध किया जाना चाहिए ।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मत्स्य नौकाओं के यांत्रीकरण के कार्यक्रम के विश्लेषण से भविष्य के आयोजन और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के निर्देशन के लिए उपयोगी बातों का पता चलता है । मत्स्य विकास के लिए तृतीय योजना के 28 करोड़ रुपए के उपबन्ध की तुलना में चतुर्थ योजना में 83 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया गया है, जिसमें से लगभग 20 करोड़ रुपए मत्स्य बन्दरगाहों की व्यवस्था तथा इतनी ही राशि यांत्रीकृत नौकाओं के प्रचलन के लिए रखी गई है । पर्याप्त अवतरण सुविधायें प्रदान करने के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया सहायता प्राप्त बन्दरगाह योजना में न केवल मुख्य पत्तनों और अन्य चुनींदा केन्द्रों में बड़े बन्दरगाहों की, बल्कि काफी अधिक केन्द्रों में यांत्रीकृत नौकाओं के लिए छोटी-छोटी सुविधाओं की भी व्यवस्था है । कुल 78 तटवर्ती स्थानों पर बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं । इस कार्यक्रम का निरन्तर रूप से पुनरीक्षण तथा विस्तार किया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना भी सम्भाव्य बन्दरगाह स्थलों का सर्वेक्षण करके योजनायें तैयार कर रही है । यांत्रीकरण कार्यक्रम का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है और कुछ संकेन्द्रित क्षेत्रों में प्रयुक्त नौकाओं की किस्म के प्रचालन सम्बन्धी व्यय को कम करने की दृष्टि से उपयुक्त रूप से समंजित किया जा रहा है । सहकारी विपणन संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को भी अनुभव किया गया है जिससे कि मछुए और अधिक आय प्राप्त कर सकें । राज्य योजनाओं में मत्स्य-उद्योग सहकारी समितियों के लिए सहायता की व्यवस्था है । कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में इस सेवा के महत्व पर सही बल दिया गया है, और एक उपयुक्त सहकारी विपणन संरचना के गठन पर और अधिक बल देने का प्रस्ताव है । यांत्रीकरण कार्यक्रम के लिए सांस्थानिक वित्त से योजना संसाधनों को पूर्ण करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है, और इनमें से बहुत से राज्य सरकारों ने यांत्रीकृत मत्स्य-उद्योग में सांस्थानिक वित्त का प्रयोग करने के बारे उपयुक्त कदम उठाए हैं । मत्स्य नौकाओं में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के लिए सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है । राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखा जा रहा है । यह रिपोर्ट राज्य सरकारों को भी भेजी गई है, क्योंकि उनका यांत्रीकरण, प्रशीतन, विपणन, प्रशिक्षण और कल्याण के कार्यक्रमों की क्रियान्विति से सम्बन्ध है ।

पटेल मैमोरियल नेशनल कालिज, राजपुरा पंजाब के छात्रों द्वारा हड़ताल

1961. **श्री रेणुपद दास** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटेल मैमोरियल नेशनल कालिज राजपुरा के छात्रों द्वारा गत कुछ दिनों से निरन्तर की जा रही हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विवाद समाप्त करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) पटेल मैमोरियल नेशनल कालेज, राजपुरा के विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बातों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने हेतु 26 अगस्त 1971 से हड़ताल की।

(1) कालेज की प्रबन्ध समिति का तानाशाही व्यवहार तथा उसके द्वारा की गई अनियमितताएं।

(2) लगातार तीन वर्षों तक एक अध्यापक के प्रति रोष प्रकट करने के बावजूद भी उसे सेवा से न हटाया जाना।

(3) योग्य प्रोफेसरों को बिना उनके किसी अपराध के सेवा से हटाया जाना।

(4) कालेज के बजट में 2 लाख रुपये से अधिक का घाटा होने की जांच न होना।

(5) अधूरे पड़े भवनों को पूरा न किया जाना तथा उनके निर्माण कार्य में होने वाली देरी।

(6) खेलकूद के प्रति उदासीनता, यहां तक की शारीरिक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त नहीं किया गया था।

अधिक अच्छे अध्यापन का प्रबन्ध, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं में सुधार तथा विद्यार्थियों के लिये अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी विद्यार्थियों की मांग थी।

(ग) जन शिक्षा निदेशक, पंजाब की मध्यस्थता से यह हड़ताल 21 सितम्बर, 1971 को समाप्त हो गई थी। पंजाबी विश्वविद्यालय जिससे यह कालेज सम्बद्ध है, विद्यार्थियों की शिकायत के विभिन्न पहलुओ की जांच कर रहा है ।

सिक्किम के इन्स्टीट्यूट आफ तिबतोलोजो को दी गई सहायता

1962. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने सिक्किम स्थित इन्स्टीट्यूट आफ तिबतोलोजो को अब तक कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है ;

(ख) क्या इन्स्टीट्यूट के शासो-निकाय/को इन्स्टीट्यूट का निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है ;

(ग) यदि हां, तो क्यां वहाँ एक नया निदेशक जिसे असंतोषप्रद कार्य के कारण शिक्षा मंत्रालय से सेवा निवृत किया गया था, नियुक्त करने का हाल ही में निर्णय किया गया है ; और

(घ) तिब्बतीय संस्कृति तथा इतिहास के क्षेत्र में प्रस्तावित निर्देश को क्या अर्हतायें हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) भारत सरकार सिक्कम के नामग्याल इन्स्टीट्यूट आफ तिब्तोलोजी को वर्ष 1958-59 से प्रतिवर्ष 50,000/-रुपये की सीमा तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। यह निर्णय किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष से सहायता की मात्रा एक लाख रुपये तक बढ़ा दी जाये।

(ख) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति संस्थान के कार्य कारी मंडल के अधिकार क्षेत्र में है।

(ग) इस मंत्रालय के सेवा निवृत्त अधिकारों डा० ए० एस० डा० रोजरियों को 1 जुलाई, 1971 से संस्थान के नये निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डा० रोजरियों वार्द्धक्य निर्वतन आयु की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवा से नियमित रूप से निवृत्त हुए थे। उन्हें उनके असन्तोषजनक कार्य के कारण सेवा से निवृत्त नहीं किया गया था।

(घ) इस मंत्रालय में रिकार्ड की गई डा० रोजरियों की अर्हताओं में तिब्बती सस्कृति अथवा इतिहास के क्षेत्र में किसी प्रकार की अर्हता (योग्यता) शामिल नहीं है यहां यह भी कहना उपयुक्त होगा कि निदेशक के कर्तव्य मुख्यतया कार्यकारी अथवा प्रशासनिक रूप के और इसमें किसी प्रकार का अध्यापन शामिल नहीं है।

वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

1963. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वाणिज्यिक फसलों के अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) 1971 में प्राप्त लक्ष्यों की तुलना में विभिन्न वाणिज्यिक फसलों के लिए 1972 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनायें/कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। इस संदर्भ में इन केन्द्रीय प्रयोजित योजना का उल्लेख किया जा सकता है जिनके अन्तर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक फसल के विकास के लिए निधि की व्यवस्था की जाती है। 1969-1970 और 1970-71 के दौरान इन योजनाओं पर क्रमश : 192·1 तथा 288·6 लाख रुपए व्यय किए गए थे। इन योजनाओं के अन्तर्गत समस्यान्मुख प्रदर्शनों तथा वनस्पति रक्षण रासायन-पदार्थों और उपस्कर आदि के लिए साहाय्य प्रदान करके प्रोत्साहन दिए गए हैं। हाल ही में चौथी योजना की शेष अवधि के दोरान कुल 1600·00 लाख रुपए के परिव्यय की दो नयी योजनायें अर्थात् सघन कपास जिला कार्यक्रम और सोयाबीन विकास योजना, शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वाणिज्यिक फसल के लिए विकास परिषदों की स्थापना की गई है जो इन फसलों के विकास और विपणन से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में भारत सरकार को समय-समय पर सलाह देती हैं। अनुसन्धान वैज्ञानिक वाणिज्यिक फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों का विकास कर रहे हैं। हाल ही में समन्वित हुई योजनाओं के अन्तर्गत इन प्रयत्नों को बढ़ायां गया है।

(ख) निम्न तालिका में 1970-71 और 1971-72 के लिए निर्धारित लक्ष्य और मुख्य वाणिज्यिक फसलों के 1970-71 के दौरान प्राप्त हुये वास्तविक उत्पादन के विषय में भी दिया गया है :—

फसल	1970-71		1971-72
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य
तिलहन (दस लाख मीटरी टन)	9.00	9.19	9.50
गन्ना (गुड़) (दस लाख मीटरी टन)	13.20	13.19	13.20
कपास (दस लाख गांठें)	6.50	4.56	6.50
पटसन (दस लाख गांठें)	6.70	4.91	6.40

आस्थागित भुगतान प्रणाली के बारे में बंगाल की खाड़ी । जापान सम्मेलन का निर्णय

1964. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्थगित भुगतान प्रणाली के बारे के बंगाल की खाड़ी / जापान सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया, और

(ख) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि इसमें उचित प्रक्रियाएं अपनाई जायें ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : भारत के पूर्वी तट से दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा जापान के लिए व्यापार का नियंत्रण करने वाले बंगाल की खाड़ी । जापान सम्मेलन ने, व्यापारी वर्ग तथा सरकार के लगातार दवाव के कारण 1-7-1971 से आस्थगित भुगतान प्रणाली समाप्त कर दी है । बाद में सम्मेलन ने 1-9-1971 से प्रवृत्त वि० दर-प्रणाली करार तथा गैर-करार दर) की चालू करने की घोषणा की है और निवल तटकार दरों की करार-दर तथा गैर-करार दरों को उस स्तर से ऊपर 10 प्रतिशत समझा गया है । करार में शामिल होने वाले पोत-वणिक कम दरों का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें ।

सम्मेलन ने अपने हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि माल का आना जाना कम था और इस तरह से वे पोतवणिकां पर कुछ हद तक नियंत्रण रख सकते थे । बहुत से

पोत वणिकाँ ने बिना किसी विरोध के शिपिंग लाईनस के साथ स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिये हैं और ऐसा अनुभव किया गया है कि सम्मेलन द्वारा ऐसी व्यवस्था करने का औचित्य है ।

Housing Problem For Government Employees in Delhi

1965. **Dr. Shankata Prasad** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have not been able so far to solve the housing problem of their employees in Delhi ;

(b) the types of quarters allotted by Government to different categories of employees and also the year so far covered ;

(c) the basis of allotment of these quarters ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : In the general pool in Delhi/New Delhi it has been possible to provide accommodation to 41.82% of the employees working in eligible offices.

(b) A statement indicating the pay ranges for entitlement of different types of accommodation and the date of priority covered as on 22nd November, 1971 is attached.

(c) The allotment of accommodation from the general pool is made to Government employees working in eligible offices in Delhi/New Delhi on the basis of their entitlement for different types. Separate waiting list in respect of each type on the basis of date of pyiority of the officers entitled to that type is prepared every month and the allotment is made keeping in view the position of individual officers on tho waiting lists. In type IV and below, the date of priority is reckoned from the date from which the officer has been continuously in serviee under the Central Government or State Government including the periods of foreign service. In their cases the entire service rendered under the Central Government/State Government is taken into consideration. In the casc of officers entitled to type V and above, the date of priority is reckoned from the date from which an officer has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or State Government or on foreign service, etc.

(d) The position regarding constrution of quarters in Delhi/New Delhi during the Fourth Five Year Plan is as under :—

Type.	No, of units sanctioned.	No. of units completed.	No. of units under construction	Proposals under consideration
I	304	192	112	1112
II	1732	864	868	—
III	1716	440	1276	1932
IV	1180	256	924	178
VII	6	—	—	—
Total :	4938	1752	3180	3222

Statement

Type	Plinth area in (sq. ft.)	Entitlements	Date of priority covered
(1)	(2)	(3)	(3)
I	4 0	Below Rs. 175/-	2.2.1950
II	540	From Rs. 175/- to Rs. 349/-	1.4.1943
III	710	From Rs. 350/- to Rs. 499/-	17.11.1942
IV	900	From Rs. 500/- to Rs, 799/-	14.7.1942
V	1,500*	From Rs. 800/- to Rs. 1299/-	June, 1952
VI	2,100*	From Rs. 1300/- to Rs. 2249/-	20.12.1961
VII	@	From Rs. 2250/- and above.	29.11.1960
VIII	&&	Secretaries/Additional Secretaries to the Government of India.	30.9.1962

* plus 240 for servant quarter plus 225 for garage.

@ will be decided in individual cases.

&& there will be no further construction in this type.

Application For Milk Token Pending With Delhi Milk Scheme

1966 .**Shri Hukma Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applications for milk tokens pending consideration with Delhi Milk Scheme at present; and

(b) the steps proposed to be taken by Delhi Milk Scheme, to issue milk tokens at an early date ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) : The number of applications for milk tokens pending with Delhi Milk Scheme as on 19,11.71 was 41,794.

(b) : The milk handling capacity of the existing Central Dairy Plant of Delhi Milk Scheme is being expanded from about 300,000 litres a day at present to 375,000 litres a day. This is expected to be completed in about 6 months time. Pending applications will be cleared when the capacity has been raised. The Government is also considering a proposal for the setting up of a new Dairy Plant at Delhi under Operation Flood with a recombining capacity of 400,000 litres a day, A substantial portion of the requirements of milk for Delhi will be met after the new Dairy is commissioned.

पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाना

1967. **डा० सरदीश राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में जिलावार कुल कितने नलकूप लगाये गये;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में 1,000 नलकूप लगाने के पहले लक्ष्य को कम करके 600 नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सन् 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में खोदे गये और वर्ष 1971-72 के दौरान खोदे जाने वाले गहरे नलकूपों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य योजना में समस्त वित्तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये पहले खोदे हुये नलकूपों के बचे हुए कार्य को पूरा करने तथा इस कार्य को संभालने की राज्य के तकनीकी संगठन की क्षमता को ध्यान में रखते हुये ही लक्ष्य में कमी की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) पहले खोदे गये नलकूपों के कार्य को पूरा करने के अतिरिक्त राज्य तकनीकी संगठनों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 2 वर्षों की अवधि में 314 नलकूप और खोदने पड़गे ताकि चतुर्थ योजना में 600 नलकूपों के खोदने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दो वर्षों की अवधि में 314 से अधिक नलकूप खोदना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

जिले का नाम	1969-70 तथा 1970-71 में खोदे गये नलकूपों की सं०	1971-72 में खोदे जाने वाले नलकूपों की सं०
हुगली	32	23
24 परगना	20	15
हावड़ा	32	16
मिदनापुर	21	21
बरदवान	13	12
नादिया	8	18
मुर्शीदाबाद	18	23
पश्चिम दिनाजपुर	4	—
माल्दा	2	—
बीरभूम	—	8
	150	136

वक्फ जांच समिति की सिफ़ारिशों को कियान्वित करना

1968. **श्री के० मलन्ना** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के बारे में वक्फ जांच समिति के सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) देश में उक्त सम्पत्तियों के प्रबन्ध और नियंत्रण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) वक्फ जांच समिति ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है । इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

पश्चिम बंगाल में कपास उत्पादकों को वित्तीय सहायता

1969. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम बंगाल प्रशासन ने राज्य में कपास उत्पादकों को केन्द्रीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) क्या सरकार सहायता देने के लिये सहमत हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : वर्ष 1971-72 की अवधि में भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन तथा तटीय क्षेत्रों में कपास की कृषि प्रारम्भ करने के लिये 31.20 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की है । उसके अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता का स्वरूप निम्न प्रकार है :-

(1) कर्मचारियों तथा प्रासंगिक व्यय की पूरी लागत ।

(2) प्रदर्शन के लिये आदानों की पूरी लागत ।

(3) वनस्पति रक्षण रसायनों पर 25 प्रतिशत उपदान ।

(4) पूरिया के पर्णीय छिड़काव के लिये पूरिया कर शत प्रतिशत उपदान तथा कम-शक्ति चालित स्प्रेयसों पर 50 प्रतिशत उपदान ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को उत्पादकों में कपास के बीजों के क्रय तथा वितरण की 50 प्रतिशत लागत वहन करने के लिये 3.25 लाख रुपये का अल्पावधि ऋण स्वीकार किया गया है ।

मैसूर राज्य में परियोजनाओं में सहायता के लिये भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच समझौते

1970. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में परियोजनाओं में सहायता देने के लिये भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी सहायता दी जायेगी और इसकी शर्तें क्या होंगी और इन परियोजनाओं को मैसूर के किस क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच 30 अगस्त, 1971 को करार पर हस्ताक्षर हुये थे । जिसके अनुसार मैसूर राज्य में परियोजना विकास के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम 33.750,000 रु० के मूल्य की खाद्य सहायता देगा । विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता गेहूं, चरी और स्किमड दूध चूर्ण के रूप में होगी ।

एक करार के अधीन विश्व खाद्य कार्यक्रम 11,000 मील ग्रामीण सड़कें बनाने और बेलारी और रायचुर जिलों में तुंगभद्रा डैम द्वारा सिंचित 400,000 एकड़ भूमि के गहन विकास में सहायता देगा । इस काम से 5,000 व्यक्तियों को, जिन्हें उजरत का एक भाग विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त खाद्य सामग्री के रूप में मिलेगा, 5 साल की अवधि में रोजगार मिलेगा । विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सप्लाई की जाने वाली जिन्सों का मूल्य 19,500 000 रु० होगा ।

दूसरे करार में चित्रादुर्ग, तुमकुर, कोलार और बंगलौर जिलों में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिये सहायता की व्यवस्था है । परियोजना के अन्तर्गत 4,50,000 एकड़ भूमि लाई जायेगी और इसमें 5 वर्ष की अवधि के लिये एक वर्ष में 6 मास के लिये औसतन 5625 परिवारों को रोजगार मिलेगा । विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सप्लाई होने वाली खाद्य सामग्री, जो कार्मिकों को वेतन के एक भाग की अदायगी के रूप में दी जायेगी, का मूल्य 14,250,000 रु० होगा ।

छोटी चावल मिल

1971. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी चावल मिलों की स्थापना का एक सुझाव दिया गया है जिसमें अनाज के संरक्षण और संसाधन के आधुनिक तरीकों की व्यवस्था है ताकि इस समय अपनाये जा रहें पुराने तरीकों से 100 करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग 20 लाख टन चावल की बरबादी को रोका जा सके;

(ख) क्या उक्त सुझाव पर विचार किया गया है, और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सरकार के पास छोटी आधुनिक चावल मिलों को स्थापित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं और ऐसी मिलों को बनवाने के लिए कार्य वाही की गई है। इस समय देश में आधुनिक चावल मिलों की मशीनरी बनाने के लिए तीन निर्माता इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से एक निर्माता छोटी आधुनिक मिलों के लिए मशीनरी बनाने की परियोजना को लगभग अन्तिम रूप देने की स्थिति में बताया जाता है।

मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्रों का विकास

1972. **श्री जी० सी० दीक्षित** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने का निर्णय किया है जहां वर्षा बहुत कम होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मध्य प्रदेश के चार जिले, अर्थात झबुआ, धार, सिधि तथा वेतुल देश के निरन्तर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिये छांटे गये क्षेत्र, ग्राम-निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिये चुने गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यम। लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, वनरोपण तथा ग्रामीण सड़क आदि जैसी श्रम प्रधान तथा उत्पादनो मुखी योजनायें प्रारम्भ की जाती हैं। चौथी योजना के दौरान प्रत्येक चुने हुए जिले के लिये 2 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। मध्य प्रदेश के चार चुने हुए जिलों के लिये कुछ योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

Canal From Mahalgurada Village to Jainabad Village In Burhanpur Tehsil (Madhya Pradesh)

1973. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a minor canal has been dug from Mahalgurada village to Jainabad village near Aukhane in Burhanpur Tehsil;

(b) whether the canal has become unserviceable as no attention has been paid towards it since long; and

(c) whether the attention of the Central Government has been drawn towards it by the Government of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir, There is an old existing canal dug during the Mughal Period from Mahalgurada to Yeklara (not to Jainabad).

(b) Yes Sir.

(c) No Sir.

दिल्ली स्थित भारत सरकार प्रकाशन शाखा के प्रबन्धक के कार्यालय में कार्य की असन्तोषजनक दशा

1974. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल लाइंस, दिल्ली स्थित भारत सरकार प्रकाशन शाखा के प्रबंधक के कार्यालय में कार्य की असन्तोषजनक दशा के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) स्थिति में सुधार के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) एक नई इमारत निर्माण करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(2) मुख्य भवन में शोचालय सम्बन्धी सुविधाओं की मरम्मत कर दी गई है ।

(3) चूहों और दीमक के खतरे को समाप्त करने के उपाय किये गये हैं ।

(4) स्टोर/गोदामों में बिजली के इन्सटालेशनों उपकरणों की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच कर ली गई हैं और नये प्वाइंट लगा दिये गये है । बिजली की पुरानी तारें बदल दी गई हैं । गोदामों में बेहतर रोशनी के लिये अधिक रोशनी वाले बल्बों की व्यवस्था कर दी गई है । स्टोरों में ट्यूब लाइट लगाने की कार्यवाही कर दी गई है ।

(5) स्टोरों/गोदामों में बाहर हवा फेंकने वाले पंखों की व्यवस्था करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(6) कमरो/स्टोरों/गोदामों की प्रतिदिन सफाई की जाती है और कीट-नाशक तथा रोग पुनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है ।

(7) भवनों के ब्लाक नं० VIII की छत बदल दी गई है और मरम्मत कर दी गई है ।

(8) इस वर्ष में भवनों में दिल्ली नगर निगम तथा प्रकाशन शाखा द्वारा भी दो बार रोगाणुनाशक दवाईयां छिड़की गई हैं ।

Persons Provided with Employment Under Crash Programme for Rural Employment

1976. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons provided with employment by the various States so far under the programme for the removal of unemployment, Statewise ;

(b) the number of persons out of them belonging to rural areas ;

(c) the period of employment provided and the nature of jobs given ;

(d) the present number of unemployed persons in each State leaving aside those who have been already provided with employment ; and

(e) the time by which the remaining persons would be provided with employment ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) : The Crash Scheme for rural employment is designed to provide employment opportunities to about 1000 persons in rural areas in every district for a period of 10 months or for an equivalent number of mandays through labour intensive works of a durable nature. The Scheme has come into operation on different dates in different States and Union Territories. Uptodate information in respect of all States and Union Territories is not available. However, on the basis of data received so far, a statement showing the number of mandays of employment provided has been prepared and is placed on the table of the House. The number of persons employed and the period for which each of them is employed are not available. These figures are bound to vary from work to work and area to area even within a State, as generally speaking the rural workers engage themselves primarily in agricultural operations the timing and intensity of which vary from area to area and seek other kinds of wage labour when the agricultural operations cease or slacken. Further, it may be added that a simple mention of the number employed without the details of the days for which each is employed is likely to be misleading. As regards the second part of (c), it may be stated that the jobs given are in the nature of work involved in road making, tank improvement, soil conservation and afforestation. All the unskilled workers employed under the scheme belong to areas. It is likely that some persons with higher skills like masons and work sarkars may have been drawn from other areas.

(d) & (e) Information on the total number of unemployed persons in each State is not available, and it is not possible to indicate when all the unemployed persons in the rural areas will be provided employment. At any rate, it must be made clear that the Crash Scheme has limited objectives and the wider question of removal of rural unemployment is being tackled as a part of the general development plan for rural areas in general and agriculture in particular.

Statement

Cash Scheme For Rural Employment

Statement showing progress of employment generated

States/Union Territories	Employment generated (1000 mandays)
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	435.28
2. Assam	N.A.
3. Bihar	52.15
4. Gujarat	151.26
5. Haryana	211·85
6. Himachal Pradesh	245.00
7. Jammu and Kashmir	N.A.
8. Kerala	437.30
9. Madhya Pradesh	13.08
10. Maharashtra	207.91

N.A. Information not available.

11.	Meghalaya	N.A.
12.	Mysore	373.73
13.	Nagaland	Work not yet star
14.	Orissa*	N.A.
15.	Punjab	N.A.
16.	Rajasthan	N.A.
17.	Tamil Nadu	942.00
18.	Uttar Pradesh	327.33
19.	West Bengal	383.37
	Union Territories	
20.	A & N Islands	2.17
21.	Chandigarh	15.20
22.	Dadar, Nagar Haveli	Proposals awaited
23.	Delhi	2.34
24.	Goa, Daman & Diu	Work not yet started
25.	L.M.A. Islands	N.A.
26.	Manipur	N.A.
27.	N.E.F.A.	Work not yet started
28.	Pondicherry	N.A.
29.	Tripura*	N.A.
	All-India	3799.97

Note:—Information in regard to employment generated fot different States/U. Ts. relate to the following periods :

(a) upto August, 1971—Bihar, Himachal Pradesh,

(b) upto Sept., 1971—Andhra Pradesh, Haryana, M. P. Maharashtra, Chandigarh.

(c) upto October, 1971—Gujarat, Kerala, Mysore, Punjab, Tamil Nadu, U. P., West Bengal, A&N Islands, Delhi & Pondicherry.

N.A.—Information not available.

*Work is reported to have commenced in Orissa, Rajasthan, and Tripura, but figures of employment have not yet been received.

गुजरात में मन्दिरों से मुर्तियों की चोरी

1977. **श्री हेमेन्द्र बनेरा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में मन्दिरों से मूर्तियों के चोरी चले जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी मूर्तियाँ चोरी की गई और गुजरात के किन मन्दिरों से मूर्तियाँ चुराई गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किये गये और किन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन गुजरात में केन्द्रीय संरक्षित किसी भी मन्दिर से, गत तीन वर्षों के दौरान कोई भी मूर्ति चोरी नहीं गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक तरीकों से कत्थे का उत्पादन

1978. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले के वन में बहुत अधिक खैर के वृक्ष हैं, और यदि हाँ, तो क्या वहां व्यापारियों द्वारा खैर के वृक्षों से प्राकृत एवं अपरिष्कृत रूप से कत्थे का उत्पादन किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार वहां कत्थे का उत्पादन करने हेतु आधुनिक प्रकार का कत्थे का कारखाना खोलने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बहराइच जिले में उत्पादित गन्ने का उपयोग और उक्त जिले में एक चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव

1979. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में बहराइच जिले में गन्ने का उत्पादन हुआ था उसकी सारी खपत जिले में जड़वाल रोड पर स्थित केवल एक गन्ने के कारखाने में हो गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यकता से अधिक बचे गन्ने का उपयोग किस प्रकार किया गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार बहराइच जिले में सहकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल खोलने का है जिससे जिले में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित गन्नों का उपयोग किया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और अभिप्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

29 नवम्बर, 1971 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर हावड़ा, पश्चिम बंगाल में सड़कों पर नालियों की दुर्दशा

1980. **श्री समर मुकर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हावड़ा में सड़कों और नालियों की दुर्दशा और इससे वाहनों तथा पैदल यात्रियों को होने वाली असुविधाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़कों और नालियों की मरम्मत न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सड़कों और नालियों की शीघ्र मरम्मत करने का है जिससे वाहन सुविधापूर्वक चल सकें और पैदल यात्रियों की कठिनाइयाँ भी दूर हो सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ। यह बतलाया गया है कि हावड़ा में सभी प्रमुख सड़कों और नालियों की सम्यकरूप से मरम्मत करने की आवश्यकता है।

(ख) पहले तो पर्याप्त धन उपलब्ध न होने की समस्या थी किन्तु अब पाकुर क्षेत्र से पत्थर आदि सामग्री को ले जाने के लिए वैगनों की अनुपलब्धता तथा रोड रोलरों और सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित अन्य सामग्री का पर्याप्त मात्रा में न दिये जाने से इन कार्यों में विलम्ब हो रहा है। फिर भी, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार के केन्द्रीय क्रय संगठन ने अन्य स्रोतों से सामग्री प्राप्त करने तथा वात्या भूट्टी स्लैग (ब्लास्ट फर्नेस स्लैग), बजरी आदि जैसी एवजी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कारगर कदम उठाये हैं और सड़क-वाहनों द्वारा सामग्री को ले जाये जाने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है।

(ग) जी हां। हावड़ा नगरपालिका में मुख्य सड़कों तथा सम्परक मार्गों की मरम्मत तथा सुधार कार्य के लिए चुना गया है। (1) हावड़ा नगरपालिका (2) सार्वजनिक निर्माण विभाग (3) सार्वजनिक निर्माण (सड़क) विभाग और (4) हावड़ा सुधार प्रन्यास नामक चार क्रियान्वयन एजेन्सियों को मरम्मत कार्य सौंपा गया है। सार्वजनिक निर्माण (सड़क) निदेशालय ने 24.61 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सात्किया से राज मार्ग 6 तक पुराने बनारस रोड में सुधार कार्य करने का काम शुरू कर दिया है। इस काम के मार्च 1973 तक पूरा हो जाने की आशा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 73.79 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से फोरशोन रोड तथा हावड़ा मीरीनाम रोड जी० टी० रोड एवं बेल्लिलियस रोड पर वाली खाल ब्रिज से बोटेनिकल गार्डन तक मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और 1973 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। दस अन्य म्युनिसिपल सड़कों का काम 27.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत से शीघ्र ही शुरु किया जायेगा। इसके अलावा, 20.80 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बाकुल तल्ला शंकरायल रोड, 12.03 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सन्त्रागाची अन्दुल रोड, 2.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राम चरण सेठ रोड तथा राम राजा तल्ला रोड, 1.76 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राम कमल रे रोड तथा 12.26 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कुछ

अन्य म्युनिसिपल सडकों का सुधार कार्य सार्वजनिक निर्माण (सड़क) विभाग द्वारा शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। हावड़ा नगरपालिका को 103.85 लाख रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 140 सड़कों का निर्माण/सुधार कार्य सौंप दिया गया है। हावड़ा सुधार प्रन्यास भी 7.18 लाख रुपये की अनुमानित लागत से म्युनिसिपल सड़कों की मरम्मत एवं उनके सुधार कार्य को शुरू करेगा।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पांडीचेरी में कृषि इंजीनियरिंग वर्कशाप

1981. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडीचेरी में कृषि इंजीनियरिंग वर्कशाप स्थापित की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) सितम्बर, 1972 तक।

(ग) वर्कशाप स्थापित करने में विलम्ब का मुख्य कारण उपयुक्त स्थान के चयन और कब्जे में लेने में विलम्ब होना था। एक उपयुक्त स्थान कब्जे में लिया जा चुका है और लोक निर्माण विभाग विस्तृत योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार कर रहा है और वर्कशाप भवन के निर्माण का कार्य जनवरी, 1972 में शुरू होने की सम्भावना है।

भारतीय खाद्य निगम, विशाशापतनम के डिप्टी मैनेजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1982. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, विशाखापतनम के डिप्टी मैनेजर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार ने उक्त अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। सम्बन्धित अधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया है।

कारखानों के कामों के लिए नेत्रहीनों को प्रशिक्षण

1983. **श्री मुहमद शरीफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कारखानों के कामों के लिए नेत्रहीनों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) **तथा** (ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए नेत्रहीनों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र में निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण किया जा रहा है :-

(1) **औद्योगिक अनुभाग** :-इनमें ये कार्य शामिल हैं :-

(1) पुर्जों को जोड़ना ;

(2) ड्रिलिन्ग ;

(3) शेपिन्ग ;

(4) फ्लाई-प्रेस ओपेरेटिन्ट ;

(5) कैप्सटन लेथे ओपेरेटिन्ग इत्यादि ।

(2) **कुटीर उद्योग अनुभाग**

(1) कपड़ा बुनाई, जिसमें निवाड़ और टेप बनाना भी शामिल है ।

(2) कुर्सियों की बुनाई तथा बांस का काम ।

(3) मोमबती निर्माण ।

(4) नाइलन और प्लास्टिक केन से थैले और पेटियां बनाना ।

(5) ऊन की बुनाई ।

(3) **व्यवसायिक अनुभाग**

(1) भारती ब्रेल ।

(2) स्टेंडर्ड इंगलिश ब्रेल ।

(3) टाइपराइटिन्ट (अंग्रेजी)

(4) टाइपराइटिन्ट (हिन्दी)

देश में फेक्टरी कामों के लिए नेत्रहीनों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा कोई अन्य योजना मंजूर नहीं की गई है ।

द्रुतगामी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की योजना को अस्वीकार करना

1984. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, द्रुतगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों को ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच केन्द्र में की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे योजना के कार्यान्वियन के लिए निर्धारित किए गए मार्गदर्शक-सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। वे, जो मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं थे उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया।

चीनी टेबिल टेनिस टोम टीमको निमंत्रण

1985. **श्री डी० पी० जंदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निकट भविष्य में चीन से एक टेबल टेनिस दल को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) चीन के टेबिल टेनिस दल को आमंत्रित करने का प्रस्ताव भारतीय टेबिल टेनिस संघ के विचाराधीन है।

कीटनाशी औषधियों का उत्पादन

1986. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कीटनाशी औषधियों का उत्पादन उसकी देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : वर्ष 1971-72 के दौरान कृषि उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन की गई विभिन्न कीटनाशी औषधियों की तकनीकी ग्रेड की मांग लगभग 30,000 टन है। चालू वर्ष के दौरान कीटनाशी औषधियों का घरेलू उत्पादन लगभग 30,000 टन है, जबकि स्थापित क्षमता 38,000 टन है। विभिन्न प्रकार की 38 कीटनाशी औषधियों का उत्पादन देश में किया जा रहा है। लेकिन कुछ कीटनाशी औषधियों को, जिनका उत्पादन देश में नहीं होता आयात करना पड़ता है। चालू वर्ष का आयात कार्यक्रम 3,000 से 4,000 टन तक है, जो कि राज्यों की मांग पर निर्भर करेगा और इस उद्देश्य के लिये व्यवस्था की गई है।

आयात किये गये उर्वरकों का जमा हो जाना

1987. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :

श्री एन० के० सिंघी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयातित उर्वरक बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गये हैं जिनका एक वर्ष से अधिक समय से कोई उपयोग नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी मात्रा कितनी है और इसमें कितना धन फंसा पड़ा है ;

(ग) इनका उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार के अपव्यय और धन के फंस जाने को रोकने के लिए भविष्य में किये जाने वाले आयात का उपयोग और इसे युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) (क) **से** (ग) : यह सही नहीं है कि देश में आयातित उर्वरक काफी मात्रा में जमा है । वर्ष 1971-72 के दौरान देश में उर्वरकों की खपत 28 लाख मीटरी टन होने की सभाँवना है जिसमें से लगभग 9 लाख मीटरी टन पोषक तत्व सम्भवतः आयातित उर्वरक होगा जिसका वितरण भारत सरकार के केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा किया जाता है । विशेषकर निम्नलिखित कई कारणों से, देश के विभिन्न भागों में उर्वरक की आवश्यकताओं को पर्याप्तरूप से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि विशेषकर केन्द्रीय उर्वरक भण्डार के पास उर्वरकों का काफी समीकरण भण्डार मौजूद हो :-

(क) मौसम के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग ।

(ख) उर्वरक की खपत तथा किसान की अभिरुचि का परिवर्तनशील प्रतिमान ।

(ग) सहायता, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि और उन उत्पादक देशों में सामग्री की उपलब्धि पर प्रतिबन्ध, जो उर्वरक के आयात में प्रयोग में आती है ।

(घ) अनिवार्यरूप से पोतों के जमाव से जहाजरानी बाजार में उतार-चढ़ाव ।

(ङ) रेल तथा सड़क परिवहन की उपलब्धि में और विशेषत: ढके हुए रेलवे वैगनों की उपलब्धि में कठिनाई जिस कारण बन्दरगाहों पर उर्वरकों का भण्डार करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि बन्दरगाह और आन्तरिक डिपों पर जमाव न होने पाये और शीघ्र माँगे जाने पर दी जा रही सप्लाई में समय तथा फसलें कम हो सकें ।

(च) यह तथ्य है कि केन्द्रीय उर्वरक पूल एक रजिडियूल सप्लायर है और वह केवल आवश्यकताओं और देशीय उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करता है और इस प्रकार विशेषरूप से आपूर्ति तथा मांग में उतार-चढ़ाव के लिए प्रभाव्य हैं ।

2. देश में अर्थात् केन्द्रीय उर्वरक पूल, राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों और विनिर्माताओं और उनके वितरकों के पास उपलब्ध उर्वरकों के कुल भण्डार का प्रत्येक 6 महीने के बाद मूल्यांकन किया जाता है । इसके बाद आयात की आवश्यकताओं का निर्णय किया जाता है । अन्तिम मूल्यांकन से पता चलता है कि 1-10-71 को निम्नलिखित भण्डार मौजूद था :-

(पौषक तत्व लाख मीटरी टनों में)

केन्द्रीय उर्वरक पूल के पास	2.36
राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों निर्माताओं और उनके वितरकों के पास	7.33
	कुल : 9.69

उपरोक्त से यह पता चलता है कि 1-10-71 को देश भर में समस्त एजेन्सियों के पास, जिनमें समस्त पाइप-लाइन तथा समीकरण भण्डार सम्मिलित हैं, देश में हर वर्ष कुल खपत होने

वाले उर्वरक का लगभग 30% भाग था, जो कि उपरोक्त ढंग से किए गए वितरण को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं था।

3. जहां तक एक वर्ष से अधिक पुराने भण्डारों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय उर्वरक पूल में किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि ऐसे उर्वरक की मात्रा इस समय केवल 42,000 मीटरी टन पोषक तत्व है। इसका मूल्य लगभग 4.47 करोड़ है जो कुल खपत का लगभग 1.5% और आयातित उर्वरक की खपत का 4.7% बनता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वितरण के लिए समीकरण भण्डार बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उर्वरक पूल के एक वर्ष से अधिक के पुराने भण्डार की प्रतिशतता बहुत कम है।

4. जहाँ तक विभिन्न राज्य सरकारों और उनकी सम्बन्धित एजेन्सियों के पास रखे एक वर्ष से अधिक पुराने उर्वरक भण्डारों का सम्बन्ध है, ये आंकड़े सामान्यतः भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि राज्य में उर्वरकों का आंतरिक वितरण सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। फिर भी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में की गई पूछताछ पर 16 राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके पास इस प्रकार का कुल भण्डार 50,000 मीटरी टन पोषक तत्व था। अन्य राज्य सरकारें जानकारी नहीं भेज पाई हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि आयातित तथा देशीय उर्वरकों के सम्बन्ध में इस प्रकार के अलग आंकड़े कुछ राज्य सरकारों के पास इस समय तैयार नहीं हैं।

5. इस प्रकार यह पता चलता है कि देश में उर्वरकों का कोई विशेष भण्डार नहीं है। वास्तव में यदि पाइप-लाइन/समीकरण भण्डारों को बहुत कम रखने के अवांछित प्रयत्न किए गए तो देश के कुछ भागों में जहां विभिन्न कारणों से उर्वरक समय पर नहीं पहुंच पाते, उर्वरकों की भारी कमी होने का खतरा बढ़ जाएगा।

(घ) आयात की योजनाएं राज्य की उर्वरक आवश्यकताओं को और देशीय निर्माताओं द्वारा उनको सप्लाई किए जाने की क्षमता को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है। आयात की योजनाएं राज्य सरकारों के परामर्श से देशीय उत्पादन को ध्यान में रखकर मौसम के आने से काफी पहले तैयार की जाती हैं। राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित मूल्य पर कम से कम आयात द्वारा सर्वाधिक वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयात पद्धति को सुधारा गया है।

भवन निर्माण एडवांस देने पर प्रतिबन्ध

1988. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांगला देश से आये शरणार्थियों पर होने वाले व्यय के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से क्या सरकारी कर्मचारियों को भवन-निर्माण के लिए दिए जाने वाले एडवांस पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : जी, नहीं। प्रश्न में उल्लिखित उद्देश्य के लिये मकान निर्माण के लिए अग्रिम देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि मंत्रालयों और विभागाध्यक्षों को यह सलाह दी गई है कि मकान निर्माण

के अग्रिम के लिए कोई भी आवेदन 15-11-1971 के बाद नहीं लिया जायेगा। क्योंकि अब तक प्राप्त हुए आवेदनों के निपटाने में बजट में की गई व्यवस्था के समाप्त होने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में पांडेश्वर से गौर बाजार तक पक्की सड़क का निर्माण

1989. **श्री रोविन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में दुर्गापुर सब डिवीजन के अन्तर्गत वर्ष 1969 में पांडेश्वर से गौर तक पक्की सड़क के निर्माण के लिये थोड़ी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या उक्त सड़क का निर्माण पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सड़क के कब तक पूरा होने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) : पांडेश्वर गौर बाजार मार्ग राज्य मार्ग है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार मुख्यतः इस परियोजना से संबंधित है। भारत सरकार ने 1969 के दौरान इस मार्ग के लिये कोई राशि मंजूर नहीं की है। परन्तु, इस मार्ग का पांडेश्वर से गोमला तक के भाग की राज्य सरकार ने 1963 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से करने के लिये कोल रोड कार्यक्रम में सम्मिलित किया था। भारत सरकार को राज्य मार्गों की सहायता उस कार्यक्रम के भाग के रूप में 50 प्रतिशत सहायता अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के तौर पर करना था। परन्तु 1965 में रेल वैगन की स्थिति सुधर जाने से यह विचार किया गया कि किसी विशेष काल रोड कार्यक्रम को शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य संबंधित राज्यों को इस निर्णय से अवगत कराया गया। संबंधित राज्य सरकार यदि चाहे तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली किसी भी सड़क को अपने सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु कर सकते हैं। वित्तीय कठिनाइयां के कारण पश्चिम बंगाल सरकार प्रश्नगत मार्ग और अन्य समान परियोजनाओं के बारे में आगे नहीं बढ़ पाया है और न भारत सरकार ही इस मामले में कोई सहायता व्यवस्था कर सकी।

पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर सड़क पुल

1990. **श्री रोविन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वर्दबान जिले में एगरा यूनियन बोर्ड के अन्तर्गत बल्लावपुर में दामोदर नदी पर सड़क पुल बनाने की कोई योजना हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : क) से (ग) : पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी पर प्रस्तावित सड़क पुल तैयार हो जाने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा। अतएव पश्चिमी बंगाल सरकार का इस पुल से संबंधित सभी मामलों के साथ मुख्य रूप से संबंध है। राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि वित्तीय कठिनाई के कारण, प्रस्तावित पुल को उसने चतुर्थ योजना अवधि के दौरान किये जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची में शामिल नहीं किया है।

दुर्गापुर कालेज में विज्ञान एकक का खोला जाना

1991. **श्री रोबिन सेन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कालेज का विज्ञान एकक खोलने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 'इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस एकक हेतु उपकरण खरीदने के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी योजना के दौरान राज्यों में सहकारी खेती

1992. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं संबंधी नियतनों में सहकारी खेती के लिए किसी निधि की व्यवस्था नहीं की है;

(ख) क्या जिन राज्यों ने अपनी चौथी योजना के कार्यक्रमों में सहकारी खेती को सम्मिलित किया है उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बहुत कम निधियों की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हाँ।

(ख) कुछ राज्यों ने चौथी योजना में सहकारी खेती कार्यक्रम के लिए केवल थोड़ा सा प्रावधान किया है।

(ग) तीसरी योजना के दौरान तथा 1968-69 तक सहकारी खेती कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना माना जाता था और इस कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकारों को

राज्य योजना परिव्यय से बाहर सहायता प्रदान की जाती थी, चौथी योजना में अब यह कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं है। यह एक कठिन कार्यक्रम है, जिसके लिए सदस्यों में उच्च स्तर का नेतृत्व, साहचर्य तथा सामाजिक जागृति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त बहुत सी राज्य सरकारें उनके अपने संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी मांगों को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं करती रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वियन के संदर्भ में सामूहिक खेती ही राज्य सरकारों के अधिकार में आने वाले भूमि के बड़े खण्डों के वितरण तथा प्रबन्ध की समस्या के लिए एक विवेकपूर्ण हल प्रस्तुत कर सकती है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे सहकारी खेती समितियों को सरकारी भूमि अधिमान्य आधार पर आवंटित करें, चुने हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती समितियों के लिए ठोस कार्यक्रम तैयार करें और इस कार्यक्रम को सहायता देने के लिए अपने बजटों में पर्याप्त प्रावधान भी करें।

राज्यों के आवास-मंत्रियों का सम्मेलन

1993. **श्री० एम कतामुतु : श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के आवास मंत्रियों ने दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए सम्मेलन में आवास के लिये तथा गन्दी बस्तियों के हटाने के लिये निधियों के आवंटन पर अपना असन्तोष व्यक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है:

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन करने का है; और

(घ) उक्त सम्मेलन में और किन समस्याओं पर विचार किया गया तथा क्या क्या निर्णय किये गये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1971 में नई दिल्ली में हुए आवास और नगर विकास मंत्रियों के सम्मेलन में आयोजना की राष्ट्रीय योजनाओं में आवास और नगरीय-विकास को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और इसे मान लिया गया। सम्मेलन ने देश में आवास और नगरीय विकास की गतिविधि में तेजी लाने के लिये अन्य विभिन्न समस्याओं पर भी विचार किया।

(ग) और (घ) : सिफारिशों की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। जहां कहीं आवश्यक है, सिफारिशों पर राज्य-सरकारों आदि के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि की समस्या को हल करने की योजना

1994. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गन्दी बस्तियों की बढ़ती हुई संख्या संबंधी समस्या को हल करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां । गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना इस मंत्रालय द्वारा मई 1956 में प्रारंभ की गई थी ।

(ख) योजना की प्रमुख विशेषताओं का विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1159/71]

Representation by Employees of Department of Social Welfare Regarding Implementation of Second Pay Commission's Report

1995. **Shri Chandra Bhai Mani Tewari :**
Shri B. R. Shukla :
Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Department of Social Welfare are taking action on the representation made by a large number of employees of the Social Welfare Board to resolve certain anomalies pointed out therein ;

(b) Whether there was any difficulty in taking action according to the Second Pay Commission's Report ; and

(c) The steps. Government now propose to take to remove the anomalies ?

Minister of State in the Ministry of Education & Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) : No representation was made by the employees of the Central Social Welfare Board. However, a representation from the staff of the Social Welfare & Rehabilitation Directorate was recently received and examined. This representation seeks to suggest (A) that the pay scales made applicable are not the ones recommended by the Pay Commission, and

(B) that the lowest pay scales out of those recommended by the Pay Commission have been prescribed. In the light of the recommendations made by the Second Pay Commission, and in terms of the Central Civil Services (Revised Pay) Sixth Amendment Rules, 1970, the pay of the Central Government Staff in general including those employed in the Social Welfare and Rehabilitation Directorate was revised. There has been no enomalies in the revised pay scales ; but on the contrary the revised scales are higher as compared to those prevalent before issue of these rules. In effect the representation from the staff is to obtain scales of pay as determined to be applicable to officials of similar rank employed in other offices departments etc. A similar representation previously made has already been remitted to the Third Pay Commission.

राष्ट्रीय अभिलेखागार में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की शिकायतें

1996. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार में लिपिक संवर्ग के कर्मचारी गत बारह से पन्द्रह वर्षों

से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं और वर्तमान स्थिति के अनुसार वे उन्हीं पदों पर सेवा निवृत हो जायेगे ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों के समर्थन में प्रशासन को कई बार अभ्यावेदन दिये

(ग, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या गैर-अनुसचिवीय वर्ग में लगभग 100 नये पद बनाये गये हैं और अनुसचिवीय वर्ग में कोई भी नया पद नहीं बनाया गया है जिस के परिणामस्वरूप नये पदों के बनाये जाने के कारण प्रशासन पर कार्य भार अधिक हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुपातिक आधार पर प्रशासनिक वर्ग में भी नये पद बनाने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) यह सच है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिपिक संवर्ग में काफी संख्या में कर्मचारी कितने ही वर्षों से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं तथा आगे उनकी प्रोन्नति की संभावनाएं बहुत कम हैं। अधिकांशता इसका करण यह है कि जिन उच्च पदों के लिए वे प्रोन्नति के पात्र हैं, उनकी संख्या सीमित है। इस अकेले कार्यालय में ही यह विचित्र स्थिति नहीं है बल्कि यही स्थिति भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में भी व्याप्त है।

(ख) लिपिक स्टाफ ने कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं जिन में अन्य मांगों के साथ २ यह भी मांग की गई है कि अवर श्रेणी लिपकों तथा उच्च श्रेणी लिपकों के पदों को क्रमशः उच्च श्रेणी लिपको तथा सहायकों में पदोन्नत कर दिया जाय जिसे से वे कुछ तकनीकी पक्ष के पदों पर पदोन्नति के पात्र बन जाएं तथा योजनागत योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति के फलस्वरुप बड़े हुए लिपिक कार्य को संभालने हेतु विभिन्न ग्रेडों में लिपिक वर्ग कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए ।

(ग) स्टाफ की यह प्रार्थना कि उन्हें तकनीकी पदों से संबधित पदोन्नति के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाय, स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं के बिना वे तकनीकी पदों से संबधित कार्यों को करने हेतु मात्र पदों को प्रोन्नत करने की मांग को स्वीकार करना भी संभव नहीं है। फिर भी, विभिन्न योजनागत योजनाओं के अधीन विभाग की बढ़ी हुई गतिविधियों के संबंध में आवश्यक उच्च ग्रेड में अतिरिक्त लिपिक पदों के सृजन के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(घ) और (ङ) विभाग की योजनागत योजनाओं के कार्यान्वियन के संबंध में गैर लिपिक वर्गीय 61, लिपिक वर्गीय 22 तथा चतुर्थ श्रणी के 2 पद हाल ही में संस्वीकृत किए गए हैं। उपरोक्त अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरुप अतिरिक्त अनुरक्षण कार्य को करने हेतु प्रशासन पक्ष में अतिरिक्त लिपिक पदों के सृजन का प्रश्न विचाराधीन है।

सुपर बाजार को होने वाली दैनिक हानि

1997. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार को प्रति दिन औसतन 8,000 रुपये की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो हाल ही में मंजूर की गई 65 लाख रुपये की राशि सहित उदारतापूर्वक अनुदानों और ऋणों के रूप में सुपर बाजार में लगाई गई इतनी बड़ी राशियों को बचाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के सुपर बाजार को वित्तीय सहायता इस स्पष्ट शर्त पर की गई थी कि वह मितव्ययिता के उपायों, जिनमें स्थापना खर्च में कमी करना, परिचालन तथा लेखाविधि की कार्यविधियों को सरल तथा कारगर बनाना, बिक्री बढ़ाने के लिए जोरदार उपाय करना और जगह के अनुकूलतम उपयोग, विज्ञापनों तथा अन्य अनेक स्रोतों से आय में वृद्धि करना शामिल है, को अपनाए । इसके अलावा, उसकी उपविधियों के अधीन, भारत सरकार को उनकी प्रबन्ध समिति के 15 सदस्यों में से 9 को मनोनीत करने का अधिकार है और उसके पर्यवेक्षी तथा अन्य मुख्य कार्मिकों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार के अनुमोदन से की जानी होती है, जिसको सुपर बाजार द्वारा तिमाही प्रबन्ध प्रगति प्रतिवेदन भी भेजे जाने होते हैं ।

सरकारी मकानों के किराये का पंचवर्षीय पुनरीक्षण

1998. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मकानों के किराये का पिछला पंचवर्षीय पुनरीक्षण कब किया गया था;

(ख) क्या यह पुनरीक्षण एक वर्ष पहले ही कर लिया गया था और मकानों के किराये की वसूली पुनरीक्षित दरों के अनुसार ही आरम्भ कर दी गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस गलती का पता कब चला; और

(घ) क्या यह अनियमित वसूली सम्बद्ध व्यक्तियों को वापिस कर दी गई है और यदि नहीं, तो कितनी मामलों में यह राशि अभी वापिस की जानी है और इतने विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सभी व्यक्तियों की उक्त राशि वापिस करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) दिल्ली में II से VIII के सरकारी मकानों के लिए लाइसेंस फीस का पिछला पंचवर्षीय पुनरीक्षण मार्च, 1970 में किया गया था और उसे, 1 अप्रैल, 1970 से लागू किया गया ।

(ख) और (ग) : टाइप II से IV के तथा टाइप V से VII के सरकारी मकानों के लिए लाइसेंस फीस के पंचवर्षीय पुनरीक्षण के प्रश्न पर 1968 के अन्त में कार्रवाई आरम्भ की गई थी। जबकि टाइप II से IV के रिहायशी वासों के मामले के सम्बन्ध में इसे अन्तिमरूप दे दिया गया और पुनरीक्षण दरों को 1 मार्च, 1969 से लागू कर दिया गया था, टाइप V से VII के रिहायशी वासों की दरों के पुनरीक्षण के मामले को केवल फरवरी, 1970 में अन्तिम रूप दिया जा सका और दरें 1 अप्रैल, 1970 से लागू की गई। पुनर्विचार करने पर यह निर्णय किया गया कि टाइप II से IV के रिहायशी वासों के सम्बन्ध में भी दरों को 1 अप्रैल, 1970 से लागू किया जाए, तथा तदनुसार पहले आदेशों को संशोधित कर दिया गया।

(घ) टाइप II से टाइप IV के रिहायशी वासों के उन मामलों में पूर्व आदेशों के आधार पर की गई अधिक वसूलियों को वापिस कर दिया गया है जिनमें अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि हमारे किराये के कार्डों का पुनरीक्षण करना था और शेष मामलों में जहाँ आवश्यक है, अदायगियों और समायोजन से सम्बन्धित कार्य को किया जा रहा है तथा उसके अगले कुछ मास में समाप्त होने की आशा है।

खाद्य की वसूली में बिचोलियों को हटाने की योजना

1999. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना है जिसके अनुसार खाद्य की वसूली में बिचौलियों को हटाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : सरकार की नीति खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्य में बिचौलियों के हटाने की है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य की अधिप्राप्ति एजेन्सियों को परामर्श दिया गया है कि वे यथा सम्भव अधिक से अधिक सहकारी समितियों की सेवाओं का प्रयोग करें। इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। अधिप्राप्ति एजेन्सियाँ भी सीधे खरीद केन्द्र खोल रही हैं जहां पर सीध किसानों से अनाज खरीदा जाता है।

निजी साहूकारों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने के लिये उपाय

2000. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे निजी साहूकारों के विरुद्ध कौन से दण्डात्मक उपाय किये जा रहे हैं जो कानूनी तौर पर निश्चित अधिकतम दर से कहीं अधिक दर पर ब्याज लेते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : राज्यों द्वारा पैसा उधार देने को विनियमित करने के लिये बनाये कानूनों में दण्ड उपबन्धों की व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। देनदार द्वारा लेनदार के विरुद्ध मुकदमा चलाने, जुर्माना कराने या सजा दिलवाने या इन दोनों के लिये कानूनी कार्यवाही करने की इन अधिनियमों में दण्ड

सम्बन्धी सामान्य उपबन्धों की मनाही है । राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन उपबन्धों को लागू करेंगे ।

सफेद गुड़ का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना

2001. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री जे० बी० पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफेद गुड़ विषाक्त है और स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है, जैसे कि 1 नवम्बर, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक गन्ना विशेषज्ञ ने विचार व्यक्त किये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या रहा और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) वह गुड़ जिसमें विरंजक तत्व के रूप में प्रयुक्त होने वाला सल्फर डाइ आक्साइड खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली में विहित सीमा से अधिक मिला हुआ हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार आदमी बिना हानि के प्रतिदिन अधिक प्रति कि० ग्रा० शरीर भार 0.35 कि० ग्रा० तक सल्फर डाइ आक्साइड खा सकता है ।

सूरजमुखी की खेती को लोकप्रिय बनाना

2002. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरजमुखी फूल की वैज्ञानिक ढंग से खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इस फूल की खेती करने के लिये प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सूर्यमुखी की कृषि को वैज्ञानिक के आधार पर लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1971-72 की अवधि में निम्नलिखित 12 राज्यों में 900 हैक्टार क्षेत्र में सूर्यमुखी के विषय में प्रदर्शन आयोजित करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना संस्वीकृत की है :—

1. आन्ध्र प्रदेश

2. गुजरात
3. हरियाणा
4. जम्मू तथा कश्मीर
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. मैसूर
8. उड़ीसा
9. राजस्थान
10. पंजाब
11. तमिलनाडु
12. उत्तर प्रदेश

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आदानों की लागत के रूप में 300 रुपये प्रति हैक्टार का उपदान प्रदान किया गया है। अत: 1971-72 की अवधि में योजना पर 2,70,000 रुपये की लागत आने का अनुमान है।

इस योजना का उद्देश्य समस्त पैकेज प्रणालियों को अपनाते हुए सूर्यमुखी की विदेशी, अल्पावधि तथा अधिक उत्पादनशील किस्मों के मिश्रित प्रदर्शनों को आयोजित करना है, जिससे कि समुचित फसल चक्रों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर सूर्यमूखी की कृषि को लोकप्रिय बनाकर कृषकों को तकनीकी दृष्टि से इतना बनाया जा सके कि वे सूर्यमुखी फसलों के विकास द्वारा उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिये कैश कार्यक्रम लागू कर सकें।

सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की भण्डारक्षमता तथा इस क्षमता को बढ़ाने की मांग

2003. **श्री निहाल लास्कर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1971 को सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की भण्डारक्षमता कितनी थी;

(ख) वर्ष 1971 के अन्त में यह क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इस भण्डार क्षमता में वृद्धि की मांग को चालू वर्ष के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भण्डागार निगम के पास 1-11-71 को 13.9 लाख मी० टन भण्डारण क्षमता के भाण्डागार थे।

(ख) केन्द्रीय खाद्य निगम के पास 1971 के अन्त में 14 लाख मी० टन भण्डारण क्षमता हो जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) : वर्ष के अन्त में भण्डारण क्षमता और वास्तविक आवश्यकता में कुछ कमी हो सकती है। भण्डारण क्षमता की मांग वृद्धि पर है और इस मांग को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारें और सहकारी समितियां अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं की व्याख्या के लिए प्रयत्नशील है ताकि चालू वर्ष के अन्त में भण्डारण की माँग को काफी हद तक पूरा किया जा सके।

परिवार योजना के प्रशिक्षण के लिये जिला मजिस्ट्रेट

2004. **श्री हरिसिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अमरीका में परिवार नियोजन के प्रशिक्षण के लिये कुछ जिला मजिस्ट्रेटों को चुना है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम, शैक्षणिक अर्हतायें और परिवार नियोजन का अनुभव क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) गवर्नमेन्टल अफेयर्स इन्स्टीट्यूट, वाशिंगटन, द्वारा आयोजित नियोजन और जनसंख्या प्रबन्ध परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सेमिनार वर्कशाप में भाग लेने के लिये एक जिलाधीश चुना गया था।

(ख) श्री एस० कृष्ण कुमार, कलक्टर, एर्नाकुलम भारती प्रशासनिक सेवा के सदस्य।

अर्हताएं : बी० एस० सी० इन्जीनियरिंग (आनर्स)

अनुभव : सब कलक्टर और बाद में जिला कलक्टर के रूप में, श्री कृष्ण कुमार को परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित जिले के अन्दर की सभी विकास योजनाओं के कार्य का अनुभव है। इसके अतिरिक्त एर्नाकुलम के कलक्टर के रूप में सेवा करते हुए श्री कृष्ण कुमार ने एर्नाकुलम में दो बड़े परिवार नियोजन शिविरों का भी आयोजन किया था जिसके फलस्वरूप कुल करीब 80,000 नसबन्दियां की गई थी।

महामारी नियंत्रण सेवा के लिये पंचायत समिति उपकर और कृषिक और राजकोषीय प्रशासन का विनियमन

2005. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कृषि और पशु पालन के वाणिज्यीकरण से महामारियों का मुकाबला करने के लिये राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों पर बहुत भार पड़ेगा क्योंकि उसके लिये सामुहिक व्यय और कार्यवाही जरूरी होती है;

(ख) क्या नई दिल्ली में सितम्बर, 1971 में हुई भारत की भविष्य में कृषि विषयक गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया था कि पंचायत समिति उपकार का समुचित समायोजन किया जाये जिससे महामारी नियंत्रण सेवा की व्यवस्था की जा सके और कृषक और राजकोषीय प्रशासन का विनियमन हो सके; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्तमान परिस्थितियों में पशुपालन विषयक गतिविधियों को तेज करने के लिये पशुधन स्वास्थय की रक्षा हेतु किये गये उपायों पर पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन उपायों में महामारियों को फैलने से रोकने और महामारियों के फैलने पर उनके नियंत्रण के उपाय शामिल हैं। राज्य महामारियों के नियंत्रण के लिये पशुचिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था का व्यय वहन करता है।

(ख) हमें ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मानव जाति तथा वन्य जीवों को हानि से बचाने के लिये कीटनाशी दवाओं का उपयोग

2006. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव जाति, खाद्य फसलों तथा वन्य जीवों को हानि से बचाने के लिये देश में कीटनाशी दवाओं के सुनियोजित उपयोग में वृद्धि करने की आवश्यकता को अनुभव कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में वृहत् कानून बनाया गया है और सन् 1968 में कीटनाशी अधिनियम पास किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत नियम बनाये गये हैं और नियमों सहित यह अधिनियम 1 अगस्त, 1971 से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में कीटनाशी तथा कृमिनाशी आदि के प्रयोग में किये जाने वाले रासायनिकों की अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है और पंजीकरण की अनुमति देने से पहले रासायनिकों के प्रयोग का प्रभाव तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में पूर्णतया जांच के लिये एक पंजीकरण समिति स्थापित की गई है। अधिनियम तथा नियमों में विनिर्माण, परिवहन, भंडारण, विक्रय, लेबल लगाने, पेकिंग करने तथा इनके उपयोग से पशु एवं मानव जाति की हानि को कम करने के विनियमन हेतु भी व्यवस्था है

अधिनियम में पूंजीकृत कीटनाशी औषधि के खतरनाक साबित होने पर पूंजीकरण को रदद करने की व्यवस्था है। अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार को सब मामलों में सलाह देने के लिये स्वास्थ्य सेवा महा निर्देशक की अध्यक्षता में एक कीटनाशी बोर्ड स्थापित किया गया है अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान केवल हाल ही में प्रवृत्त किये गये हैं और आशा की जाती हैं कि इनके वृहत् प्रावधान, कीटनाशी औषधियों के उपयोग से पशु एवं मानव जाति की हानि के सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।

Development of Horticulture in Bihar

2007. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the work regarding the development of horticulture in Bihar is lagging behind;

(b) if so, whether the State Government have demanded any kind of Central assistancly or assistance from the Horticulture council to make up the shortcoming; and

(c) if so, the nature thereof and the reaction of Government thereto ?

he Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) : The material is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

दिल्ली में यमुना पार वाले क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के साइकिल रिकशाओं का चलाया जाना

2008. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार वाले क्षेत्रों में 2,000 से भी अधिक साइकिल रिक्शा बिना लाइसेंस चलायी जाती हैं।

(ख) क्या इन रिक्शा चालकों को कोई वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के समक्ष कोई उपयुक्त और तत्कालीन योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिक्शाओं को लाइसेंस क्यों नहीं दिये जा रहे है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० बिस्क) : (क) दिल्ली के यमुना पार वाले क्षेत्र में इस समय बिना लाइसेन्स के कितने रिक्शा चल रहे हैं, यह मालूम नहीं है। दिल्ली नगर निगम द्वारा 1957 में की गई गणना के अनुसार उस समय ऐसे साईकिल रिक्शाओं की संख्या 928 थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1967 में दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई गणना के समय जो साईकिल रिक्शा चल रहे थे, उन्हें चलाने के लाइसेन्स देने का प्रश्न विचाराधीन है।

अधिक ट्रैफिक के कारण यमुना पर दूसरे पुल का निर्माण

2009. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मुख्य यमुना पुल (पुराना) पर भीड़ के कारण ट्रैफिक जबरदस्त होता है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को काफी असुविधा होती है; और

(ख) क्या सरकार यमुना पर दूसरा पुल बनाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही है, यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या है और उन्हें कब लागू किया जायेगा ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । यमुना नदी पर निम्नलिखित पुल बनाने के प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

(1) शांन्तिवन के निकट पुल, तथा

(2) मौजूदारेल एवं रोड पुल और वजीराबाद बराज पुल के बीच एक पुल ।

इन प्रस्तावों का कार्यान्वियन कुछ और पूरे किये जाने वाले अध्ययन जांचों के परिणाम पर आधारित है । चूंकि इस में कुछ समय लग जाने की संभावना है, अतएव फिलहाल ठीक-२ उस समय के बारे में बताना संभव नहीं है जब इन पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जायेगा ।

नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतें

2011. **श्री एच० के० एल० भगत : श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) ऐसे बहु-मंजिलें भवनों का, जिनकी आवश्यक मंजूरी पहले ही ली जा चुकी है, निर्माण कार्य नहीं रोका गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यावहारिक पौषाहार कार्य-क्रम के बारे में नई दिल्ली में मार्च, 1970 में आयोजित हुई अखिल भारतीय विचार गोष्ठ में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

* 2012. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के बारे में नई दिल्ली में मार्च, 1970 में आयोजित हुई विचार गोष्ठी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मुख्य सिफारिशों की क्रियान्विति से क्या क्या लाभ प्राप्त हुई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां

(ख ये सिफारिशें राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, जो मुख्यत: इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते है, और साथ ही यूनीसफ तथा अन्य सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के ध्यान में लायी गई हैं।

(ग) इन सिफारिशों से व्यावहारिक पौषाहार कार्यक्रम को अधिक अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जा सका है।

चीनी जांच आयोग की सदस्यता से त्याग-पत्र

2013. **श्री हरि किशोर सिंह :** **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने चीनी जांच आयोग की अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां, उनके त्याग पत्र को उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य का चुनाव न हो पाने के कारण अभी मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) आयोग के कार्य के लिए अपेक्षित समय न दे पाने के कारण।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार की समस्या पर गोष्ठी

2014. **श्री हरि किशोर सिंह**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार की समस्या पर एक गोष्टी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में कितने सहकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनके नाम क्या है,

(ग) इस गोष्ठी में हुई चर्चाओं का स्वरूप क्या है, और

(घ) इर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों

तथा कोचिंग-एवं-मार्गदर्शन की रोजगार उन्मुखी योजनाओं में एक विचारगोष्ठी-एवं-वर्कशाप 22 से 24 सितम्बर, 1971 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) भाग लेने वालों की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1160/71]

(ग) और (घ) विचार गोष्ठी-एवं-वर्कशाप ने परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों और कोचिंग-एवं-निर्देशन केन्द्रों की योजनाओं के कार्य का पुनर्विलोकन किया था। विचारगोष्ठी-एवं-वर्कशाप ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि प्रशिक्षण के तरीकों को व्यवसायिक बनाया जाए तथा प्रशिक्षणार्थियों इत्यादि की अन्तः शक्तियों का निश्चय करने के लिए अभिरुचि परीक्षण किए जाएं। अनुरूप केन्द्रीय और राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए एक मिले जुले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, विशेषतया जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सिफारिश की गई थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि विभिन्न क्षेत्रों में काम के अवसरों को खोलने को ध्यान में रखते हुए और कोचिंग-एवं-मार्गदर्शन केन्द्र खोले जाएं। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विश्वायतन योगाश्रम द्वारा दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना

2015. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विश्वयतन योगाश्रम' ने दिल्ली में एक ऐसा अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया था जहाँ यौगिक व्यायाम के द्वारा चिरकालिक बीमारियों का इलाज हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित अस्पताल स्थापित किया जा चुका है; और

(ग) क्या सरकार ने उसके लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर की है और यदि हां, तो कितनी और किन शर्तों पर ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, फरवरी, 1971 में।

(ग) अस्पताल की स्थापना के लिए कोई सहायता नहीं दी गई हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा गणित एक स्वायत अनुसन्धान संगठन 'भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंन्धान की केन्द्रीय परिषद ने 'विश्वायतन योगाश्रम' नई दिल्ली, को चुने हुए जीर्णरोगों के सम्बन्ध में, योग चिकित्सीय पहलुओ पर अनुसन्धान करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :

1969-70	30,000 रुपये
1970-71	1,89,875 रुपये
1971-72	1,10,000 रुपये

इसमें 25 अनुसन्धान पलंगों के वार्षिक व्यय की पूर्ति के लिये 16 जनवरी, 1971 से

75,000 आये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता भी शामिल है ।

कीटनाशक डी० डी० टी की प्रभाव शीलता

2016. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संघीय गणतंत्र जर्मन द्वारा हाल ही में जारी किए गए उस आदेश की ओर आकिषत किया गया है जिसमें उस देश ने कृषि में कीटनाशक डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रतिवेदन के अनुसार निरन्तर बढ़ती हुई कीटों की संख्या पर सामान्यत: प्रयुक्त की जाने वाली कीटनाशक दवाएं निरापद सिद्ध हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के मुक्य निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत में प्रयोग की जाने वाली डी०डी०टी० दवा की प्रभावशीलता की जांच है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां । संघीय गणतन्त्र जर्मनी ने डी० डी० टी के प्रयोग पर 1974 तक आम प्रतिबन्ध लगाया है किन्तु वन में भृगों के 'डिप ट्रिटमेंट और छोटी तितलियों पर छिड़काव करने के मामले में इसके प्रयोग की छूट की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जबकि 1962 में चिकित्सा और पशु चिकित्सा महत्व के 81 कीटाणु विभिन्न कीटनाशकों के संबंध में प्रतिरोधी होना बतलाया गया, इस समय इन मिश्रणों के प्रतिरोधी कीटाणुओं की संख्या 100 से भी अधिक तक पहुंच गई है :

(घ) जी हां ।

(ङ) भारत में डी० डी० टी० का उपयोग मुख्यत: राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में किया जाता है । जिन 100,029 यूनिट क्षेत्रों में जहाँ कीटनाशक छिड़काव किया जाता है वहाँ अभी भी 94,379 यूनिट क्षेत्रों में डी० डी० टी प्रभावकारी है जिन यूनिट क्षेत्रों में यह प्रभावकारी नहीं है वहाँ वैकल्पिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है ।

चौथी योजना में दूध और दूध उत्पादों की मांग और उत्पादन

2017. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में संगठित क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में दूध और दूध उत्पादों की मांग इस समय कितनी हैं,

(ग) चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में प्रत्येक राज्य में दूध और दूध उत्पादों की कितनी २ मांग होने का अनुमान है; और

(घ) यह अनुमित मांग किस प्रकार पूरी करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगा ।

दुर्गापुर राज्य परिवहन में हड़ताल

2018. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर राज्य परिवहन के गेरेज विभाग में काम करने वाले हैल्पर्स ने अपनी शिकायतों के समर्थन में सितम्बर, 1971 में वर्क-टू-रूल हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वहां के श्रमिकों की मुख्य मागें क्या हैं; और

(घ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : दुर्गापुर राज्य परिवहन के गैरेज विभाग में कार्य कर रहे हैल्पर्स ने सितम्बर, 1971 में नियमानुसार कार्य हड़ताल की । उनकी मुख्य मागें निम्न प्रकार हैं :

(1) 100 रुपये तक वेतन पाने वाले गैरज स्टाफ के लिये अधिक वेतन,

(2) सभी स्टाफ के लिये रिहायशी मकान,

(3) बोनस या उसके बदले अनुग्रह पूर्वक अदायगी, तथा

(4) चिकित्सा सुविधाएं, क्योंकि दुर्गापुर में कोई सरकारी हस्पताल नहीं है ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये हैं :-

(1) दुर्गापुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों के वेतन मानों में, राज्य सरकार के कर्मचारियों की लागू वेतन मानों के तदनुरूप 1-4-1970 भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया है ।

(2) उपक्रम के स्टाफ के लिये 66 फ्लेट निर्माणाधीन हैं । क्या यहा और फ्लेट बनाने का कार्यक्रम है ।

(3) बोनस की बजाय अनुग्रहपूर्वक अदायगी का प्रश्न विचाराधीन है ।

(4) दुर्गापुर में सरकारी हस्पताल निर्माणाधीन है । इस समय रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में दो बिस्तरे सुरक्षित हैं तथा 6 कर्मचारियों की चिकित्सा की वंकुश सरकारी हस्पताल में व्यवस्था है । दुर्गापुर राज्य परिवहन के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होने के नाते चिकित्सा भत्ता, जो अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों को अनुमत्य है, प्राप्त कर रहे हैं ।

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये फसल के पैटर्न के सम्बन्ध में विकास

2019. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों से यह कहा है कि वे फसल के पैटर्न को इस तरीके से बनाए जिससे क्षेत्रीय असमानतायें दूर हो सकें;

(ख) यदि हां, तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों के कितने सुझावों को अब तक क्रियान्वित किया है ?

कृषि मंत्रालय में राजमन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) कृषि वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपयुक्त फसल प्रतिमान विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे विकास की असमानतायें समाप्त की जा सकें ।

(क) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1161/71**] **भूमिहीन श्रमिकों की जनगणना**

2020. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री पी० एम० मेहता ;

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना सम्बन्धी अस्थायी प्रतिवेदन के अनुसार भारत में भूमि सुधार के प्रचार के बावजूद भी भूमिहीन श्रमिकों में भूमि प्राप्त करने के लिये आकांक्षा बढ़ती जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अब भी बहुत अधिक है और पिछले दस वर्षों से यह संख्या बढ़ती जा रही है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) क्या वर्ष 1971 की जनगणना सम्बन्धी अस्थायी रिपोर्ट में भारत में भूमिहीनों की संख्या नहीं दी गई है, प्रत्युत इसमें कृषि श्रमिकों की संख्या दी गई है और इस संख्या में भूमिहीनों तथा उनकी संख्या भी शामिल है जिनके पास स्वामित्व या पट्टे पर खेती करने के लिए कुछ भूमि है परन्तु उनका मुख्य धन्धा कृषि-श्रमिक है। किन्तु, सरकार भूमिहीन कृषि कार्यकर्ताओं की समस्या से अवगत है और उनकी समाजार्थि स्थितियों को सुगम करने में दिलचस्पी रखती है ।

(ख) जैसा कि ऊपर कहा गया है गणना के आंकड़े कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित हैं, न कि

भूमिहीन श्रमिकों से। अतः 1971 की जनगणना की रिपोर्ट में दी गई कृषि श्रमिकों की संख्या की 1961 की जनगणना से पूर्णतया तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों जनगणनाओं में अपनाई गई कार्यकर्ता की परिभाषायें भिन्न थीं।

(ग) जैसाकि चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है जहां राज्य सरकारों के पास कृष्य पड़ती भूमि है या फालतू कृषि भूमि कब्जे में आ गई है, वहां भूमिहीन कृषि श्रमिकों सहित आवंटियों को अपनी भूमि के सुधार के लिए क्रमानुसार भूमि के पुनर्वितरण तथा पुनर्वास और ऋण तथा अन्य सुविधायें देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। अधिक उत्पादनशील किस्मों, सघन कृषि और बहु-फसलीय उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाने की सुविधा करके काश्तकारी सुधार उपायों से कृषि श्रमिकों को रोजगार के और अधिक अवसर मिलेंगे। पट्टेदारों और फसल-भागियों के पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने से एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव यह पड़ता है कि इससे सीमित अवसरों के लिए प्रतियोगी भूमिहीन कृषि कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने से रुक जाती है। इन उपायों तथा ग्रामीण निर्माण के विशिष्ट कार्यक्रमों से तथा एक ओर न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ गैर-फार्म रोजगार के अवसरों के सृजन से सामान्य अर्थ विकास द्वारा कृषि कार्यकर्ताओं की दशा सुधारने की सम्भावना है।

श्रीनगर में सितम्बर, 1971 में हुई इंडियन रोड्स कांग्रेस की गोष्ठी में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में दिये गये प्रस्ताव

2021. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में सितम्बर, 1971 में इण्डियन रोडज् कांग्रेस की गोष्ठी में हुई थी,

(ख) यदि हाँ, तो सड़कों के विकास के सम्बन्ध में क्या-क्या सुझाव दिये गये, और

(ग) इन सुझावों से सरकार कहां तक सहमत हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : संभवतया माननीय सदस्यों के विचार में 31 अगस्त से 4 सितम्बर, 1971 तक श्रीनगर में इंडियन रोड्स कांग्रेस द्वारा संगठित मौजूदा सड़क पटरियों की सशक्त करने के सम्बन्ध में हुई विचार गोष्ठी है। ज्ञात हुआ है कि इंडियन रोड्स कांग्रेस की कार्य समिति सर्वप्रथम इस विचार गोष्ठी की सिफारिशों की जाँच करेगी और तत्पश्चात् जहां कहीं उक्त कांग्रेस आवश्यक समझेगी उन अन्य सुझावों को भारत सरकार के पास विचारार्थ भेज देगी जो कि कार्य समिति इस विषय में देना चाहेगी। इंडियन रोड्स कांग्रेस से अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

फार्मेसी अधिनियम का लागू किया जाना

2022. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य फार्मेसी अधिनियम को अब तक लागू नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में फार्मेसी अधिनियम के उपबन्ध लागू किये गये हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने अब तक उक्त अधिनियम को लागू नहीं किया है; और

(घ) यह देखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उन राज्यों में उक्त अधिनियम को तुरन्त लागू किया जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अभिय कुमार किस्क) : (क), (ख) और (ग) : असम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 के सभी उपबन्धों को लागू कर दिया है । राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू किये जाने के बारे में सूचना का एक विस्तृत विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1162/71]**

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना राज्य सरकारों का काम है । उनसे ऐसा करने के लिये अनुरोध किया जायेगा ।

खारे पानी और क्षारीय पानी की समस्या से ग्रस्त भूमि के विकास के लिये राजस्थान को केन्द्र द्वारा सहायता

2023. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 10 लाख हेक्टेयर भूमि पिछले हाल ही में खारे पानी और क्षारीय पानी की समस्या से प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप वहां किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त भूमि को शीघ्र से शीघ्र कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या केन्द्र ने राज्य सरकार को वहां की उक्त भूमि विकास के लिये उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये कोई विशेष सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान में खारे और क्षारीय पानी की भूमि के विकास के निम्नलिखित कारण हैं :--

(1) निम्नस्थ क्षेत्रों में जलाक्रान्त के कारण मिट्टी में खारापन तथा क्षारीयता आ जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन-योग्य भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है ।

(2) किसानों द्वारा सिंचाई के जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल-स्तर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप सतह पर लवण जमा हो जाता है ।

(3) सिंचाई के लिये कुंओं से खारे पानी का उपयोग ।

राजस्थान सरकार खारे और क्षारीय पानी से ग्रस्त भूमि का पता लगाने तथा राज्य में

इसकी तीव्रता को जानने के लिये क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर रही है। ऐसी भूमि के सुधार हेतु उपयुक्त विधियों का पता लगाने के लिये विभिन्न प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है, क्योंकि खारे तथा क्षारीय पानी से ग्रस्त भूमि का सुधार कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2024. **श्रीराम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में कई वर्षों से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के होते हुये भी 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु वाले अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।

(ख) यदि हां ती इसके कारणों का पता लगाने के लिए क्या कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां तो दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस नुरुल हसन) : (क), (ख) और (ग) ; अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रसाशन तथा स्थानीय प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण कोरिया से मालवाहक जहाजों, टेंकरों मछली पकड़ने की नावों आदि का आयात

2025. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या माल वाहक जहाजों, टेंकरों, मछली पकड़ने की नावों आदि का लम्बी अवधि के कार्यक्रम के अधीन आयात करने के लिये (दक्षिण) कोरिया गणराज्य की सरकार से हाल ही में बातचीत हुई थी,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या हुई बातचीत के फलस्वरूप कोई करार किया गया है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) स्थीरापोत, तेल वाहक पोत, आल पोत के आयात के लिये हाल ही में दक्षिण कोरिया की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई।

(ख) और (ग) ? प्रश्न नहीं उठते।

विद्यार्थियों द्वारा गड़बड़ी के कारण विश्वविद्यालयों का बन्द होना

2026. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी के कारण बन्द हुए विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने हिन्सा के कारणों का अध्ययन अथवा उनकी जाँच की है जिसके फलस्वरूप ये विश्वविद्यालय बन्द करने पड़े, और

(ग) विश्वविद्यालयों की हिंसा से मुक्त रखने और उनका शैक्षणिक अनुशासन और स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जांच नहीं की है । फिर भी, छात्रों के गड़बड़ के कारणों की जांच समय समय पर बहुत से प्रधिकारियों तथा समितियों द्वारा की गयी है और विचारार्थ और कार्यान्वियन हेतु उनको सिफारिशें राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को भेजी जा चुकी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन सिफारिशों के कार्यान्वन हेंतु विश्वविद्यालयों को सहायता के लिए पर्याप्त कोशिश कर रहा है । विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर गजेन्द्र गड़कर समिति की रिपोर्ट को इन विषयों पर हाल ही में प्रस्तुत कर दिया गया है । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यकम द्वारा कृषि क्रान्ति का मूल्यांकन

2027. **श्री सी० चित्तिबाबू** : **श्री राजदेव सिंह** :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कृषि क्रान्ति के सामाजिक और आर्थिक महत्व का मूल्यांकन करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्या मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(1) हरित क्रान्ति से सम्बन्धित समाजार्थिक परिवर्तनों से सम्बद्ध भाग लेने वाले देशों में उपलब्ध जानकारी का पुनरीक्षण ।

(2) खाद्यान्नों की नई किस्मों के बड़े पैमाने पर प्रयोग से सम्बन्धित परिवर्तनों का क्षेत्र अध्ययन, क्षेत्र रिपोर्ट का विश्लेषण तथा संकलन और समस्त रिपोर्ट का लिखना ।

(3) प्रथम दो अवस्थाओं में पता चलने वाली समस्याओं को हल करने वाली राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा क्रियान्विति के लिये सिफारिश तैयार करना ।

(4) परियोजना द्वारा पता लगने वाली सामाजिक समस्याओं को हल करने से सम्बन्ध विशेष समस्याओं में लगी सरकारों के लिये परामर्श सेवाओं की व्यवस्था । फिर भी, इस समय,

परियोजना 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रथम दो व्यवस्थाओं के लिये स्वीकृत कर दी गई है ।

देश में प्लेग का फैलना

2028. **श्री सी० चित्तिबाबू :** **श्री सतपाल कपूर :**
श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में हाल में प्लेग फैला हैं;

(ख) उक्त रोग किन-किन क्षेत्रों में फैला है; और

(ग) सरकार ने क्या उपचारात्मक और निरोधात्मक उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते किन्तु आशंकित क्षेत्रों में प्रत्याशी उपचारात्मक उपाय कर लिए गए हैं ।

हरिजन बस्तियों के विकास के लिये दिल्ली नगर निगम को निधियां प्रदान करने में अनियमितताएं

2029. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में, हरिजन बस्तियों के विकास के लिये, दिल्ली नगर निगम की निधियां प्रदान करने में अनियमितताओं के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या इन आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

मेघालय की खासी पहाड़ियों में मैलाम शरणार्थी शिविर में हैजे के कारण मृत्यु

2030. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय की खासी पहाड़ियों में मैलाम शरणार्थी शिविर में हैजे के कारण अब तक लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रोग पर नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 8 सितम्बर, 1971 तक मैलाम शरणार्थी शिविर में हैजे के कारण 150 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी । तत्पश्चात हैजा की स्थिति पर तेजी से काबू पा लिया गया ।

(ख) इस रोग पर नियंत्रण करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :-

(1) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान लोक- स्वास्थ्य संस्थान; कलकत्ता से एक डाक्टर तथा दो तकनिशियनों का एक दल मैलाम भेजा गया । जेट गन इन्जेक्टरों का उपयोग करने में स्थानीय चिकित्सा और परा चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा सामूहिक तौर पर टीका कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें तीन "जेट गन इन्जेक्टर" दे दिये गये थे ।

(2) तरल और अन्य औषधियां पर्याप्त मात्रा में दी गई ।

(3) मैलाम शरणार्थी शिविर के अनेक सेक्टरों में नलों द्वारा पानी देने की व्यवस्था करा दी गई है ।

(4) राज्य सरकार ने चिकित्सा सहायता कार्यों में ताल-मेल के लिए एक वरिष्ठ चिकित्स अधिकारी मैलाम में तैनात कर दिया है ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापन कार्य में सुधार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा, शिक्षण परिषद की योजना

2031. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या माध्यमिक स्कूलों अध्यापन कार्य में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने एक योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ।

(ग) क्या किसी स्कूल में योजना का प्रयोग किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : जी हां, माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन कार्य में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के पास कई निरंतर जारी रहने वाली योजनाएं हैं ।

(ख) योजना की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

(1) **प्रसार सेवाएं** : पाठ्यचर्या तथा पाठ्यतर कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए तथा नए

विचार, तकनीके और सामग्री प्रस्तुत करने हेतु तथा कई एक अभिनव परियर्तनों द्वारा शिक्षा तथा मूल्यांकन, दोनों में तबदीली लाने के लिए माध्यमिक स्कूल अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा उपलब्ध कराना ।

(2) **प्रयोगात्मक परियोजनाएं** : परिश्रमी तथा साधन युक्त अध्यापकों को अध्यापन प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाएं शुरू करने में सहायता देना ।

(3) **सेमिनार अध्ययन (रिडिंग)** : अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों को प्रयोगों, प्रेक्षण तथा अनुभवों के आधार पर पेपर तैयार करने के लिए उत्साहित करना तथा राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर सर्वोत्तम पेपरों की चुनना । ये पेपर 'टोचर स्पीक्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किए जाते है तथा माध्यमिक अध्यापकों में बड़े पैमाने पर परिचालित किए जाते हैं ।

(4) **ग्रीष्म विज्ञान संस्थान** : चुने गए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान के अध्यापकों के लिए ग्रीष्म संस्थानों का आयोजन करना । विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों का विषय ज्ञान बढ़ाने के लिये अन्य देशों की विकसित नई पाठ्यचर्या सामग्री का उपयोग करना ।

(5) **माडल पाठ्य पुस्तकें** : विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों की बुनियादी पाठ्यसामग्री की पूर्ति के लिए माडल पाठ्य पुस्तकें तैयार करना ।

(ग) प्रयोगात्मक परियोजनाएं, नमूने की पाठ्य पुस्तकें आदि जैसी कुछ योजनाओं का स्कूलों में प्रयोग किया जाना है, तथा ऐसा किया जा रहा है । प्रसार सेवाएं, ग्रीष्म विज्ञान संस्थान सेमिनार अध्ययन (रिडिंग जैसी योजनाएं अध्यापकों की कुशलता बढ़ाने के लिए है । यह उन संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाता है जो शिक्षक प्रशिक्षण में लगे हैं, किन्तु उनका प्रभाव केवल स्कूलों में ही सुनिश्चित किया जा सकता है । यह किया जा रहा है ।

(घ) इन योजनाओं को सतत मूल्यांकन किया जा रहा है तथा परिणाम उत्साहवर्धक हैं ।

दिल्ली में नकली औषधियों की बिक्री

2032. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मासों के दौरान दिल्ली में औषधि बेचने वालों की कितनी दुकानों पर छापे मारे गये ;

(ख) वहाँ से कितनी नकली औषधियां बरामद हुई ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन्हें किस प्रकार के दण्ड दिये गये ; और

(घ) स्वास्थ्य के लिये अत्यधिक हानिप्रद इन नकली औषधियों की बिक्री रोकने के लिये क्या सामयिक छापे मारने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिय कुमार किस्कू) : (क) दस ।

(ख) प्रेडनिसोलोन गोलियां और नोवलजीन की गोलियां ।

(ग) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । पुलिस अभी तक, इन मामलों में छानबीन कर रही है ।

(घ) जी, हां ।

चीनी के मूल्यों में हो रही वृद्धि

2033. **श्री सतपाल कपूर** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अक्तूबर, 1971 और 15 नवम्बर, 1971 को बाजार में चीनी के तुलनात्मक थोक तथा परचून मूल्य क्या थे , और

(ख) चीनी के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश की कुछेक महत्वपूर्ण मंडियों में 15 अक्तूबर और 15 नवम्बर, 1971 को चीनी के थोक और खुदरा मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) देश में चीनी के मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) चीनी की बिक्री के लिए मासिक नियुक्ति आदेशों के प्राप्ति चीनी की बिक्री और उसकी सपुर्दगी देने की अवधि 45 दिनों से घटकर 30 दिन कर दी गई है ।

(2) चीनी कारखानों के पास यदि बिक्री के लिए नियुक्त स्टाक की बिना बिकी चीनी की मात्रा बच जाती है तो उसे बेचने से इनकार करने की मनाही कर दी गई है ।

(3) चीनी कारखानों की बिक्री के लिए निर्मुक्त अपने मासिक कोटे की कम से कम 20 प्रतिशत चीनी प्रत्येक सप्ताह अवधि में बेचनी पड़ती है ।

(4) चीनी कारखानों द्वारा व्यक्तिगत व्यापारियों को चीनी भेजने या उसकी सुपुर्दगी देने की मात्रा प्रत्येक सप्ताह अवधि में 2,200 क्विंटल तक सीमित कर दी गई है ।

(5) लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों द्वारा किसी एक समय में रखे जाने वाले स्टाक पर प्रतिबिन्ध लगा दिये गए हैं । इसकी अधिकतम सीमा कलकत्ता में चीनी के आयतकों के मामले

में 7500 क्विंटल और लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में चीनी के लाइसेंसशुदा व्यापारयों के मामले में 250 क्विंटल के बीच है ।

(6) चीनी के व्यापारियों को चीनी के स्टाक पर बैंक से मिलने वाली पेशगियों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं ।

(7) गुड़ का वायदा बाजार 18 अक्तूबर 1971 में बन्द कर दिया गया है ।

(8) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में चीनी कारखानों के साथ क्या व्यवस्था कर दी है कि वे नियुक्त चीनी की 15 प्रतिशत चीनी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1·83 रु० से 1·84 रु० प्रति किलोग्राम पर बेचे ।

विवरण

देश की मुख्य मंडियों में चीनी के थोक । खुदरा मूल्य बताने वाला विवरण

	15-10-71 को		15-11-71 को	
	थोक रु० प्रति क्विं०	**खुदरा रु० प्रति क्विं०**	**थोक रु० प्रति क्विं०**	**खुदरा रु० प्रति क्विं०**
1. दिल्ली	205	2·10	216	2· 0
2. कानपुर	189	2·00	198	2·08
3. कलकत्ता	207	2·10	206	2·10
4. बम्बई	192	2·05	212	2·25
5. मद्रास	179	1·85	198	2·05

चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान

2034. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान समय पर किया जाये जिस से कि उन्हें गन्ने का अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : राज्य सरकारों से समय समय पर कहा गया है कि वे कारखानों से गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान करवाएं और गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान करवाने के उद्देश्य से चूककर्त्ता कारखानों के विरुद्ध उनपर मुकदमा चलाने सहित कड़े उपाय करें । जिन राज्यों के कानून में भू-राजस्व के बकायों की तरह गन्ने के मूल्य के बकायों को वसूल करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनसे कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था करने के लिए तुरन्त विचार करें ।

उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने के मूल्य के बकायों का भारी भुगतान किया जाना है, वहां की राज्य सरकार ने बकायों का भुगनात करवाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं :-

(1) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के बारे में 48 मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे ।

(2) 1970-71 मौसम में 19 कारखानों में रिसीवर नियुक्त किए गए अथवा वे अभी भी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 3 कारखाने अब उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नियंत्रण में हैं और पांच कारखानों में रिसीवर कार्य कर रहे हैं ।

(3) छः मिलों की नीलामी की गई थी लेकिन न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही को रोक दिया गया था ।

(4) एक चीनी मिल मालिक को राजस्व की हिरासत में रखा गया था ।

(5) 13 मिलों से कहा गया है कि 1971-72 मौसम के लिए अटल साख पत्र प्रस्तुत करें ।

बिहार सरकार ने चूककर्त्ता मिलों के विरुद्ध आपराधिक तथा सर्टिफिकेट कार्यवाही करने जैसे कानूनी पग उठाए हैं । पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों ने सूचित किया है कि उत्पादकों द्वारा अपने बकायों को प्राप्त करने में अनिच्छा प्रकट करने के कारण गन्ने के मूल्यों के बकायों का भुगतान नहीं किया जा सका ।

15 मार्च, 1971 और 31 अक्तूबर, 1971 को गन्ने के राज्यवार बकायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है जिससे पता चलता है कि गन्ने के बकायों की राशि काफी हद तक कम हो गई है ।

विवरण

1970-71 मौसम में खरीदे गये गन्ने के मूल्य के बकायों के भुगतान की प्राप्ति बताने वाला विवरण

(लाखों रुपयो में)

राज्य	निम्नलिखित तारीखों की बाकी बकाया राशि	
	15 मार्च, 1971	31 अक्तूबर, 1971
उत्तर प्रदेश	1753.05	595.80
बिहार	698.59	91.55
पश्चिमी बंगाल	20.65	0.30
असम	9.85	1.70
पंजाब	59.68	0.44

हरियाणा	97.11	0.90
राजस्थान	52.56	1.89
मध्य प्रदेश	144.01	0.50
उड़ीसा	26.39	0.65
आन्ध्र प्रदेश	686.03	26.50
गुजरात	81.04	9.19
महाराष्ट्र	1348.35	353.78
मैसूर	279.92	44.75
केरल	1.01	0.60
तमिल नाडु	562.04	150.44
पाँडिचेरी	64.61	3.32
जोड़ अखिल भारत	5884.89	1282.31

काफी बागान पर भूमि सुधार कानूनों का बुरा प्रभाव

2035. **श्री मुस्तयार सिंह मलिक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों का काफी बागान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** : जी नहीं। विभिन्न राज्यों में जोत का अधिकतम सीमा संबंधी वर्तमान कानूनों के अनुसार काफी सहित बागानी फसलों की छूट मिली हुई है। अतः भूमि सुधार उपायों से इन पर दुष्प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं होता।

Admission in central Universities

2036. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Education and social welfare** be pleased to state :

(a) the University-wise number of students who sought admission in Universities run by Central Government and could not get the same this year ; and

(b) the number of such students in Delhi and the arrangement made by Government for them ?

Minister of state in the Ministery of Education and social welfare (Prof. S.Nurul Hasan) : (a) & (b) : Central Universities are autonomous bodies and are not run by the Central Government. A statement indicating the number of students who sought admission to various courses of their choice and those who could not get admission on account of limited number of seats in these courses, is attached. **[Placed in the Library See No. T. 1163/71]**

The admission to various courses in Delhi is made by the Delhi University keeping

in view the number of seats available, The University also provides facilities for correspondence courses in B. A., B. Sc. and B. Com. and allows certain category of candidates to appear as external candidates and women candidates from the Non-Collegiate Women's Education Board.

According to the University, all the eligible candidates who sought admission to B.A./ B. Sc. and Com. courses were admitted.

Dilapidated condition of servants quarters of windsor place, New Delhi

2037. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether servants quarters of Members of Parliament attached to Bungalows 18, 19 and 20 Windsor Place, New Delhi have become so weak that they can collapse at any moment ;

(b) whether such a low quality material was used in building the walls as has started detaching from them ;

(c) whether Government have got the life and durability of these quarters examined by experts ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Mintster of state in the Ministery of works and Housing (Shri I. K. Gujral) (a) No Sir.

(b) No Sir.

(c) The total service life of the quarters is 60 years. These have still a life of 10 to 15 years, as these buildings were constructed in 1924.

(d) Does not arise.

Grants to Vikram University and Jivaji Rao University by U. G. C.

2038. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the total amount of grant given to Vikram University, Ujjain and Jivaji Rao University, Gwalior, by the University Grants Commission during the financial years 1968-69, 1969-70 ?

The Deputy Minister in the Ministery of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav) : The following grants were paid to Vikram University, Ujjain an Jivaji Rao University, Gwalior by the University Grants Commission during the years 1968-69 and 1969-70 :—

	1968-79 Rs.	1969-70 Rs.
Vikram University, Ujjain.	5,10,863	7,53,411
Jivaji Rao University, Gwalior.	5, 33,231	8,98251

Import of Milk Powder

2339. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3031 on the 24th June, 1971 regarding production and import of milk and milk powder and state :

(a) whether the information asked for in parts (b) and (c) of the question has since been collected; and

(b) if so, the main features there of ?

Minister of State in the Ministery of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) Yes. The requisite information about the imports of milk powder (skim milk powder & whole milk powder) during the last three years as extracted from "Monthly Statistics of the Foreign Trade of India Volume I. Imports" is furnished below :—

Period	Skim Milk Powder		Whole Milk Powder	
	Quantity (Tonnes)	C. I. F. value (Foreign Exchange) (Rs. in lakhs)	Quantity (Tonnes)	C. I. F. value (Foreign Exchange) (Rs. in lakhs)
1968 – 69	45,417.66	1,220.33	2585.07	106.43
1969—70	27,375.16	582.61	3446.17	149.14
1970—71	32.143.46	682.45	455.28	21.91

During the year 1971-72, the estimated imports of skim Milk Powder (gift and commercial purchases) are expected to be the order of about 40,000 tonnes of the C. I. F. value of Rs. 12 crores. The estimated imports of whole Milk Powder during 1971-72 may be of the same order as during 1970-71.

Acreage of Ravine Land in Madhya Pradesh Fit for Cultivation and the Estimated Revenue Therefrom

2040. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4265 on the 8th July, 1971 regarding acreage of ravine land in Madhya Pradesh fit for cultivation and estimated revenue therefrom and state :

(a) whether information asked for has been collected ; and

If so, the main features there of ?

Minister of State in the Ministery of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Although no exact surveys have been conducted, the area under ravine lands in Madhya Pradesh is estimated to be 243 thousand hectares. It is further estimated that about one third of the above ravine lands is suitable for reclamation into agricultural land and the rest can be utilised for grassland development and afforestation after ravine stabilisation works have been done to stop their further encroachment into the table lands. The Government of Madhya Pradesh have done afforestation works over an area of 6,334 hectares under the soil conservation scheme to boost production of timber, gum tendu leaves etc. in the ravine areas.

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के स्कूलों में आदिवासी छात्रों की प्रतिशतता

2041. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मालदा (पश्चिम बंगाल) में कुल कितने प्राइमरी और हाई स्कूल हैं और उनमें कितने प्रतिशत आदिवासी छात्र पढ़ रहे हैं, और

(ख) उक्त स्थिति सुधारने के लिये सरकार क्या कार्रवाही करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

1.	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	1185
2.	हाई स्कूलों की संख्या (जूनियर हाई स्कूल सहित)	163
	प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े समुदाय सहित आदिम जाति छात्रों की प्रतिशतता	9.8
	माध्यमिक स्कूलों में आदिम जाति छात्रों की प्रतिशतता	2.0

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

1. आदिम जाति छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है ।
2. स्कूलों में पढ़ने वाले आदिम जाति छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए वजीफे दिए जाते हैं ।
3. सरकारी खर्चे पर आदिम जाति छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में छात्रवास भवन भी बनाए गए हैं ।
4. छात्रवासों में रहने वाले छात्रों को भोजन खर्च दिया जाता है ।
5. महिला अध्यापकों और आदिम जाति अध्यापकों को नौकरियाँ दी जा रही हैं ।
6. पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोग रहते हैं वहाँ नए स्कूल खोले जा रहे हैं ।
7. पिछड़े क्षेत्रों में भवन निर्माण और उपस्कर खरीदने के लिए अनुदान दिये जाते हैं ।
8. स्कूलों के लिए पर्यवेक्षक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता

2042. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं;

(ख) क्या उक्त साक्षरता अखिल भारतीय स्तर से कम स्तर की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) तथा (ख) : 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 10.27 प्रतिशत तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 8.54 प्रतिशत अखिलभारतीय स्तर के मुकाबले मालदा जिले में अनुसूचित जातियों के 10.51 प्रतिशत तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 4.19 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में साक्षरता बढ़ाने के लिए नियमित प्राइमरी स्कूलों के अतिरिक्त समाज कल्याण केन्द्रों के माध्यम से कक्षायें चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को अध्ययन के सेकेण्डरी-पूर्व पाठ्यक्रमों में वजीफे, मुफ्त पुस्तकें तथा छात्रावास खर्च दिया जाता है।

सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर सहकारी फार्म

2043. **श्री बलमाली पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर सहकारी फार्म स्थापित करने की औचित्य पर विचार किया गया है;

(ख) क्या इन बस्तियों में सामुदायिक सुविधायें प्रदान करने के औचित्य पर भी विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निर्णय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हाँ। 30 जून, 1969 को मुख्यतः सरकारी भूमि पर गठित 2866 सामूहिक खेती समितियाँ थीं, जिनके अधिकार क्षेत्र में लगभग 1.64 लाख हैक्टर भूमि थी। इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे सरकारी भूमि के बड़े खण्डों और साथ ही भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अधिशेष हुई भूमि सामूहिक खेती समितियों को आवंटिक करें।

(ख) व (ग) : सामूहिक खेती समिति में सदस्यों को खेती कार्य संयुक्त रूप से करना होता है। इस प्रयोजन के लिए, इस कार्यक्रम में विभिन्न कृषि कार्यों और साथ ही कृषि उपज के विधायन तथा विपणन के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। सामूहिक खेती समितियों को गोदाम-एवं-ढोरशालाओं के निर्माण के लिए भी सहकारी सहायता दी गई है।

मैसूर में 1971-72 में एक दुग्ध डेयरी की स्थापना

2044. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में वर्ष 1971-72 में एक दुग्ध डेयरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हाँ। इस वर्ष 1971-72 के दौरान मैसूर राज्य में तीन डेरी संयंत्र, बेलगाम, भद्रावती तथा मंगलौर में स्थापित किये गये हैं। मैसूर में एक और डेरी योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) योजनाओं का मुख्य उद्देश्य इन स्थानों में उपभोक्ताओं की पास्तरीकृत तथा पूर्ण दूध सप्लाई करना तथा दुग्ध के उत्पादकों की लाभकारी बाजार प्रदान करना है।

(ग) वर्ष 1971-72 के दौरान इस उद्देश्य के लिये 7.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

राजधानी में वायु प्रदूषण

2045. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में वायु प्रदुषण को रोकने के उपायों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अमिय कुमार किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली में वायु दूषण की समस्या का अध्ययन करने तथा उसके नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक अनौपचारिक समिति का गठन किया है। शुरुआत के तौर पर, इस समिति ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा छोड़े जाने वाले धुयें तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के थरमल विद्युत स्टेशन से निकलने वाले सल्फर डाइआक्साइड और कालिख की समस्याओं को लिया है। इस समिति ने इन दोनों समस्याओं का अध्ययन करने के लिये दो अलग-अलग उप-समितियाँ बनाई हैं। एक उप-समिति ने धुआँ छोड़ने वाली बसों का एक नमूना अध्ययन किया। इसके निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में बसों से निकलने वाले धुयें को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने का निश्चय किया गया है :—

1. **तात्कालिक उपाय :**

    1. अत्यधिक धुआँ छोड़ने वाली बसों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत खुले क्षेत्रों वाले मार्गों पर लगाना।
    2. बसों से निकलने वाले धुयें को कम करने के लिये खराब फ्यूल इन्जेक्टरों, पम्पों आदि को ठीक करने जैसे यांत्रिक उपाय।

2. **माध्यमिक उपाय :**

    दिल्ली परिवहन निगम के केन्द्रीय वर्कशाप तथा अन्य डिपुओं में सुप्रशिक्षित धुआँ नियंत्रण दल तैनात करना।

3. **दीर्घकालिक उपाय :**

इन उपायों में ऐसी बसों को ठीक करना है जो मुख्यत: खराब हो गई हैं तथा जिनके इंजनों की पूरी तरह से मरम्मत की जानी हो अथवा जिनमें सुधार करना हो। इसमें केन्द्रीय वर्कशाप के गठन में परिवर्तन करने, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने तथा वर्कशाप में धुएं के मापन की समुचित व्यवस्था करना सम्मिलित है। आशा है दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम से सम्बन्धित उपसमिति दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के थरमल विद्युत स्टेशन से निकलने वाले धुएं के कारण होने वाले वायु दूषण के नियंत्रण के उपायों के बारे में अपनी शिफारिशें शीघ्र ही भेज देगी।

मत्स्य उद्योग का विकास और उसके लिये विश्व बैंक से ऋण

2046. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य उद्योग का विकास करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त हुआ है ; और

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) (क) जी, हां। चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग के विकास के लिये 83·00 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है और कुछ योजनायें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

केन्द्रीय योजनायें बन्दरगाहों की व्यवस्था, मीन संसाधनों के समन्वेषी संर्वेक्षणों, गहरे समुद्रीय इस्पात मीनहरण पोतों के निर्माण के लिये देशीय उद्योग को सहायता देने, शिक्षा देने, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित हैं। यंत्रीकृत नावों तथा गहरे समुद्रीय पोतों के लिये साइज के मीनहरण बन्दरगाह बनाए जा रहें हें। गहरे समुद्रीय पोतों को संभालने योग्य सात बड़े मीनहरण बन्दरगाह मद्रास, तूतीकोरीन, विभिन्जीम कोचीन, रायचौक, बम्बई और पोर्ट ब्लेयर में बनाए जाने के लिये स्वीकृत किये गये हैं। 71 स्थानों पर छोटे बन्दरगाह जदटीज के रूप में मीनहरण पोतों हैतु उतारने और ठहराने की सुविधाओं में सुधार लानेऔर नहरों तथा जल क्षेत्रों को गहरा करने के लिये स्वीकृति दे दी गई है। गहरे समुद्रीय मीनहरण बन्दरगाहों के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये विशाखापटनम तथा पारादीप बन्दरगाह ट्रस्टों द्वारा अन्वेषण किये गएहैं। एक संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजना भी कई राज्यों में सर्वेक्षण करती रही है और कई अतिरिक्त स्थानों पर मीनहरण बन्दरगाहों के लिये इंजीनियरिंग योजनाओं सहित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। गहरे समुद्रीय मीनहरण के लिये पोतों की आवश्यकताओं को देशीय निर्माण के मुकाबले में उपयुक्त मात्रा में आयात करके पूरा किया जा रहा है। जहां उद्योग द्वारा सीमित संख्या में पोतों को आयात करने की अनुमति दी गई है, वहां देशीय जहाज निर्माण उद्योग को बड़े इस्पात के मीनहरण पोत बनाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। देशीय निर्मित इस्पात मीनहरण पोतों के लिये राज सहायता की एक योजना लागू कर दी गई है। सन् 1968-69 में 40 गहरे समुद्रीय मीनहरण पोतों के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा देशीय जहाज निर्माण यार्डों को आदेश दिये गये। इन पोतों में से 20

भेज दिये गये हैं। 40 पोतों में से 20 पोतों को केन्द्रीय गहरे समुद्रीय मीनहरण संस्था के बेड़े में सम्मिलित कर दिया गया है जो समन्वेषी सर्वेक्षण करता है। समन्वेषी सर्वेक्षणों के लिये आठ नई शाखायें स्थापित कर दी गई हैं। पश्चिमी तट पर समुद्री तीन संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये इस वर्ष एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना चालू की गई है। गहरे समुद्रीय मीनहरण पोतों को चलाने के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है और अर्न्तदेशीय तथा समुद्री मीन उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान कार्य को भी गतिमान कर दिया गया है।

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत तटीय मीनहरण के लिये यंत्रीकृत नौकाओं को चलाने का कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है। राज्यों की चौथी योजना में पिछली योजनावधियों में चलाई गई लगभग 8,000 यंत्रीकृत नौकाओं के अतिरिक्त 5,500 यंत्रीकृत नौकाओं का चलाया जाना भी सम्मिलित है। चौथी योजनावधि से पहले उत्पादन (समुद्रीय तथा अर्न्तदेशीय) का स्तर 15·26 लाख मीटरीटन था। चौथी योजना के अन्त में उत्पादन के वार्षिक स्तर में लक्षित वृद्धि समुद्रीय क्षेत्र में 4·41 लाख मीटरी टन और अर्न्तदेशीय क्षेत्र में 1·75 लाख मीटरीटन था। वर्ष 1970 में कुल उत्पादन 17·46 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया। निर्यात किये गये समुद्री पदार्थों का वास्तविक मूल्य वर्ष 1965-66 में 7·07 करोड़ रु० जो वर्ष 1970-71 में बढ़कर 35·07 करोड़ रु० हो गया चौथी योजना के अन्त में समुद्री पदार्थों के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य 61·00 करोड़ रु० है।

अर्न्तदेशीय क्षेत्र में बीज उत्पादन की वृद्धि, उन्नत मीन उत्पादन तकनीकियों के अपनाने और जलाशयों तथा लवणाक्त जल मीन उद्योग के विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकारें इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनायें कार्यान्वित कर रहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वीरभूम स्थित विश्व भारती में कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आरम्भ किया जाना

2047 **श्री गदाधार साहा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वीरभूम स्थित विश्व भारती में कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो इसे किस वर्ष में आरम्भ किया गया और केन्द्रीय सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय को कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) '(क) और (ख) : विश्व भारती ने कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया है। वर्ष 1971-72 के दौरान शिक्षा सदन को प्रयोगशाला भवन, उपकरणों पुस्तक स्टाफ क्वार्टरों तथा फर्म के विकास हेतु भारतीय कृषि अनुसंन्धान परिषद द्वारा 2·16 लाख रु० का अनुदान दिया गया है। शिक्षा सदन का आवर्ती खर्चा विश्वविद्यालय को विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुरक्षण

अनुदान में से वाहन किया जाता है ।

अखिल बंगाल अध्यापक एसोसियेशन, की दार्जिलिंग शाखा की मांगे

2048 **श्री गदाधार साहा :**

श्री रेणुपद दास :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल बंगाल अध्यापक ऐसोसियेशन की दार्जिलिंग शाखा ने हाल ही में जिला स्कूल निरीक्षक को छः सूत्रीय मांग पत्र पेश किया है,

(ख) अध्यापकों की प्रमुख मांगे क्या हैं, और

(ग) उनकी मांगों की पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० डी० पी० यादव) (क) से (ग) :— सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सहकारी विकास के लिए वर्तमान योजना निरूपण प्रणाली के बारे में अक्तूबर, 1971 को पूना में हुई गोष्ठी

2049 **श्री पी० एन० मेहता** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न एजेंसियों द्वारा वर्तमान योजना निरूपण प्रणाली के बारे में 23 अक्तूबर, 1971 को पूना में एक त्रिदिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बैकुंठ लाल मेहता नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव ट्रेनिंग द्वारा 24 अक्तूबर, 1971 से 26 अक्तूबर, 1971 तक पूना में सहकारी विकास के लिए आयोजनाओं पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी ।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ।—

1. विभिन्न स्तरों पर सहकारी विकास के लिए आयोजना की वर्तमान प्रणाली ।
2. सहकारी समितियों को अपने विकास के लिए योजना बनाने की आवश्यकता ।
3. सहकारी ढांचे में किन-किन स्तरों पर आयोजना की जा सकती है ।
4. सहकारी संगठनों द्वारा प्रभावी आयोजना के लिए पूर्वापेक्षित बातें ।
5. सामान्य आर्थिक विकास की योजनाओं में सहकारी विकास की योजनाओं को मिलाना ।

(ग) गोष्ठी के कार्यवृत की एक संक्षिप्त रिपोर्ट परिचालित की गई है। पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बैकुण्ठ लाल मेहता नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव ट्रेनिंग, राष्ट्रीय सहकारी परिसंवों से अनुरोध कर रहा है कि गोष्ठी के निष्कर्षों के प्रकाश में उचित कार्यवाही करने के बारे में विचार करें।

खरीफ फसल के उत्पादन में कमी और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए समीकरण भण्डार बनाना

2050. **श्री जे० बी० पटनायक :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ फसल के उत्पादन में संभावित कमी का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए समीकृत भंडार पर्याप्त होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) 1971-72 में खरीफ के उत्पादन में सम्भावी कमी के संबंध में वास्तविक अनुमान लगाने का अभी समय नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी संस्थानों में समान-संवर्गों के लिए सांविधिक व्यवस्था

2051. **श्री वी० मायावन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए और विभिन्न स्तरों पर समान संवर्ग बनाने के लिए किसी राज्य सरकार ने कोई सांविधिक व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस प्रकार की सांविधिक व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अपने सहकारी अधिनियमों में इस प्रकार का सांविधिक उपबन्ध किया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में किए गए सम्बन्धित उपबन्धों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1164/71]**

डी-आयल्ड चावल से सस्ता तथा अधिक प्रोटीन वाला खाद्य आटा बनाना

2052. **श्री वी० मायावन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के एक किसान ने डी-आयल्ड चावलों के चोकर से सस्ती तथा अधिक प्रोटीन वाला खाद्य आटा बनाने की एक नई प्रक्रिया का विकास किया है ;

(ख) क्या अमरीका और पश्चिम जर्मनी की संस्थाओं ने इस प्रक्रिया में रुचि व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस किसान को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अखिल भारतीय नगर निगम सम्मेलन

2053. **श्री वी० मायावन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय नगर निगम सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों में से किन्हीं मुख्य सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अमिय कुमार किस्कू) : (क) और (ख) सम्भवतः यह प्रश्न 30 अक्तूबर 1971 को बम्बई में हुए नगर निगमों के आठवें सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में है । इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें प्रत्येक राज्य में नगरपालिका वित्त आयोग स्थापित करने, साधनों में वृद्धि लाने की दृष्टि से स्थानीय प्राधिकारियों को कुछ कार्य नियत करने; सफाई कार्य-क्रमों को तेज करने के लिए उपाय बरतने, शहरी क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और नगर-पालिका प्रशासन आदि के प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्रों द्वारा उपलब्ध की गई प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करने के सम्बन्ध में स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् और अखिल भारतीय महापौर परिषद् की सितम्बर, 1971 में दिल्ली में संयुक्त बैठक में लिए गये निर्णय के समर्थन करने के बारे में थी । चूंकि स्थानीय शासन राज्यों का विषय है, इसलिए इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है । इस सम्मेलन की सिफारिशों को राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेजा जा रहा है ।

दिल्ली में भूमि के पुनर्वासेतर पट्टेधारियों पर बकाया राशि

2054. **श्री वी० मायावन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पुनर्वासेत्तर भूमि के पट्टेधारियों से वर्ष 1970 के अन्त तक 31-38 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी बाकी थी ;

(ख) उन संस्थाओं तथा पट्टेधारियों के नाम क्या हैं जिन पर यह राशि बकाया है ; और

(ग) सरकार ने बकाया राशि को वसूल करने के लिए कौन से प्रयास किए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : बकाया देने वाली संस्थाओं तथा पट्टेधारियों की संख्या बहुत बड़ी है शायद, सदस्य महोदय ने इस सम्पूर्ण सूची के लिए नहीं कहा है, जिसमें हजारों नाम हैं, किन्तु इन बकाया राशियों की शीघ्र वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

1. अतिक्रमणों से रहित सम्पत्तियों के मामलों में जैसे ही भूमि का किराया देय हो जाता है, मांग नोटिस जारी कर दिए जाते हैं ; यदि अदायगी उचित समय के अन्दर नहीं की जाती, तो पुनराधिकार के नोटिस जारी किए जाते हैं ।
2. जो सम्पत्तियां अतिक्रमण ग्रस्त हैं, अतिक्रमणों को शीघ्र दूर करने अथवा नियमित करने के लिए उपाय किए जाते हैं ताकि भूमि किराये की बकाया राशि वसूली की जा सके ।
3. अदायगियों की वसूली रोकने वाले अतिक्रमणों के अवसरों को कम करने के लिए पट्टे के प्रशासन की पद्धति का प्रायः पुनरीक्षण किया जाता है ।
4. पट्टाधारियों को, उनकी शिकायतों को अधिकारियों से व्यक्तिगत वार्ता द्वारा दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।
5. बकाया राशि वाली संस्थाओं के अध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाता है उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है ।

जीवन बीमा निगम तथा नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा आवास के विषय में आयोजित गोष्ठी

2055. **श्री वी० मायावन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या हाल ही में जीवन बीमा निगम तथा नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा आवास के विषय में आयोजित गोष्ठी में किए गए निर्णयों पर सरकार ने ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार गोष्ठी के इस मुख्य निर्णय से सहमत हो गई है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक रूप से, जीवन बीमा निगम की सहमति से सार्वजनिक आवास विषयक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) सेमिनार में की गई सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

जनसंख्या सम्बन्धी गोष्ठी

2056. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या सम्बन्धी सूचना के बारे में लखनऊ में हुई गोष्ठी के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असन्तुलन के सन्दर्भ में असमान परिणामों पर चर्चा हुई थी;

(ख) क्या यह स्वीकार किया गया कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होने के कारण इसकी क्रियान्विति राज्य सरकार द्वारा उसी उत्साह के साथ नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य की असन्तोषजनक प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत अधिक संगत आधार पर नए सिरे से एक व्यापक कार्यक्रम बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (प्रो० ए० के० किस्कू) : (क) लखनऊ में 26 से 30 अक्तूबर, 1971 तक भारतीय पत्र संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी में आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असन्तुलनों के सन्दर्भ में परिवार नियोजन विषय पर कोई विशेष निर्धारित विचार विमर्श नहीं हुआ था। तथापि कुछ राज्यों में परिवार नियोजन की प्रगति न होने का उल्लेख किया गया था तथा संयोग से कुछ भाषणों में इन्हीं क्षेत्रों में धीमे आर्थिक विकास का भी जिक्र किया गया था।

(क) इस गोष्ठी में जो अन्य कारण बताये गए वे इस प्रकार हैं:-कुछ राज्यों में प्रेरणा और परिवार नियोजन सेवाओं के लिये आधारभूत ढांचे का धीमा विकास, अप्रभावकारी संचार, संगठनात्मक कमियां तथा राज्यों का आर्थिक योग न होना।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति की निरन्तर संवीक्षा की जाती है तथा इसमें सुधार करने के लिये कदम उठाए जाते हैं। उत्तम परिणामों के लिये जो नये कदम उठाए गए हैं उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्तम परिणामों के लिये जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) मां के स्वास्थ्य और बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लोगों को प्रेरित करने के लिए एक नई नीति तैयार की गई तथा इसके अनुसार अधिकतर व्यक्तियों और विशिष्ट वर्गों को प्रेरित किया जायेगा।

(ख) सुधरी हुई गर्भरोधक टेक्नालोजी तैयार करने पर अधिक जोर दिया जाएगा इसमें देश में ही तैयार किये गए तरीके और साधन सम्मिलित हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(घ) गर्भाशयी गर्भरोधक और नसबन्दी के लिये उत्तम सेवाए प्रदान की जायेंगी इनमें उत्तम चुनाव, अच्छी अनुवर्ती देखभाल तथा इन तरीकों के बारे में जनता के भय और शंकाओं को दूर करना सम्मिलित हैं।

(ङ) एर्नाकुलम शिविरों में नसबन्दी के लिये जो गहन प्रयास किए गए थे उन्हें सारे देश के करीब 25 बड़े शिविरों में आजमाया जाएगा ।

(च) कुछ समय तक उन दम्पत्तियों की ओर प्रयत्न केन्द्रित किये जाएंगे जो परिवार नियोजन के तरीकों को तो मानते हैं परन्तु जिन्होंने अभी तक उन्हें अपनाया नहीं है ।

(छ) प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं की नसबन्दी और निरोध जैसे तरीकों को, जिन्हें अधिकाधिक अपनाया जा रहा है, पूरा बढ़ावा दिया जाएगा ।

(ज) सभी स्तरों पर प्रसूति और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एकीकरण किया जाएगा ।

(झ) परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न कार्मिकों के प्रशिक्षण को तेज किया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विस्तार का प्रस्ताव

2057. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विस्तार से कितनी देशी और विदेशी भागों की पूर्ति हो सकेगी, और

(ख) शिपयार्ड द्वारा विदेशी मुद्रा सहित कुछ कितना लाभ कमाने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) समाकलित विकास कार्यक्रम तथा जल थाला प्रायोजना की पूर्ति के बाद हिन्दुस्तान शिपयार्ड की वार्षिक क्षमता मौजूदा 2-3 जहाजों से बढ़कर लगभग 13000 डी० डब्लू० टी० प्रत्येक के 6 जहाज हो जायेगी । चूंकि भारतीय टनभार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता का यह लक्ष्य काफी नहीं है अतएव फिलहाल इस यार्ड में निर्मित जहाजों के निर्यात का प्रश्न नहीं उटता ।

(ख) अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अपेक्षा निर्माण मूल्य अधिक होने के कारण जहाज निर्माण में लाभ की कोई गुंजाइश नहीं थी तथा भारतीय जहाज मालिकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस यार्ड में जहाजों के लिए आर्डर देने की अनुमति थी और दोनों मूल्यों के अन्तर को सरकार उपदान के रूप में पूरा कर देती थी । फिर भी, हाल ही में मूल्य निर्धारण तथा उपदान संबंधी फार्मूले में परिवर्तन कर दिया गया है । जहाज मालिकों को अब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक अदा करना होगा और शिपयार्ड को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के कुछ निश्चित प्रतिशतों पर निर्धारित उपदान की ही अनुमति होगी और निर्माण मूल्य से इसे बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा । आशा है कि इस नये फार्मूले से निर्माण मूल्य को कम रखते हुए, शिपयार्ड के लिए लाभ कमाना संभव होगा । जहाज निर्माण द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जहाजों का निर्यात नहीं किया जाता । तथापि, नई सूखी गोदी के चालू हो जाने से शिपयार्ड को विदेशी ध्वज पोतों की मरम्मत करके विदेशी मुद्रा कमाने की आशा है ।

देश में चीनी उद्योग की समस्यायें

2058. **श्री मती सावित्री श्याम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी उद्योग के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चीनी उद्योग की इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और देश में चीनी की आँतरिक मांग कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश में चीनी उद्योग जिन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है, वे इस प्रकार है :-

(1) वर्ष प्रति वर्ष गन्ने और चीनी के उत्पादन के स्तरों में घट बढ़;

(2) चीनी बनाने की ऊंची लागत; और

(3) पहले तीन दशकों में स्थापित कुछेक बहुत ही पुराने यूनिटों के पुनः स्थापन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता ।

(ख) इन समस्याओं और उनके कारणों के ब्यौरे कारखानावार उपलब्ध नहीं हैं । इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने चीनी उद्योग के कार्यचालन विशेषतया उसके राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में विस्तृत एवं व्यापक अध्ययन करने और विभिन्न समस्याओं पर सिफारिशें करने के लिए चीनी उद्योग जांच आयोग स्थापित किया है ।

इस समय देश में आन्तरिक खपत के लिए चीनी की आवश्यकता 40 लाख मी० टन के आस-पास है ।

देश में चिकित्सा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण

2059. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से देश में वर्तमान चिकित्सा सेवाओं में कितना सुधार हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ता में सैंट्रल फोर्म्स स्टोर्स

2060. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कलकत्ता स्थित सेंट्रल फोर्म्स स्टोर को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टोर को बन्द करने के क्या कारण है; और

(ग) इसके कारण कितने मजदूर तथा कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता निगम बोर्ड के टी० बी० अस्पताल में रोगियों के साथ दुर्व्यवार

2061. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता निगम बोर्ड के टी० बी० अस्पताल के अधिकारियों द्वारा रोगियों के प्रति किये जाने वाले दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप अस्पताल के रोगियों द्वारा उठाई जा रही अकथनीय कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अस्पताल के रोगियों की शिकायतें दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी नहीं । ऐसी कोई सूचना नहीं है तथा अस्पताल अधिकारी अपनी सीमा और साधनों के अन्तर्गत मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज करते है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

आसाम स्थित भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पे लिये गये गोदामों के किराये की अदायगी

2062. **श्री रोंगिन ककोटी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में प्राइवेट लोगों से किराये पे लिये गये गोदामों का किराया देने में विलम्ब किया गया है जिसके परिणाम-स्वरूप गोदाम मालिकों को परेशानी उठानी पड़ी है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा अपने निजी गोदाम बनाने के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) असम में प्राइवेट पार्टियों को गोदामों का किराया देने में देरी करने के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं है । राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किराये का निर्धारण न करने के कारण कुछ मामले राज्य सरकार के पास लंबित पड़े हैं राज्य सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उपाय कर रही है ।

(ख) राज्य सरकार की असम में अपने गोदाम बनवाने की कोई भी योजना नहीं है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम और राज्य भाण्डागार निगम की असम के विभिन्न स्थानों पर क्रमशः 50,000 मी० टन और 28,500 मी० टन की क्षमता के गोदाम बनवाने की योजना है।

नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों से आये विद्यार्थियों को बन्दी बनाया जाना

2063. **श्री वीरेन्द्र राव सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति को अपनी शिकायतों का ज्ञापन देने के लिये प्रतीक्षा करने वाले, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्यों के कुछ विद्यार्थियों को 3 नवम्बर, 1971 को दिल्ली में बन्दी बनाया गया था,

(ख) यदि हां, तो उन्हें बन्दी बनाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार को उन विद्यार्थियों की मांगों और शिकायतों की जानकारी हैं और यदि हां तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) 3 नवम्बर, 1971 को दोपहर की 2 बजकर 20 मिनट पर लगभग 76 व्यक्ति जलूस के रूप में राष्ट्रपति भवन आए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बलपूर्वक घुसने की कोशिश की। जब उनको पूछ ताछ कार्यालय के समीप रोका गया, तो वे उक्त कार्यालय के बाहर धरना मारकर बैठ गए और नारे लगाने लगे। उनको शान्त करने और राष्ट्रपति सचिवालय के एक वरिष्ट अधिकारी से मिलने के लिए राजी करने के प्रयत्न सफल नहीं हुए। उनसे यह भी कहा गया कि उनमें से लगभग 10-12 व्यक्तियों को सायं 5 बजकर 10 मिनट पर राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उस सुझाव को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं माना। फलस्वरूप, जब वे राष्ट्रपति भवन में बलपूर्वक घुसने लगे, तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 448 और 451 के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया। 6 नवम्बर, 1971 को उनको दिल्ली के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने अदालत के उठने तक उनकी सजा का आदेश दिया।

गिरफ्तार किए गए 76 व्यक्तियों में से 65 उत्तर प्रदेश, 10 दिल्ली, और एक बिहार के थे। इस बात का पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी व्यक्ति विद्यार्थी थे।

(ग) जी हाँ। विद्यार्थियों की मागें मुख्य रूप से दो प्रकार की है। पहली का संबंध बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन और दूसरी का संबंध विश्वविद्यालय के बारे में विधान को शीघ्र लागू करने से है। वैधानिक प्रस्ताव को छोड़कर, बाकी मांगें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिनकी समस्या की जानकारी है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन सबंधी गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विधान को लागू करने का प्रश्न, सरकार के विचाराधीन है।

हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाने हेतु केरल को सहायता देना

2064. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 1969-70 और 1970-71 में केरल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई

(ख) क्या उक्त कार्य के लिये दी गई वित्तीय सहायता की मात्रा अपर्याप्त है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता की वर्तमान मात्रा को बढ़ाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन): (क) से (ग) पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन केरल सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माणार्थ 1969-70 तथा 1970- 1 में क्रमशः 0·80 लाख रुपये तथा 2·50 लाख रुपए की धन राशियां दी गई। राज्य सरकार 1669-70 तथा 1970-71 के दौरान क्रमशः केवल 0·47 लाख रुपए तथा 0·37 लाख रुपये की धनराशियों का उपयोग कर सकी। राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना के लिए चतुर्थ योजना परिव्यय निश्चित किया गया है। इसलिए सहायता की मात्रा को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है।

केरल को सड़े चावल की सप्लाई

2065. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन राशन परचून व्यापारी संघ (केरल) से उस सडे हुए चावल के कोई पार्सल प्राप्त हुए हैं जिसका आवंटन भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा केरल को राज्य की उचित दर वाली दुकानों को वितरित करने के लिये सप्लाई किया गया था :

(ख) यदि हां, तो केरल को सड़े हुए चावल का आवंटन करने के क्या कारण हैं और

(ग) केरल को अच्छी किस्म का चावल सप्लाई करने और इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : कोचीन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से दो विभिन्न दरों पर उस क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों को जारी किए गए दो किस्मों के चावल के नमूनों का एक पार्सल प्राप्त हुआ है। भारतीय खाद्य निगम से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

कौलावेन्नु लार्जर साइज्ड़ कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की चावल मिल के दोष पूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत

2066. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मंत्री कोलावेन्नु लार्जर साइज्ड़ कोआपवेटिव

क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड की चावल मिल के दोषपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत के बारे में 12 अगस्त, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : राज्य प्राधिकारियों, जिन्होंने इस मामले को आंध्रप्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन से उठाया है, से अभी अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इस विषय में राज्य प्राधिकारियों से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

गुजरांवाला सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली द्वारा काटे गये प्लाट

2067. **श्री के सूर्यनारायण :**
श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवला सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली द्वारा कुल कितने प्लाट काटे गये हैं और सदस्यों को अब तक कितने प्लाट आवंटित किये गये हैं;

(ख) कुल कितने प्लाटों का निर्माण कार्य आरम्भ/समाप्त हो गया है;

(ग) क्या आवंटित किये गये प्लाट सदस्य द्वारा निर्माण कार्य पूरा किये जाने के लिये कोई समयाविधि निर्धारित की गई है, यदि हां, तो क्या: और

(घ) निर्धारित की गई समयाविधि समाप्त होने के पश्चात भी जिन सदस्यों ने अपने प्लाट पर अभी तक निर्माण कार्य पूरा/आरम्भ नहीं किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) **काटे गये प्लाट**	**आवंटित**
598	587

(ख) सोसाइटी ने सूचित किया है कि उन प्लाटों की कुल संख्या 15 है, जिनपर निर्माण पूरा हो चुका है, और 45 प्लाटों का निर्माण कार्य हो रहा हैं ।

(ग) पट्टे की शर्तों के अनुसार, आवंटी द्वारा उसे आवंटित प्लाट पर पट्टे की तारीख के दो वर्षों के अन्दर मकान का निर्माण किया जाना अपेक्षित है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पट्टे विलेख में उल्लिखित अवधि समाप्त नहीं हुई है ।

गुजरांवाला आवास सहकारी समिति दिल्ली में जल और विद्युत की व्यवस्था

2068. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला आवास सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली की गलियों में बिजली देने और घरेलू उपयोग के लिये बिजली देने के लिये अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किए गए हैं ;

(ख) जहां तक पेय जल और अन्य जल के प्रदाय का संबंध है नालियां और पानी की नलियां भी नहीं बिछाई गई हैं; और

(ग) यदि हां उस क्षेत्र के निवासियों को जल और बिजली की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने सोसाइटी की कालौनी में सड़कों पर रोशनी के खम्बे पहिले ही गाड़ लिए हैं, तथा कालौनी के भाग 1 में तारें बिछाई जा रही हैं।

(ख) तथा (ग) : जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम सोसाइटी की कालौनी में ग्रांड ट्रंक रोड की ओर मुख्य सीवर-नालियों की व्यवस्था पहले ही कर चुकी है। तथापि, इसे माल रोड़ की तरफ की भूमि की मल-नालियों से मिलाया जाना है। उन्होंने कालोनी के भाग 1 में जल की व्यवस्था भी कर दी है।

श्री चिंतलपती बापी राज धर्म संस्था (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा प्रचलित शिक्षा संस्थाओं और होटलों की सहायता

2069. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिनन्द्रकोलनू पश्चिम गोदावरी, जिले, (आन्ध्र प्रदेश) की श्री चितलपती वापीराज धर्मसंस्था द्वारा कितने शिक्षक संस्थान और होस्टल प्रचलित किए जा रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उक्त संस्थान को यदि कुछ शिक्षणअनुदान और अन्य वित्तीय सहायता दी है तो कितनी दी है ; और

(ग) उक्त संस्थान की परिसम्पतियों और देयता क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ग) शिक्षा राज्य का विषय है पश्चिम गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) के चिनन्द्रकोलनू के श्री चितलपट्टी वापीराज धर्मसंस्था द्वारा चलाए गए शिक्षा संस्थान और छात्रावासों के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है।

Approval of Foodgrains Supplied by Agents

2070. **Shri Mahadeo Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the foodgrains supplied by agents is approved by the Quality Inspector for sending it to the warehouse; and

(b) whether it is not necessary to seek the approval of any other Officer after the Quality Inspector's approval ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Foodgrains purchased and sent by the agents to the Warehouses of the Food Corporation of India are approved by the Quality Inspectors.

(b) No Sir. Approval of any other officer is not considered necessary for sending the foodgrains to the Warehouse.

White Washing in the Servants Quarters attached to M. Ps. Residences at Ferozeshah Road, New Delhi

2099. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the total number of M. Ps.' residences and servant quarters attached to these flats, the maintenance of which comes under the charge of the C. P. W. D. Enquiry, Ferozeshah Road, New Delhi;

(b) the number of servant quarters attached to M. Ps. flats which have not been not white washed during the year 1970-71; and

(c) the steps proposed to be taken in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gugral) : (a) 153 M. P. residences and 516 servants quarters.

(b) Eighty-four.

(c) The white-washing in these quarters could not be taken up as they were not made available for this purpose by the occupants. White-washing of quarters has been held in abeyance for the present to conserve resources to meet the situation arising out of large influx of refugees from Bangla Desh.

Repairs of M. P's Servants Quarters at Ferozeshah Road, New Delhi

2100. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether no attention is paid to the reports of breakages in the servant quarters of M. Ps. under the Ferozeshah Road C. P. W. D. Enquiry Office; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gugral) : (a) prompt attention is paid to the reports of breakages in the servants' quarters.

(a) In view of (a) above, the question does not arise.

जन संख्या पर समिति की नियुक्ति

2071. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या की वृद्धि के अध्ययन हेतु एक समिति को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या हैं ;

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) समिति सरकार की अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) :

(क) से (घ) जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, आरम्भ में 1958 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा किए गये जनसंख्या अनुमानों और 1971 की जनगणना द्वारा विदित हुए अस्थायी आंकड़ों के बीच अन्तर होने के कारणों की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है।

डा० एन० टी० मैथ्यू, डा० एस० एन० अग्रवाल और डा० के० सी० सोल इस समिति के सदस्य हैं।

समिति को 31 मार्च, 1972 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से प्राप्त दोषपूर्ण ट्रैक्टरों की जांच

2072 **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से आयात किए गए दोषपूर्ण ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में शिकायत की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) आर० एस० 09 ट्रैक्टर विषयक तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई थी। मामले की आगे जांच की जा रही है।

(ख) **और (ग)** : प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक परिसंवाद

2073. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अक्तूबर, 1971 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में एक परिसंवाद आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परिसंवाद में कितने और किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया; और

(ग) उक्त गोष्ठी में क्या निर्णय किये गये ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ। फेडरेशन आफ इण्डियन आटोमोबाइल एसोसिएशनों के तत्वावधान में चतुर्थ अखिल भारतीय सड़क सुरक्षा काँग्रेस का आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इण्डिया ने, 1 से 3 अक्टूबर, 1971 तक नई दिल्ली में आयोजन किया था।

(ख) भारत भर से पुलिस (परियात) प्रशासन सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, इण्डियन

स्टेन्डर्डस इन्स्टिट्यूशन आदि जैसे अनुसंधान निकाय और देश के आटोमोवाइल संस्थाओं के 64 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लिया। संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया और इसमें लेफ्टीनेन्ट गवर्नर, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री तुलसीदास यादव ने भी भाग लिया। प्रतिनिधियों के नाम संलग्न सूची में दिये गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1165/71**]

(ग) काँग्रेस ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :—

1. मौजूदा चालन प्रशिक्षण स्कूलों में कुशल अध्यापकों की नियुक्ति की जाये और वहाँ निर्धारित उत्तम मानकों के अनुसार कार्य संचालन हो। राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों को अपने अपने चालन प्रशिक्षण स्कूल अलग भी चालू करने चाहिये। चालन लाइसेंस देने के लिये दोनों सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक परीक्षाओं को अधिक व्यापक और सोद्देश्य बनाया जाए तथा शिक्षा का न्यूनतममानक आवश्यक रूप से देखा जाए और शारीरिक योग्यता सम्बन्धी जरूरी प्रमाण पत्र दिखाने की पूर्वापेक्षा हो।

2. सरकार मोटर गाड़ियों के मानक निर्धारित करे और उनका पालन करने के लिए निर्माताओं पर जोर दे। सामयिक तुरन्त निरीक्षण द्वारा न केवल व्यापारिक गाड़ियां, बल्कि नीजि गाड़ियों की योग्यता और सड़क पर चलने की क्षमता को भी सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए।

3. मोटर साइकल/स्कूटर सवारों और पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सुरक्षा टोप पहनना अनिवार्य कर दिया जाए। गाड़ी के मौलिक उपकारण के रूप में दो सुरक्षा पेटियों की सप्लाई के लिये निर्माताओं से आग्रह करना चाहिये।

4. आदतन सुरक्षा उपाय करने वाले व्यक्तियों के लिए बीमा शुल्क दरों में रियायत की योजना तैयार करने के लिए बीमा कम्पनियों से अनुरोध किया जाए।

5. शहरों में सड़कों के वर्गीकरण की प्रणाली चालू की जाये तथा सुरक्षित और कुशल यातायात को सुनिश्चित बनाने के लिये तदनुसार यातायात विनिमय बनाये जाए और नियन्त्रण उपाय किये जाये।

6. पृथक साइकिल पथ, व्यापक रूप से सड़कों को चौड़ा करने, सडक चौराहों का सुयोजित योजना और पैदल और पार्किन्ग की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. सड़क रेल ग्रेड का क्रासिंग यातायात के लिए बड़ी बाधा है। फलस्वरूप दुर्घटना होने के स्थल हैं। रेल प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक होना चाहिये कि राष्ट्रीय राजमार्गों और नगरीय सड़कों के सभी मुख्य क्रासिंग पर ग्रेड पृथक्करण की व्यवस्था करें। रेल और सड़क प्राधिकारियों की इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए साधन ढूढ़े ताकि ऐसे चौराहों पर विलम्ब के कारण देश को भारी आर्थिक हानि से बचाया जा सके।

8. सड़क पर प्रकाश में सुधार किया जाना चाहिये और विज्ञापनों के प्रदर्शन पर नियन्त्रण होना चाहिये। सभी शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों में दुर्घटना वाले स्थानों का अध्ययन किया

जाना चाहिये, उपचारी उपाय किये जाने चाहिये। इण्डियन रोड्स कांग्रेस द्वारा विकसित रंग और डिजाइन पर आधारित मार्ग चिन्हों की प्रणाली मोटर गाड़ी अधिनियम में समावेश की जानी चाहिये ताकि समस्त देश में सिगनल और सड़क चिन्ह में एक रूपता हो। एक व्यापक आल इंडिया हाईवे कोड केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की जानी चाहिये।

9. न्यायालयों में कार्य के भार को कम करने के लिए और न्याय की गति में तीव्रता लाने के लिए मोटर गाड़ी विधि के अन्तर्गत अपराधों को दो श्रेणियों में वगीकृत किये जाने चाहियें अर्थात एक अपराधिक प्रकार के जैसे तेजी गति से तथा लापरवाही से गाड़ी चलाना और शराब के नशे में गाड़ी चलाना जिसकी न्यायालय में पैरवी की जाए, और पार्किंग अपराधों जैसे विनिमयों का केवल भंग करना जिसके लिये टिकट पद्धति (अर्थात किसी निश्चित तारीख तक डाकघर में एक रकम जमा करने की स्वच्छा हो या अदालत के सामने कार्यवाही का सामना करने को शुरू किया जाए।

10. प्रवर्तन प्राधिकारियों को विधान बनाने की शक्ति हो ताकि ऐसा व्यक्ति जिसने शराब पी हो और गाड़ी चला रहा हो, का मेडिकल जाँच के लिए उपस्थित हो शुरू किया जाये।

11. शिक्षक कार्यक्रम विस्तार से किया जाना चाहिये ताकि जनता में समस्या की घनत्वता और विशालता की पहल की जा सके और चुनौती का सामना करने के लिये मानसिक रूप से तैयार हो सके।

12. राज्य लोक निर्माण विभाग, यातायात पुलिस विभागों की ओर से सभी महानगरीय शहरों में यातायात सेल सम्बन्धित हों ताकि विभिन्न यातायात समस्याओं की जांच की जा सके और उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाये जा सके। एक यातायात अनुसंधान पर्यवेक्षक समिति बनाई जाये जिसमें आटोमोबाइल एशोशिएशन, यातायात पुलिस, नगरनिगम परिवहन विभाग और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों और जिसका अध्यक्ष परिवहन विभाग का सचिव हो जो इन सेलों का पर्यवेक्षण करे।

गढ़बीत नगर में नल के पानी की योजना

2074. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापर के गढ़बीत नगर में पीने के पानी की सप्लाई वाटर वर्क्स द्वारा की जायेगी;

(ख) क्या उस नगर में नल के पानी को सप्लाई करने की योजना पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य निदेशालय के पास काफी समय से पड़ी हुई है; और

(ग) उसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मिदनापुर जिले में शीतागारों का कार्य

2075. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कुछ पता है कि मिदनापुर जिले में अपनमगढ़ स्थित शीतागार कब कार्य करना आरम्भ करेगा;

(ख) सरकार का विचार इस शीतागार को किस प्रकार चलाने का है; और

(ग) क्या इस शीताकार को चालू करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों पर किन्हीं लोगों द्वारा दवाव डाला जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दा जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में भूमिहीन श्रमिकों के लिये मकान

2076. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के भूमिहीन दैनिक श्रमिकों के लिए मकान बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने गत तीन वर्षों में क्या कदम उठाये हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल में उक्त उद्देश्य के लिए ऋणों तथा अनुदानों के रूप में उक्त समय में कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इस योजना से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा 1957 में आरम्भ की गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ, मकानों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये ऋण देना और भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को निशुल्क वास स्थान देने की व्यवस्था है । पश्चिमी बंगाल राज्य में यह योजना चालू थी, किन्तु राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से इस योजना को बन्द करने का निर्णय किया । यह एक राज्य प्लान की योजना है । राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार निधियों के नियतन करने में स्वतन्त्र हैं । योजना को पर्याप्त प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों को समय-समय पर बल दिया गया है ।

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1968-71 के पिछले तीन वर्षों में इस योजना के दौरान भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को 0 36 लाख रुपये की लागत से केवल 68 वास-स्थल उपलब्ध किये गये हैं । जिन व्यक्तियों के अपने वास-स्थल हैं, वे उपरोक्त योजना के अधीन, मकान निर्माण के लिये ऋण लेने के पात्र हैं । मार्च 1969 तक राज्य सरकार ने लाभ उठाने वालो को 17.27 लाख रुपये के ऋण बांटे हैं ।

जिन व्यक्तियों को इस योजना के अधीन वास-स्थल दिये गये हैं वे अपने मकान निर्माण के लिए ऋण लेने के पात्र हैं ।

जिन जिलों में वास-स्थल आवंटित किये गये हैं उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त योजना के अधीन वास-स्थलों की व्यवस्था की उन्नति बंगाल में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी धीमी रही है। अतः निर्माण और आवास मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिकों को निशुल्क, वास-स्थल की व्यवस्था के लिए राज्यों को शत प्रतिशत सहायता देने की एक नई केन्द्रीय योजना आरम्भ की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की समस्या

2077. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री अमरनाथ चावला :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की समस्या बहुत विकट रूप धारण कर गई है; और

(ख) क्या इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार का विचार कोई दीर्घावधि योजना बनाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हाँ। विशेष रूप से कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के सम्बन्ध में।

(ख) ऐसे विद्यार्थी जिन्हें नियमित कालेज में प्रवेश नहीं मिल सका है उनके लिए विश्व-विद्यालय ने पहले ही पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध कर दिया है तथा उन्हें बाहरी उम्मीदवारों के रूप में भी पंजीकृत किया जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम की ऋणग्रस्तता और उसकी दक्ष सेवा के लिए उपाय

2078. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन अंडरटेकिंग का ऋणग्रस्तता से मुक्त करने के लिये और परिवहन व्यवस्था के कार्यचालन की क्षमता में सुधार के लिये दिल्ली परिवहन निगम में कोई कायक्रम बनाया है,

(ख) क्या निगम बस के किरायों में वृद्धि करने का विचार कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है और उसके बदले यात्रियों को कौन सी अतिरिक्त सुविधायें देने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) आवर्ती परिचालन हानि के कारण भूतपूर्व दिल्ली परिवहन उपक्रम की देयता वर्ष के बाद जमा होती गई। अब दिल्ली परिवहन निगम ने इसकी परिचालन कुशलता में सुधार लाने के लिये बहुत से

उपाय किये हैं। इनसे पहले ही परिणाम देना शुरू कर दिया और परिचालन घाटा कम हो गया है।

(ख) इस समय वर्तमान किराया ढांचे में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर कैलाश पार्ट-11 नई दिल्ली में मकानों का निर्माण

2079. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली लैण्ड एंड फाइनेंस कम्पनी को ग्रेटर कैलाश-भाग-11 (ई ब्लाक के अतिरिक्त) दिसम्बर, 1971 तक सेवा सुविधायें लागू करने के तथा उन में सुधार करने के लिये दिये गये समय के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है और कार्य समय पर समाप्त हो जायेगा ;

(ख) क्या इस बारे में कम्पनी और सरकारी अधिकारियों के बीच कोई नया समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें

(घ) क्या समझौते के अनुसार कम्पनी को अतिरिक्त समय मिलेगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कालोनी का ले-आउट प्लान स्वीकार करते समय कालोनी में सेवाओं को पूरा करने के कार्य की प्रगति के संबंध में ऐसा कोई समय-निर्धारण नहीं किया गया था। ले-आउट प्लान की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार कालोनाइजर द्वारा दिसम्बर, 1971 तक सभी सेवाओं का पूरा किया जाना अपेक्षित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में स्कूलों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान न किया जाना

2081. **श्री रेणपद दास** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में गैर-सहायता प्राप्त तथा एक-मुफ्त सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल अध्यापकों, नैमित्तिक कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का

क्रमश: रु० 17,50,10.00 तथा 5.00 की दर से अतिरिक्त सरकारी महंगाई भत्ते का भुगतान 1963 से बकाया है ;

(ख) महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अखिल बंगाल शिक्षक संघ का कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है; और

(घ) यदि हां, तो महंगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान कराने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के गैर सहायता प्राप्त तथा एक मुश्त सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों नैमित्तिक कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्रमश: 17·50 रु०, 10 रु० और 5 रु० का जो महंगाई भत्ता दिया जाता था साधन सुलभ न होने के कारण वह बन्द कर दिया गया है। इन अध्यापकों को इस समय कुल मिलाकर 90 रु० मासिक का और गैर अध्यापक कर्मचारियों को 67.50 रु० मासिक का समेकित महंगाई भत्ता मिलता है।

अखिल भारतीय अध्यापक संस्था तथा अन्यों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उक्त महंगाई भत्ते का भुगतान दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, पश्चिम बंगाल के गैर सहायता प्राप्त और एकमुश्त सहायता प्राप्त स्कूलों के सहायक अनुदान का सम्पूर्ण प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

मनिपुर में खाद्य सम्बन्धी घोटाले की न्यायिक जांच

2082. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनिपुर के खाद्य सम्बन्धी घोटाले के बारे में जिसके कारण वहां विद्यार्थी आन्दोलन हुआ था, न्यायिक जांच करवाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में मनिपुर की कम्यूनिस्ट पार्टी से कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। मणिपुर में पिछले सितम्बर के महीने में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। खाद्य संबंधी कोई भी घोटाला नहीं हुआ और इसलिए न्यायिक जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) राज्य व्यापार विभाग के पास जमा खाद्य-स्टाक, मुख्यत, गेहूं, में कथित खराबी के सम्बन्ध में जांच कराने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने मांग की थी।

(ग) राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में कालिज तथा विश्वविद्यालय निधियों में कथित घोटाला

2083. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अगस्त, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कालिज तथा विश्वविद्यालय निधियों में घोटाला शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ऐसे सभी मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिये गये हैं, यदि हां, तो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के क्या निष्कर्ष हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

ख) और (ग) : समाचार पत्र में छपी कथित अनियमितताओं का सम्बन्ध विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन से है । विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को इस मामले की पहले ही से जानकारी है और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने अनुसार समुचित कार्रवाई करली है । विश्वविद्यालय के प्रेस के कार्य में जो अनियमिततायें देखने में आई थी उनको सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दी है, किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सुझाव के साथ यह मामला वापिस कर दिया है कि इस मामले को दिल्ली पुलिस के महानिरीक्षक को भेजा जाए । तदनुसार विश्वविद्यालय ने इस मामले को कार्यवाही के लिए पुलिस के महानिरीक्षक को भेज दिया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस सम्बन्धी घोटाला

2084. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस सम्बन्धी 3,50,000 रुपये के घोटाले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और यदि हां तो इसके लिये जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस में अनियमितताओं से सम्बन्धित कोई हवाला सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं दिया गया था । फिर भी, विश्वविद्यालय ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा था, जिसने उसे पुलिस [अधीक्षक] , दिल्ली से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी । विश्वविद्यालय तद्नुसार कार्यवाई कर रहा है ।

छात्रों में औषध व्यसन की समस्या

2085. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औषध व्यसन की समस्या पर विचार करने के लिए अगस्त मास में एक बैठक का आयोजन किया था;

(ख) इस बैठक में किन व्यक्तियों ने भाग लिया और उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं;

(ग) क्या उक्त बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने बताया था कि उक्त विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 विद्यार्थी इस व्यसन के रोगी हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने ऐलकोहल, सिगरेट और तीव्र तथा मृदु औषधियों के प्रभाव के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को सचेत करने वाली कोई पुस्तिका प्रकाशित की है और यदि हां, तो क्या उक्त पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन सी अन्य कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिय कुमार किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1166/71]**

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने बैठक में बतलाया कि वहां पर लगभग 100 से 200 तक पक्के औषध व्यसनी है और लगभग 5000 छात्र यदा-कदा औषधियां का सेवन करते हैं।

(घ) धूम्रपान के दुष्ट प्रभावों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :—

1. स्मोकिंग एण्ड केंसर

2. आई विश आई हैड नाट् स्टार्टेड स्मोकिंग

3. केंसर

4. जनवरी, 1964, जुलाई, 1966, मई 1967 और नवम्बर, 1971 के "स्वस्थ हिन्द" में धूम्रपान के दुष्प्रभावों पर लेख प्रकाशित हुए।

5. नवम्बर, 1971 के "स्वस्थ हिन्द" में "ड्रग्स एण्ड यूथ" शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ।

इन उपर्युक्त पुस्तिकाओं की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को पहले ही दे दी गई हैं।

(ङ) औषधियों का आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री औषध एवं अंगराग अधिनियम 1940 द्वारा विनियमित है। नशीली औषधियों पर नियंत्रण खतरनाक औषधि अधिनियम 1930 के अधीन किया जाता है। इस बैठक की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के अन्य उपायों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में प्लाटों के आवंटन के लिये पंजीकरण

2086. **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पूर्व निर्मित फ्लैटों के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामों के पंजीकरण के पृथक दोर में कुल कितने व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये ;

(ख) पूंजीकृत व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को उक्त पूर्व-निर्मित फ्लैट अब तक दे दिये गये हैं और शेष व्यक्तियों को ऐसे फ्लैट कब तक दे दिये जाने की आशा है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में पूर्व-निर्मित फ्लैटों के आवंटन हेतु व्यक्तियों के नाम पूंजीकृत करने का दूसरा दौर आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) क्या नये पंजीकृत व्यक्तियों को अपने नाम पंजीकृत कराने की तारीख से ही पूर्व निर्मित फ्लैटों के लिये आवेदन पत्र देने का अधिकार है ; यदि नही, तो इसके क्या विशिष्ट कारण है और इन व्यक्तियों को किस संभावित तिथि से ऐसे फ्लैटों के लिए आवेदन पत्र देने का अधिकार होगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 10812.

(ख) 4, 842.

(ग) जी, हां.।

(घ) नये पूंजीकृत व्यक्यिों को उन फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जायगी, जिनका विज्ञापन द्वितीय पजीकरण स्कीम के बंद होने के बाद दिया जायेगा। किन्तु पहले पंजीकृत व्यक्तियों की मांग पूरी होने के बाद ही केवल उनके आवंटन पर विचार किया जायेगा।

नेशनल फिटनैस कोर निदेशालय और शिक्षा मंत्रालय में पर्यवेक्षण कर्मचारियों का समान संवितरण

2087. **श्री एस० एम बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नेशनल फिटनैस कोर कर्मचारी संघ ने नेशनल फिटनैस कोर निदेशालय शिक्षा मंत्रालय ने अनुरोध किया था कि नेशनल फिटनैस कोर कार्यक्रम को प्रभावी रूप

से कार्यान्वित करने की आवश्यकता के लिये पर्यवेक्षण कर्मचारियों का समान संवितरण और पर्यवेक्षी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो नेशनल फिटनैस कोर निदेशालय और शिक्षा मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय को इस सम्बन्ध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ख) पूर्णरूपेण केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम राष्ट्रीय अनुशासन योजना के असमान, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने स्कूल कार्य कलापों के भाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । स्कूलों के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को परिशोधित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम में आवश्यक नवीकरण प्रशिक्षण दिया गया था इसके पश्चात् स्कूलों में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को लागू करने और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अनुदेशकों के कार्य के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के लिये पर्यवेक्षण आवश्यकताओं का पुनर्निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा उनके केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों को औपचारिक रूप से ले लेने के पश्चात ही किया जायेगा ।

कानपुर में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु वित्तीय सहायता

2088. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर नगर निगम ने गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार से 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां । कानपुर नगर निगम के महापौर से गन्दी बस्तियों के हटाने और मकानों के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये के नियतन का एक अनुरोध अगस्त, 1970 में प्राप्त हुआ था ।

(ख) राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिये (जिसमें आवास और गन्दी बस्ती सुधार शामिल है) केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को खण्ड-ऋणों और खण्ड-अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्ट योजना अथवा विकास क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं होते । राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये (तथा राज्य के उन क्षेत्रों और नगरों का जहां इनका उपयोग किया जाना चाहिये) नियतन निर्धारित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । तदनुसार निगम को इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है ।

निगम को यह भी सलाह दी गई थी कि वे आवास और गन्दी बस्ती सुधार के लिये

विशिष्ट परियोजनाएं (व्यवहार्य प्रकार की) बना सकते हैं और परियोजनाओं के निष्पादन के लिये ऋण-सहायता हेतु राज्य सरकार के माध्यम से आवास और नगर विकास निगम से सम्पर्क कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से कानपुर के लिये गन्दी बस्ती सुधार योजनाएं भेजने के लिये भी कहा गया है, जिसके लिये पृथक नियतन किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल के कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश

2089. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त स्थानों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के कालिजों तथा विश्व-विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश पाना कठिन हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रवेश पाने के लिये छात्रों को पूरा करने हेतु सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार राज्य में विभिन्न कालेजों के कुल दाखिले की क्षमता पर विचार करते हुए कालेजों में दाखिले के लिये सामान्य रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिये बशर्ते कि दाखिला समान रूप से समय विस्तार तथा संक्षिप्तरित हो। फिर भी, बहुत बड़ी संख्या के छात्रों द्वारा अपनी इच्छानुसार विशेष संस्थानों अथवा पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक वर्ष कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में दाखिले के मामले में छात्रों द्वारा सामना की गई वृहत कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राज्य सरकार, समस्या की गिरफ्त (पकड़) में है तथा स्थानीय माँग को देखते हुए, जहाँ भी आवश्यक है, निजी डिग्री कालेजों की स्थापना और सरकारी प्रायोजिक कालेजों में अतिरिक्त पारियों को चालू करने से सहमत हो गई है। सरकार ने उपलब्ध निधि के अन्दर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने तथा अतिरिक्त अध्यापन पदों के सृजन हेतु विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

खाद्यान्नों की वसूली

2090. **श्री के० बालकृष्णायुतम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में राज्यों से खाद्यान्नों की वसूली की समस्या पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किये गये निर्णय क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

19 अगस्त, 1971 को हुये राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का साराँश इस प्रकार है :—

1. यह निर्णय किया गया कि खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के संबंध में अब तक किए गये उपायों को न केवल जारी रखा जाना है बल्कि खेतिहार को लाभकारी मूल्य देने और सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की सप्लाई बनाए रखने संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें भविष्य में सुदृढ़ भी किया जाना है।

2. यह निर्णय किया गया कि यथा सम्भव बिचौलियों को समाप्त किया जाना चाहिए और खेतिहार को समुचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी सीधे ही खे तिहरों से की जानी चाहिये।

3. बिचौलियों को समाप्त करने के लिए राज्यों के विपणन प्रणालियों में सुधार किए जाने और खेतिहरों से सीधी खरीदारी करने के लिए विनियमित मंडियों की प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है।

4. खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में सहकारी समितियों को भी और भी कारगर ढंग से लगाया जाना चाहिए। सहकारी समितियों को इस प्रयोजन के लिए फिर क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

5. भण्डारण सुविधा अपर्याप्त होने के कारण देशभर में भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यह देखने का भी प्रयास किया जाना चाहिए कि खेतिहरों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता में भी सुधार हो ताकि वे अपने पास कुछ समय तक खाद्यान्न रख सकें।

6. सरकार खाद्यान्नों के संचलन संबंधी समस्या से पहले ही अवगत है और संचलन की स्थिति सुधारने का प्रयास जारी रखा जाएगा।

7. राज्य सरकारों को सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि उससे विशेषकर समाज के गरीब वर्गों के उपभोक्ताओं को कम आमद के मौसम के दौरान मूल्यों की अनुचित वृद्धि के भार से बचाया जा सके।

उत्पादकों को वसूली मूल्य का पूरा भुगतान और सहकारी समिति द्वारा वसूली

2091. **श्री के वालतन्डायुतम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों को वसूली मूल्य का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने और वसूली के लिये सहकारी समितियों को प्रभावशाली एजेंसियां बनाने हेतु सरकार के समक्ष कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य की अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों से यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसान को अधिप्राप्ति-मूल्य का पूर्ण लाभ मिले। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार खाद्यान्न-अधिप्राप्ति के कार्यों में से बिचौलियों को समाप्त करने की नीति का अनुसरण कर रही है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य की अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों को यह सलाह दी गई है कि वे सहकारी समितियों की सेवाओं का यथा सम्भव अधिक से अधिक प्रयोग करें। सहकारी समितियों को इस प्रयोजन हेतु अच्छी प्रकार से सुदृढ़ किया जा रहा है। अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियां खेतिहरों से सीधे ही खाद्यान्न खरीदने के लिए सीधा क्रय केन्द्र भी खोल रही हैं।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए जनजाति विकास परियोजनाएं

2092. **श्री० वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में विशेष जनजाति विकास परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, निम्नलिखित पांच जिलों में मार्गदर्शी जनजाति विकास परियोजनायें शुरु करने का प्रस्ताव है :—

जिले (राज्य) का नाम	**परियोजनाओं की संख्या**
1. सूकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)	1
2. सिंहभूम (बिहार)	1
3. वस्तर (मध्य प्रदेश)	2
4. गंजुम (उड़ीसा)	1
5. कोरापुट (उड़ीसा)	1

(ख) इन परियोजनाओं की मुख्य बातें ये हैं :-

1. जनजाति जीवन के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, परन्तु अर्थ विकास के क्षेत्र पर मुख्य तौर से बल दिया जाएगा।

2. जनजातियों की आर्थिक समस्यों की नीति यथा सम्भव वृहद और स्वीकृत होगी;

3. विभिन्न अधिकरणों द्वारा जनजातियों तक उनके आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं तक पहुंचने से रोका जाएगा।

4. यह कार्यक्रम प्रत्येक मामले में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत जनजाति विकास अभिकरण नामक एक समिति द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। जिले का कलेक्टर इसका अध्यक्ष होगा और इसमें अतिरिक्त जिलाधीश के ओहदे का एक पूर्ण कालिक परियोजना अधिकारी होगा जिससे कि कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के समन्वयन और प्रभावकारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

5. प्रत्येक परियोजना का कार्यक्रम अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं से सम्बन्ध होगा। विपरीत समाजार्थिक तथा प्राकृतिक भूगोल सम्बन्धी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों की एकरुपता पर बल नहीं दिया जा रहा है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में प्रत्येक परियोजना के कोर अर्थ विकास कार्यक्रम के लिए 1·50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जिसे पूर्ण रूप से भारत सरकार वहन करेगी। इस परिव्यय से राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले सामान्य आवंटनों की पूर्ति होगी। सामाजिक सेवाओं और संचार अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने के प्रश्न पर भी योजना आयोग अलग से विचार कर रहा है।

चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी अनुसंधान परियोजना के लिए आवंटन

2094. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है।

(ख) परियोजनाओं के लिए अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ग) अब तक कितने परियोजनाओं की स्थापना की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं से क्या अनुभव प्राप्त हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 145 लाख रुपये।

(ख) मार्च, 1971 तक 7·02 लाख रुपये। चालू वर्ष का नियतन 1976 लाख रुपये है।

(ग) 20

(घ) यह एक अनुसंधान एवं-कार्यवाही कार्यक्रम है और आधार क्षेत्रों में क्षेत्र सर्वेक्षण आरम्भ किए गए हैं।

सड़क द्वारा माल लाने ले जाने की सुविधा के सम्बन्ध में वैस्टर्न जान परमिट स्कीम

2095. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सात राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सड़क द्वारा माल लाने ले जाने

की सुविधा के लिये वैंसट्रन जान परमिट स्कीम को जनवरी, 1973 से क्रियान्वित कर दिया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्त-राज्यीय परिवहन आयोग वैस्टर्न जान स्कीम जिसमें आठ राज्य । महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली का संघीय क्षेत्र शामिल है को अन्तिम रूप देने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहें है और यह आशा की जाती है । कि योजना 1972 के आरम्भ में कार्यरूप में लाई जायेगी ।

(ख) वैस्टर्न जान स्कीम के प्रमुख लक्षण नीचे दिये जाते हैं ।

1. इस योजना के अन्तर्गत माल ढोने वाली गाड़ियां, परिचालन के लिए चुने गये सम्मि-लित राज्यों/संघीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा राजमार्गों पर बिना प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये चल सकती है तथा एक तरफा कराधान के आधार पर चलेगी ।

2. योजना की वैधता आरम्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए होगी ।

3. प्रत्येक हस्ताक्षरी राज्य द्वारा जारी किये जाने वाले संयुक्त परिमिटों की संख्या 200 तक सीमित होगी ।

4. परिचालक को अपने राज्य के अतिरिक्त कम से कम तीन राज्यों को चुनने की अनु-मति होगी ।

5. परिचालक गृह राज्य को सामान्य कर (अर्थात् मोटरगाड़ी कर तथा माल कर) अदा करेगा और इसके अतिरिक्त परिचालन के लिये प्रत्येक अन्य चुनी गई हस्ताक्षरी राज्य का प्रति वर्ष 700 रुपये के मिश्रित कर अदा करने होंगे । सभी कर अन्य राज्यों की ओर से आरम्भ में गृह राज्य द्वारा एकत्रित किये जायेंगे ।

भारतीय औषध में अनुसंधान सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुसंधान

2097. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध में अनुसंधान सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुसंधान पर 6·7 लाख रुपये खर्च किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च और अन्य संस्थाओं द्वारा पहले ही औषध अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो दोहरे प्रयत्नों के और खर्च के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने 1970-71 के दोरान औषधियों के अनुसंधान पर 21·16 लाख रुपये खर्च किये हैं ।

(ख) इस परिषद के लक्ष्य तथा उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा तथा योग चिकित्सा पद्धतियों के मौलिक तथा व्यावहारिक विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारम्भ, मार्गदर्शन, विकास तथा समन्वय करना है ।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंसान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी औषधियों पर अनुसंधान कार्य करते हैं ।

(घ) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद अधिकांशत: उन्हीं स्वदेशी औषधियों के बारे में अनुसंधान करती हैं, जिन्हें प्रत्यक्षत: आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी की माना जाता है । ऐसा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के विचार से किया जाता है जबकि अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किये गये औषधि अनुसंधान कार्य का उद्देश्य यह नहीं होता । एक ही कार्य के दो जगह किये जाने के अनावश्यक श्रम से बचने के उद्देश्य से औषधीय और सुगन्धित पौधों के कार्य के समन्वय के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने औषधि अनुसंधान की एक स्थायी समिति गठित की है जिसमें सभी सम्बन्धित अनुसंधान संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । तथापि इन औषधियों के स्त्रोत, उनके संग्रहण काल, भण्डार व्यवस्था और उनमें मिलने वाले क्रियाशील रासायनिक संघटक जैसी बातों में पाये जाने वाले अन्तर को देखते हुए थोड़ी बहुत पुनरावृत्ति अपरिहार्य ही नहीं वांछनीय भी है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में परीक्षा की मान्यता को समाप्त करना

2098. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 के बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में परीक्षा की मान्यता को केन्द्रीय सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के० किस्कू): (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचि में भारत के विश्वविद्यालयों, बोर्डों अथवा संस्थाओं द्वारा दी गई राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा की सभी मौजूदा चिकित्सा अर्हताएं सम्मिलित हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं को केवल 29 सितम्बर 1967 तक ही मान्यता दी है । इसलिये इस सम्मेलन द्वारा 29 सितम्बर, 1967 तक दी गई चिकित्सा अर्हताओं को ही भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित किया जा सका है :

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यों हेतु एक निगम का गठन

2101. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण कार्यों हेतु एक निगम गठन के लिये कोई विषद योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना को स्वीकृति दे दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस नूरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित निगम में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे :-

1. योग्य परिवारों को अतिरिक्त भूमि सौंपा जाना।

2. परिवारों को आवास सुविधाएं देना।

3. हरिजनों का आर्थिक उत्थान।

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग में विचार किया गया था। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित योजना के लिए काफी प्रारम्भिक कार्य और संवीक्षा अपेक्षित होगी। इसलिए योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को एक परियोजना के रूप में समझा जाए, जिसे वास्तव में पांचवी योजना की अवधि में चलाया जा सके। राज्य सरकार को आवश्यक अध्ययन शुरू करने, एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा 1972-73 के लिए अपनी वार्षिक योजना में इस प्रयोजन के लिए नाम मात्र की व्यवस्था शामिल करने की सलाह दी गई थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कोचीन शिपयार्ड के लिये आवंटित की गई राशि

2102. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कोचीन शिपयार्ड (केरल) के निर्माण कार्य के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : कोचीन शिपयार्ड के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 22 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है।

निर्यात में गति लाने हेतु कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय खोलने के लिये केरल सरकार का अनुरोध

2103. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने क्षेत्र कोचीन बन्दरगाह के रास्ते निर्यात की गति तेज करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

यौन सम्बन्धी रोगों को रोकने के हेतु हैल्थ विजिटरों तथा प्रचार करने की व्यवस्था

2104. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिल्ली तथा अन्य नगरों में योन सम्बन्धी रोग के मामलों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या योग्य हैल्थ विजिटर तथा रोगों की घातकता से परिचित कराने वाली प्रचार सामग्री का अभाव भी इस वृद्धि का एक कारण है ;

(ग) क्या वहुत से मामलों में अनुबन्ध चिकित्सा नहीं कराई जाती है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार हैल्थ विजिटरों की संख्या बढ़ाने तथा इन रोगों की चिकित्सा के लिये सहकारी अस्पतालों में और अधिक सुविधायें प्रदान करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) देश में यौन रोगों के फैलाव का नियंत्रण करने के लिये विशेष रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । चूंकि यह रोग अधिसूच्य रोग नहीं है, अतः यह वस्तुतः कितना फैला हुआ है इसके बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) : राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिसमें रति रोग चिकित्सालयों में नियुक्ति के लिये आवश्यक प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचरों की कमी अथवा प्रचार सामग्री के अभाव की बात कही गई हो । इस प्रकार यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यौन रोगों के नियंत्रण में अनुवर्ती चिकित्सा कार्य करने में सुयोग्य स्वास्थ्य परिचारों का अभाव बाधा का कारण हो सकता है ।

चौथे पंच वर्षीय अयोजन में रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्र समर्थित योजना के रूप में रखा गया है और इसके लिये राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को रति रोग चिकित्सालयों की स्थापना के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

रति रोगों के बारे में लोगों को समझाने के लिये 'विशस एनेमी' नामक 16 मिली मीटर की एक फिल्म तैयार कर दी गई है और उसे विभिन्न राज्यों को दे दिया गया है। इस मन्त्रालय की पत्रिका 'स्वस्थ हिन्द' में रति रोगों पर समय समय पर प्रकाशित लोक-प्रिय लेखों के अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के माध्यम से गरमी, सूजाक और शंकराम (शंकरायड्) पर फोल्डर भी निकाले गये हैं।

कृषि मंत्रालय में कार्य करने वाले अमरीकी विशेषज्ञ

2105. **श्री शशि भूषण :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मन्त्रालय में अभी कार्य कर रहे अमरीकी परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं तथा वे कब से कार्य कर रहे हैं और उनसे सम्बन्धित अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके कार्यों का वास्तविक स्वरूप क्या है;

(ग) उन्होंने पी० एल० 480 की कितनी राशि का उपयोग और किया है; और

(घ) क्या उनके स्थानों पर भारतीयों को नियुक्त करने का विचार है, यदि हां, तो कब से ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1167/71**]

(ग) अमरीकी विशेषज्ञों को अदायगी कृषि विभाग द्वारा नहीं अपितु यू० एस० एड द्वारा व्यवस्थित ट्रस्ट फन्ड से जाती है और नवम्बर, 1971 तक इन विशेषज्ञों पर 8,40;000 रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) ये विशेषज्ञ नियमित रूप से नियुक्त भारतीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त हैं। उन्हें किसी भारतीय कर्मचारी के स्थान पर नहीं रखा जाता। प्रत्येक विदेशी विशेषज्ञ के साथ एक या दो और प्रतिरूप व्यक्ति होते हैं जो सम्बन्धित विदेशी विशेषज्ञों के साथ कार्य करके नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जब विदेशी विशेषज्ञ अपनी नियुक्ति के बाद देश से चला जाता है तो भारतीय प्रतिरूप व्यक्ति जो उनके साथ कार्य कर रहे हैं उस कार्य को स्वयं सम्भाल लेंगे।

संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों में अपनाये जाने वाले नित पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों आदि के बारे में आयोग की नियुक्ति

2106. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे स्कूलों और कालेजों द्वारा जिन्हें 95 प्रतिशत तक राजकीय

अनुदान दिया जाता है, अपनाये गये पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों पर सरकार कोई नियंत्रण रखती है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन स्कूलों एवं कालेजों द्वारा अपनाये गये पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों की जाँच करने के लिये सरकार का कोई आयोग नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) ऐसा आयोग कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। संघीय क्षेत्रों के स्कूलों द्वारा अपनाए गए पाठ्यचर्याएं और पाठ्य पुस्तकें, संबंधित संघीय क्षेत्रों के उन माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिनसे कि वे स्कूल सम्बद्ध हों। कालेजों में, उन विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यचर्याएं तथा पाठ्यपुस्तकें निर्धारित की जाती हैं, जिनसे वे कालेज संबंधित हों।

(ख) और (ग) : इस मामले की जांच करने के लिए, सरकार का कोई आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है। किन्तु, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों के पुनरीक्षण हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की सहायता से राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों द्वारा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा।

भारत में सूखे के परिणामस्वरूप फसलों को क्षति

2107. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष सूखे के कारण फसलों की कितनी क्षति हुई है और इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सूखा के कारण किसानों को हुई हानि के लिए सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी है; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई योजना बनाई है या बनाने का विचार है जिससे कि करोड़ों रुपए की फसलों को क्षति से बचाया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दो विवरण (क्रमशः 1 और 2) संलग्न हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1168/71]**

(ग) सूखे से फसलों को हानि होने से बचाने के लिए विभिन्न योजनायें पहले ही से चल रही हैं। वे इस प्रकार हैं :-

(1) बड़े, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यक्रम।

(2) ग्राम निर्माण कार्यक्रम।

(3) बारानी खेती के क्षेत्रों में नई तकनौलौजी का सूत्रपात, जिसमें सूखा सहने वाली किस्मों का विकास शामिल है।

(4) मृदा और जल प्रबन्ध अध्ययन।

जामनगर में दूसरे पुल का निर्माण

2108. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर में एक अन्य पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो कार्य कब प्रारम्भ होगा और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जैसा कि लोक सभा में 2 जुलाई 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3769 का उत्तर देते हुए सूचित किया गया था, जामनगर में प्रस्तावित दूसरे पुल, तैयार हो जाने पर, राज्य सड़क पर पड़ेगा। उक्त पुल से मुख्यत: सम्बन्धित गुजरात सरकार ने बताया है कि उक्त पुल के निर्माणार्थ उनका प्रस्ताव है।

(ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे कृषि उत्पाद

2109. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से कृषि उत्पाद अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे हैं; और

(ख) यह उत्पाद किन देशों को निर्यात किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है।

गुजरात बन्दरगाह पर निकर्षण पोत (ड्रेजर)

2110. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात बन्दरगाह पर कितने निकर्षण पोत हैं;

(ख) इनमें से कितने चालू हालत में हैं ;

(ग) वदी बन्दरगाह पर कितने निकर्षण पोत हैं; और

(घ) क्या यह संस्था इस बन्दरगाह के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो और कितने निकर्षण पोत दिए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नौ निकर्षक।

(ख) आठ ।

(ग) पूंजीगत निकर्षण के लिए एक सक्शन निकर्षक और गोदी वाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रख रखाव निकर्षण के लिए एक पीनटून सिंगल ग्रेव क्रेन निकर्षण एकक ।

(घ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वेदी पत्तन में लगाये निकर्षक पर्याप्त हैं ।

Assistance Received from Foreign Countries Under "Freedom from Hunger Campaign"

2111. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of assistance received by India from foreign countries by way of "Freedom from Hunger Campaign" during 1968, 1969 and 1970;

(b) the names of the States given central assistance together with the amount there of ; and

(c) the terms and conditions attached to the assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The amount of assistance received by India from foreign countries under Freedom from Hunger Campaign during the years 1968, 1969 and 1970 is as below :—

Year	Amounts (Rs. in Lakhs)
1968	155.14
1969	138.35
1970	36.83
Total :	330.32

(b) The names of the States and the quantum of assistance provided to the various organisations in the States, out of the above funds received from abroad are given in the statement attached. **[Placed in the Library see No. L. T. 1169/71]**

(c) There are no specific conditions attached to the assistance received from abrorad. The Indian Freedom From Hunger Campaign Society is however required to send reports to the Donors periodically indicating as to how the funds have been utilised and what results have been achieved. The State Governments and local organisations are also required to make suitable arrangements to ensure that the programmes of work outlined for the projects are properly executed.

The Indian Freedom From Hunger Campaign Society, in turn, makes it obligatory on the part of the executing agencies/Recipients of aid to furnish periodically progress reports on the work done and audited statements of accounts. The Society also exercises overall supervission on the implementation of the projects bothdirectly and through the State Governments and the subject-matter Divisions of the Ministry of Agriculture.

The bigger projects involving an assistance of over rupees one lakh are implemented through specially appointed Project Implementation Committees or Registered Societies on which both officials and non-officials are represented.

Effect of Ceiling on Land on Religious and Educational Institutions

2112. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether several religious and educational institutions are likely to be affected by the decision to impose ceiling on land; and

(b) whether any proposal to provide protection to these institutions is under the consideration of the Government ?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) No, Sir. Lands held by religious, charitable and educational institutions are exempted from the existing ceiling laws of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Madhya Predesh, Maharashtra, Mysore, Pepsu areas of Haryana and Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. In other States where ceiling applies to such institutions, the law has provided for payment of annuity so that the purposes for which religious and charitable institutions have been created do not suffer adversely. The Government of India is in favour of the exemption of religious and charitable institutions being substituted by payment of annuity.

ट्रावनकोर भवन, नई दिल्ली

2113. **श्री वायालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकोर भवन को खाली करने के केरल सरकार के निरन्तर अनुरोधों के बावजूद भी दिल्ली प्रशासन ने ट्रावनकोर भवन के विशाल प्रांगण पर अधिकार किया हुआ है;

(ख) दिल्ली प्रशासन केरल सरकार को कितना किराया दे रहा है; और

(ग) उक्त प्रांगण कब तक केरल सरकार को सौंप दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (आई० के० गुजराल) (क) से (ग) : केरल सरकार की इच्छा अनुसार भूमि का एक भाग केरल एजुकेशन सोसाइटी को हस्तान्तरित कर दिया गया है । शेष भाग दिल्ली प्रशासन की सीक्योरिटी पुलिस के दखल में है, और इसे प्रशासन द्वारा खाली करते ही राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । उन द्वारा दखल में किये गये उन हटमेन्टों का दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई किराया अदा नहीं किया जा रहा है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा बनवाया गया था ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें

2114. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) (क) और

(ख) : दिल्ली प्रशासन के पुलिस कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1971 से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

धन की कमी के कारण फिलहाल दिल्ली प्रशासन के अन्य कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के शुल्कों में वृद्धि

2115. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के शुल्क में निरन्तर वृद्धि की जाती रही है और औसत साधनों वाले विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो छात्रावासों के शुल्कों को कम करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ग) कमरे के किराये और छात्रावास के अन्य खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहां तक खाने के खर्च का प्रश्न है मूल्यों में आम वृद्धि के कारण कुछ मामलों में थोड़ी वृद्धि की गई है।

देर से बुवाई के परिणामस्वरूप गेहूं की पैदावार में कमी पर अनुसंधान

2116. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यदि सामान्य तिथि तक गेहूं न बोया जाये तो उसके परिणामस्वरूप गेहूं बोने के उत्पादन में कमी हो जाती है और देर से गेहूं बोने के समय से हानि को काफी हद तक पूरा करने के लिए 25 प्रतिशत तक बीज गेहूं अधिक बोना आवश्यक हो जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो की गई अनुसंधान के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) गेहूं बोने की सामान्य तिथि क्या है; और

(घ) क्या देश के सभी भागों में यह लागू होता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हाँ। देर से गेहूं की बुवाई होने के कारण उत्पादन में कमी हुई है जो 10 से 25 प्रतिशत बीज दर बढ़ाकर या कतारों में फासले को कम करने से काफी हद तक पूरी की जा सकती है, बशर्ते कि बुवाई में असामान्य रूप से देर न हुई हो।

(ख) देर से बुवाई करने से जो हानि होती है, उसके बारे में जानकारी अनुबन्ध में दी गई है। नवम्बर के अन्त के बाद फसल की बुवाई होने से उत्पादन में काफी कमी होती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1170/71]**

(ग) देश के विभिन्न कृषि-जलवायु वाले क्षेत्रों में डवार्फ गेहूं पर किये गये अनेक प्रयोगों के आधार पर विभिन्न अधिक उत्पादनशील गेहूं की किस्मों के लिये बुवाई की तिथि निम्न प्रकार है—

1. कल्याण सोना तथा छोटी लरमा आदि दीर्घकालीन किस्मों के लिये	नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा
2. सोनालिका तथा शरबती सनोरा आदि अल्पकालीन किस्मों के लिये	नवम्बर का दूसरा पखवाड़ा

(घ) जी, हाँ। उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर।

नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग का समय और मात्रा

2117. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की फसल के लिये नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग दो छिड़कावों में किया जाता है अर्थात एक बार बोने के समय और दूसरा पहली सिंचाई के समय;

(ख) यदि हाँ, तो प्रति हेक्टरयर प्रयुक्त नाइट्रोजन की मात्रा क्या है; और

(ग) क्या इसे सभी तरह की भूमि पर प्रयोग किया जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) पिछली फसल की प्रकृति को देखते हुये 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टार।

(ग) प्रायः ऐसा ही है।

रेफ्रीजीरेशन व्यवस्था के कार्य न करने के परिणामस्वरूप कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना में संकट

2118. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिंगघाट डेरी के रेफ्रीजीरेशन व्यवस्था के कार्य न करने और बेलघाचिया में बोतलें भरने वाले संयंत्र के कार्य न करने के परिणामस्वरूप कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संयत्रों के कार्य संचालन के लिए और कलकत्ता में दूध सप्लाई में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कलकत्ता दुग्ध योजना की हरिंग-घाट डेरी के प्रशीतन संयत्र में खराबी होने के कारण कभी-कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बेलगाचिया डेरी में भी एक बीटलिंग संयत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) हर्ि गघाट डेरी का पुराना प्रशीतन संयत्र काफी दिनों से काम करता आ रहा है। अंतः उसमें पूरा भार वहन करने की क्षमता नहीं है। बेलगाचिया डेरी का वीटलिंग संयत्र आयातित उपकरण है और इसके अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धि एक समस्या बन गई है।

(ग) प्रशीतन प्रणाली को सुधारने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 3 माह की अवधि में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। वीटलिंग संयत्र की पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिये मंगवाये गये कुछ अतिरिक्त पुर्जे कलकत्ता बन्दरगाह पर पहुंच गये हैं। कलकत्ते की दुग्ध आपूर्ति में सुधार लाने के लिए कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कर दिया गया है।

शिक्षा का नवीकरण

2119. **श्री वेकारिया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अक्तूबर, 1971 को भुवनेश्वर में हुई शिक्षा अधिकारों की बैठक में उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी लाइनों पर शिक्षा पद्धति के नवीकरण पर बल दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस पद्धित की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पद्धति को कार्य रूप में परिणित के बारे में उनका क्या विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षा विकास 4, नवीनता, तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान हेतु क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 4 भुवनेश्वर में 29 में अक्टूबर, से । नवम्बर, 1971 को जिला शिक्षा अधिकारियों/स्कूल निरीक्षकों, पूर्वीय क्षेत्र के राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों का नवीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया था।

अध्यक्षीय भाषण में उप मंत्री द्वारा सुनाये गये कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं : 5

(i) आवधिक सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठियां, तथा शिक्षा में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यकलापों से सम्बन्धित कार्यों में रत जिला शिक्षा अधिकारियों और विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य संगठनों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए। इससे अपने सामान्य कार्य कलापों तथा नये विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और इसके विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद शिक्षा-योजना तथा प्रशासनिक संस्थान एशियाई संस्थान क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों जैसे विभिन्न स्कन्ध भली प्रकार समझ सकेंगे।

(ii) यह आवश्यक है कि शिक्षा योजनाओं की तैयारी जिला स्तर पर की जानी चाहिए। और सभी संस्थानाध्यक्षों को इन योजनाओं की तैयारी में प्रभावी ढंग से शामिल होना है।

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी के लिये, जिलों के विकास हेतु कार्यरत अपने विभाग तथा अन्य विभागों में सशक्त सम्पर्क स्थापित करना अपेक्षित होगा।

(vi) शिक्षा की प्रदत्त समस्याओं के समाधान हेतु वैकल्पिक योजनाओं को तैयार करने

हेतु वैकल्पिक योजनाओं को तैयार और चुने गये (श्रेष्ठ) जिलों में विद्यमान भौतिक तथा जन शक्ति सुविधाओं में परीक्षणों को संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य के एक जिले में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की गई है। अवित्तीय निवेशों पर अधिक बल दिया जायेगा। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के सफलतापूर्ण समापन पर इसी प्रकार के कार्यक्रम अन्य जिलों में भी कार्यन्वित किये जा सकते हैं।

(v) नई पद्धतियों, सामग्री तथा उद्योग विद्या के विकास में विभिन्न राज्यों द्वारा पर्याप्त अनुभव विनिमय को उपलब्ध करना चाहिए।

(vi) पूरा प्रशासनिक ढाँचा ही विकासोन्मुख होना चाहिए तथा अनुरक्षण प्रशासन के सिद्धान्तों पर आधारित वर्तमान कार्यपद्धतियों को परम्पराविरुद्ध तथा स्वच्छन्द कार्यविधियों में बदला जाना है, जिससे अध्यापकों संस्था प्रमुखों तथा सामान्य जनता के उपक्रमण और शामिल होने के पर्याप्त अवसर दिए जा सकेंगे संक्षेप में, पूरा ही प्रशासनिक तंत्र अत्यन्त लचीला तथा गतिशील होना चाहिए।

(vii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में त्वरित विकास को देखते हुए शैक्षिक उद्योग को कुटीर उद्योग की पद्धति पर नहीं चलाया जा सकता तथा कक्षा में पठन पाठन की स्थिति में सुधार की तकनीकी और नई पद्धतियों को लागू करके इसे आधुनिक बनाना है। यह केवल शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु बिना लागत बढ़ाये हुए, अधिक संख्या में लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक है।

(viii) स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कई एक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं तथा यह आशा की जाती है कि जिला स्तर पर शिक्षा के प्रभारी अधिकारी इन नई पद्धतियों में अपनी रुचि बढ़ाते रहेंगे तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन पद्धतियों को अपने जिलों में विकास करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा इसके क्षेत्रीय कालेजों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करेंगे।

(ix) जिला शिक्षा अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षा योजना तथा प्रशासन के एशियाई संस्थान तथा शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों से निकटतक सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

3. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने जिला शिक्षा अधिकारियों से बात की तथा उन्हें नये विचारों तथा नवीनतम शिक्षा तकनीकी के बारे में विस्तार से बताया गया था। यह आशा की जाती है कि अपने-अपने जिलों में इनके कार्यान्वियन के लिए वे आवश्यक कदम उठायेंगे।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये धन

2120. **श्री वेकारिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये कोई विधि बताई है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य के लिये उसमें कितनी राशि मंजूर की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, परन्तु देश के निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले चुनींदा क्षेत्रों में ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना गत वर्ष शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अधीन चुनींदा क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधायों के विकास को उच्च अग्रता दी गई है।

(ख) गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए 7 जिलों का चयन किया गया है। प्रत्येक चुनींदा जिले के लिये लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनरोमण और सड़कों, आदि क्षेत्रों में विभिन्न कार्य प्रारम्भ करने के लिये चौथी योजनाविधि के दौरान 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की जायेगी। कुल उपलब्ध 14 करोड़ रुपये के परिव्यय में से लघु सिंचाई योजनाओं के लिये स्वीकृत किये जाने वाले अन्तिम उपबन्ध के विषय में जहां अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, वहां गुजरात राज्य के चुनींदा जिलों में सिंचाई योजनाओं केलिये चालू वर्ष में अब तक 84.13 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

दरभंगा बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

2121. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा के स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई मांग आई है,

(ख) क्या विदेश व्यापार मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल गया था और मिथिला-विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना की आवश्यकता के बारे में उन्हें जानकारी दी और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) "मिथिला" नामक एक नया विश्वविद्यालय खोलने का बिहार सरकार का प्रस्ताव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

प्रति परिवार 10 से 18 एकड़ भूमि की उच्चतम सीमा।

2122. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के प्रतिवेदन के बारे में 15 नवम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच सदस्यों के एक परिवार के लिये, निरन्तर सिंचित भूमि अथवा फसलें उगाने हेतु सरकारी स्रोत से निश्चित सिंचाई वाली भूमि की उच्चतम सीमा 10 से 18 एकड़ तक निर्धारित करने के प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को किस तिथि को मंत्रणा दी थी ;

(ख) राज्य सरकारों की उस पर प्रतिक्रिया क्या रही ; और

(ग) इस बारे में कितने राज्यों ने अब तक उत्तर भेज दिये हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) (क) **से** (ग) : कृषि मंत्री ने अपने दिनांक 18-9-1971 के पत्र में राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वे जोत की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करें । केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में जोत की अधिकतम सीमा के स्तर, अधिकतम इकाई आदि के सम्बन्ध में जोत की अधिकतम सीमा के प्रावधान, केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार ही है । यह मामला अन्य राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

केरल में छोटे पत्तनों का विकास

2123. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में छोटे पत्तनों का विकास करने सम्बन्धी एक योजना केन्द्र की प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) **से** (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बेपीर पत्तन के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना में 197.75 लाख रु० की अनुमानित लागत से पनकट दीवार (450 मी० लम्बी) का निर्माण पहुंच जल मार्ग तथा बेसिन का निकर्षण, बांध सुधार बन्दरगाह कर्षनव, बांध नाकों, पाइलट लाच, दिक् चालन साधन आदि की आपूर्ति जैसे कार्य करने का विचार है । इस मन्त्रालय ने प्रस्तावों की जांच की थी तथा राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण माँगे थे जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

कोचीन (केरल) में परिवार नियोजन शिविरों की सफलता

2124. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल में कोचीन में आयोजित एक परिवार नियोजन शिविर को पूर्ण सफलता मिली है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी वैसे ही शिविरों का आयोजन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) विभिन्न राज्यों में प्रयोगात्मक उपाय के रूप में ऐसे अनेक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इस शिविर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं :-

(क) नगरीय और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में, जिनमें पंचायतें, नगर पालिकाएं और नगरनिगम भी शामिल हैं, स्थानीय नेतृत्व को इस कार्यक्रम में लगाना। जिला सामुदायिक विकास खण्ड और पंचायत स्तर पर 501 जनसंख्या समितियों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया।

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी तथा स्वेच्छिक एजेन्सियों द्वारा सम्मिलित प्रयास।

(ग) शिविर से पूर्व और उसके दौरान, व्यापक प्रचार और शिक्षा सम्बन्धी अभियान।

(घ) शिविर के आयोजन के लिए उपयुक्त समय जब लोग मीडिया एक्स्पोजर प्रोत्साहन और सेवाओं ले लिए उपलब्ध थे।

(ङ) विस्तृत योजना और संगठन।

(च) मामलों के चयन, शल्य चिकित्सा, देखरेख और अनुवर्ती इलाज के लिए पर्याप्त, कुशल और द्रुत सेवाओं की व्यवस्था।

(छ) अपनाने वालों और प्रोत्साहकों के लिए नकद और अन्य रूप में, दोनों प्रकार के उच्च स्तर के प्रोत्साहन।

कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से गृह और लघु उद्योगों को वित्तीय ऋण दिया जाना।

2125. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीर्घ कालिक ऋण, कम उपज वाले क्षेत्र, एवं अल्पकालिक और मध्यावधिक ऋण के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कृषि ऋण बोर्ड की स्थायी समिति-2 के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) क्या स्थायी समिति-I ने कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से गृह और लघु उद्योगों को ऋण देने के बारे में पुनर्विलोकन किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) **कृषि** ऋण बोर्ड की स्थायी समिति 2 की अब तक केवल एक बैठक हुई है। उस बैठक के मुख्य निर्णय। निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :-

1, **अल्पकालीन ऋण** : समिति ने, मौसमी कृषि कार्यों तथा फसलों के विपणन और रासायनिक उर्वरकों की खरीद तथा वितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई ऋण सीमाओं के उपयोग में हुई प्राप्ति की समीक्षा की। यह निर्णय किया गया कि ऋण सीमा आवेदनों की देर से होने वाली प्राप्ति और इसके फलस्वरूप ऋण सीमाओं की स्वीकृति में होने वाले विलम्ब की समस्या की भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग द्वारा कुछेक राज्य सहकारी बैंकों की सलाह से आगे और जांच की जाए।

2. **मध्यकालीन ऋण** : समिति ने सहकारी मध्यकालीन ऋण की प्रगति की समीक्षा की

और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से मध्यकालीन ऋण सीमाओं का उपयोग करने में सुधार करने के उपायों पर विचार किया ।

3. **दीर्घकालीन ऋण** : भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्र जारी करने के कार्यक्रम में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और यह सिफारिश करने का निर्णय किया गया कि भूमि विकास बैंकों को प्राथमिक बैंकों और शाखाओं के लिए उनके स्तर के अतिदेयों की स्थिति के संदर्भ में सहायता का नियमन करना चाहिए ।

यह भी तय किया गया कि बैंकों की शोधन-निधियों का 60 प्रतिशत तक भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्रों में, 20 प्रतिशत सरकारी तथा अन्य न्यास-जमानतों में और 20 प्रतिशत तक राज्य सहकारी बैंकों और । अथवा वाणिज्य बैंकों के सावधिक जमाओं में लगाया जाए । यह भी तय किया गया कि यदि उपर्युक्त छूट को पर्याप्त नहीं समझा गया तो सरकारी जमानतों के अलावा न्यास-जमानतों में 10 प्रतिशत से अधिक पूंजी लगाने की अनुमति देने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है ।

4. यह तय किया गया कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक तमिलनाडु में उठाऊ सिंचाई समितियों से ऋणों के 5 प्रतिशत के बजाय 2 अथवा 2½ प्रतिशत अंशपूंजी एकत्र करें । इससे कृषक सदस्यों को उठाऊ सिंचाई समितियों में हिस्से खरीदने के लिए किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी । उपर्युक्त छूट के परिणामस्वरूप प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की अंश पूंजी को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की अंश पूंजी में अंशदान हेतु दीर्घकालीन परिचालन निधि में से राज्य सरकारों को ऋण स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है ।

समिति ने मन्दित विकास वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श नहीं किया ।

(ख) जी हां । समिति ने, राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा रिजर्व बैंक के औद्योगिक वित्त सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के सहकारी बैंकों के माध्यम से, कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही की अपर्याप्तता को खेद के साथ नोट किया । समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्रालय राज्य उद्योग निदेशालयों से अनुरोध करे कि वे औद्योगिक वित्त कार्यकारी दल द्वारा की गई सम्बन्धित सिफारिशों के उन कार्यवाही के विशिष्ट विषयों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित करें जो उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा भेजे जाएं ।

खाद्यान्नों की भंडार क्षमता बढ़ाने की मांग

2126. **श्री पीलू मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के लिये गोदाम क्षमता में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) खाद्यान्नों के जमा करने के लिये देश में अद्यतन गोदाम क्षमता क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई भण्डारण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने इस वर्ष सितम्बर में प्रस्तुत की गई

अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि चौथी योजना के अन्त तक बफर स्टाक सहित खाद्यानों की अधिप्राप्ति और सरकारी वितरण के लिए लगभग 99 लाख मी० टन क्षमता के भण्डारों की आवश्यकता होगी जबकि पहले 82.5 लाख मी० टन का अनुमान लगाया गया था।

(ख) देश में खाद्यान्नों के लिए विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता निम्न प्रकार है :—

(क्षमता लाख मी० टन में)

(1) भारतीय खाद्य निगम	77.6 ?
(2) केन्द्रीय भाण्डागार निगम	13.9 ??
(3) राज्य भाण्डागार निगम	19.3 ??
(4) राज्य सरकारें	31.3
(5) सहकारी समितियां	33.6 ???

हावड़ा में कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना की एक दुग्ध गाड़ी का जलाया जाना

21 8. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा में 31 जुलाई, 1971 को कुछ गुंडों ने एक दुग्ध गाड़ी को आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप उस दिन हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में वृहत्तर कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना के अन्तर्गत दो डिपुओं में दूध नहीं दिया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये उत्तरदायी मुजरिमों को पकड़ने के लिये सरकार ने कोई सुदृढ़ उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। स्थिति नियन्त्रण में है और साधारण सप्लाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार से ब्यौरा मांगा जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

Price of Sugarcane on Uniform Basis

2129. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) the basis on which the price of sugarcane has been fixed as Rs. 7 pasie 37 per quintal; and

? इसमें केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगमों और राज्य सरकारों से किराये पर ली गई क्षमता शामिल है।

?? क्षमता का केवल कुछ भाग ही खाद्यान्नों के लिए प्रयोग किया जाता है।

??? क्षमता का 25 प्रतिशत भाग ही खाद्यान्नों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(b) the scheme formulated by Government to keep the price of sugarcane in a uniform proportion to the price of gur, shakkar and sugar permanently ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Central Government fixes only the minimum price of sugarcane payable by vaccum pan sugar factories. The actual price to be paid is settled between the sugarcane grower and the sugar factory concerned. The minimum price payable by vaccum pan sugar factories for sugarcane purchased in 1971-72 season has been fixed having regard to

(i) the cost of production of sugarcane ;

(ii) the return to the grower from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities ;

(iii) the availability of sugar to the consumer at a fair price ;

(iv) the price at which sugar produced from sugarcane is sold by producers of sugar ; and

(v) the recovery of sugar from sugarcane.

(b) No such scheme has been formulated by the Government. The price of sugarcane is governed by the normal law of demand for it for production of gur, khandsari and sugar.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार के पूर्णिया जिले में भू-स्वामियों द्वारा संथालों के मारे जाने के समाचार

Shri Nawal Kishore Sharma (Dowsa) : I call the attention of the Minister of **Home** Affairs to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon.

"Reported killing of 14 Santhals and injuries to 36 Santhals by landowners in Purnea District of Bihar on the 22nd November 1971".

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : 22 नवम्बर को बिहार में पूर्णिया जिले के पुलिस थाना धमदाहा के अन्तर्गत रूपसनुर गाँव में भयानक तथा दु.खद घटनाएं हुई थीं। राज्य सरकार के पास अब तक जो सूचना उपलब्ध है उससे प्रतीत होता है कि संथाल टोला के एक व्यक्ति कंदन मर्नु ने एक भूमि में खेती की थी। 22 नवम्बर को अपराहन लगभग 3.30 बजे तीर-कमानों, भालों, गड़ासों आदि से लैस लगभग 150 व्यक्तियों की एक भीड़ उस भू-खण्ड पर आई तथा उसने कच्चे धान को काटना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ चौकसी कर रहे थे। जब कुछ संथाल, जो कि पड़ोस में रह रहे थे, विवादास्पद भूमि पर आये तो भीड़ ने उनका पीछा कर भगा दिया। तत्पश्चात यह भीड़ संथाल टोला पर आई जहां एक दुसरी भीड़ भी जो बन्दुकों से लैस थी तथा जिसके साथ ट्रैक्टर, ट्रैलर तथा स्टेशन वेगन भी थे, उससे मिल गई। फिर दोनों ने संथाल टोला को घेर लिया, मकानों को बाहर से ताला लगा दिया तथा उनको आग लगा दी। कुल मिलाकर 45 मकान जल गये। जिन्होंने बच कर भाग निकलने का प्रयास किया। उन पर गोली चलाई गई। गड़ासों तथा अन्य हथियारों से चोटें भी मारी गई। मारे गये

व्यक्तियों में से कुछ के शव टैक्टरों में रख कर ले जाये गये। अब तक चार शव मकानों तथा कोसी नदी में से बरामद किये गये हैं। अब तक 33 व्यक्तियों के चोटें लगने की सूचना मिली है जिनके बारे में बताया जाता है कि इलाज हो रहा है। फौजदारी मुकदमा दायर किया गया है और अब तक 10 व्यक्ति गिरफ्फतार किये गये हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत फरार अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट निकाले गये हैं और इसमें अन्य कार्यवाही की गई है तथा जांच-पड़ताल अभी चल रही है। इन घटनाओं की सूचना मिलने पर बिहार के मुख्य मंत्री उक्त गांव में गये थे। वरिष्ट पुलिस अधिकारी, क्षेत्र में पड़ाव डाले हुए हैं तथा शान्ति बनाये रखने एवं भगड़े की पुनरावृति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। पुलिस के संबंधित उप-अधीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी को लापरवाही के लिए निलम्बित कर दिया गया है। पीड़ित ग्रामवासियों को शीघ्र राहत देने के लिए 3,000 रुपये की राशि वितरित की गई है। भारत सरकार राज्य सरकार से पूरी तरह सम्पर्क बनाए हुए है तथा वह इन घृणित अपराधों के करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जो भी सहायता बिहार सरकार द्वारा माँगी जायगी, प्रदान करेगी।

Mr. Speaker. I am not restrictining the number of Members on a call attention notice to three as I have been assured that the first Member will 5 minutes and the rest-will confine themselves to one question.

Shri Nawal Kishore Sharma : The aforesaid tragedy is the direct result of inaction on the parts of the state Government in respect of land reforms. Bihar is the most backward state in the country. Similar incidents have occurred in other parts of the country also. Certain vested interests do not favour the land reforms to be implemented. They have always been trying to come in that way. We could acquire only 20 lakh acres of land as a result of ceiling on land. It comes to only 1/2 percent of the total cultivable land. Government should pay recessary attention towards this aspect. Government should not shift its responsibility to the states I want to ask whether they will introduce a legislation to achieve this end. Will the hon' Home Minister give an assurance that Government will acquire land from the people who are having lakhs of bighas of land, and distribute it among the poor? Government should bring forward a Bill amending the contribution for this purpose.

Government have announced that a sum of Rs- 3,000/- has been distributed as immediate relief among the affected villagers. This assistance is quite inadequate. They should give sufficient assistance to them as they are backward and also to the harijan families.

I demand that the culprits should be brought to book. It is understood that some political parties are making capital out of this incident. They are trying to implicate some persons who are not connected with this incident at all. In view of this, Government should see that only real culprits are brought to book.

Shri K. C. Pant : The question of land reforms is not related to Ministery of Home Affairs. However, Government would consider the suggestion of the hon. Member in addition to the steps already taken in this regard. If so far as the question of quantum of assistance is concerned, the chief Minister has visited the place of incident and he would consider this question in detail.

The state Government is investigating the matter and the central Government is prepared to give any assistance, if and when asked for by the State Government

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know as to who want to reap the crop—the Santhals or the workers of the landowners? The police have sided with the land owners The D.S.P., now under suspension, is related to the landowners. The police was withdrawn

from the place of incident only two days before. That shows that land owners were given free hand to crush the Santhal farmers. The atrocities committed by the landowners are unprecedented. The Government officials help the landowners. The Chief Minister of the state has not condemned the incident. This question is related to land reforms. The cultivaters are being suppressed. Unless Pro-landlord policy of Bihar Government is changed, the interests of the farmers cannot be safeguarded. I want to know as to what action has been taken by the Government against the landlords who have violated Section 71 of B.T. Act ? I would also like to know the action taken against the Inspector who was informed about this incident in the evening ? What is the justification of releasing the people on bail who were arrested under Section 302 and 307 ? Will the Government constitute a committee of Members of Parliament to conduct an enquiry into the whole affair to report to the House the causes that led to the said incident ?

Shri K. C. Pant : Most of the questions asked by the hon. Members pertain to law and order which is a state subject. However I have placed the facts before the House according to the information received by us. We have condemned this ghostly and tragic incident. The D.S.P. has been suspended and I do not have any information about the Inspector. The D.S.P. along with B.D.O. had reached the spot at about midnight.

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : पूर्णिया जिले में यह बहुत ही दुखद घटना हुई है। बिहार के समस्त उत्तरी क्षेत्र ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बिहार सरकार इस समस्या के साथ निपटने में असमर्थ पाई गई है। हमारे क्षेत्र में और फिर दरभंगा जिले में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अतः समस्त उत्तर बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। क्या मन्त्री महोदय को पता है कि हर वर्ष पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में फसल की कटाई के समय ऐसी घटनाएं होती हैं, यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में क्या विरोधात्मक उपाय किये गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि श्री राम अधर सिंह ने, जिसकी भूमि पर यह दुर्घटना हुई है, पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था और यदि हां, तो पुलिस ने इस घटना को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की थी। क्या यह घटना सोशलिस्ट पार्टी और विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी के विधान सभा के सदस्य श्री कालिका सिंह द्वारा उत्तेजित किये जाने के कारण हुई है ? क्या पुलिस ऐसे व्यक्तियों को फंसा रही है जिनका इस घटना के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ? मैं मन्त्री महोदय को इन व्यक्तियों के नाम भी बता सकता हूं। क्या सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कोई समान भूमि नीति बनायेगी और उसे शीघ्र क्रियान्वित करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द पंत : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस घटना का मूल कारण भूमि सुधार उपायों को पूरी तरह से क्रियान्वित न किया जाना है। मुझे आशा है कि बिहार सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री एक ईमानदार व्यक्ति है और वह अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे। यह मामला किसी दल विशेष का नहीं है। बिहार में सभी दल सरकार चला चुके हैं। आज कोई भी दल दूसरे दल के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता।

पुलिस को इस घटना से पहले कोई जानकारी दी गई थी या नहीं—इसका हमें पता नहीं है। परन्तु इस घटना को किसी भी प्रकार उचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को इस मामले में फंसाया जा रहा है जिनका इसके साथ

कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस जानकारी को बिहार सरकार को भेज दें जिससे वह अपनी जांच में इस बात का भी ध्यान रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य लम्बे भाषण न देकर सीधे प्रश्न पूछें, तो उचित होगा।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मंत्री महोदय का कहना है कि यह सारा मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिये संविधान में कुछ उपलब्ध हैं ? इस प्रकार का एक उपबन्ध अनुच्छेद 46 में है। यदि यह बात ठीक है तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? अनुसूचित जाति के इन संथालों को युगों से कुचला जा रहा है। फिर इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो रही हैं। सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों ? यदि पिछले दो या तीन वर्षों का ब्यौरा देखा जाये तो पता चलेगा कि इन धनवान जमीन-दारों ने कमजोर वर्गों के लगभग 500 व्यक्तियों की हत्या कर दी होगी। इन घटनाओं को रोकने के विचार से समस्त देश में समान कानून बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? निःसंदेह यह घटना बहुत ही दर्दनाक है जिसमें इतने अधिक व्यक्तियों की हत्या की गई है। मंत्री महोदय के वक्तव्य और प्रैस में प्रकाशित समाचारों में मृत व्यक्तियों की संख्या में अन्तर है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो सात दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करे।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : भूमि राज्य का विषय है। माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि भूमि के सम्बन्ध में समान नीति लागू करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। परन्तु ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में अभी काफी काम करना बाकी है।

जहाँ तक मृत व्यक्तियों की संख्या का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनकी संख्या 12 है संसदीय समिति इससे अधिक क्या कर सकती है ? राज्य सरकार इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आवश्यक कार्यवाही कर रही है जैसाकि मुख्यमंत्री के घटनास्थल पर जाने से पता चलता है। मेरे विचार में संसदीय समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के

अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के. वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1147/71]**

विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं संविधान (25 वां संशोधन) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में विधि आयोग के 46 वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1148/71]**

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम, लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी 1149/71]**

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1150/71]**

(2) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1969—70 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1151/71]**

(3) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी (प्रबन्ध का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1971 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 6) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1152 71]**

(4) (एक) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब पर्यटन मोटर गाड़ी (चण्डीगढ़ पहला संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र, दिनांक, 9 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या 12438—एच आई आई (4)—70/29748 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी या अंग्रेजी) संकरण। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1153/71]**

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखे

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हुं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1154/71]**

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, के वर्ष 1970—71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1155/71]**

राज्य सभा में सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी हैं कि राज्य सभा ने 24 नवम्बर 1971 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 12 अगस्त 1971 को पास किये गये राष्ट्रीय गौरव-अपमान-निवारण विधेयक, 1971 को एक संशोधन के साथ पास किया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस किया है कि लोक सभा उस संशोधन से अपनी सहमति की सूचना राज्य सभा को भेज दे।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक—राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में-सभा पटल पर रखा गया।
PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR BILL—AS AMENDED BY RAJYA SABHA—LAID ON THE TABLE

सचिव : मैं राष्ट्रीय गौरव अपमान-निवारण निधेयक 1971 को जिसे राज्य सभा ने एक संशोधन के साथ वापस लौटाया है, सभा पटल पर रखता हूँ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात पिघलाने वाले कारखाने की छत का काम पूरा करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : COMPLETION OF REPAIRS TO THE ROOF OF STEEL MELTING SHOP OF ROURKELA STEEL PLANT

इस्पात और खान मंत्री(श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : माननीय सदस्यों को याद होगा मैंने 11/12 जुलाई, 1971 की रात को राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप की छत के एक भाग के गिर जाने के बारे में इस सदन में 19 जुलाई, 1971 को एक बयान दिया था। इस विषय पर सदन में हुई बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने इस दुर्घटना से इस्पात के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी।

छत गिर जाने से कारखाने में इस्पात के उत्पादन में रुकावट आ गई थी। इस्पात उद्योग मे यह दुर्घटना और इससे हुई क्षति अभूतपूर्व थी। छत का लगभग 10,000 वर्ग मीटर भाग गिर गया था जिससे कई क्रेनों और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों को क्षति पहुंची थी। जिन तकनीकी विशेषज्ञों ने तुरन्त-पश्चात दुर्घटना-स्थल का दौरा किया था उन्होंने इस बात पर संदेह व्यक्त किया था कि 40-50 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर छत के पुनर्निर्माण का कार्य एक वर्ष के अन्दर भी पूरा हो सकेगा।

कई टन वजन के गिरे हुए इस्पात ढांचे को, जो यू ही लटक रहा था और जिसे और अधिक क्षति को रोकने के लिए शीघ्रता और सावधानी से हटाने की आवश्यकता थी हटाना एक बहुत ही कठिन काम था। विभिन्न आकारों के 3,000 टन से अधिक स्टील सेक्शनों को प्राप्त करना था और उन्हें संविरचन के लिये कलकत्ता लाना था और वहां से उन्हें घटना स्थल पर ले जाना और वहाँ खड़ा करना था।

मलबा साफ करने का काम रिकार्ड समय में पूरा किया गया। दुर्घटना के एक सप्ताह के अन्दर खुले मुंह की भट्टियों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया था। एल० डा० कन्वर्टरों ने, जिन्हें सबसे अधिक क्षति पहुंची थी, सात हफ्तों के अन्दर आंशिक रूप से उत्पादन आरम्भ कर दिया था जो क्रमश: बढ़ता रहा। इस महीने के आरम्भ तक उत्पादन सामान्य उत्पादन दर के 50 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गया था।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि स्टील मेल्टिंग शाप की छत का पुनर्निर्माण कार्य आज पूरा हो जायेगा। लाइम-कन्वेयर-बे में कुछ छोटे-मोटे काम बाकी हैं जो 2-3 दिन में पूरे हो जायेंगे। इससे उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आयेगी परन्तु कालमों को सशक्त करने के काम के कारण जो आरम्भ कर दिया गया है, पूरा उत्पादन करने में कुछ समय के लिए कुछ हद तक रुकावट आयेगी। आशा है कुछ दिनों में लगभग 2500 टन प्रतिदिन की दर से उत्पादन होने लगेगा और कुछ सप्ताह के बाद उत्पादन की दर बढ़ कर 3,000 टन प्रतिदिन हो जायेगी।

एक कठिन कार्य प्रशंसनीय ढंग से किया गया है। सभी कार्यों के लिए योजनायें बनाने तथा उन्हें पूरा करने के काम "युद्ध स्तर" पर किये गए हैं। इस उद्देश्य के लिए कारखानों के प्राधिकारियों, ठेकेदारों (मैसर्स जेसप्स लिमिटेड तथा उनके सहयोगियों मैसर्स बी० बी० जे०),

लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन, रेलवे तथा केन्द्रीय इंजीनियरी एवं डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर कार्य किया है। आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि यदि 24 घन्टे लगातार भी काम चलता रहे तो भी यह कार्य जनवरी, 1972 के मध्य तक पूरा हो सकेगा। हमें यह आशा थी कि हम यह कार्य दिसम्बर, 1971 के मध्य तक पूरा कर लेंगे। अब यह कार्य आज ही पूरा हो जायेगा।

मुझे आशा है कि उन सभी लोगों, विशेषकर राउरकेला इस्पात कारखाने के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जेसप्स और बी० बी० जे०, जिनको इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तथा जिन्होंने यह कठिन कार्य इतने कम समय में पूरा कर दिखाया है, की सराहना करने में माननीय सदस्य मेरे साथ हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : आपको याद होगा कि 19 जुलाई, 1971 को भीम ाननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। इसको लूम्बा समितियों प्रतिवेदन के साथ सदस्यों में बांटा जाना था।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य समय पर इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : प्रत्येक सदस्य को ऐसी मांग करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार इस मामले को नहीं उठाया जा सकता। वह मुझे इस बारे में लिख सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : लूम्बा समिति का प्रतिवेदन की प्रतियां सदस्यों में बांटी जानी चाहिये।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : यह एक विभागीय समिति थी और विभागीय समिति के प्रतिवेदन आमतौर से सदस्यों में नहीं बांटे जाते परन्तु इस तथ्य को देखते हुये कि यह एक महत्व-पूर्ण घटना है और कि समिति के सदस्य विभाग से सम्बन्धित नहीं थे और वे सभी बाहर से लिखे गये थे। अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो मुझे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अन्तरिय प्रतिवेदन दिए जाने के बारे में वक्तत्व

STATEMENT RE : SUBMISSION OF INTERIM REPORTS BY NATIONAL COMMISSION ON AGRICULTURE

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि जब अगस्त, 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी तब प्रस्ताव में यह निदेश भी शामिल था कि आयोग कृषि नीति तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित कुछ आवश्यक मामलों पर अपनी अन्तरिम सिफारिशें देगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने प्रथम चरण के रूप में (1) अधिक उत्पादन-शील किस्मों और संकर धान्यों के उत्तम बीजों के संवर्धन तथा वितरण, (2) उर्वरक वितरण

तथा कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के कुछ पहलुओं से सम्बद्ध तीन अन्तरिम रिपोर्ट आज प्रस्तुत की हैं।

अधिक उत्पादनशील किस्मों और संकर धान्यों के बीजों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने पर्याप्त मात्रा में उत्तम बीजों के नियमित सम्भरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से धान्यों के उत्तम बीजों के संवधन और वितरण से सम्बद्ध कुछ पहलुओं पर विचार किया है। आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रजनक, आधार तथा प्रमाणीकृत बीज-संवर्धन तथा वितरण के लिए विभिन्न अभिकरणों के उत्तरदायित्वों का वर्णन किया है। आयोग ने प्रजनक बीजों का उत्तर-दायित्व अनुसंधान संस्थाओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर ठहरता है। आधारिक बीजों के विषय में, आयोग ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय बीज निगम अखिल भारतीय महत्व की किस्मों के लिए उत्तरदायी होना चाहिये और राज्य सरकारों को राज्य के महत्व की किस्मों के लिये अधिकरण या अभिकरणों को उत्तरदायी बनाना चाहिये। प्रमाणीकृत बीज के विषय में, आयोग ने उत्पादन तथा विपणन दोनों के लिए अनेक अभिकरणों की सिफारिश की है और अपेक्षित प्रोत्साहन तथा सुविधायें प्रदान करके उनके सुझाव दिया है। विभिन्न स्तरों पर बीज की माँग के निर्धारण का उत्तरदायित्व, उत्पादन तथा विपणन अभिकरणों को सौंपा गया है, परन्तु राज्य केन्द्रीय सरकारें इनका पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा समन्वय करेंगी। आयोग ने सिफारिश की है कि विस्तार अभिकरणों को खेत में अधिक उत्पादनशील किस्मों की निष्पत्ति पर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये।

उर्वरक वितरण विषयक अन्तरिम रिपोर्ट गत दो या तीन वर्षों के दौरान खपत में कमी को देखते हुए, उर्वरक सम्वर्धन और वितरण के विभिन्न पहलुओं के विषय में है। आयोग ने उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए, जोकि वैज्ञानिक कृषि में एक आवश्यक आदान है, विभिन्न उपायो की सिफारिश की है।

आयोग ने चौथी योजना के कृषि उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उर्वरकों की मांग का वास्तविक अनुमान लगाने हेतु एक विशेष दल की स्थापना का सुझाव दिया है। ये मूल्यांकन, उर्वरकों के उत्पादन, आयात और वितरण के आधार पर होने चाहियें। आयोग ने देशी उत्पादन को न केवल बढ़ी हुई माँग को पूरा करने, बल्कि पोषाहारों के सन्तुलित प्रयोग करने के लिए भी सिफारिश की है।

सामायिक सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वितरण-व्यवस्था सुप्रवाही करने के लिए सिफारिश की गई है, जिसमें केन्द्रीय पूल, राज्य सरकारों तथा उर्वरक के उत्पादकों द्वारा उपभोग केन्द्रों के समीप मध्यवर्ती भंडारणों को रख-रखाव करना; रेल द्वारा सुगम संचलन; रेल से न जुड़े हुए क्षेत्रों में सड़कों के निकट विशेष भंडारणों का निर्माण; तथा आंतरिक एवं पिछड़े क्षेत्रों तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सप्लाई करना सम्मिलित है। उर्वरक के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए, सरकार तथा उर्वरक उत्पादकों ने एक बड़े प्रोत्साहनात्मक प्रयत्न तथा मृदा विश्लेषण कार्य-क्रम की सिफारिश की है। विक्रय को बढ़ाने के लिए वितरण सीमाओं के संशोधन के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए हैं जबकि वितरण-प्रणाली के दिए गए कार्य में सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर

विशेष उपाय करने का विचार है। संशोधित सीमाओं की सिफारिश करने में आयोग ने यह ध्यान रखा है कि उर्वरक के मूल्य न बढ़ें। इसने विशेषकर छोटे तथा सीमान्त कृषकों एवं फुटकर विक्रेताओं के लिए सुगम तथा सामयिक ऋण देने के उपायों की सुनिश्चिति के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया है। उर्वरकों की अच्छी कोटि को सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर भी बल दिया गया है।

कृषि अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण के कुछ पहलुओं पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, आयोग ने अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य विभागों के कार्य का वर्णन किया है। इसने मूल तथा व्यावहारिक अनुसंधान को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है और ऐसे अनुसंधान के निधीयन के लिए सुझाव दिये हैं। इसने कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित मूल विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए 50 प्रोफेसर के पदों को सर्जित करने का भी सुझाव दिया है। इनमें से कुछ पद इतने प्रतिष्ठित होंगे कि जिनसे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक आकर्षित हो सकेंगे।

आयोग की दृष्टि से, कृषि विश्वविद्यालय मूल तथा व्यावहारिक अनुसंधान के लिए उत्तरदायी होने चाहिएं, जबकि अनुकूल अनुसंधान का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होना चाहिए। इसी प्रकार, विस्तार कार्य का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होना चाहिए और विश्वविद्यालय का कार्य विस्तार-शिक्षण तक ही सीमित होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार अवयवों के प्रभाग बनाकर विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। आयोग ने जिला तथा तहसील स्तरों पर विशेषज्ञों को प्रदान कर विभागों को सुप्रवाही तथा सुदृढ़ करने की भी सिफारिश की है।

कृषकों तथा विभागों के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में, राज्य विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित कार्य भी उल्लिखित किए गए हैं। कृषक तथा उनके लड़कों को विभिन्न विषयों में दीर्घ तथा लघु अवधि की प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

अन्त में, आयोग ने प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों एवं विभागों के सामंजस्यपूर्ण कार्य को सुनिश्चित करने और समस्त रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक 'अपेक्स बोडी' के गठन का सुझाव दिया है, जिसके सदस्य विश्वविद्यालय का कुलपति, सम्बन्धित विभागों के अध्यक्ष तथा कृषि-उत्पादन आयुक्त होंगे।

रिपोर्ट की प्रतियाँ सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। रिपोर्ट आज ही प्राप्त हुई है और मैंने निदेश दे दिया है कि इस मामले में सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही करने से पहले इनकी शीघ्र जांच की जाए।

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद विधेयक पुरःस्थापित
MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL-INTRODUCED

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में

RE : REPORTED STATEMENT BY INDIAN HIGH COMMISSIONER IN ISLAMABAD

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत यह मामला उठाना चाहता हूं । सर्वप्रथम हम सरकार से स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं ।

मैं समाचार पत्रों में छपे इस समाचार का जिक्र कर रहा हूं कि पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त श्री जे० के० अटल ने कहा है कि पाकिस्तान मे सिविल सरकार की शीघ्र स्थापना से युद्ध की सम्भावना कम हो गई है । इस देश के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य देना एक असाधारण बात है । सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में दिखावे के चुनाव द्वारा सिविल सरकार बनाकर लोगों को धोखा देने के प्रयास किए जा रहे हैं । मेरे विचार में प्रधान मंत्री तथा देश के अन्य वक्ताओं ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक शेख मुजीबर्रहमान तथा अन्य लोगों को जो 25 मार्च के चुनाव में जीते थे, रिहा नहीं किया जाता तथा उनको अपनी इच्छा की सरकार नहीं बनाने दी जाती तब तक राजनैतिक समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या श्री अटल ने ऐसा वक्तव्य दिया है और क्या यह वक्तव्य ठीक ढंग से पत्रों में प्रकाशित हुआ है ? यह बहुत गम्भीर मामला है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे उच्चायुक्त को इस प्रकार का वक्तव्य देने का क्या अधिकार है । क्या सरकार का भी ऐसा कोई विचार है जो कि देश के लोगों पर सरकार ने प्रकट नहीं किया है । मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि सरकार ने देश से कोई बात गुप्त रखी है । मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अटल ने देश के हितों के लिए खतरनाक तथा इतना गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य किस आधार पर दिया है । क्या सरकार इस व्यक्ति को वापस बुलायेगी क्योंकि वह इस पद के योग्य नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Shri Atal is making such statements as can Jioparadise the position of India. These statements are also strengthening the hands of those who want to raise this matter in the Security Council. May I know whether he can express his personal views in matter such as this. It is said that Shri Atal carrier a message from Mrs. Gandhi. Shri Atal has also said that Mrs. Gandhi has repeated her desire that Pakistan Government should seek a political solution to the East Bengal crises by negotiating with the recently elected representatives of the people. It should be noted that the words

recently elected are in inverted commas. It can be taken as those persons which have recently been declared elected in the four electios conducted by Pakistan Government. May I know whether he was referring to those people or those who were elected during the elections held in March last. I would say that Shri Atal has to taken undue advantage of his post. He should be called back if the statement which has appeared in the dapers is correct. The hon. Minister should take this House and people of the country into confidence by declaring that no negotiations are going on with Pakistan.

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं सर्वप्रथम अपनी नीति को स्पष्ट करके बताना चाहता हूं। हम किसी भी प्रकार की पिछलग्गू सरकार की स्थापना के विरुद्ध हैं। हाल में पूर्वी बंगाल में हुए दिखावे के चुनावों के आधार पर भी सरकार बनाये जाने के हम विरुद्ध हैं। हमारी स्थिति निरन्तर रूप से यह रही है दिसम्बर 1970 के चुनाव में जो लोग चुनाव जीते थे वही वास्तविक रूप से जनता के प्रतिनिधि हैं। उनकी सदस्यता समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः नये चुनावों को हम स्वीकार नहीं करते। यह चुनाव हमें अमान्य हैं। हमने सदा यह कहा है कि हमें वही राजनैतिक समझौता स्वीकार होगा जो कि वहां के चुने गए प्रतिनिधियों को मंजूर हो। राजनैतिक समझौते के बारे में बातचीत वही लोग कर सकते हैं जो दिसम्बर 1970 के चुनाव में जीते थे।

हमने अपने उच्चायुक्त को दिल्ली बुलाया था और कुछ पहलुओं के बारे में उसको जानकारी दी थी। हम यह भी चाहते थे कि वह पाकिस्तान में उच्चस्तर पर सम्पर्क स्थापित करे। इस प्रकार हम पाकिस्तान की इच्छा जानना चाहते थे। यह एक साधारण बात है।

पाकिस्तान के साथ आजकल हमारे संचार साधन बहुत सीमित हैं। इस वक्तव्य को एसोसियटिड प्रेस आफ अमरीका द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसी बात को तोड़मोड़ कर पेश करना उनके लिए कोई साधारण चीज है।

हमारे विदेश कार्यालय ने उच्चायुक्त को कल एक तार भेजा है। उसका उत्तर आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। सरकार की नीति मैंने स्पष्ट करके बता दी है और इस बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उनसे अब तक सम्पर्क स्थापित न किए जाने तथा उत्तर न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वक्तव्य काफी हद तक ठीक हुआ तो क्या सरकार इस मामले को गम्भीर रूप से लेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने कोई बात सरकारी नीति के विरुद्ध कही है तो उचित कार्यवाही की जायेगी ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether we can not contact our High Commissioner on telephone ?

श्री स्वर्ण सिंह : टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करने में अनेक कठिनाइयां हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at six minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy speaker in the Chair]

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक—जारी

COMMISSION OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL—CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : जांच आयोग (संशोधन) विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा होगी । कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 15 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adppted

खण्ड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 15 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri M. C. Daga (Pali) : Some times such laws are enacted which serve no useful purpose. Such type of laws should be repeated. The Government do not implement the ordinary law and appoint an inquiry Commission just to suppress the agitated public and to conceal their own shortcomings. Moreover, it is not necessary that the Government should implement its recommendation. In cases where remedies are otherwise available, there is no use of appointing an inquiry Commission. Government appoints different inquiry Commissions but take no actions on their recommendations. Such type of inquiry Commissions serve no purpose.

The Government wants to give some more powers to the inquiry Commissions. This thing cannot be understood. It is no use making an inquiry in Camera on matters of public importance. The Government implement the recommendations of the Commissions only if they are favourable to them.

There is no use enacting a law just as an eye wash. The law must be so framed in a

manner that it may serve some useful purpose. The Law Commission has made several recommendations for improvement but they have not been implemented.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Persoual (Shri Ram Niwas Mirdha) : I do not agree with the hon. Member's suggestion that the Bill should be dropped. He has not given any plansible arguments in support of his contention. It is not correct to say that Government do not implement the recommendations of the Commission they appoint. We have tried to make improvements in the law by bringing the Bill. We have sent all the matters in this regard to the Law Commission. It has given some suggestions and we have accepted them. Besides, this Bill was referred to the Select Committee and we have also accepted its recommendations. This Bill has been introduced in the House after effecting useful changes in it.

I, therefore, request the House to pass this Bill. The Enquiry Commissions serve very important purpose.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विश्व भारती (संशोधन) विधेयक
(VISVA BHARATI (AMENDMENT BILL)

शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्व-भारती अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं सभा की इस भावना से सहमत हूं कि सरकार को विश्वविद्यालयों के सुचारू ढंग से कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से विश्वभारती विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सरकार को विधान में संशोधन के लिये उक्त विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा।

ऐसा समाचार मिला है कि विश्वविद्यालय में कुछ छोटे सेक्शन ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों के लिये सामान्य रूप से कार्य करना कठिन हो गया है।

यह विधेयक विश्वविद्यालय पर आन्तरिक प्रभाव को रोकने और विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू ढंग से चलाने के लिये लाया गया है।

सदस्य अनुभव करेंगे कि इस विधेयक से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में सुधार होगा। इससे विश्वभारती विश्वविद्यालय के शैक्षिक संचालन और बौद्धिक वातावरण की रक्षा करने में सहायता मिलेगी।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एक छोटा कोर्ट अर्थात् शैक्षिक परिषद्, जिसमें मुख्यतया विश्वविद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे और जो न्यूनाधिक अनेक विश्वविद्यालयों के मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप होंगी, एक छोटी कार्यकारिणी परिषद्, जो बनारस विश्वविद्यालय के लिये सभा द्वारा अनुमोदित आधार पर होगी ? तथा एक वित्त समिति स्थापित करना है। अध्ययन मंडल के विधान में भी संशोधन किये गये हैं।

सरकार शीघ्र ही गजेन्द्र गडकर समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक नया विधेयक सभा के समक्ष लायेगी।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) 3 नवम्बर, 1971 को एक अध्यादेश द्वारा इस विधेयक को पुर स्थापित किया गया गया था। इस बारे में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक निकाय में शीघ्र परिवर्तन करने के लिये विधेयक पेश करना आवश्यक था और नामनिर्देशित विश्वविद्यालय निकाय के स्थान पर चुने गये व्यक्तियों की व्यवस्था करना आवश्यक था।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में 15 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य ही निर्वाचित हैं और ये चुने गये सदस्य शिक्षकों का प्रतिनिधित्व न कर भूतपूर्व विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः वर्तमान विधेयक में निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर नाम निर्देशित सदस्यों की व्यवस्था नहीं है। विधेयक का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना न होकर केवल राजनीतिक है।

वर्ष 1969 में एक प्रमुख व्यक्ति ने जो विश्वविद्यालय परिषद् और विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य थे, विश्वविद्यालय के विजीटर को एक पत्र लिखा था। उस समय विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने त्याग पत्र दे दिया था और इस कारण कुछ आन्दोलन भी हुआ था। उन्होंने यह भी लिखा था कि देश में अनेक वर्षों से अनेक शिक्षा संस्थाओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सामान्यतया जांच संकट के काफी समय बाद की जाती है जिसके परिणाम अधिक अच्छे नहीं निकलते हैं। यदि शीघ्र ही जांच कर ली जाये तो संकट को बहुत हद तक टाला जा सकता है। उन्होंने अपने एक अन्य पत्र में लिखा था कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कार्यकारी परिषद् को विश्वविद्यालय के कार्य के बारे में पूरी जांच करनी चाहिये और विश्वविद्यालय के कार्य में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करना चाहिये। इसके बावजूद न तो परिषद् ने ही और ना ही केन्द्रीय सरकार ने मामले की कोई जांच की।

पिछले दिनों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से विचार-विमर्श किया था ? जहां तक मुझे जानकारी है इस सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। विश्वविद्यालय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक किसी बीमारी का पता न लगे तब तक उसे दूर नहीं किया जा सकता। चाहे कितने ही अध्यादेश जारी किये जायें और नाम निर्देशित निकायों की स्थापना की जाये, विश्वविद्यालय की कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

---

* बंगला में दिये गये भाषण के अँग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने त्याग पत्र दे दिया था लेकिन उनसे छुट्टी पर चले जाने को कहा गया है और उनकी छट्टी बार-बार बढ़ाई जा रही है ।

परीक्षा नियंत्रक का स्थान आरम्भ से ही खाली पड़ा है । शान्ति निकेतन विश्व विद्यालय का भाग है लेकिन उसमें 4 वर्ष से कोई प्रिंसिपल नहीं है । इसी प्रकार आन्तरिक लेखा परीक्षक और बिल अधिकारी के पद खाली पड़े हैं । इसके क्या कारण हैं ? इस प्रकार विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है ।

इतिहास विभाग के मुख्य अधिकारी का सी. आई. ए. से सम्पर्क है और वह शान्ति निकेतन में तीन दिन से अधिक नहीं रह सकते । हिन्दी विभाग में विद्यार्थियों से अधिक शिक्षक हैं । शिक्षकों की नियुक्तियां उनकी योग्यता के आधार पर न की जाकर सिफारिश के आधार पर की जाती है ।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय के प्रशासन में भी बोलबाला है ।

एक 'नॉन मैट्रिक' व्यक्ति को 'सीनियर एसिस्टेन्ट' नियुक्त किया गया है क्योंकि उसे प्रभाव शाली व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है । इसके अतिरिक्त, पदोन्नतियां भी मनमाने ढंग से की जाती हैं और योग्यता प्राप्त शिक्षकों की उपेक्षा की जाती है ।

जब पश्चिम बंगाल के सब विश्वविद्यालयों में हड़ताल हुई थी तब विश्वभारती में प्रतिदिन कक्षाएं लग रही थीं ।

विश्वविद्यालय को 70 से ६0 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मिलती है । इसके अतिरिक्त उसकी आय के अन्य साधन भी हैं । लेकिन इस आय का कोई हिसाब नहीं दिया जाता । शिक्षकों की वैध मांगों की भी सुनवाई नहीं की जाती । बार-बार अनुरोध करने पर भी केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच नहीं की है । अतः वर्तमान अध्यादेश या विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालय की कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना हुए २० वर्ष हो गये हैं परन्तु कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं।

श्री निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना अनुसंधान के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इस के केवल 5 प्रतिशत कर्मचारी अनुसंधान-कार्य करते हैं बाकी 95 प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनिक कार्य में लगे हैं । इस बारे में जांच की गई थी लेकिन जाँच की रिपोर्ट अभी आनी है ।

गत वर्षों में विश्वविद्यालय में ३० घटनाएँ हुई हैं । एक घटना में कार्यालय सुपरिन्टेन्डेन्ट की हत्या भी की गई थी । इसके बावजूद केन्द्रीय, सरकार ने इस बारे में कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की ।

विश्वविद्यालय का यह नियम था कि एक छात्र तीन बार असफल होने पर फिर परीक्षा में नहीं बैठ सकता, लेकिन उक्त नियम को भी समाप्त कर दिया गया है । सत्तारूढ़ दल स्थिति का लाभ उठाने में लगा है ।

केवल अध्यादेश जारी करने से स्थिति में सुधार नहीं होगा । यदि वहां स्थिति में सुधार करना है तो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) वर्तमान सरकार से तानाशाही की बू आती है । यह दुःख की बात है कि शिक्षा मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय, जिन्हें इस मामले में जांच का कार्य सौंपा गया था, सदन में उत्तर देने के लिये उपस्थित नहीं हैं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने अन्तिम भाषण में कहा था कि सरकार को विश्वविद्यालय से थोड़ा अलग रहना चाहिये ।

सरकार भूल गई है कि विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना किन लक्ष्यों को लेकर की गई थी । विश्वविद्यालय के सब आदर्शों को तिलांजली दे दी गई है ।

गत अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय गिरावट की ओर जा रहा है यद्यपि श्री मती इंदिरा गांधी इस विश्वविद्यालय की उपकुलपति हैं । अनेक वर्षों से विश्वभारती विश्वविद्यालय के मामलों की वास्तविक जांच करने की मांग की जा रही है । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । यह मांग इस लिये की जाती रही है कि विश्व भारती की विशिष्ट संस्थाओं की स्थिति खराब होती जा रही है जिसे दार्शनिकता का एक उन्नत केन्द्र समझा जाता है वह समाप्त प्रायः हो गया है । श्री निकेतन में अधिकांश संस्थाओं में स्थायी रूप से कोई अध्यक्ष नही रहा है ।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की स्थिति भी अनिश्चित है और वहां कोई आन्तरिक संपरीक्षा अधिकारी भी नहीं है । मेरे एक मित्र, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, वहां के वित्तीय अधिकारी हैं जो कभी-कभी वहां झांक आते हैं ।

यदि यह अध्यादेश और बाद में लाया गया विधेयक अच्छे उद्देश्य से लाए गए होते तो मैं इसका स्वागत करता परन्तु ऐसा नहीं है । राष्ट्रपति को जो इसके 'विजेटर' हैं, धारा 10 (2) के अधीन जांच कराने का अधिकार है किन्तु उन्होंने इसका कभी प्रयोग नहीं किया । प्रधान मंत्री को भी इसके लिए कई बार कहा गया परन्तु शिकायतें और खराबियां एकत्र होती रहीं और सरकार ने अन्त में कह दिया कि हम इसको अपने नियंत्रण में लेते हैं ।" अधिनियम में प्रस्तावित जांच का यह अर्थ नहीं है कि मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि वह स्वयं जाँच करें और उन्होंने कह दिया कि जांच कर ली गई है । कैसे जांच हुई, क्या जांच हुई, हमें कुछ पता नहीं चला । शिक्षा मंत्री शायद शान्तिनिकेतन गए ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी हमें नहीं बताया कि वह उनसे मिले थे या उनसे कोई बातचीत जांच के बारे में हुई थी ।

विश्वभारती में भूतपूर्व छात्रों के प्रतिनिधियों का बोलबाला है, जिनके कारण डा० कालीदास भट्टाचार्य, उपकुलपति को त्याग पत्र देना पड़ा और इन्हीं छात्रों का मेलजोल कुछ संदिग्ध लोगों से है जो आनन्द बाजार पत्रिका निकालते ह । देश से ऐसे प्रभाव जितनी जल्दी समाप्त हों उतना ही अच्छा होगा ।

सरकार के मन की बात हम नहीं जानते, इसी लिए हम चाहते हैं कि की गई जांच के बारे में हमें बताया जाये क्योंकि इसके फलस्वरुप यह अध्यादेश जारी हुआ और अब यह विधेयक आया है । यह कार्य विश्वभारती को बचाने का नहीं इसे हथियाने का है और इसका कारण शायद यह है

कि पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समय में इस प्रकार की अतिवादी गतिविधियों का केन्द्र रहा है जिन्होंने हम सभी को चौंका दिया है, इन्हीं कार्यवाहियों पर काबू पाने के लिए विश्वविद्यालय में आवश्यक स्वायत्तता को समाप्त करके तानाशाही ढंग से इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया । हालांकि विश्वभारती के छात्र और अध्यापक ऐसे कार्यों में अधिक सक्रिय नहीं रहे हैं। क्या विश्वभारती की 'संसद' और 'कर्म समिति' को भंग करके, जिसने उपकुलपति को नियुक्ति किया है, उपकुलपति को अधिक सक्रिय बनाया जा सकता है जबकि वह राज्य मंत्री या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की 'जीहजूरी' करें। मैं यदि उनके स्थान पर होता तो कभी उपकुलपति न बना रहता।

सरकार सदा ही यही रवैया अपनाती है कि पहले एक विधेयक लाया जाता है और इस की आलोचना होने पर कह दिया जाता है कि व्यापक विधान बाद में लाया जाएगा। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता और जब ऐसा विधेयक बाद में लाया भी जाता है तो दशा इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह भी अपर्याप्त ही सिद्ध होता है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिये। मैं समझता हुं कि आज सभी विश्वविद्यालयों की दशा, खराब है वह चाहे बनारस हो, अलीगढ़ हो, दिल्ली हो या विश्वभारती हो—और तो और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी 'अलगांवपूर्ण बौद्धिकता' का वातावरण आ गया जो उस नेता के संकल्प से कोसों दूर है जिसके नाम पर यह विश्वविद्यालय बनाया गया था—इसका कारण सरकार का मनमाना और तानाशाही रवैया ही है। गत 2-3 वर्षों से सरकार ने जनता, छात्रों और शिक्षकों की विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच की प्रत्येक मांग की उपेक्षा की है यदि सरकार के विचार में इस विधेयक के अधीन स्वतंत्र विचारों वाले शिक्षाविद् विश्वभारती के लिए नामजद कि.ए जा सकेंगे तो मेरे विचार में यह संभव नहीं होगा। अतः मैं दोहराता हूं कि शान्ति निकेतन और विश्वभारती के बारे में सरकारी कार्यवाही पर मुझे क्षोभ है और यह विधेयक विश्वभारती की स्वर्ण जयन्ती पर एक वीभत्स उपहार ही है।

Shri R. R. Sharma (Banda) : With the name of Visva-Bharati is associated the memory of Tagore who created it as a seat of learning for all. When Government talks of non-interference in the affairs of educational institutions. it is live shedding crocodile tears because the fact is that Government is taking over one University after another. Through this legislation, Parliament's authority has been usmped by Government and it has been left with advisory capacity only. Government should have at least refraimed from playing this political game with the Youth of the country. I would also appeal to students in present circumstances not to indulge in acts, which may compel Government to disect its energies on the home front. Rajasthan and Allahabad Universities have also closed down recently. I would, therefore, reiterate that legislation is no solution to this problem. There are other solutions such as bringing tbe guilty to book and setting the affairs aright. Government should not act with political motive and in vindiative spirit as also avoid compiications at the present junctive.

I would, therefore, suggest to the hon. Minister to withdraw the Bill now and bring a comprehensive legislation later on, after considering the prosand cons. of the problem so as to cover all the Universities.

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि मैं श्री मुकर्जी और डा० सरदीश राय के विचारों से मुख्य रूप से सहमत हूं फिर

भी विश्वभारती की हाल की घटनाओं के बारे में मैं विधेयक में कही गई बातों से पूरी तरह सहमत हूं ।

विश्वभारती कोई हवाई किला नहीं है । कवींद्र रवींद्र ने इसे बंगाल के बीरभूम जिले में स्थापित किया था ताकि छात्र शान्तिपूर्ण वातावरण में उनकी मानवता और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें ।

यद्यपि मेरा विश्वभारती से थोड़ा ही सम्बन्ध रहा है परन्तु जो भी इससे संबंधित रहा है, जानता है कि यही एकमात्र विश्वविद्यालय ऐसा था जिसकी शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं आया, परन्तु हाल की राजनीतिक उथल पुथल ने इसे काफी प्रभावित किया है ।

यह विधेयक दो कारणों से लाया गया है :— एक है हिंसा और दूसरे सम्पत्ति का विनाश, यद्यपि श्री मुखर्जी ने कहा है कि यहां से छात्र और शिक्षकगण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राजनीतिक तौर से कम सक्रिय हैं, परन्तु कारण जो भी हो, इस जिले में हुई 98 हत्याओं में 56 हत्याएं छात्रों की हुई हैं । यह सब नक्सलवादियों और उग्रवादियों के षडयन्त्र के परिणाम स्वरूप हुआ है । वहां के छात्र इन हत्याओं से इस सीमा तक भयभीत और आतंकित थे कि हत्याओं का ब्यौरा देने से भी डर रहे थे । यद्यपि अधिकांश छात्र विश्वभारती से प्रेम करते हैं और टेगोर और उनके विचार भी उन्हें प्रिय हैं परन्तु उसकी संसद के कुछ सदस्य कुछ उग्रवादी छात्रों को भड़काते हैं और उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उप-कुलपति और अन्य शिक्षकों के विरूद्ध मोर्चा लेने के लिए उकसाते हैं ।

यदि टेगोर और भारतीय शिक्षा की कल्पना की रक्षा करनी है तो यह अध्यादेश और विधेयक अत्यावश्यक है, परन्तु ऐसे विधान का व्यापक होना आवश्यक है ।

गजेन्द्र गड़कर आयोग में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में की गई सिफारिशें अभी तक क्यों लागू नहीं की गयी, मँत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दें ।

यदि उग्रवादितों की गतिविधियाँ शिक्षा संस्थाओं के लिए हानिकारक हैं तो सभी संस्थाओं को इनसे बचाया जाना चाहिये—चाहे इसके लिए सरकार को कठोर कदम ही क्यों न उठाने पड़े । मेरा विश्वास है कि शिक्षा मत्रालय इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहा है ।

मैं श्री मुखर्जी के इस विचार से सहमत हूं कि आनन्द बाजार पत्रिका के प्रबंधक विश्व-भारती में अनुचित रुचि रखते हैं और वहां उन्हीं की चलती है । यह वांछनीय नहीं है, और मैं महसूस करता हूं कि जब तक विश्वविद्यालय को अपने प्रबंध में पूरी स्वायत्तता नहीं दी जाती तब तक यह विधेयक भी समस्या हल नहीं कर सकता ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं प्रो० मुखर्जी से सहमत नहीं हूं और मेरा विश्वास है कि इस विधेयक द्वारा ही विश्वभारती को बचाया जा सकता है । यह अध्यादेश और यह विधेयक आवश्यक थे क्योंकि विश्वभारती में शिक्षा का स्तर गिर रहा था, शिक्षक अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहे थे और वहां कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था । वहां शान्ति भी नहीं थी । वहां गुंडागर्दी, आगजनी और लूट-मार के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सम्पत्ति के बचाव के लिए विशेष अनुदान देना पड़ा । दशा इतनी बिगड़ी कि यह विधान लाना पड़ा ।

इस विधेयक से प्रशासन में सुधार होगा और निकाय छोटे छोटे होंगे जिससे कार्य पटुता बढ़ेगी और यद्यपि इसके सदस्य नामजद किए जायेंगे परन्तु यह अस्थायी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ होती है तो मंत्री महोदय उस मामले में कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जब चांसलर अथवा राज्यपाल से कोई शिकायत की जाये और राज्यपाल जांच करके जांच समिति नियुक्ति कर दें तो जांच समिति की सिफारिशों पर वह कार्य करते हैं। इसके लिये हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सरकार की देख-रेख के बीच का हो। अन्यथा स्थिति बिगड़ती चली जायेगी।

इस विधेयक के पारित किये जाने मात्र से समस्या हल नहीं हो जायेगी। इसके लिये विश्व विद्यालयों के स्तर में सुधार करना होगा। प्रतिवेदनों से मालूम होता है कि स्नातकों को रोजगार नहीं मिलता है।

दूसरी बात मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों की उग्रवादी राजनयिक तत्वों से रक्षा की जानी चाहिये। बीरभूम नक्सलवादियों का गढ़ है, उसका प्रभाव विश्वविद्यालय पर भी हो रहा है।

वहां ऐसे अनेक विभाग खोल दिये गये हैं। जिनकी कोई मांग नहीं थी। आज इस अधिनियम को बने दस वर्ष हो गये हैं परन्तु अध्यापकों की अर्हता, पदोन्नति और स्थायी बनाने सम्बन्धी कोई नियम नहीं हैं। इसके लिये विश्वविद्यालय के प्रबन्धक जो कार्य-कारी परिषद् में हैं, उत्तरदायी हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि सरकार इन महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देगी और गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थायी उपाय करेगी।

प्रो० एस० नुरूलहसन : मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये समर्थन के लिए उनका अहुत आभारी हूं। मैंने समर्थन शब्द का जान बूझ कर प्रयोग किया है क्योंकि उन्होंने मुझे समर्थन दिया है।

विश्व भारती की अवश्य सहायता की जानी चाहिये ताकि वह उन आदर्शों को बनाये रख सके जिन के लिये टैगोर ने उसे स्थापित किया था तथा जिन्हें कायम रखने के लिये स्वयं यह देश कृत संकल्प है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जांच की मांग की है। कुछ परिस्थितियों में जांच करना आवश्यक होता है परन्तु समस्या को अन्य ढंग से भी हल किया जा सकता है अर्थात् विश्वविद्यालय के बाहर से कुछ सुविख्यात शिक्षा शास्त्रियों तथा सार्वजनिक व्यक्तियों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों विशेषता वरिष्ठ शिक्षकों को मनोनीत करके उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि जहां भी गलतियां हों, वे उन्हें देर करें तथा विश्वविद्यालय को चलायें ताकि कुछ कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जायें।

सरकार का किसी प्रकार का भी राजनीतिक दबाव डालने का कोई इरादा नहीं है। सरकार कार्यकारी परिषद् के साथ कुछ गणमान्य विद्वानों को सम्बन्ध करना चाहती है जो सरकार के कटु आलोचक रहे हैं। सरकार यह नहीं चाहती है कि इस दल के सदस्यों को विश्वविद्यालय में उच्च पद दिये जायें तथा सत्ता उनके हाथ में सौंपी जाये। कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की सूची से यह स्पष्ट हो जायेगा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को रखा गया है जो सुविख्यात शिक्षा

शास्त्री अथवा गणमान्य जन नेता हैं। सरकार का उन पर दबाव डालने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहाँ तक शिक्षकों से भिन्न कर्मचारियों के सेवा नियमों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सब केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एक आदर्श नियमावलि भेजी है तथा उनसे अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर लगभग उन्हीं नियमों के अनुरूप वे अपने नियम बनायें। जहां तक शिक्षकों की सेवा की शर्तों का सम्बन्ध है, यह मामला गजेन्द्रगड़कर समिति के समक्ष है और मुझे आशा है कि अपने प्रतिवेदन के भाग दो में वे इस सम्बन्ध में निश्चित सिफारिशें करेंगे।

शिक्षा मंत्री को व्यक्तिगत रूप मे जांच करने को नहीं कहा गया था। व्यक्तिगत रूप से कोई जाँच नहीं की गई है। मंत्रालय को वाइस-चांसलर से एक विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था तथा उस प्रतिवेदन और उससे पहले प्राप्त हुये प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही जो इस समय सभा के समक्ष है, की गई है।

कार्यकारी परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य करेंगे और शिक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिए शिक्षा सम्बन्धी परिषद् होगी जिसके सदस्य इसी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे इनके अतिरिक्त उप-कुलपति पदेन सदस्य होंगे।

यह कहना कि एक विशेष निष्काय, उच्चतम शासकीय निकाय होगा, शायद इन निकायों के हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में यह सभा पहले ही सहमत हो चुकी है कि कोर्ट एक परामर्शदायी निकाय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्व-भारती अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। खंड 2-13 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 13विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2 to 13 were added to the Bill

खण्ड 14

उपाध्यक्ष महोदय : 2 बजकर 15 मिनट म. प. पर मुझे मंत्री महोदय से संशोधन की सूचना मिली है। क्या सूचना विलम्ब से देने के कोई विशेष कारण हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : अध्यादेश में एक तकनीकी त्रुटि ध्यान में आई थी और जब विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था तो उस बात को ध्यान में नहीं रखा गया। उससे विधेयक के प्रवर्त्तन में भ्रान्ति हो सकती थी। अतः यह पूर्णतया तकनीकी और कानूनी संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 48 और 49 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतस्थिापित किया जाय**—

"Under the principal Act, as amended by the ordinance so repeated, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act".

("इस प्रकार निरसित अध्यादेश द्वारा संशोधित रूप में, मूल अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई अथवा ली गई समझी जायेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष कारणों को देखते हुये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 8, पंक्ति 48 और 49 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय—

("इस प्रकार तिरासित अध्यादेश द्वारा संशोधित रूप में, मूल अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई अथवा ली गई समझी जायेगी।")

"Under the principal Act, as amended by the ordinance so repeated, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 14. संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 14, as amended, was added to the Bill

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री आर० के० खाडिलकर) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार कि या जाये ।"

खण्ड 3 और 4 इस विधेयक के महत्तवपूर्ण खंड हैं। खंड 3 द्वारा एक नई धारा अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 1। क जोड़ी जानी है । उच्चतम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अन्तर्गत मध्यस्थता कार्यवाही में कर्मचारियों की बरखास्तगी, सेवा-विमुक्ति आदि के बारों में व्यवस्थापकों के निर्णय में हस्तक्षेप करने की न्यायाधिकरणों की शक्ति से सम्बन्धित कानून की व्याख्या की गई है ।

संगठित श्रमिक यह मांग करते रहे हैं कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि न्यायाधिकरण बरखास्तगी के प्रश्न पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार कर सकते हैं तथा उनकी शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये । त्रिपक्षीय फोरम पर इस मामले पर विचार 'विमर्श किया गया था । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी सिफारिश संख्या 119 में कहा है कि रोजगार से बरखास्त किये जाने पर एक श्रमिक को एक निष्पक्ष निकाय जैसा कि मध्यस्थ, न्यायालय, मध्यस्थता समिति अथवा ऐसी ही निकाय को अपील करने का अधिकार होना चाहिये । यह भी कहा गया है कि निष्पक्ष निकाय को रोजगार से बरखास्तगी अथवा बरखास्तगी से सम्बन्धित अन्य परिस्थितियों, जिनके कारण बरखास्तगी के निर्णय को उचित ठहराया गया हो, की जाँच करने का भी अधिकार होना चाहिये । खंड 3 के उपवन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस सिफारिश को लागू किया गया है ।

इस समय प्रबन्धकों द्वारा जो जांच की गई है, श्रमिक उस पर विश्वास नहीं करते। शिकायत की गई है कि कुछ कार्यों से श्रमिकों को हटा दिया गया है। जांच में कोई ठोस बात नहीं है या वह स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है । अब श्रमिकों को न्याय मिलेगा ।

विधेयक के खंड 4 का उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 च च च का संशोधन करना है ताकि आरक्षित निधियों के समाप्त हो जाने से जो उपक्रम बंद हो गये हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को पूरा मुआवजा दिया जा सके । किसी उपक्रम के बंद हो जाने पर वहां के श्रमिकों को मुआवजा देने का वर्तमान उपबन्ध ऐसा है कि निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 15 दिन का औसत वेतन दिया जाता है अथवा 6 महीने से अधिक की किसी अवधि के लिये । किन्तु यदि उपक्रम किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों से, जो नियोजक के वश के बाहर की बात हो, बन्द हो जाये तो मुआवजे की अधिकतम सीमा तीन महीनों का औसत वेतन होता है ।

विधेयक के खंड 1 में यह प्रस्ताव किया गया है कि औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को

समुचित-अधिकार-प्राप्त सरकार बनाया जाना चाहिये ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा में पारित रूप, में, को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 9 सदस्य हों, अर्थात :—

1 श्री बी एन० भार्गव

2 श्री हीरा लाल डोडा

3 श्री विश्वनाथ झुनझुन वाला

4 श्री आर० के० खाडिलकर

5 श्री श्रीकिशन मोदी

6 श्री नरेन्द्र कुमार साधी

7 श्री नवल किशोर शर्मा

8 श्री एस० एन सिंह ; और

9 श्री आर पी यादव

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।"

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरूचिरापल्ली) : श्रम मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभों की सिफारिश की थी तथा उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई थी उनका अनुमोदन करने में सात महीनों से अधिक समय लग गया है । ऐसे भी मामले हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये चार-पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है ।

तथा कथित स्थानीय जांच में कर्मचारी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वकालत कराने की अनुमति नहीं दी गई । ऐसे बहुत से प्रबन्धक हैं जो कर्मचारियों को अंग्रेजी में आरोप-पत्र भेजते हैं और ये कर्मचारी प्राय: कोई भाषा नहीं जानते । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यह व्यवस्था है कि कर्मचारी का कोई भी मित्र उसकी वकालत कर सकता है । यहां इस स्थिति में कर्मचारी को इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है ।

जब तक नये साक्ष्य के लिये न्यायाधिकरण के उपबन्धों को ध्यान में नहीं रखा जाता, तब तक यह लाभ भ्रमात्मक है । अत: तथा कथित उदार उपबन्ध के बावजूद यह इकतरफा है और प्रबन्ध मंडल का पक्ष लेता है । इस परन्तुक को हटाया जाना चाहिये । यदि इसे आवश्यक समझा जाता है तो नये साक्ष्य के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये । यदि कोई कर्मचारी यह अनुभव करता है कि कुछ नये साक्ष्य लिये जाने चाहिये तो उसे ऐसा करने के लिये स्वतन्त्रता प्रदान की जाये । मूल खंड में जो कुछ दिया गया है उसे यह परन्तुक निष्प्रभावी कर देगा ।

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को ये शक्तियां दी गई हैं । कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो पारस्परिक परामर्श द्वारा मध्यस्थ के पास भेजे जाते हैं इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिये जिससे मध्यस्थता की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो ।

अन्तिम खंड द्वारा पत्तन और गोदी कर्मचारियों को शामिल किया गया है और उन्हें स्थायी रूप में जन उपयोगी सेवा के रूप में रखा गया है। इसे शक्तियां पहले ही दी गई हैं और समय समय पर सरकार किसी भी क्षेत्र में सीमित अवधि के लिये इन्हें जन उपयोगी घोषित कर सकती है। अब इस विधेयक के अन्तर्गत उन्हें स्थायी रूप में जन उपयोगी सेवा में रखा गया है।

अब जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो औद्योगिक सम्बन्धों को न तो विनियमित किया जा सकता है और न ही उन्हें बनाये रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक शान्ति के बारे में सोचना या बोलना स्वप्न मात्र होगा। औद्योगिक अशांति के बढ़ने का कारण अर्थ-व्यवस्था है अतः आप विधान द्वारा न तो औद्योगिक सम्बन्ध विनियमित कर सकते हैं और न ही औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ऐसा सरल सा विधेयक कब प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कर्मचारियों की रक्षा हो और उन्हें पदच्युत और निकाल देने वाली बातें करके, उन्हें परेशान न किया जाये।

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुये
Dr. Sardish Roy in the Chair]

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी सिफारिश संख्या 119 में कहा है कि रोजगार से बरखास्त किये जाने पर एक श्रमिक को एक निष्पक्ष निकाय जैसे मध्यस्थ, न्यायालय, मध्यस्थता समिति अथवा ऐसे ही निकाय को अपील करने का अधिकार होगा। यदि मंत्रालय चाहता तो यह विधेयक चौथी लोक-सभा के भंग होने से पूर्व ही पारित कर दिया जाता।

माननीय मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि यदि कर्मचारी आन्तरिक जांच से सन्तुष्ट नहीं होता है तो उसको श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जैसी निष्पक्ष संस्था के समक्ष अपील का अधिकार होना चाहिये। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह न्यायाधिकरण आन्तरिक जांच के बारे में ही कोई निर्णय दे सकता है। इसमें नये सिरे से साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः मैं समझता हूं कि कर्मचारियों को इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा।

आन्तरिक जांच में कर्मचारी को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। इस संबंध में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि को कर्मचारी के लिए वकालत करने की अनुमति हो। इस संबंध में श्रम मन्त्री ने राज्य सभा में भी एक आश्वासन दिया है। सदस्यों को यह बताया जाना चाहिये कि ऐसा कब तक हो जाने की संभावना है।

'श्रमिक' की जो व्याख्या इसमें दी गई है वह इतनी व्यापक नहीं है जिसके अनुसार अस्पतालों में कार्य करने वालों, शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वालों आदि को संरक्षण प्राप्त नहीं

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

हुआ है। अतः इस व्याख्या को व्यापक बनाया जाना चाहिये। 'श्रमिक' की परिभाषा के बारे में गाडगिल समिति ने सिफारिश की थी कि 160 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले को 'श्रमिक' की परिभाषा के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सरकार द्वारा लाये जाने वाले व्यापक विधेयक में इन सुझावों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

25 वर्षों के शासन के पश्चात् अब सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि देश के औद्योगिक विवाद नियमों का व्यापक पुनरीक्षण किया जायेगा। कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि औद्योगिक विवाद, न्यायालयों में न ले जाये जायें। 1966 में जो श्रमिक विवाद उच्चतम न्यायालय में ले जाये गये थे वे अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं। अतः जहां तक संभव हो इनका निपटारा सामूहिक बातचीत अथवा मध्यस्थता के द्वारा किया जाना चाहिये।

गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सभी सरकारी उपक्रमों में कार्यकारी समितियाँ स्थापित करनी चाहियें। यदि केन्द्रीय सरकार इस दिशा में पहल करे तो गैर सरकारी क्षेत्र इस उदाहरण का अनुसरण कर सकता है।

'अनुचित श्रम प्रक्रिया' की ठीक ठीक परिभाषा की जानी चाहिये और अखिल भारतीय स्तर पर अनुचित श्रमिक प्रक्रियाओं का निषेध लागू किया जाना चाहिये। अभी तो यह प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न रूप से लागू है।

जब कोई खनन उद्योग बन्द होता है तो मुआवजे के रूप में श्रमिकों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के एवज में 15 दिन का औसत वेतन दिया जाता है। इसके स्थान पर मैं समझता हूं कि एक महीने की तनखवाह के दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां तक श्रमिकों के कल्याण का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार को व्यापक विधान बनाने की दिशा में अब देरी नहीं करनी चाहिये। श्रमिक संघों की असंगत माँगों के लिए आन्दोलनात्मक प्रवृति को कुचलने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को उचित विधान शीघ्र बनाना चाहिये।

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Chairman Sir, workers are resorting to strikes etc. on the incitment of Political Parties. In order to make use of the political strength of hopes of workers, political parties make use of them. This practice has put the country to the greatest loss. If Political parties keep off from workers and leave them to their own, it would be great service to the country. Unless this is done our country can not develop. Instead of inciting them to strikes, etc. which hamper production in therm we should try to improve their lot by paying attention towards betterment of labour laws. A worker who is presently contributing towards provident fund get that amount at the time of retirement, Purchasing power of a rupee is diminishing. Therefore what he gets at the time of retirement is not the exact and actual amount he has contributed. In ordet to remove this anamoly Government should fix the purchasing value of the workers contribution and that should be paid to him at the time of his retirement. Workers and Agriculturists are the backbone of a nation. We should therefore have sympathies with them and they should get full justice. Government should ensure that labour laws are fully implemented by Private Sector.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1971 के

उद्देश्य वास्तव में प्रशंसनीय हैं और हमें इसका समर्थन अवश्य मिलना चाहिये। परन्तु यह भी सच है कि स्थिति पर काबू पाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

देश के प्रत्येक औद्योगिक कारखाने का पहला कर्त्तव्य श्रमिक वर्ग की सुरक्षा और कल्याण होना चाहिये। सरकार ने श्रमिक वर्ग की आर्थिक दशा सुधारने के विचार से पिछले 25 वर्षों में अनेक अधिनियम बनाये हैं। परन्तु क्या इन अनेक अधिनियमों से स्थिति में कुछ भी सुधार हुआ है ? क्या इन नियमों के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की आर्थिक दशा सुधरी है ? क्या किसी भी वर्ष में जन-दिनों की हानि कम हुई है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर होगा; 'नहीं'। उनकी आर्थिक दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जन दिनों की हानि निरन्तर बढ़ रही है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक न्यायालय आदि अनेक संस्थाएं बनाई गई हैं परन्तु यह सभी व्यर्थ सिद्ध हुई है। औसत श्रमिक के मन में यह भावना व्याप्त है कि उसकी शिकायतें दूर करने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया जा रहा है। अतः समय की आवश्यकता यह है कि कोई ऐसा सामान्य विधान बनाया जाना चाहिये जिसके द्वारा श्रमिक के मन में यह भावना आए कि उसके अधिकार सुरक्षित किये जा रहे हैं। हर एक कानून का लक्ष्य यह होना चाहिये कि कम से कम सम्भव समय में श्रमिक की शिकायतें दूर करने में उससे सहायता मिले।

देश में बहुत से औद्योगिक एकक बंद होते हैं उनमें से अधिक के बंद होने का मुख्य कारण श्रमिक असंतोष है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में सरकार को ऐसा व्यापक विधान बनाना चाहिए कि सभी प्रकार के कर्मचारी उसके अन्तर्गत आ सकें। सरकार की वित्तीय नीति औद्योगिक नीति और श्रम नीति में समन्वय बनाया जाना चाहिये। श्रमिक को यह अधिकार भी होना चाहिये कि आंतरिक जाँच में किसी वकील तथा मजदूर संघ कार्यकर्त्ता की सेवाओं का लाभ उठा सके। श्रमिक वर्ग को यह भी अधिकार होना चाहिये कि न्यायाधिकरण के समक्ष नया साक्ष्य प्रस्तुत कर सके।

हमारे देश में ऐसे अनेक उद्योग हैं जो सारे वर्ष नहीं चलते। वर्ष में कुछ समय चलने के बाद भी बाकी समय के लिए वे बन्द हो जाते हैं। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस प्रकार के उद्योगों द्वारा काम पर लगाये जाने वाले लोगों को उद्योग द्वारा काम न करने की अवधि के लिए विशेष भत्ता दिया जाये। बन्दरगाहों और गोदी पर काम करने वाले श्रमिकों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करने में कोई औचित्य नहीं है विशेषकर उस अवस्था में जब देश में आपात कालीन स्थिति न हो।

देश संकट में से गुजर रहा है चारों ओर रक्षा संबंधी तैयारियां चल रही हैं परन्तु इस स्थिति में भी वर्ष के पहले 6 महीनों में औद्योगिक उत्पादन मे केवल 1·5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसे समय में औद्योगिक उत्पादन अपने चरम स्तर पर होना चाहिए। इसके बिना हम यह नहीं कह सकते कि देश में रक्षा सम्बन्धी तैयारियां पूरी तरह से हो रही हैं। अतः इन परिस्थितियों में सभी मजदूर संघों, नियोजक संगठनों आदि को यह निर्णय करना चाहिये कि कुछ निश्चित अवधि में देश में कोई हड़ताल आदि नहीं होगी और इस अवधि में हम देश के औद्योगिक उत्पादन को चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रयास करें।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : As a result of the Bill the workers would be subjected to greater injustices. Now the provisions have been made more stringent for the worker. It has been provided that the report of the domestic enquiry will be implemented as it is. So in future there will be no scope for any change in it, except sending it to the Tribunal.

Shri Mohammad Ismail (Barrockpore) : As a result of the Bill introduced by the hon. Minister, the workers would be subjected to greater injustices. So far, a domestic enquiry was held and there was some hope of the report being modified in favour of the

worker. But now, that hope has also been dashad. The employer would now do as he likes. Even before, there was a charge sheet, some inquiry, some punishment and the worker was fired also. He had thus to face many difficulties. But those difficulties will further increase by this measure. No repesentative of the trade union was included in the enquiry. It was carried out by the nominees of employers, police etc. But now, the provisions have been made more stringent for the worker. It has been provided that the report of the domestic enquiry will be implemented as it is. So, in future there will be no scope for any change in it. It could only be sent to the Tribunal.

Sir, I am opposed to the amendment in the form in which it has been brought forward. The existing Act is a very old one and has become completely outmoded. So far as the Tribunal is concerned, no Judge of the Supreme Court has been included in it due to which this Bill has become inefective and requires a thorough change. The proposed amendment would be meaningless unless the worker's interests are protected.

Both private and public Sectors are operating in this country. The Government is the biggest employer. But the Industrial Disputes Act is not applicable there **in toto.** Things are done at will and the workers harassed in various ways. They are discharged or retrenched without hearing and decisions are taken arbitrarily. They are kept under subjugation. All this has resulted in great discontentment among them. When the private sector finds the workers of the Government treating its workers in this manner, it not only follows suit, but goes two steps further. It is, therefore, necessary to overhaul the Industrial Disputes Act thoroughly.

The medical representatives numbering thousands have been ignored. They were not covered by the Industrial Disputs Act and are not going to get any facility even by this amendment. They are subjected to various kinds of harassment and hardships by the employers, but are not protected by law. Thousands of such white-collar employees in the country are being continously ignored.

Similarly, the private motor drivers and domestic servants, whose number runs into lakhs, have not been covered by this measure. They have no rights and the doors of justice are closed for them. The drivers could be covered if a motor transport company employed more than five of them. But these companies never show more than five. The motor Vehicle owners in a private sector carry on their business in their own way. They run them as personel vehicles which means that the workers would have no rights or facilties. Thus lakhs of these workers remain unprotected. Therefore, instead of piecemeal legislation, there should be a comprehansive measure coverning all such workers.

Just naw, an appeal has been made to the workers to work hard and increase production. They have also been asked not to go on strike because the country was passing through a period of crisis. The political parties have been requested to refrain these workers from striking and not to instigate them. But why have the employers not been told anything ? What the Government, the biggest employer, has been doing ? The government had promised that there would be an automatic increase in the dearness allowance when the price index increased by ten points. But they have not done that. Has anybody told these employers about their duty during this period of crisis in the country ? Nobody has asked them to discharge workers, effect rationalisation and refrain from black-marketing and profiteering. They would continue to have domestic inquiries and discharge the workers as hitherto. You would continue to be despotic but the workers would be asked to be patriotic. You would adopt fascist methods, but ask the workers to be peaceful. You get them

beaten up by the police, but ask them not to weep. Can things go on the this manner? Political parties are maligned as instingating the workers, but what does the government do ? It does not do its duty. The employers are not told what are their duties. There are still lakhs of workers under the government who are working as casual workers for the last 10 or 15 years. Their rights have been taken away. If they make any demands and political parties come to their support, they are termed as instigators. Let the Government look to its own house before maligning owns.

In the Parliament, there are workers representatives and one-sided view could not prevail here. It cannot be that the Government goes on doing things as before but ask the employees to behave. One party is proved of the fact that it supports the workers cause in disputes between employers and employes, faces batous and bullets of the police and protects their rights. It will continue to do so in future also. The people know who is right in spite of maligning by the Government. The workers know everything. If you retrench them, they are certrainly not going to garland you. If 250 workers are retrenched it will also affect the rest. C. P. M. is maligned, but is the Government saintly ? If retrenchment is resorted to and the work-load on the remaining workers is increased, what compensation are you going to give them ? If you will not give them anything and the workers agitate for more, you connot escape by saying that the workers are bad or that the political parties are uucrupulons.

Shri Chitti Babu has spoken about the unfair labour practices. These unfair labour practices in the country were started by the beggest employer, the Government. In the private sector. it is very common. When Tribunal gave an award that the employers must pay, they say they will pay. But they do not pay when the time for payment comes. You know, Sir, what happened in the case of newspapers. The Government dared not force these employers to implement the award and defend the employees. At last, after fighting for 50 or 60 days, they had to bow down. But it was only insult of the Government which could not get the law implemented. If trade Unions lodge a complaint, they take stay orders and the law is so rotton that it cannot give any protection to the workers. There are thousands of such examples.

In Calcutta there is a firm called Mclen Berry and Company. Production has been going on there continously for the last four years. But this company entered some conspiracy with the Government and sold its shares to Mahavir Prasad Poddar. Thereafter all the raw-material supplied to this company stopped. At present there is no raw-material for the last two months, and the workers are without job. Thus, while the Government called for greater production, production, production is stopped by these methods even when workers are ready to produce. The workers are demanding 50 per cent of the incentive that was given to them, or raw-material to produce. We found out from the Government that the raw-material had been allotted to the firm but its is being blocked by it. We wrote to the Minister of Industrial Production and Labour, but they were unable to do any thing. Mahavir Prasad Poddor cares a fig for the Government. He should first be behind bars and then only should the Government tell the workers about their duty. Nearly 750 werkers are going to be rendered jobless.

The Jute Mill owners of Bengal pay the lowest wages to their workers. They do not pay more than Rs. 140 per month. Even since the British time, right up to the Cong ess rule, they did not get any benefit. In 1967, when they realised the begging would not fatch them any thing, they united and struck work for 10 days. Then alone the employees agreed to pay them Rs. 30 more and have now agreed to increase their minimum pay to Rs. 195

per month. We supported them and they got this relief and we are accused of instigating them. This is very wrong way of doing things. It is my appeal to the Government to give Consideration to these things. I do not support the present amendement and demand a comprehensive Bill. An assurance should be given that the Industrial Disputes Act would be changed and we should be told in how much time it mill be done.

Shri M. C. Daga (Pali) : Hon. Minister would be praised very much for bringing toward this progressive measure. But there are lacunae in the Bill. A worker is not allowed to take any representative with him in domestic enquiry. Workers do not know English but they are served charge-sheet in English. The enquiry officer is the employee of the same employer. The worker) is not given an apportunity to produce any fresh evidence before Tribunal, Inspite of all these draw backs it is claimed that it is a progressive measure.

It has been expressed here that the Government feels that it would create confidence amongst workers. But if we see the previous record of the Government as well as employers, we find that there is no basis for this confidence amongst workers. Though Government has been doing much in order to persuade employers with regard to Bonus it has not succeeded so far. Bureaucracy is in league with employers and they do not want a legislation which would help workers in any manner.

I would like to know the authority, who formulates rules under the Industrial Disputes Act. So far as I know these standing rules are framed by the industries themselves and are approved by Government. Wherever there is any enquiry, it is being done under these rules. In these circumstances the workers cannot get justice. I would like to know whether Government have ever examined these rules and proposed any amendments to them. If we want that workers get natural justice, we should amend the concerned sections of the Indnstrial Disputes Act, 1947. For this purpose a comprehensive Bill should be brought forward in this House. If we want to remove disparities, we shouid pass such legislation which will benefit to the workers. There is no use of passing such laws which will not give benefit to the workers.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : Mr. Chairman, Sir, there is great discontentment among the workers under the present set-up. These are not heard anywhere. The management arbitrarily issue 'standing orders' and thus mislead the labourers, Their rights are suppressed under such arbitrary rules. The labourers are charge-sheeted and dismissed even on small matters. Moreover the Labour Commissioners donot support the workers, instead they favour the interests of management. Under the present set up there is no arrangement to defend workers. I request Government that they should call the representatives of the workers to explain their grievances and Government should pay due attention to what they say.

Government should take immediate steps to start the newly established factory at Chandiya in Shahdol district. In Shandole district the Scheduled Tribes labourers are getting meagre wages and they are living there in deplorable conditions. Government should look into it and do something to improve their living conditions. Covernment should also take some steps to redress the grievances of the labourers at Rajnagar colliery. Efforts should also be made to supply electricity to Singroli coal mines area so that the industries in that area may work more efficiently.

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, यह विलम्ब से लाया गया है । मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रही है जो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से उत्पन्न हो गई है । कि

किसी श्रमिक द्वारा की गई अपील के मामले में किसी न्यायधिकरण या औद्योगिक न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा उसके गुण-दोष की विवेचना कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा। किन्तु सरकार ने इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की है कि श्रमिक न्यायालय या न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण कोई नयी गवाही न लेकर पुरानी रिकार्ड में दर्ज गवाही पर ही निर्भर करेगा और अपना निर्णय देगा मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध के होने पर मजदूरों को कोई लाभ नही होगा, क्योंकि कोई भी मालिक अपने कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच नहीं करा सकता है। अत: श्रमिक न्यायालय को नये सिरे से गवाही लेने का अधिकार दिया जाना चाहिये। न्यायाधिकरणों से यह अधिकार लेने पर श्रमिकों को न्याय नहीं मिल सकेगा। मेरा सुझाव है कि जांच पड़ताल भी अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण के माध्यम से कराई जानी चाहिए। इससे श्रमिकों की परेशान कुछ हद तक दूर हो जायेगी। अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कोई एसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जिससे जो भी नया निगम अस्तित्व में आये, वह स्वत: ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आ जाये। ऐसी व्यवस्था के अभाव में औद्योगिक वित्त-निगम पिछले २० तक उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत न आ सका। इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Shiwnath Singh (Jhunjhunu): Mr. Chairman, Sir, naw there is industrial unrest in the country, and I think it is a good feature, as it is a sign of awakening among the labour. There are for major components of an industry—labour, raw material, management and capital. I find that these days the importance of labour is being ignored. This is a reason for industrial unrest and loss of production in the country. So, due attention should be paid to the interests of the labour.

The Industrial Disputes Act was enacted in 1947. Since then it has been amended a number of times, but the industrial disputes still continue. The workers could not be benefitted by these amendments to the extent, they should have been. So, I request the hon. [Minister that a comprehensive Bill should be brought forward for the benefit of the workers.

As regards the present Bill, there are certain causes in it, which are likely to do more harm to the workers. For instanee, there is clause 3, which says . "in any proceeding under this section the Labour Court, Tribunal or National. Tribunal, as the case may be, shall rely only on the materials on record and shall not take any fresh evidenee in relation to the matter." If fresh evidence is not allowed in the National Tribunal, it can be understood, because it is a place for second appeal. But it is not understood as to why fresh evidenee has not been allowed in the labour tribunal. The Minister should reconsider this matter and remove this lacuna by bringing forward a suitable amendment to this clause.

In clause 4 of this Bill it is said that if any undertaking or Industry is closed due to shortage of raw material, it will not be treated as closed. But there are several undertakings which shift to some other site when the mineral resources at one site get exhausted. Such undertakings should be under obligation to take the old workers to the new site. In the end, I request that the hon. Minister should withdraw these clauses from this Bill.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): Mr. Chairman, Sir, there is labour unrest in industrial units in India. In this regard I want to suggest that we should seriously look into the causes of strikes. Now there is a strike going on in the plant unit of Uranium Corporation of India, Jadugo la for the last 21 days. The main cause of the strike there is that the

workers wanted that bonus shouid be paid to them ex-gratia. It is now high time that steps should be taken to resolve the dispute and the dispute can be solved by implementing the Khadilkar formula there. An assurance to this effect should be given to the workers immeditealy. In this way labour can be controlled. Something should be done in this regard.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मैं श्री खाडिलकर से अनुरोध करता हूँ कि वह उन उपबन्धों को इस विधेयक से निकाल दें, जिनसे श्रमिकों को इस संशोधन से मिलने वाला लाभ ही नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री ने स्वयं ही यह आश्वासन दिया था कि वह एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे जो अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और कालेजों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम अब पुराना पड़ गया है, इसलिए मंत्री महोदय शीघ्र ही एक व्यापक विधान इस सम्बन्ध में लायेंगे।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि कुछ कर्मचारी-वर्ग इस अधिनियम से लाभ नहीं उठा सकते हैं। उदाहरणार्थ, अध्यापक इससे लाभान्वित नहीं होते। मुझे उस मामले की जानकारी है जिससे पश्चिम बंगाल सरकार के 13 कर्मचारी एकपक्षीय आधार पर नौकरी से बिना कारण बताये निकाल दिये गये थे। इसी कारण उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दे सका। इसी प्रकार काशीपुर, इच्छापुर और डमडम से 32 कर्मचारी बर्खास्त कर दिये गये। इन मामलों में बर्खास्तगी गलत आधार पर की गई है, अथवा राजनीतिक कारणों से की गई है यह बताया जाना चाहिये। हम इन मामलों में मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन कर्मचारियों को एक दिन पुनः नौकरी पर ले लिया जायेगा। इन कर्मचारियों के मामलों को न्यायालय तक ले जाने की अनुमति श्रम आयुक्त यह कहकर नहीं देगें कि ये कर्मचारी रक्षा मंत्रालय के हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को भी लाया जाये, जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया है और जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं माननीय सदस्यों के इस सुझाव से भी सहम्मत हूँ कि अब वह इस समय आ गया है जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम पर विचार किया जाना चाहिये, जिससे बदली हुई स्थिति में देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिर हो सकें। सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि अस्पतालों, शिक्षा-संस्थाओं और विश्वविद्यालय आदि संगठनों के कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया जाये। इसके लिए मैं शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक सभा में लाने का प्रयास करूंगा।

विधेयक के कुछ खण्डों की भी आलोचना की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने का उद्देश्य स्थानीय जांच के बाद श्रमिक को अपने मामले की पुनः समीक्षा कराने का अधिकार देना है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इससे श्रमिक को स्थानीय जांच के समय पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती है। यह भी सच है कि यदि न्यायालय पहले लिए हुए साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय देगा तो श्रमिक को पूर्ण न्याय कभी नहीं मिलेगा। उसे

यह भी आभास होगा कि उसके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि "औद्योगिक कर्मचारी (स्थाई) आदेश में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। चार्जशीट की भाषा के बारे में भी सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है.....

श्री शिवनाथ सिंह : उसकी भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं है।

श्री आर० के० खाडिलकर : उसका महत्व है। मैं इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रमिक आयोग द्वारा दी गई सिफारिश का उल्लेख करना चाहता हूँ। इस सिफारिश में बताया गया है कि या तो श्रमिक का कोई कार्यकारी प्रतिनिधि न्यायाधिकरण आदि में होना चाहिये या फिर जांच उसकी बोलचाल की भाषा में ही की जानी चाहिये इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जांच निर्धारित समय के अन्तर्गत ही समाप्त हो जानी चाहिये। मेरा भी यही विचार है कि यह सभी बातें होनी चाहियें।

अधिनियम में यह व्यवस्था करने के बाद अब हमारे समक्ष यह प्रश्न रह जाता है कि क्या श्रमिक न्यायालयों के बनाये जाने की आवश्यकता है ? इसके बारे में विभिन्न सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अभी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूँ। परन्तु फिर भी मैं यह समझता हूँ कि इस सम्पूर्ण अधिनियम के व्यापक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता अवश्य है। परन्तु जैसा कि मैंने आंतरिम जाँच के बारे में बताया उसके साथी श्रमिक द्वारा सदस्यता की जानी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह तो स्थाई निदेशों के अनुसार ही किया जाना चाहिये क्योंकि भारत सरकार के नियंत्रण और अपील नियमों में ऐसी व्यवस्था है।

श्री आर० के० खाडिलकर : औद्योगिक कर्मचारियों के स्थाई आदेशों में संशोधन करके इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

मध्यस्थता की बात भी की गई है। मध्यस्थता के लिए दोनों ही पहियों को सहमत होना चाहिये। परन्तु श्री बनर्जी जैसे मेरे निम्न मित्रों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बहुत सी बातें करना चाहते हैं परन्तु मजदूर संघों की अधिकता ही हमारे मार्ग की एक बड़ी बाधा बन गई है। उन्होंने रक्षा कर्मचारियों की बात भी की है। मैं समझता हूँ कि उन्हें वहाल नहीं किया गया था इसीलिए वह लोक-सभा में आ गये।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान जी रिकार्ड ठीक होना चाहिये। मेरा मामला उच्च-न्यायालय में था तो मेरे वकील ने कहा था कि मेरा मुवक्किल संसद का सदस्य बन गया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं भी तो केवल यही बात कह रहा था कि कई बार इस प्रकार के अवसर भी श्रमिकों को संसद में पहुंचा देते हैं।

यदि हम औद्योगिक सम्बन्धी में सुधार करना चाहते हैं और उद्योग समूह के विकास में कुछ स्थिरता लाना चाहते हैं तो मैं मजदूर संघ के नेताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि इन्हें अपने पदों के बारे में सभी प्रकार के झगड़ों को समाप्त करना चाहिये। जब तक वह लोग एक समान मोर्चे के लिए एकत्रित नहीं होते, जब तक वह अपने राजनीतिक विवादों को भुलाकर

आगे नहीं बढ़ते तब तक इस प्रकार के सभी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सुझाव दिया है जब तक किसी श्रमिक को केन्द्रीय निकाय में जाने का सीधा अधिकार नहीं दिया जाता तब तक मैं समझता हूं कि हम कर्मचारियों की व्यक्तिगत या कई बार उनके संघों की सुरक्षा नहीं कर सकते।

मेरे माननीय मित्र श्री चित्तरी बाबू ने औद्योगिक विवादों के लिये लिए किये जाने वाले उपायों का जो स्वागत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं उसको यह भी बताना चाहता हूं कि उनकी तामिलनाडु की सरकार को औद्योगिक मामलों के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करते समय उस संघ की किसी राजनीतिक दल के तीन आस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये। उन्हें तथा उनके दल की सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि श्रमिक समस्याओं को राजनीति के साथ न जोड़ा जाये।

श्री सी० चित्तिबाबू : हमारी सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है।

श्री आर० के० खडिलकर : मैं किसी पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं। मैं आपके समर्थन का स्वागत करता हूं। जहां तक केन्द्रीय श्रम व्यवस्था का सम्बन्ध हैं। वह तो बिलकुल निष्पक्ष है और उस पर किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। आप इस प्रकार का कोई उदाहरण बताइये (व्यवधान) माननीय सदस्य ने यूरेनियम निगम का उदाहरण दिया है। यदि वह मुझे मामले का विस्तृत ब्यौरा दें, तो निश्चय ही इस पर कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही कुछ अलग सुझाव भी दिये गये है। मैं आरम्भ में ही यह आश्वासन दे चुका हूं कि परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुये, समूचे मामले पर पुर्नविचार करने के बाद ही सभी कर्मचारियों जिनमें प्रतिरक्षा कर्म चारी भी शामिल है, की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक व्यापक विधेयक पेश करने का विचार कर रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैं समझता हूं कि 20 वर्षों के बाद अब समय आ गया है जब कि सम्पूर्ण स्थिति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि श्रमिक को भी अपने दायित्व को पहचानना चाहिये क्योंकि अर्थव्यवस्था में उनका भी बराबर का योग दान रहता है। यदि वह तनिक भी सहनशीलता दिखायेगें तो इन्हें वह सब कुछ मिल जायेगा जो कुछ वह लेना चाहते है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डागा का संशोधन सदन के समक्ष रखता हू।

उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
(The amendment was put and negatived)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"खण्ड 2 से 7, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़ दिया गया"

Clauses 2 to 7 clause, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :" कि विधेयक को पारित किया जाये।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा, मंगलवार, 30 नवम्बर 1971/9 आग्रहायण 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on tuesday the 30th November, 1971/Agrahayana 9, 1893 (Saka)

Printed at Ashoka Printing Works, Modinagar